षोदश माला, खंड 24, अंक 30

शुक्रवार, 3 मई, 2002
13 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

53
13/1/02

(खण्ड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

। अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 30, शुक्रवार, 3 मई, 2002/13 वैशाख, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	541 से 543	2-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	544 से 560	25-50
अतारांकित प्रश्न संख्या	5750 से 5921	50-348
सभा पटल पर रखे गए पत्र		348
सभा का कार्य		351
परिसीमन विधेयक—पुर:स्थापित		354
सरकारी विधेयक—पारित		
(एक) चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		367
श्री मुनि लाल		367
श्री पवन सिंह घाटोवार		368
खंड 2 और 1		370
पारित करने के लिए प्रस्ताव		371
(दो) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		372
श्री अरुण जेटली		372
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन		373
श्री गिरधारी लाल भार्गव		375
श्री अधीर चौधरी		376
खंड 2, 3 और 1		379
पारित करने के लिए प्रस्ताव		380
(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		380
डा० सी०पी० ठाकुर		380
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन		381

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उक्त सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री गिरधारी लाल भार्गव	384
श्री चन्द्र भूषण सिंह	387
श्री रामदास आठवले	388
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	389
श्री सी०के० जाफर शरीफ	390
खंड 2, 3 और 1	391
पारित करने के लिए प्रस्ताव	392
(चार) सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण (निरसन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	392
डा० सी०पी० ठाकुर	392
श्री रामदास आठवले	393
खंड 2 और 1	393
पारित करने के लिए प्रस्ताव	394
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	395
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) कृषक और कृषि कर्मकार प्रतिकर निधि विधेयक	
श्री हन्नान मोल्लाह	395
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 का संशोधन)	
श्री हन्नान मोल्लाह	396
(तीन) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक	
श्री हन्नान मोल्लाह . . .	396
(चार) असंगठित कर्मकार (भविष्य निधि) विधेयक	
श्री सुशील कुमार शिंदे	397
(पांच) नि:शुल्क शिक्षा (गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक	
श्री सुशील कुमार शिंदे	398
(छह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
श्री पी० मोहन	408
(सात) केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
श्री कोडीकुनील सुरेश	409

विषय		कॉलम
(आठ)	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण (प्राइवेट सेक्टर में) विधेयक	
	श्री कोडीकुनील सुरेश	409
(नौ)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 216 का संशोधन)	
	श्री कोडीकुनील सुरेश . . .	410
(दस)	काजू बोर्ड विधेयक	
	श्री कोडीकुनील सुरेश	410
(ग्यारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया (सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	398
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	411
	डा० नीतिश सेनगुप्ता . . .	412
	श्री हन्नान मोल्लाह . .	417
	श्री अली मोहम्मद नायक	422
	श्री अनादि साहू	431
	श्री थावरचन्द गेहलोत	437
	श्री पी०एस० गढ़वी . . .	440
	श्री ईश्वर दयाल स्वामी	441
	श्री वैको	447
(बारह)	अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक—विचाराधीन	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	450
	डा० वी० सरोजा	450
कार्य मंत्रणा समिति		
	छत्तीसवां प्रतिवेदन	451

लोक सभा

शुक्रवार, 3 मई, 2002/13 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : महोदय, मैंने नियम 184 के तहत एक नोटिस दिया है। बिहार में चार दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी प्रश्नकाल है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : बिहार में चार दलितों की हत्या कर दी गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० मल्होत्रा आप अपनी पार्टी के सचेतक हैं और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह प्रश्नकाल है और ऐसे मामले केवल प्रश्नकाल के बाद ही उठाए जाते हैं। आप इस मामले को प्रश्नकाल के बाद उठाइए, तब मैं आपको बताऊंगा परन्तु, इस तरह से नहीं। यदि आप इस मामले को अब उठाएंगे तो आपको प्रश्नकाल छोड़ना पड़ेगा।

(व्यवधान)

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, वे भी प्रश्नकाल के दौरान ऐसे मुद्दे उठाते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा उठाने का तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : अभी थोड़ा अफीम की गोली ले लो तो ठीक हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : ये खुद भी खाते रहे हैं और दूसरों को भी आदत डलवा रहे हैं!

उपाध्यक्ष महोदय : खुद ही रेकमंड कर रहे हैं गोली – वह भी अफीम की?

अब प्रश्न संख्या 541

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अफीम की तस्करी

+

541. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात वहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती पुन: आरम्भ हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत में बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी भी पुन: शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी तस्करी और इससे प्राप्त धन से आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में अफीम-पोस्त की खेती के क्षेत्रफल में कमी आने के बाद वर्ष 2002 में अफीम-पोस्त की खेती के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो गई होगी। अफगानिस्तान में अंतरिम प्रशासन अफीम की अवैध खेती की रोकथाम के लिए कदम उठा रहा है।

(ख) और (ग) हेरोइन की तस्करी जो अफीम से पैदा होती है, पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान से भारत में और भारत से होकर ही जाती है न कि अफीम की तस्करी की जाती है। सरकार यह नहीं समझती है कि अफीम-पोस्त की खेती में बढ़ोतरी होने के कारण अफगानिस्तान से भारत में तस्करी की अचानक वृद्धि हुई है क्योंकि अफीम-पोस्त की खेती में केवल एक वर्ष 2001 में ही कमी आई थी और भारत, अफगान हेरोइन की तस्करी के लिए बहुत से मार्गों में से केवल एक मार्ग है। अफगान

हेरोइन की तस्करी के लिए मुख्य मार्ग मध्य एशियाई गणराज्य, तुर्की और ईरान हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से हेरोइन के अवैध व्यापार में तब भी कमी नहीं आई थी जब तालिबान ने अफीम की खेती पर रोक लगा दी थी।

(घ) स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस पर एक प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं। इनमें आतंकवादी कार्यकलापों के वित्तपोषण पर कड़ी निगरानी रखने, अधिकारियों को प्रशिक्षित करने, केन्द्र और राज्य सरकारों के एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वयन स्थापित करने, समन्वित कार्रवाई करके राष्ट्र-विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्प्रभावित करने, उन्नत परिष्कृत हथियारों के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने और अपग्रेड करने, भारत-पाक सीमा पर बाड़ एवं फ्लड लाइटिंग लगाने, स्वापक औषधियों का निषेध करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करने, पूर्व प्रयुक्त होने वाली कुछेक रसायन सामग्रियों जैसे कि ऐसेटिक एबहाइड्राइड, एफिड्राइन आदि को एन०डी०पी०एस० अधिनियम के अंतर्गत ''नियंत्रित पदार्थों'' के रूप में अधिसूचित करने, सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकें करने, भारतीय और पाकिस्तानी स्वापक-रोधी एजेंसियों की आवधिक द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करने सहित समुस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने के लिए और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना शामिल है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 13 दिसंबर को पूरी संसद उसके परिणाम भुगत चुकी है। मैं बताना चाहता हूं कि दो साल पहले एक ब्रिटिश ऐनालिस्ट डैविड वॉकर ने लिखा था :

[अनुवाद]

ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान का शासन परिषद के तीन सदस्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है जैसा कि अकसर किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना तो है ही परन्तु इनके साथ नशीली दवाओं का माफिया चौकड़ी के रूप में मौजूद है जो कि चौथा स्तम्भ है।

[हिन्दी]

ब्रिटिश ऐनालिस्ट की रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान टैररिस्ट कंट्री है, इसके लिए हम यूएनओ तक फाइट करते रहे और अफगानिस्तान की अफीम पाकिस्तान के रास्ते से ही इंडिया आती है। अफीम की वजह से जो माफिया ग्रुप वहां हैं, वह सब ब्लैक मनी में बहुत जबर्दस्त ऑपरेट करते हैं। मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि अफगानिस्तान दुनिया में 75 प्रतिशत अफीम बनाने वाला देश है। दूसरा कोई देश इतनी अफीम का उत्पादन नहीं करता। वहां अफीम की इतनी खपत भी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि तालिबान सरकार आई और उसने अफीम उत्पादन पर बैन भी लगाया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी माना है कि तालिबान रिजीम में भी वह कम नहीं हुआ लेकिन आज वहां अफीम का प्रोडक्शन फिर बढ़ गया है, इसे भारत सरकार ने माना है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तान ने अपने यहा एक ट्रॉइका पैदा किया है, क्या भारत सरकार में भी आपके पास कोई इंटेलीजेन्स है जो देखे कि कोई ऐसा ग्रुप है, भारत के विरोध में काम करने वाला ग्रुप, जो इस पैसे का उपयोग कर रहा है और भारत में अफीम लाकर उसे विदेश में भेजने का काम कर रहा है क्योंकि थोड़ी सी एक आउंस अफीम, जो पहले 100-200 डालर में मिलती थी, आज उसकी कीमत 500 डालर हो गई है। यह पैसा टैररिज्म के काम में लाया जाता है। भारत सरकार ने इसके बारे में क्या किया है और भारत सरकार के पास ट्रॉयका के बारे में क्या मालूमाता हैं, वह बताएं?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता बिलकुल सही है। इस सदन में हम सब लोग इस बात से अवगत हैं कि अफगानिस्तान कई दशकों से अफीम उत्पादन का केन्द्र रहा है और दुनिया की लगभग 70 प्रतिशत अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में होता रहा है। यह भी सही है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि तालिबान ने इसके ऊपर एक बार रोक लगाई और उससे अफीम के उत्पादन में कुछ कमी हुई, लेकिन जो यू एन डी सी पी नामक अफीम के कंट्रोल के बारे में संस्था है, उसने अभी हाल ही में जो आंकड़े दिए हैं उनसे यह पता चलता है कि इस बार फिर अफगानिस्तान में अफीम की खेती जोर पकड़ रही है, हालांकि हमारे पास यह सूचना भी है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने अफीम की खेती को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि वहां तालिबान का शासन रहा, अफगानिस्तान जिस दौर से गुजरा और अफगानिस्तान में जो तबाही हुई, वह प्रमुख रूप से वहां के किसानों को अफीम उगाने एवं उसकी वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करता रहा। हमारी सूचना के अनुसार अफगानिस्तान में जो अन्तरिम सरकार है उसने अब किसानों को इस बात के लिए राजी किया है कि वे अफीम की खेती छोड़ें। उनका बॉन में अन्तरिम सरकार के लिए जो समझौता हुआ उसमें भी यही था कि वे इसके ऊपर नियंत्रण लगाएंगे। हमारी सूचना के अनुसार जलालाबाद में किसानों ने अफीम की खेती करने की कोशिश की थी और जब सरकार ने उन्हें रोका, तो उपद्रव होने पर गोली भी सरकार द्वारा चलाई गई ताकि किसान अफीम की खेती न करें।

महोदय, अभी हमारे पास जो संकेत हैं उनसे यह पता चलता है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार इस बात के लिए तत्पर है और वह किसानों को अफीम की खेती से रोकने के लिए 500 डॉलर प्रति एकड़ मुआवजा देने के लिए तैयार है। हम अफगानिस्तान के मित्र देश हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम

अफगानिस्तान को सरकार को और प्रोत्साहित करें, और मदद दें ताकि वह अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर रोक लगाए। यह एक पक्ष है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा पक्ष यह है कि हमारे यहां साउथ-वैस्ट एशिया, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से काफी मात्रा में अफीम नहीं, बल्कि हैरोइन की स्मगलिंग होती थी, लेकिन मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां हम छः-सात साल पहले के आंकड़े देखें तो हम पाएंगे कि 1996 में जो पूरा स्मगलिंग का सीजर हुआ उसमें हैरोइन 64 प्रतिशत थी जो अब 2001 में घटकर 21 प्रतिशत हो गई है। अफगानिस्तान ने जो रोक लगाई और हमने जो व्यवस्था की, उसके चलते कुछ हद तक हम हैरोइन की स्मगलिंग पर काबू पाने में सफल हुए हैं।

माननीय सदस्य ने जो पाकिस्तान की बात कही, उनका यह कहना बिलकुल सही है -- यह जग-जाहिर और जग-विख्यात है कि पाकिस्तान में इस प्रकार का ट्रॉयका काम कर रहा है और पाकिस्तान की सेना की भी इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निर्लिप्तता है, लेकिन पाकिस्तान में जो सरकार है या जो भी सरकार, जब भी होती है, हमारा यह प्रयास होता है कि उसके साथ तालमेल करके हैरोइन की स्मगलिंग को रोकने के प्रयास करें। पाकिस्तान के साथ हमारा एक बायलैटरल एग्रीमेंट है। हमने यह व्यवस्था की है कि जब दोनों पक्षों के कमांडर्स मिलते हैं, तो उसमें नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी शामिल रहें ताकि इस बात पर भी चिन्ता की जाए। इस प्रकार से हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जो दूसरे तंत्र हैं, उनके हम निरंतर संपर्क में हैं कि हमारा बॉर्डर इसके लिए उपलब्ध न हो।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो आंकड़े हैं, बताते हैं कि हमने जो कदम उठाए हैं जिनमें पाकिस्तान की सीमा पर रोशनी करना और बार्ब्ड वायर की व्यवस्था करना शामिल है, उनके चलते भी इस पर रोक लगी है। इसके लिए हम कृत-संकल्प हैं और निश्चितरूप से आगे भी कृत-संकल्प रहेंगे, जिससे हम हैरोइन की स्मगलिंग को रोक सकें।

श्री सुशील कुमार शिंदे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने पूर्ण रूप से विस्तृत उत्तर दिया, लेकिन मुझे चिन्ता इस बात की है कि अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 को ट्विन टॉवर पर हमला हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान से तालिबान की सरकार को समाप्त किया गया और वहां जो दूसरी सरकार आई, उसके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। अफगानिस्तान के ड्रग माफिया ने, जिन्होंने अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के कारण, अपने वखार और कोठारे यह सोचकर कि अब हमारा काम चलने वाला नहीं है इसलिए बंद कर दिए, परन्तु वहां केवल किसी एक देश के माफिया नहीं हैं, वहां दुनिया भर के बड़े-बड़े माफिया बैठे हैं। फिर भी अब वहां जो सरकार आई वहां अफीम की खेती को बंद कर कृषि को बढ़ावा देना चाहती है। भारत के साथ उस सरकार के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यह बात अभी मंत्री जी ने बताई है। हमारा अनुभव यह रहा है कि जब भी भारत किसी देश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, चाहे वह पाकिस्तान हो या कोई और देश, तभी हम धोखा खाते हैं। पाकिस्तान हमारे साथ दो बार धोखा कर चुका है। इसलिए आज हमें यह फिक्र है और डर लगता है कि फिर हमारे साथ धोखा न हो जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शिन्दे जी, सवाल पूछिए। बहुत लम्बा भाषण हो रहा है। सप्लीमेंट्री करने वाले बहुत सदस्य हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इसमें टैररिज्म इन्वाल्व है इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस के विमान को जिस तरह टैररिस्ट यहां से उड़ाकर अफगानिस्तान ले गए और भारत सरकार जिन टैररिस्ट को यहां से लेकर वहां छोड़ने गई, उसमें जो पैसा टैररिस्ट्स को मिला, वही इसमें यूज हुआ। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि बॉर्डर पर आपने जो अधिकार बी०एस०एफ० या अन्य पैरा-मिलिट्री फोर्सेस को दिए हैं, उन लोगों ने अफगानिस्तान में नई सरकार आने के बाद, कितने केसेस पकड़े हैं और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है? कहीं ऐसा न हो कि हम एक समस्या से छुटकारा पाएं, उधर ऑफीसर आपस में हाथ मिला लें और टैररिस्ट्स की इस प्रकार से मदद हो जाए। क्या इस बारे में आपके पास कुछ मालूमात हैं और कितने ऑफीसर्स को उनके द्वारा ड्यूटी में फेल्योर होने का दोषी पाया है या इस तरह के कितने केसेस उन पर चल रहे हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त किया है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हम चौकस हैं। जितने कदम उठाने की आवश्यकता है, वे हमने उठाए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 2001 में तालिबान ने जो प्रतिबन्ध लगाया था, उसके चलते अफगानिस्तान में ओपीयम की खती में काफी गिरावट आई है। अगर हम सारे आंकड़े देखें, तो पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में टोटल पांच-छः हजार टन ओपीयम का सीजर होता था उसके मुकाबले पिछले साल यानी 2001 के आंकड़े देखें तो वह एक हजार टन से भी कम है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका जो मार्केट है वह यूरोप में ज्यादा है या जो दूसरे विकसित देश हैं, वहां है। ईस्ट एशिया और अफगानिस्तान की जो हैरोइन स्मगल होकर वहां पहुंचती है, वह ज्यादातर यूरोप के देशों में जाती है और इसका जो ट्रैडीशनल रूट था वह था ईरान, बालकन होकर -- बालकन के देशों से यूरोप के देशों में हैरोइन पहुंचती थी। इधर हाल में वहां के तस्करों ने एक नया रूट डैवलप किया है जिसको सिल्क

रूट कहते हैं। अब वे सेंट्रल एशिया, मास्को आदि होते हुए यूरोपीय देशों में हैरोइन ले जाते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे यह बताते हैं कि हम से कहीं ज्यादा वे हैरोइन पकड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा माल उनके माध्यम से जा रहा है।

हमारे यहां अफगानिस्तान से हैरोइन की स्मगलिंग होती है, वह खपत के लिए कम बल्कि भारत को ट्रांजिट रूट के रूप में उपयोग करने के कारण ज्यादा होती है। नॉर्थ ईस्ट एशिया के माध्यम से तस्कर इसे ले जाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वे चाहे म्यामांर की सीमा हो, पाकिस्तान की सीमा हो उसका प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने कहा हम चौकस हैं।

हमारे जो पदाधिकारी बॉर्डर पर हैं, उनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी हैं, लेकिन माननीय सदस्य ने जो आंकड़े पूछे हैं कि कितने लोगों के ऊपर नई अंतरिम सरकार के आने के बाद हमने इस संबंध में कार्रवाई की, कितने केसेस ऐसे पकड़े, इस समय मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। अब पूरे विश्व को यह पता चल गया है कि पोस्त के कुल विश्व उत्पादन का 72 प्रतिशत उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। 11 सितम्बर के बाद की स्थिति में इस प्रकार के नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रति हम सभी सचेत हैं और सीमा से लगे क्षेत्र में पहरेदारी को और चौकस करने के कारण इसमें कमी आई है, इसके साथ ही आपूर्ति में गिरावट आई है। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था कि प्रवर्तन विभाग द्वारा की जा रही जब्ती में तद्नुसार गिरावट आई है और यही बात आप कह रहे हैं। तथापि मैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहूंगी। आप जानते ही होंगे कि अब भारत ने देश में पोस्त का उत्पादन शुरू कर दिया है और आंध्र प्रदेश सहित पोस्त उत्पादन जिलों, जहां पोस्त की खेती करने वाले लोग हैं, में नशीली दवाओं की बढ़ोत्तरी पायी गई है। क्या प्रवर्तन अधिकारियों ने ई-मेल द्वारा सूचनाओं को गुप्त रूप से पकड़ने के बारे में कभी सोचा है? नशीली दवाओं के उत्पादन और आपूर्ति करने वाले लोग आन लाइन कारोबार कर रहे हैं। उनके पास अद्यतन प्रौद्योगिकी पहले से ही उपलब्ध है। क्या आपके पास ई-मेल द्वारा सूचनाओं के आदान-प्रदान को गुप्त रूप से पकड़ने का कोई तंत्र है? इंटरनेट और इलेक्ट्रानिक निगरानी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके कितना माल जब्त किया गया है? क्या इलेक्ट्रानिक निगरानी करने हेतु कोई विधान है? आप देश में किस प्रकार का जागरूकता अभियान चला रहे हैं? मैं यह केवल संसद सदस्य होने के नाते नहीं पूछ रही हूं बल्कि एक मां के नाते पूछ रही हूं। यह चिंता बढ़ती जा है कि हमारे देश के विद्यालयों और महाविद्यालयों सहित शहरी क्षेत्रों में बच्चों को ऐसी नशीली दवाओं की लत लग रही है। यह हमारे देश की राजधानी में आसानी से उपलब्ध है। आप इसे रोकने हेतु क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, निरीक्षण, निगरानी, आसूचना संग्रहण और देश के कानून के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में विभिन्न एजेंसियां लगी हुई हैं। हमारे पास नशीली दवाओं संबंधी अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानून हैं। केन्द्र सरकार की विधि प्रवर्तन एजेंसियों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स राजस्व आसूचना महानिदेशालय, सीमाशुल्क विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल शामिल हैं, जिनका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है और इसके अलावा हमारे किसी अन्य एजेंसी को अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है जिसके बारे में हम यह मानते हैं कि, यह तस्करी पर रोक लगाने में सहायक होगी। भारत सरकार के इन संगठनों के अलावा राज्य पुलिस और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग जैसी राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियां हैं जिन्हें नशीले दवाओं संबंधी अपराध के मामलों में कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। माननीय सदस्य ने हमारे द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में पूछा है। हमने कई कदम उठाए हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि हम विशेषकर सीमा पर बहुत सचेत हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैंने विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक निगरानी के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आप इसके दायरे में हैं अथवा नहीं हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं उस विषय पर आ रहा हूं। हम इस कार्य में संलग्न अधिकारियों के कौशल में सुधार हेतु उन्हें सतत् प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तस्करों को पकड़ने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने हेतु एक पुरस्कार योजना भी है। हमारे पास विभिन्न स्तर पर समन्वयन की व्यवस्था है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, आपसी व्यवस्था आदि भी है।

अब प्रश्न यह है जो कि माननीय सदस्या ने तस्करों द्वारा आन-लाइन पर तस्करी किए जाने के बारे में पूछा है। भारत एक ऐसा देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफीम की वैध खेती करने का मौका अथवा विशेषाधिकार प्रदान किया है। मूल रूप से तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में ऐसे अफीम की वैध खेती करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सभी कार्य कड़ी नियंत्रित शर्तों के अंतर्गत किए जाते हैं हालांकि इसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। जहां तक देश में इसकी अवैध अथवा वैध खेती और देश में इसके दुरुप्रयोग का संबंध है, देश में हेरोइन की तस्करी अथवा भारत को रास्ते के रूप में इस्तेमाल किए जाने का संबंध है, दोनों ही मामलों में हमारी प्रवर्तन एजेंसियां जैसाकि मैंने कहा है, बहुत सतर्क हैं। यदि वे आन-लाइन तस्करी कर रहे हैं तो हम

भी आन-लाइन कार्यवाही कर रहे हैं हमारी प्रवर्तन एजेंसियां कम्प्यूटर और इंटरनेट सहित सभी साधनों का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वे इस समस्या से निपट सकें।

[हिन्दी]

वे अगर डाल-डाल हैं तो हम पात-पात हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वे जो टेक्नोलौजी यूज कर रहे हैं, हम उनसे आगे बढ़ कर टेक्नोलौजी का इस्तेमाल करें ताकि उनके ऊपर काबू पा सकें। लेकिन यह निरंतर संघर्ष है, बहुत दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : इलेक्ट्रानिक निगरानी के माध्यम से कितने मामले पकड़े गए हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं माननीय सदस्या को सूचना दे दूंगा।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : मेरे पूर्ववर्ती वक्ता माननीय सदस्या ने अशंत: भारतीय खेती के बारे में पूछा है। माननीय मंत्री ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य स्थानों में वैध खेती के बारे में उल्लेख किया है। परन्तु, आंध्रप्रदेश में विशेष रूप से एजेंसी के क्षेत्र में जो दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित है भारी मात्रा में पोस्त की खेती की जा रही है। यह तराई क्षेत्र है और यह अधिसूचित क्षेत्र है, विशेषकर विशाखापट्टनम जिला जहां से मैं हूं और पूर्वी गोदावरी के पड़ोसी जिले और इसके साथ-साथ महोदया के निर्वाचन क्षेत्र खम्मम में इसकी खेती हो रही है। आए दिन समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित होता है कि इन जिलों में भारी मात्रा में पोस्त की खेती की जा रही है।

माननीय मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि कुछ जिलों में जहां यह नियंत्रित है अधिकारिक अथवा अनाधिकारिक रूप से इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। परन्तु, नियंत्रित खेती वाले क्षेत्र की तुलना में अनियंत्रित खेती वाला क्षेत्र अधिक है। आप कहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़वाने वाले लोगों को कुल प्रोत्साहन दिया जाता है। परन्तु यदि वे ऐसे लोगों को पोस्त की खेती करने देंगे तो उन्हें आपसे मिलने वाले प्रोत्साहन से कई गुना अधिक लाभ होता है। आज यही ढर्रा चल रहा है और यह अत्यधिक खतरनाक प्रवृत्ति है।

जब तक शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध मशीनरी के लिए एक पृथक मशीनरी नहीं लगायी जायेगी तब तक पोस्त की खेती पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होगा। इस मामले पर चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि इससे उत्पादकों को बहुत अधिक राशि प्राप्त होती है। एजेंसी क्षेत्रों में, विशेषकर जहां जनजातीय लोगों के बीच इसकी व्यापक रूप से अनधिकारिक तौर पर खेती की जा रही है, इस पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? जनजातीय लोगों के पास पोस्त की खेती करने धन कमाने के अलावा और कोई अन्य जीविकापार्जन के उपाय नहीं हैं। यदि इसका थोड़ा हिस्सा भी पकड़ा जाता है तो भी इससे बहुत-ज्यादा अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उनके उत्पाद को वापस लेने के अलावा इन पर कोई अन्य दण्ड नहीं है। अगले दिन वे पोस्त की खेती पुन: शुरू कर देते हैं। अत:, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार का क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है।

श्री यशवंत सिन्हा : जैसाकि मैंने उल्लेख किया है कि जिस तरीके से हम अपना कार्य कर पाए हैं और जहां तक अफीम की वैध खेती का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की साख बहुत अच्छी है। विश्व में ऐसे बहुत थोड़े देश हैं जिन्हें वैध खेती करने की अनुमति प्राप्त है। जब मैंने वैध खेती का उल्लेख किया तो इस समय मैंने तीन राज्यों के नाम लिए जहां वैध खेती की जा रही है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो विधि सम्मत है। हमें इसके दुरुप्रयोग पर रोक सुनिश्चित करनी होगी।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : मैं गांजा के बारे में बता रहा हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा : यह दूसरी बात, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, पूरी तरह से अवैध कार्यकलाप है। यह केवल अफीम नहीं है, यह कुल मिलाकर गांजा है जिसे देश के विभिन्न भागों में उगाया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में इसके अलग-अलग नाम हैं। यह एक ऐसा संकट है जिससे राज्य सरकारों और भारत सरकार को मिलजुलकर निपटना होगा। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि जहां तक गांजा का संबंध है आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर जब्ती और गिरफ्तारी की गई जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की एजेंसियां मुस्तैद हैं और जब कभी भी ऐसी अवैध खेती का पता चलता है तो केवल संबंधित लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है बल्कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाती है और उनकी फसल भी नष्ट की जाती है। फसल को रखा नहीं जाता क्योंकि इसका पर्याप्त रूप से दुरुप्रयोग भी हो सकता है। अत:, अत्यधिक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। यदि आप आंध्र प्रदेश के आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि गांजा उगाने के संबंध में 2001 तक 735 मामले पकड़े गए और 1090 लोग गिरफ्तार किए गए।

श्रीमती रेणूका चौधरी : कितने मूल्य की फसल नष्ट की गई?

श्री यशवन्त सिन्हा : 16,040 किलोग्राम फसल नष्ट की गई।

[हिन्दी]

श्री जे०एस० बराड़ : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बुनियादी प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। जो जवाब इन्होंने दिया है, चिन्ता इस बात की है कि अब इसका असर सरहदी सूबे पंजाब पर सबसे ज्यादा है। मैं आपको जानकारी देते हुए पूछना चाहता हूं कि जो एन्फोर्समेंट की बात आपने कही है और सरहद से जिस तरह करोड़ों अरबों रुपये की तस्करी का सारा माल आ रहा है, उसका असर यह है कि आज पंजाब के 13 हजार के 13 हजार गांवों में कहीं से भी ओपियम मिल सकती है, कहीं से भी स्मैक मिल सकती है। सारे प्रदेश की विरासत हमारी जवानी बिल्कुल मुकम्मल तबाही के कगार पर खड़ी है। इसलिए एन्फोर्समेंट की जो बात आपने कही है, मैं आपसे बहुत नम्र शब्दों में विनती करना चाहूंगा कि क्या कुछ ऐसा व्यापक प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता, जिससे एक सरहदी छोटे से कस्बे में, जिसकी दो हजार की आबादी है, वहां 30 दुकानें ऐसी हैं, जहां ड्रग्स, ओपियम और स्मैक मिल रही है और रोज सैंकड़ों तस्वीरें वर्नाकुलर प्रैस में आ रही हैं। कि हमारी जवानी तबाह हो रही है। टैरेरिज्म पीरियड का केन्द्रबिन्दु यह रहा कि जो लोग टैरेरिज्म में इन्वोल्व थे, मंत्री महोदय, उनकी जो बेसीकली फाउण्डेशन थी, वह सारी की सारी स्मगलिंग फाउण्डेशन थी, इसलिए मैं आपसे यह नम्र विनती करूंगा कि पंजाब जैसे प्रदेश के लिए जो हिन्दुस्तान का बाजु-ए-शमशीर है, वहां आप एन्फोर्समेंट विंग को और बी०एस०एफ० ज्यादा चौकस करेंगे हमारी बी०एस०एफ० बहुत लड़ने वाली और बहुत बहादुरी से सरहदों पर पहरा देने वाली सेना है, लेकिन ऐसी शिकायतें भी हैं कि हमारे आफिसर भी बहुत बड़ी मात्रा में स्मगलिंग में इन्वोल्व हैं, क्या इसके बारे में आप कुछ एक्शन लेंगे, मैं आपसे यह उम्मीद रखता हूं?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य न केवल यह है कि हम स्मगलिंग के ऊपर काबू पायें, बल्कि यह भी है कि देश में, विशेषकर युवा वर्ग में इसका प्रचलन न हो और यह सामाजिक और सरकारी दोनों दायित्व हैं। इसके लिए हमारा जो सोशल वैलफेयर एण्ड सोशल जस्टिस का सम्बद्ध मंत्रालय है, वह इसे डील कर रहा है और वह समय-समय पर विभिन्न उपाय करते हैं, एवेयरनैस कैम्पेन वगैरह के और लोगों को जागरूक करने का ताकि लोग इनल मादक पदार्थों का सेवन न करें। वे अपनी जगह पर चल रहे हैं। हमारा जो मंत्रालय है, वह एन्फोर्समेंट से सम्बन्धित है और एन्फोर्समेंट के मामले में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पंजाब हमारा सरहदी सूबा है और जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते ये ड्रग्स आती हैं, तो जाहिर है कि जिन स्थानों का वे चयन करते हैं, वे गुजरात में हैं, वे राजस्थान में हैं, वे पंजाब में हैं और वे जम्मू-कश्मीर में हैं। इन्हीं सरहदों से वे अन्दर आने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यह भी सूचना है कि अमृतसर इसका एक केन्द्र है। अमृतसर में हम बहुत जागरूक हैं और सारे पंजाब के बोर्डर पर जागरूक हैं, लेकिन हमारे पास तीन वर्षों के जो आंकड़े हैं, 1999, 2000 और 2001 के, जिनमें मुझे यह देखकर कुछ खुशी हुई, हालांकि यह खुशी की बात नहीं है कि पंजाब में उतना बुरा हाल नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, अभी जैसे माननीय सदस्य ने आन्ध्र प्रदेश की बात उठाई, जो हमारे सीजर्स के केसेज हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि आन्ध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा है, असम में बहुत ज्यादा है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, उसके अलावा महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है लेकिन पंजाब में उनकी तुलना में कई गुना कम है। यह सीजर्स की स्थिति है। एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है – सीजर्स से कुछ पता नहीं चलता। यह हमारे अधिकारियों पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितना माल पकड़ा और कितना छोड़ दिया, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, जिसको रूल आफ थम्ब कहते हैं। उसके अनुसार हम यह मानकर चलते हैं कि पकड़े गए माल का दस गुना ट्रेड है और हम उसका दसवां भाग ही पकड़े पाते हैं। तब भी जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार ऐसा लगता है कि पंजाब में यह संकट उतना गम्भीर नहीं है, जितना भारत के दूसरे हिस्सों में है। चूंकि पंजाब के माध्यम से वह आता है, जैसा मैंने कहा कि वे भारत को ट्रांजिक्ट के लिए यूज करते हैं, यहां लाकर वे इसे कोलोम्बो के रास्ते, म्यामांर के रास्ते ईस्ट एशिया में भेजते हैं, इसलिए इन सरहदी सूबों में और ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। उसको यहां लाते समय और यहां से ले जाते समय पकड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हम सरहदी सूबों में काफी चौकन्ने हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इस साइड बैठने वालों को अवसर नहीं मिला। हमारे यहां भी अफीम की खेती काफी मात्रा में होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आधा घंटा यह प्रश्न चला है। आपकी हाइट कम है इसलिए आप दिखाई नहीं दिए।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के कामगारों को वेतन

*542. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्टीय वस्त्र निगम की मिलों के कुछ कामगारों को लम्बे समय से वेतन और अन्य लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति कब से है और इसके वस्त्र मिल-वार क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि का भुगतान बकाया है; और

(घ) वस्त्र मिल-कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन०टी०सी० के कर्मचारियों को फरवरी, 2002 तक के उनके वेतन/मजदूरियों का भुगतान करने के लिए राशि जारी कर दी गयी है।

(ग) एन०टी०सी० अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरियों के रूप में औसतन 42 करोड़ रुपए प्रति माह का भुगतान करता है।

(घ) सरकार, एन०टी०सी० को उसके कर्मचारियों को वेतन/मजदूरियों के भुगतान में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करती रही है।

श्री सवशीभाई मकवाना : माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह सही नहीं है। गुजरात में और दूसरी जगह वस्त्र निगम की कई मिलें बंद कर दी गई हैं। वहां काम करने वाले कामगारों और मजदूरों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता है। मेरा वेतन मुझे पहली तारीख को मिल जाता है, इसी तरह से मंत्री जी को भी उनका वेतन पहली तारीख को मिल जाता है, लेकिन इन कामगारों को वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता है। मेरे प्रश्न के ख भाग को मंत्री जी ने बड़ी होशियारी से निकाल दिया है और उत्तर सही नहीं दिया है। मैंने मिलवार ब्यौरा मांगा है कि कितना वेतन दिया गया, क्योंकि उनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता है। आज अहमदाबाद की परिस्थिति सारा देश और सारा सदन जानता है। कामगारों को जीने के लिए उनको नियमित वेतन मिलना चाहिए। मैं वस्त्र मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मिलें बंद कर दी गई हैं, उनके मजदूरों को तीन मास से वेतन नहीं मिला है, केवल एक मास का पहले दिया गया था, लेकिन अभी तीन मास का वेतन बकाया है। कृपया मंत्री जी इसके बारे में सही उत्तर दें।

श्री काशीराम राणा : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने जो बात कही है, वह सही नहीं है। मैं और आगे कहना चाहता हूं कि गुजरात की 11 मिलें हैं, उन सबका जो फरवरी तक का वेतन बिल बनता था, वह आलरेडी डिस्बर्स कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मार्च के वेतन के लिए, पिछले सप्ताह सब्सिडियरी को सैलरी भेजी है, उसमें गुजरात भी एक है। इस तरह उन्हें मार्च की भी वेज सैलरी मिल जाएगी।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मिल जाएगी का क्या मतलब है, मिली नहीं है।

श्री काशीराम राणा : फरवरी की मिल गई है। जैसा आपको बताया है कि फरवरी तक मिल चुकी है। जैसे आपको बताया है, उसी तरह से मुझे भी वहां के कामगारों ने बताया है। मार्च की सैलरी का जो ड्राफ्ट था, वह भी भेज दिया गया है, जो उन्हें शायद एक-दो दिन में मिल जाएगा। जहां तक मिलें बंद होने का सवाल उन्होंने उठाया है, इन 11 मिलों में पेटलाद और राजकोट की जो टैक्सटाइल मिल्स हैं, इन दोनों मिलों के वर्कर्स ने वी०आर०एस० मांगा था। उनको मोडिफाइड वी०आर०एस० दे दिया गया है। बाकी जो मिलें हैं, उनमें से तीन मिलें अभी चलती हैं और बाकी कई सालों से बंद हैं।

श्री सवशीभाई मकवाना : इस प्रश्न के भाग 'ख' का आपने सही उत्तर नहीं दिया है। वह आपने उत्तर छिपाया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : उसमें लिखा है :

कुल कितनी राशि शामिल है।

[हिन्दी]

मैंने कहा कि हम 42 करोड़ डिस्बर्स करते हैं और हर महीने करते हैं और पूरे साल की जो बजट सपोर्ट राशि बनती है, वह 380 करोड़ रुपये बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मकवाना जी, क्या आपका कोई सप्लीमेंट्री है?

श्री सवशीभाई मकवाना : मैंने मिलवार ब्यौरा मांगा था, वह मंत्री जी ने नहीं दिया है। कृपया देने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : अपने अनुपूरक प्रश्न के पैरा 3 में माननीय सदस्य ने मिलवार ब्यौरा मांगा था। माननीय सदस्य की ओर से चार प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : मिलवाइज दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह ब्यौरा लम्बा है?

श्री काशीराम राणा : हां, लम्बा है। हम उन्हें भेज देंगे।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : सबसे पहले मैं सरकार को बधाई दूंगा और यह बात सदन की जानकारी में भी है कि देश के वस्त्र उद्योग में मंदी है, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति है और उद्योगों में तकनीकी गुणवत्ता बढ़नी चाहिए थी – ये चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन तीन बातों के रहते हुए भी कि उद्योग में मंदी है, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी है और तकनीक की कमी है – इस स्थिति के बावजूद मेरी जितनी भी समझ है, वीआरएस लेने वालों को वीआरएस दी जा रही है लेकिन हमारे सामने अनेक उद्योगों का पिछला इतिहास

है कि यदि किसी मजदूर को बिठाकर हम वेतन देते हैं तो जहां यह ठीक बात है कि सरकार अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उद्योगों में काम मुहैया नहीं हुआ तो सारे उद्योग बंद हो सकते हैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में उनके प्रशिक्षण की कोई योजना है?

श्री काशीराम राणा : एनटीसी की ज्यादा से ज्यादा मिल चलें, इसके लिए सरकार ने रिवाइवल पैकेज बनाया है। मुझे कहते हुए खुशी है कि जो पहले रिवाइवल पैकेज बना था, उसमें 34 मिलें रिवाइवल के लिए थीं। सैकेंड रिवाइवल पैकेज 1999 में बना। उसमें सिर्फ 16 मिलें ही वायबल हो सकती थीं लेकिन सरकार ने क्राइटीरिया और नॉर्म्स बदल दिये जिसके मुताबिक 53 मिल्स रिवाइवल में हैं। हमारा 16 मिलों से यहां तक पहुंचना इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो मजदूर हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करें और मिलों को रिवाइव करके उनको आधुनिक बनाने के लिए भी हम कुछ काम करें। जो रिवाइवल पैकेज बीआईएफआर ने एप्रूव किया है, दो हमारी सब्सिडियरी साउथ महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र को छोड़कर 6 सब्सिडियरीज की जितनी भी मिलें हैं, उसका ऑर्डर बीआईएफआर ने कर दिया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है। मिलों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार का करीब 1465 करोड़ रुपया लगेगा। सरकार ने कुछ राशि वेव भी की है, करीब 5000 करोड़ रुपये सैक्रिफाइस भी किये हैं। इसके आधार पर जो एनटीसी की मिलें चाहे मध्य प्रदेश में हों, गुजरात में हों या महाराष्ट्र में हों, उनको आधुनिक करके, ज्यादा से ज्यादा मिलें चलाना तय किया है। पहले जो स्थिति थी, उसमें चार सब्सिडियरीज की सभी मिलें बंद करने का बीआईएफआर ने ऑर्डर किया था लेकिन हमने यूनिट वाई यूनिट जो मिलों की वॉयबिलिटी करने का फैसला किया, उसके मुताबिक सभी सबसिडियरी रिवाइव होगी।

[अनुवाद]

डा० ए०डी०के० जयशीलन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं वस्त्र उद्योग देश के आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका अदा करता है। यह लाखों लोगों को रोजगार देता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि अनेक उद्योग रूग्ण घोषित कर दिये गए हैं। कुछ बंद होने के कगार पर और कुछ बंद हो चुके हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। श्रमिक जिन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ मिलने चाहिए थे उन्हें वैसे ही निकाल दिया गया है और वे सड़कों पर आ गए हैं।

अत: मेरे विचार में सरकार श्रमिकों के साथ-साथ वस्त्र उद्योग की सहायता करने में भी बुरी तरह असफल रही है। मेरे विचार में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मिलों के आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धनराशि दे और श्रमिकों की भी सहायता करे।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सहकारी कताई मिलें हैं, जिन्हें पहले केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता था। नाजारेथ नामक स्थान पर तिरूचेंदूर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल हैं, यह 2000 में बंद होने वाली थी लेकिन मेरे अनुरोध पर तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री डा० कलाइग्नार ने मिल को बचाने के लिए 2.50 करोड़ रुपये दिये, इसी प्रकार मेरे विचार से राज्य सरकारों के सहायोग से केन्द्र सरकार वस्त्र उद्योग को पुन: चालू करने के लिए और धन दे सकती है और श्रमिकों की सहायता भी कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना चाहिए।

डा० ए०डी०के० जयशीलन : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। केन्द्र सरकार तमिलनाडु विशेषकर तिरूचेंदूर निर्वाचन क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक एन०टी०सी० की मिलों का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार पुन: चालू होने योग्य मिलों के अनाधुनिकीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जहां तक निजी इकाइयों का संबंध है सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना आरम्भ की है। इसका उद्देश्य इकाइयों को पुन: चालू करना है। मेरी सूचना के अनुसार अभी तक इस योजना के अंतर्गत मेरे मंत्रालय को लगभग 15000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। हम जरूरतमंद मिलों व इकाइयों को धनराशि देना आरम्भ कर चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकार की श्रमिक कल्याण संबंधी एक नीति रही है। उस नीति के संदर्भ में कई एनटसी मिलों को रिवाइवल पैकेज देने और उन्हें आधुनिक बनाने का काम हो रहा है। बीआईएफआर के मना करने के बावजूद भी सरकार ने उन मिलों को चालू रखने का प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर चार मिलें हैं – दो मेरे निर्वाचन क्षेत्र ब्यावर के अंदर, एक विजय नगर में और एक उदयपुर के अंदर हैं। इन चारों मिलों में वेतन का कितना पैसा बकाया है। जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि फरवरी तक की तनख्वाह चुका दी गई है फिर भी हर महीने श्रमिकों का कहना होता है कि पैसा नहीं मिला है और परिणामस्वरूप उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। राजस्थान की अकाल जनित परिस्थितियां भी वैसी ही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान की इन सभी मिलों में श्रमिकों का कितना बकाया है और कब तक उन्हें पैसे का भुगतान कर दिया गया है? ब्यावर की महालक्ष्मी मिल को बंद किये जाने के आदेश सरकार ने कर दिये हैं। उसके आधे श्रमिकों को वीआरएस दे दी

गई है और जो 111 बचे थे, उनके लिए भी कहते हैं कि हम उन्हें वीआरएस दे देंगे लेकिन वीआरएस नहीं दी जा रही है बल्कि उन्हें दूसरी मिल में भेजा जा रहा है। एडवर्ड मिल से उन्हें महालक्ष्मी मिल में भेजा जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या शेष बचे श्रमिकों को बीआईआफआर की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी? उन मिलों का जितना बकाया पहले का है, क्या पेमेंट कर दिया गया है या नहीं?

श्री काशीराम राणा : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि देश की जितनी भी एनटीसी की मिलें हैं, उन सभी मिलों की हमने फरवरी तक की वेज-सैलरी दे दी है। इसके अलावा मार्च की भी भेज दी है जो एक-दो दिन में सभी एम्पलाईज वर्कर्स को मिल जाएगी। पहले तीन-चार महीने के बाद उनको सैलरी मिलती थी लेकिन अब एक-दो महीने का बैक-लॉग रहता है, बाकी दे दी गई है और मार्च की भी भेज दी है। अभी अप्रैल की बची है, जो अभी-अभी ड्यू हुई है। हम सही समय पर वेजेज दे देते हैं। जहां तक वीआरएस के बारे में दूसरा सवाल है, अनवॉयबल मिल्स जो बीआईएफआर ने घोषित की हैं, उनके एम्पलाईज को हम वीआरएस देते हैं। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज तक, बीआईएफआर ने जो ऑर्डर अभी-अभी किया है, उसे एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी मॉडरनाइजेशन और वीआरएस दोनों की इम्पलीमेंटेशन का काम करना हमने शुरू कर दिया है। 8 मिलों के वर्कर्स को वीआरएस हमने अभी तक दे दी है। आठ मिलों के लिए 50 करोड़ रुपए हमने वीआरएस में दे दिया है। साथ ही एमएसके, गुलबर्गा मिल के लिए 25 करोड़ रुपए वीआरएस में दे दिए हैं। उदयपुर मिल के लिए मैं जानकारी दे दूंगा। जहां तक ब्यावर मिल का संबंध है... *(व्यवधान)*

डॉ० गिरिजा व्यास : महोदय, उदयपुर में भी समस्या पैदा हो रही है। वहां आधे लोग वीआरएस के लिए तैयार हैं और बाकी अन्य वीआरएस नहीं चाहते हैं।

श्री काशीराम राणा : दोनों ओर से हमारे पास रिप्रजेंटेशन्स आ रहे हैं, आवेदन-पत्र आ रहे हैं। इसमें तय किया गया है, जब तक सभी ओर से एक साथ नहीं आयेंगे, तब तक हम मिल बंद नहीं करेंगे और उनको वेज-सैलरी मिलता रहेगा। ज्यादातर एम्पलाइज ऐसे हैं, जो वीआरएस के फेवर में हैं। फिर भी सरकार इसके बारे में विचार करेगी।...*(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, ब्यावर में 111 केसेज में वीआरएस कितना हुआ है, यह मंत्री जी ने नहीं बताया है?

श्री काशीराम राणा : ब्यावर में वीआरएस दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी० राजेन्द्रन : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि क्या एन०टी०सी० के अधीन कपड़ा मिल के श्रमिकों को पिछले कई वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में पिछला संशोधित वेतनमान कब लागू किया गया था। संशोधित वेतनमानों के संबंध में ट्रेड यूनियनों की मांगों के बारे में वस्त्र मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई निर्णय लिया है?

श्री काशीराम राणा : महोदय, माननीय सदस्य ने संशोधित वेतन/मजदूरी के संबंध में मुद्दा उठाया है। 1 जनवरी, 1987 के बाद से कर्मचारियों के वेतनमान में कोई संशोधन नहीं हुआ। इसलिए वे 100 प्रतिशत के हकदार हैं। कर्मचारियों के वेतन-मानों में 50 प्रतिशत तक संशोधन निश्चित रूप से किया जायेगा।

बी०आई०एफ०आर० द्वारा मंजूर मानकों के अनुसार हमने पहले ही धनराशि आबंटन करने की कोशिश की है।

[हिन्दी]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

*543. **श्री रामदास आठवले :**
श्री सुन्दरलाल तिवारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्था की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां (एनपीए) कुल कितनी थीं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली की गई तथा कितने मूल्य की आस्तियों को बट्टे खाते में डाला गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने ग्राहकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बट्टे खाते में डाला गया, जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि संलिप्त थी;

(घ) क्या सरकार ने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के संदर्भ में बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक तथा विकास वित्त संस्थाओं अर्थात आईडीबीआई, आईएफसीआई लि०, आईसीआईसीआई लि० तथा आईआईबीआई लि० की सकल अनुप्रयोज्य आस्तियों की मात्रा अनुबंध में दी गई है। 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के लेखा परीक्षित तुलन पत्रों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) 31 मार्च, 1999, 31 मार्च, 2000 तथा 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी की वसूली/उन्नयन/बट्टे खाते सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं द्वारा अनुप्रयोज्य आस्तियों की तुलना में की गई वसूलियां नीचे दी गई हैं :-

रुपए करोड़ में

31 मार्च को समाप्त वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक	विकास वित्त संस्थाएं
1999	8806	2037
2000	10369	2564
2001	13629	2667

(ग) उन ग्राहकों की संख्या नीचे दी गई है जिनके 1.00 करोड़ रु० से अधिक के अनुप्रयोज्य खातों को 31 मार्च, 1999, 31 मार्च, 2000 तथा 31 मार्च, 2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं द्वारा बट्टे खाते डाल दिया गया था :-

31 मार्च को समाप्त वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक	विकास वित्त संस्थाएं
1999	284	120
2000	231	240
2001	505	290

(घ) और (ङ) अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली से संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन की निरंतर आधार पर सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। अंतिम समीक्षा 12 नवम्बर, 2001 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में की गई थी। जानबूझकर चूक करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने, बैंकों, एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा चूककर्ताओं के बारे में सूचना की भागीदारी, मुकदमा दायर उधारकर्ताओं के नामों के प्रकाशन, ऋण वसूली अधिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाने, उच्च मूल्य वाली अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली पर अनुवर्ती कार्रवाई, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना, 25000/- रु० की ऋण सीमाओं वाली अनुप्रयोज्य आस्तियों हेतु एक बारगी निपटान योजना तथा अनुप्रयोज्य आस्तियों के लिए लोक अदालतों के बढ़े हुए उपयोग की आवश्यकता के साथ-साथ अनुप्रयोज्य आस्तियों के मामले पर विचार किया गया था।

अनुबंध

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं विकास वित्त संस्था का नाम	31.3.2001 के अनुसार सकल एनपीए
1	2	3
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	
1.	भारतीय स्टेट बैंक	15875
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	715
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1075
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	325
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	581
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	695
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	569
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	758
9.	इलाहाबाद बैंक	1821
10.	आन्ध्रा बैंक	470
11.	बैंक आफ बड़ौदा	4186
12.	बैंक आफ इंडिया	3434
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	877

1	2	3
14.	केनरा बैंक	2243
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3253
16.	कार्पोरेशन बैंक	485
17.	देना बैंक	1928
18.	इंडियन बैंक	2359
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1631
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	586
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1026
22.	पंजाब नैशनल बैंक	3460
23.	सिंडिकेट बैंक	1075
24.	यूको बैंक	1284
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2056
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1411
27.	विजया बैंक	595
	कुल	54773
	विकास वित्त संस्था	
1.	आईडीबीआई	10880
2.	आईसीआईसीआई	5988
3.	आईएफसीआई लि०	6077
4.	आईआईबीआई लि०	1021
	कुल	23966

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एन०पी० के संबंध में पब्लिक सैक्टर बैंक और डवेलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीचूशन्स यानी आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी०आई० लिमिटेड, आई०सी० आई०सी०आई० लिमिटेड और आई०आई०बी०आई० लिमिटेड की 31 मार्च, 1999, 2000 और 2001 की रिकवरी की फीगर्स दी हैं, जो इस प्रकार हैं – पब्लिक सैक्टर बैंक्स में सन् 1999 में 8806 करोड़ रुपए, सन् 2000 में 10,369 करोड़ रुपए और सन् 2001 में 13629 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार डी०एफ०आई० में सन् 1999 में 2037 करोड़ रुपए, सन् 2000 में 2564 करोड़ रुपए और सन् 2001 में 2667 करोड़ रुपए है। ये फीगर्स रिकवरीज से संबंधित हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सन् 1999, 2000, 2001 में कुल कितना लोन दिया गया है?

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूरी तरह गैर-निष्पादित आस्तियों (एन०पी०ए०) से संबंधित है। इसलिए हमने एन०पी०ए० तथा उनकी वसूली से संबंधित जानकारी दे दी है। उन्होंने पूछा है कि कुल कितनी राशि बट्टे खाते डाली गयी। कुल कितना ऋण वितरित किया गया इस बारे में हमने जानकारी दे दी है। साथ ही ये ऋण संबंधी आंकड़े भी चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न फाइनेंशियल इन्स्टीच्युशन में लोन सैंक्शन के आंकड़े इस प्रकार हैं– आई०डी०बी०आई० – 1998-99 में 21,829 करोड़ रुपए, 1999-2000 में 26966 करोड़ रुपए, 2000-2001 में 28,711 करोड़ रुपए और अप्रैल-दिसम्बर, 2001 में 3518 करोड़ रुपए। आई०एफ०सी०आई० – 1998-99 में 3808 करोड़ रुपए, 1999-2000 में 2080 करोड़ रुपए, 2000-2001 में 1858 करोड़ रुपए और अप्रैल-दिसम्बर, 2001 में 272 करोड़ रुपए आई०सी० आई०सी०आई० – 1998-99 में 32370 करोड़ रुपए, 1999-2000 में 43522 करोड़ रुपए, 2000-2001 में 56092 करोड़ रुपए और अप्रैल-दिसम्बर, 2001 में 30156 करोड़ रुपए। आई०आई०बी०आई० – 1998-96 में 2175 करोड़ रुपए, 1999-2000 में 2338 करोड़ रुपए, 2000-2001 में 2102 करोड़ रुपए और अप्रैल-दिसम्बर, 2001 में 835 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि पूरे बैंकों का लोन, सब मिलाकर बैंकवाइज, एनैक्चर में दिया है कितना एन०पी०ए० के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 2001 तक की स्थिति के अनुसार 581 मामलों में से 463 मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने केसेज दायर किए थे और इसके अतिरिक्त 37 मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आपराधिक मामले दायर किए थे – उनका ब्यौरा क्या है? साथ ही बैंकों के ऋण में कृषि उद्योग या किसान समूह को भी ऋण दिया है उसका ब्यौरा क्या है? इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के आर्थिक वित्त विकास के लिए महामंडल विकास को कितना पैसा दिया गया है। क्या 23 दिसम्बर, 2001 को रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक बैंकों का 25 हजार रुपए तक ऋण की वसूली के संबंध में एन०पी०ए० में बदला जा चुका हैं। इस बारे में भी मंत्री जी बतायें और बैंकों का ऋण वसूल करने के दायरे में...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मंत्री जी बतायें?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, महामंडल विकास द्वारा जो ऋण का बंटवारा होता है, वह व्यक्तिगत रूप से होता है। अगर माननीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहिए, तो मैं उनके पास भिजवा दूंगा। वीकर सैक्शन अंडर प्रायोरिटी सैक्टर में कुल राशि 24,899 करोड़ रुपए है, जिसमें से एनपीए 5605 करोड़ रुपए के हैं, जो 22.51 प्रतिशत बैठती है। जहां तक सवाल एजवांसेस का है उसकी फीगर सन् 2001 की इस प्रकार है – अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 5,58,766 करोड़ रुपए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 4,42,134 करोड़ रुपए, सभी निजी क्षेत्र के बैंकों में 71,237 करोड़ रुपए, पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में 39,738 करोड़ रुपए, नये निजी क्षेत्र के बैंकों में 31,499 करोड़ रुपए है और भारत में विदेशी बैंकों में 45,395 करोड़ रुपए है। ऐसे कई आंकड़े हैं, लेकिन आपने जो 25,000 रुपए तक के लोन की बात पूछी है, आरबीआई ने उसके बारे में गाइडलाइंस इश्यु की हैं। कुछ बैंकों में समस्याएं आती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सरकार ने यह निर्धारित किया है कि जो छोटे लोन हैं, जिनमें प्रिंसिपल 25,000 रुपए हैं, उसके बाद भी मंत्री जी ने सीओज की मीटिंग में और बजट में ऐलान किया था कि जिनका 50,000 रुपए तक प्रिंसिपल है उन्हें भी थोड़ी राहत मिले। आरबीआई ने 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक के लोन्स बारे में एक गाइडलाइन भेजी है, जिस पर अमल हो रहा है। आपके पास अगर कुछ शिकायतें एवं कठिनाईयां हैं तो हमें बताएं, हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। दूसरी बात यह है कि सब लोगों को लोन देने के लिए, खासकर सोशल सैक्टर में, सीओज की मीटिंग में इन सभी ने कहा है कि आप खुद इस बारे में मोनिटर करें। मंत्री जी ने अभी तक चार मीटिंग की हैं। उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों से यह सरकार कार्य कर रही है। वित्त मंत्री जी ने भी वित्त सुधार के बारे में काफी बखान किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : उपाध्यक्ष महोदय, वे छोटा लोग क्यों कह रहे हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां जी, कृपया आप प्रश्न देखें। दूसरों प्रश्नकर्त्ता भी हैं। इस तरह बाधा न डालें। आप कृपया प्रश्न देखें।

श्री सुनील खां : वे कह रहे हैं गरीब...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं समझता हूं, वे ठीक कह रहे हैं। निर्धन व्यक्ति की पहचान छोटे लोग के रूप में नहीं होनी चाहिए। यह गलत बात है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अमाउंट छोटे हैं, इसलिए हमने छोटा लोन कहा है, लेकिन यह आम लोगों के लिए है। यह गरीब से गरीब के लिए है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सुनील खां जी उन्होंने 'छोटा लोन' कहा था न कि 'छोटा लोग'। आपने उनकी बात सुनी नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार पिछले चार सालों से देश में शासन कर रही है और वित्त मंत्री जी ने वित्त सुधार के बारे में सदन में और बाहर भी काफी बखान किया है। सन् 2000-2001 के लिए कुल राजकीय कोष घाटा 1,11,257 करोड़ है और गैर-निष्पादित सम्पत्तियां करीब 52,000 करोड़ की हैं। मेरा निवेदन है कि लगभग 45 प्रतिशत राजकीय कोष का जो घाटा है वह गैर निष्पादित सम्पत्तियां है, लेकिन इसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान सरकार ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बारे में आप क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि गैर-निष्पादित सम्पत्तियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। क्या आपके पास कोई ठोस योजना है और वह योजना किसी निर्धारित समय तक के लिए है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल सवाल एनपीए से संबंधित है, क्योंकि बजट का राजकीय कोष घाटा और उत्पादन, यह बिलकुल बजट की समस्या है। जहां तक एनपीए का सवाल है इसमें मैं कहूंगा और आप देखेंगे कि 1993-94 में एनपीए 41,041 करोड़ रुपए था और 2000-2001 में 54,071 करोड़ रुपए, लेकिन वह 24 प्रतिशत से 12 प्रतिशत घटा है। इसलिए निरंतर एडवांस बढ़ रहा है और एनपीए घट रहा है। बाकी जो विलफुल डिफाल्टर्स की बात है, उनके ऊपर भी हमने क्रीमिनल कार्यवाही की है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है और मानिटरिंग भी कर रही है।

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विशेषकर 1997 में पूर्वी एशिया के संकट को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1997 पूर्वी एशिया में आए संकट का एक मुख्य कारण था एन०पी०ए० का उच्चस्तर पर होना था। आज की स्थिति के अनुसार हमारे यहां एन०पी०ए० का स्तर 1,20,000 करोड़ रुपये है। जिसमें पिछले तीन वर्षों में बट्टे खाते

में डाली गई राशि तथा आने वाली संभावित राशि के बीच की है। मैं माननीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या इन एन०पी०ए० को बट्टे खाते में डालने के बाद इसके कार्योत्तर विश्लेषण के संबंध में कोई योजना बनाई गई है और भविष्य में अधिक विश्वसनीय ऋण देने को सुनिश्चित कराने हेतु और कठोर प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।

इसके अतिरिक्त आई०एफ०सी०आई० और आई०डी०बी०आई० के संबंध में भी मेरी कुछ आपत्तियां हैं उनके एन०पी०ए० क्रमश: 6,000 करोड़ और 11,000 करोड़ रुपये हैं। इसके परिणामस्वरूप इन कम्पनियों की आस्तियों का मूल्यांकन नकारात्मक रहा है। क्या हम इन्हें लगातार बचाने की कोशिश करते रहेंगे और उन पर अनावश्यक खर्च करते रहेंगे?

अंतत: मैं माननीय वित्त मंत्री के 'एरकोण' पुन: निर्माण कम्पनियों के संबंध में उठाये गए कदमों का स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में पारदर्शितापूर्ण और तेजी से कार्यान्यवन किया जायेगा अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। माननीय मंत्री बाद में उन्हें उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशों द्वारा वस्तुओं का पाटन (डम्पिंग)

*544. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयात प्रतिबंधों के हटाए जाने के पश्चात् संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, कोरिया, चीन आदि जैसे देशों द्वारा कतिपय वस्तुओं के पाटन (डम्पिंग) के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उसके बाद से सरकार द्वारा किन-किन मदों और किन-किन देशों की वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया है और यह किस सीमा तक लगाया गया है;

(ङ) कितने मामलों में और किन-किन देशों के विरुद्ध जांच अभी भी विचाराधीन है; और

(च) इस जांच कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) 1 अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद सरकार ने 33 मामलों में पाटनरोधी जांच शुरू की है। इन 33 मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

(i)	ऐसे मामले जिनमें सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया गया है	20
(ii)	ऐसे मामले जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए हैं परन्तु शुल्क लगाया जाना है	3
(iii)	प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए जांचाधीन मामले	9
(iv)	शुरू किया गया किन्तु याचिका के वापस लिए जाने के कारण बंद किया गया मामला	1

इन 33 मामलों में उत्पाद का नाम, शामिल देश, सिफारिश किए गए शुल्क की रेंज निम्नानुसार है:-

ऐसे मामले जिनमें अनंतिम शुल्क लगाया गया :

क्र० सं०	उत्पाद	जांच प्रारंभ करने की तारीख	देश	सिफारिश किए गए शुल्क की रेंज
1	2	3	4	5
1.	बीओपीपी फिल्म	30.5.2001	ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, सिंगापुर, थाइलैंड और यूएई	0.56-0.88 अमरीकी डालर/किग्रा०

1	2	3	4	5
2.	ट्रिमेथोप्रिम (पीएमपी)	23.7.2001	चीन	4.42 अमरीकी डालर/किग्रा०
3.	एक्रीलिक यार्न	3.7.2001	नेपाल	0.69-0.84 अमरीकी डालर/किग्रा०
4.	विटामिन एबी2डी3के	2.7.2001	ईयू, यूएसए, थाइलैंड और सिंगापुर	11.56-27.74 अमरीकी डालर और आयातों के/किग्रा० पहुंच मूल्य के बीच का अंतर
5.	डिकलोफेनेक सोडियम	1.9.2001	चीन	3.44 अमरीकी डालर//किग्रा०
6.	कम्पेक्ट फलोरेसेंट लैंप (सीएफएल)	16.8.2001	चीनर, हांगकांग	1.426 (चोक के बिना) और 3.115 चोक सहित और प्रति इकाई आयात के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर
7.	टीएसपी	30.7.2001	चीन	0.967 अमरीकी डालर/किग्रा०
8.	पीओवाई	20.8.2001	कोरिया और तुर्की	0.351-0.441 अमरीकी डालर/किग्रा०
9.	स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद	21.8.2001	स्पेन, बेल्जियम, ईयू, जापान कनाडा और यूएसए	0.22 से 0.82 अमरीकी डालर/किग्रा०
10.	एक्रीलिक फाइबर (1.5 डेनियर से कम)	28.8.2001	इटली	0.32 से 0.41 अमरीकी डालर/किग्रा०
11.	एक्रीलिक फाइबर	28.8.2001	जर्मनी, यूके, ब्राजील और बल्गारिया	0.143 से 1.27 अमरीकी डालर/किग्रा०
12.	फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलीओल	21.9.2001	यूएसए, जापान, सिंगापुर और ईयू	1804 अमरीकी डालर/मी०टन और पहुंच मूल्य के बीच का अंतर
13.	पोलीआइसोबुटालिन	12.9.2001	ब्राजील, जापान, कोरिया और सिंगापुर	1037.77 अमरीकी डालर/मी०टन
14.	डी(-) पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लिसरीनबेस (पीएचपीजी)-I	1.10.2001	चीन और सिंगापुर	24.83 अमरीकी डालर/किग्रा० और पहुंच मूल्य के बीच का अंतर
15.	विटामिन एडी3	17.10.2001	चीन	40.02 अमरीकी डालर/किग्रा० और पहुंच मूल्य का बीच का अंतर
16.	कास्टिक सोडा	8.10.2001	कतर	48.5 से 58.6 अमरीकी डालर/मी०टन
17.	सोडियम नाइट्रिट	2.11.2001	ईयू और ताइवान	51.83-107.85 अमरीकी डालर/मी०टन

1	2	3	4	5
18.	आइसोप्रोपाइल एल्कोहल	21.11.2001	सिंगापुर, यूएसए, ईयू और चीन	748.10 अमरीकी डालर (बल्क) 823.65-863.55 अमरीकी डालर (पैक)
19.	पेन्टाइरीथ्रिटोल	22.11.2001	कनाडा, ताइवान और जापान	
20.	हाइड्रोफलोरिक एसिड	11.12.2001	चीन	113.5-248.6 अमरीकी डालर/मी० टन खुले के लिए 840.9 अमरीकी डालर के बीच का अंतर, पैक और पहुंच मूल्य के लिए 840.9+669 अमरीकी डालर

*पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की गयी है।

ऐसे मामले जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे लेकिन अनंतिम शुल्क बाकी है-

क्र० सं०	उत्पाद	जांच प्रारंभ करने की तारीख	देश	सिफारिश किए गए शुल्क की रेंज
1.	बिट्रिफाइड/पोरसिलेन टाइल्स	6.8.2001	चीन और यूएई	13.62 अम०डा०/स्कायर मी० और पहुंच मूल्य के बीच का अंतर
2.	पोलिएस्टर स्टेबल फाइबर	25.6.2001	कोरिया, मलेशिया ताइवान और थाइलैंड	0.951 से 1.264 अम०डा० और पहुंच मूल्य के बीच का अंतर
3.	लैड एसिड बैटरी-II	2.11.2001	ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग	2.0475 से 3.7350 अम० डा०/किग्रा० और आयात के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर

प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए जांचाधीन मामले

क्र० सं०	उत्पाद	जांच प्रारंभ करने की तारीख	देश
1	2	3	4
1.	ऑक्सोअल्कोहल	31.1.2002	ब्राजील, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर और द० अफ्रीका
2.	विटामिन ए पाल्मिटेट	24.1.2002	ईयू, जार्जिया और सिंगापुर
3.	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स	29.1.2002	पोलैंड और ब्राजील
4.	फिनोल	15.2.2002	ईयू, सिंगापुर द० अफ्रीका
5.	सोडियम ट्रिपोली फास्फेट (एसटीपीपी)	15.2.2002	चीन और ताईवान
6.	डी(-)पारा हाइड्रोक्सीफिनायल ग्लिसरीन बेस (पीएचपीजी)-II	8.3.2002	ईयू

1	2	3	4
7.	फेरोसिलिकोन	11.4.2002	द० अफ्रीका और मकडोनिया
8.	सिट्रिक एसिड	16.4.2002	इंडोनेशिया और थाइलैंड
9.	एक्सरे बेगेज इंस्पेक्शन सिस्टम	15.4.2002	जर्मनी

याचिका को वापस लेने पर बंद किया गया मामला

क्र०सं०	उत्पाद	जांच प्रारंभ करने की तारीख	देश
1.	विनाइल एसिटेट मोनोमर	13.11.2001	ईरान और सिंगापुर

(च) प्रत्येक मामले में पाटनरोधी जांच, जांच शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी होती है।

[हिन्दी]

ऋण राहत हेतु जापानी सहायता

*545. **श्री रामपाल सिंह :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने भारत को ऋण-राहत हेतु अनुदान देने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं और इस उद्देश्य हेतु जापान की सरकार द्वारा अनुदान के रूप में कितनी राशि देने की पेशकश की गई थी; और

(ग) उक्त राशि का किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस अनुदान का उपयोग अनन्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आदि जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं तथा न्यून लाभप्रदता वाले क्षेत्रों के लिए उपस्करों एवं सामग्री के आयात हेतु किया जाना है। अब तक प्राप्त ऐसे अनुदान की कुल राशि लगभग 26 बिलियन येन है।

[अनुवाद]

आर्थिक अपराधों के लिए न्यायाधिकरण

*546. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराधों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में लाए गए आर्थिक अपराधों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त थी तथा उसे वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या आर्थिक अपराधों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सरकार कानूनों को लागू करने और विशिष्ट न्यायाधिकरण गठित करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अन्य क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) सरकार आर्थिक अपराधों को गम्भीरतापूर्वक लेती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रुपए करोड़ों में)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	दर्ज किए गए मामलों की सं०	संलिप्त राशि
	17495	10730
सीमा शुल्क	जब्तियों की सं०	जब्ती का मूल्य
	118329	3839
आयकर	निष्पादित वारन्टों की सं०	जब्त की गई परिसम्पतियों का मूल्य
	15376	1221
फेरा मामले*	जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों ^ की सं०	संलिप्त राशि
	8014	3941
फेमा मामले**	जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों ^ की सं०	संलिप्त राशि
	327	134
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित की गई धोखा-धड़ी	धोखा-धड़ी की संख्या	संलिप्त राशि
	5552	1556

(*फेरा - विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973)
(**फेमा - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999)
(^ एस०सी०एन० - कारण बताओ नोटिस)

संलिप्त राशि की वसूली के लिए किए गए उपायों में ब्याज लगाना, शास्ति लगाना, चल एवं अचल सम्पत्तियों की जब्ती और बिक्री, भू राजस्व बकाया के रूप में शास्तियां वसूल करने के लिए प्रमाणन संबंधी कार्रवाई करना और जहां अपीलीय निकायों द्वारा वसूली के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किए गए हैं, उन मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका दर्ज करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) कानून के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जाता है। अधिकरण नामत: आयकर अपीलीय अधिकरण, समपहृत सम्पत्ति अपीलीय अधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण पहले से ही मौजूद हैं।

(ङ) आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक वैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय लगातार किए जाते हैं। किए गए उपायों में टैरिफ संरचना को युक्तियुक्त बनाना, तस्करी रोधी अपवंचन-रोधी उपायों के माध्यम से राजस्व की हानि को समाप्त करना, आसूचना को प्रभावी ढंग से एकत्र करना, कर अनुपालन को सुधारने के लिए कर वसूली की प्रक्रिया का सरलीकरण, प्रचालनों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण करना, बैंकों की आन्तरिक नियंत्रण मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और धोखा-धड़ी के मामलों की सतत आधार पर समीक्षा करना शामिल है।

पिछड़े क्षेत्रों में निवेश

*547. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में किए गए निवेशों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (एक-ख) के अन्तर्गत आय-कर लाभों को जारी रखने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस प्रोत्साहन के बावजूद पिछड़े क्षेत्रों में निवेश में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है जिसके कारण इन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई है;

(ग) क्या दसवीं योजना हेतु कर नीति तथा कर-प्रशासन संबंधी सलाहकार समूह ने टिप्पणी की है कि ऐसे प्रोत्साहनों से कोई लाभ नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। वित्त विधेयक, 2002 में अधिसूचित पिछड़े जिलों तथा अनुसूचित पिछड़े राज्यों में 1 अप्रैल, 2004 को अथवा उससे पहले स्थापित एककों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झख के अन्तर्गत करावकाश प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अनेक कर और गैर-कर संबंधी लाभों का एक पैकेज दिया जा रहा है। इन उपायों के परिणाम का श्रेय किसी विशेष उपाय को पूर्णरूप से नहीं दिया जा सकता।

तथापि, पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन सब्सिडी योजना की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि अगस्त, 1991 से मार्च, 2002 तक की अवधि, जिसके दौरान कर लाभ उपलब्ध था, पिछड़े राज्यों में 4644 करोड़ रुपए मूल्य के प्रस्तावित निवेश के लिए पत्र जारी किए गए थे।

1989-90 से 1997-98 की अवधि के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में तीन पैरामीटरों अर्थात् फैक्टरियों की संख्या, रोजगार और उत्पादन के रूप में मापी गई औद्योगिकीकरण में वृद्धि से एक मिश्रित तस्वीर सामने आई है। जबकि, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड राज्यों में निष्पादन राष्ट्रीय औसत में काफी अधिक था, सिक्किम और असम राज्यों में निष्पादन राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक था, सिक्किम और असम राज्यों में निष्पादन राष्ट्रीय औसत से कम था। उत्तरांचल राज्य के पांच पिछड़े जिलों में फैक्टरियों की संख्या में वृद्धि भी राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है।

उपर्युक्त अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 1993-2002 की अवधि के दौरान, जब धारा 80 झख के अन्तर्गत कर लाभ उपलब्ध थे, पिछड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में 1993 से पहले की अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

अध्ययन रिपोर्ट में यह पाया गया है कि पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को आर्थिक लाभों से प्राय: सहायता मिल सकती है और इसमें इन लाभों को जारी रखने का सुझाव दिया गया है।

(ग) जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002 की बजट प्रक्रिया के समय सलाहकार समूह की सिफारिशों की जांच की गई थी। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और दो वर्षों के लिए पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों को जारी रखना आवश्यक समझा गया था।

(घ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी लाभों के अतिरिक्त, पिछड़े इलाकों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं प्रचालन में हैं जिनमें परिवहन सब्सिडी योजना, केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना, केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना और विकास केन्द्र संबंधी योजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

निर्यात के लिए परिवहन राजसहायता

*548. **श्री पदमसेन चौधरी :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि-उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती से टिके रहने के उद्देश्य से, कृषि उत्पादों के निर्यात पर परिवहन राजसहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिनांक 31.3.2002 को घोषित नई एक्जिम नीति में फलों, सब्जियों, पुष्पोत्पाद, कुक्कुट एवं डेरी उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन सहायता की व्यवस्था है ताकि कृषि का विविधीकरण किया जा सके और विश्व बाजार में हमारे हिस्से को बढ़ाया जा सके।

विशिष्ट उत्पादों तथा गंतव्यों के लिए सहायता की मात्रा निर्धारित करने हेतु एक अध्ययन शुरू किया गया है।

खाद्यान्न की रख-रखाव (हैंडलिंग) लागत में वृद्धि

*549. **श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 के दौरान और आज की तिथि के अनुसार खाद्यान्न की खरीद, भण्डारण और परिवहन पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रति-क्विंटल खाद्यान्न कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या खाद्यान्न के परिवहन और भंडारण की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) खाद्यान्नों के अधिग्रहण और वितरण पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया गया खर्च, जिसमें अन्य बातें के साथ-साथ वसूली, भंडारण और ढुलाई संबंधी खर्च शामिल है, निम्नानुसार है:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

	2001-01 (सं०अ०)		2001-02 (सं०अ०)		2002-03 (ब०अ०)	
	गेहू	चावल	गेहू	चावल	गेहू	चावल
अधिग्रहण लागत	703.61	995.50	739.13	1052.66	757.64	1072.69
वितरण लागत	126.03	152.57	132.17	151.69	121.52	133.68

(ख) और (ग) खाद्यान्नों की ढुलाई और भण्डारण की कुल लागत मुद्रास्फिति प्रभाव और अधिक मात्रा में वसूली के कारण बढ़ रही है, जिससे कारोबारी खर्च अधिक हो गया है।

ऐसी लगातों पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ रेल डेमरेज प्रभारों और अनाज हैण्डलिंग में कमी में गिरावट लाना, भण्डारण क्षमता का बेहतर उपयोग करना और प्रशासनिक ऊपरी व्यय में कमी करना शामिल है।

'सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया' की इकाइयों को बेचा जाना

*550. **श्री सुबोध राय :**
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनी 'सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया' ने अपनी दस इकाइयों को बेचने या बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी का इसकी सार्वजनिक जमा-योजना में लोगों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश किये गये करोड़ों रुपये के निवेश की राशि को लौटाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और इस हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) इन इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (सीसीआई) एक रूग्ण कम्पनी है जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर), जो कि एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, को संदर्भित है। चूंकि, कोई विश्वसनीय और जैव्य पुनरूद्धार योजना उभरकर सामने नहीं आई इसलिए बीआईएफआर ने 27.3.2001 को हुई अपनी बैठक में आईएफसीआई, आपरेटिंग एजेंसी (ओए) को सीसीआई को समग्र रूप से या इसके संयंत्रों को पृथक रूप से अथवा सामूहिक रूप से बेचने का निदेश दिया। इस उद्देश्य के लिए एसबीआई कैप्स को मर्चेन्ट बैंकर के रूप में नियुक्त किया गया। सी सी आई सरकारी क्षेत्र का एक नान-स्ट्रेटजिक गैर उपक्रम है। इसकी 10 यूनिटों में से अभी केवल 3 यूनिटें अर्थात् आन्ध्र प्रदेश में तंदूर, असम में बोकाजन और हिमाचल प्रदेश में राजबन प्रचालनरत हैं। कंपनी की शेष 7 यूनिटें कड़ी वित्तीय समस्या के साथ-साथ विभिन्न कारणों के चलते काफी लम्बे समय से प्ररचालन में नहीं हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इन सात गैर प्रचालनकारी यूनिटों की बिक्री संभव न होने की स्थिति में उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल व्यर्थ मजदूरी के भुगतान में बचत होगी बल्कि कर्मचारियों की अपने भविष्य के संबंध में अनिश्चितता भी दूर हो जाएगी।

(ग) और (घ) बीआईएफआर को संदर्भित रूग्ण कंपनियों के संबंध में, जैसा कि इस केस में है, आश्वस्त तथा गैर-आश्वस्त ऋणदाताओं के बकायों का समाधान नियमानुसार किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था करता है कि कामगारों और आश्वस्त ऋणदाताओं के बकायाओं का भुगतान प्राथमिकता से एक साथ किया जाता है और इसके बाद बकाया राशि, यदि कोई है तो, तो अन्य ऋणदाताओं को बकाया का भुगतान किया जाता है।

(ङ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी की बिक्री/विनिवेश करने की स्थिति में, सामान्य सेवा शर्तों, छंटनी, वीआरएस आदि से संबंधित मामलों पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए भावी खरीददारों/भागीदारों के साथ सुरक्षा संबंधी पर्याप्त तथ्यों पर समझौता किया गया है।

[अनुवाद]

चीन के साथ व्यापार संधि

*551. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच नई व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संधि में कुछ निर्यात मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के नए प्रावधान शामिल किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई भारत-चीन व्यापार संधि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(च) क्या संधि को अंतिम रूप देने से पहले चीन द्वारा देश में वस्तुओं की भरमार से उत्पन्न चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर चीनी सरकार का क्या प्रत्युत्तर रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

वस्त्र कोटा नीति

*552. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात संबंधी वस्त्र कोटा नीति की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले निर्यातकों और संबंधित अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में निर्यातकों द्वारा की गई शिकायतों के मद्देनजर सरकार द्वारा उक्त नीति में क्या संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दो नीति संबंधी अधिसूचनाएं नामत: परिधान व निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति 2000-2004 और यार्न, फैब्रिक्स व मेड अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति 2000-2004 जारी की है। इन नीति संबंधी अधिसूचनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) वर्ष 2000-2004 के लिए परिधान और निटवीयर के निर्यात के मामले में आबंटन की प्रणाली निम्नानुसार है :-

आबंटन की प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत (2000-2004)
पिछली निर्यात निष्पादन हकदारी (पीपीई) प्रणाली	70%*
नई निवेशक हकदारी (एनआईई) प्रणाली	15%
गैर-कोटा हकदारी (एनक्यूई) प्रणाली	5%
पहले आओ पहले पाओ हकदारी (एफसीएफएस) प्रणाली	10%

*इस योजना के भीतर उच्च मूल्य हकदारी के लिए 5% के आरक्षण को अब समाप्त कर दिया गया है।

(2) यार्न, फैब्रिक्स और मेडअप्स के निर्यात के मामले में आबंटन की प्रणाली निम्नानुसार रहेगी :-

क्र. सं.	आबंटन की प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
1	2	3
1.	**यार्न**	
(1)	पिछली निर्यात निष्पादन हकदारी (पीपीई) प्रणाली	55%
(2)	विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एमएमई) प्रणाली	15%
(3)	तैयार सामान हकदारी (आरजीई) प्रणाली	30%
2.	**फैब्रिक्स (3, 3क/ईयू, 31क और 32क/ कनाडा की श्रेणियों के अलावा)**	
(1)	पिछली निर्यात निष्पादन हकदारी (पीपीई) प्रणाली	55%
(2)	विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एमएमई) प्रणाली	15%
(3)	विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पीइई) प्रणाली	15%
(3)	तैयार सामान हकदारी (आरजीई) प्रणाली	15%
3.	**फैब्रिक्स (3, 3क/ईयू, 31क और 32क/ कनाडा की श्रेणियों के अलावा)**	
(1)	पिछली निर्यात निष्पादन हकदारी (पीपीई) प्रणाली	55%
(2)	विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एमएमई) प्रणाली	15%
(3)	तैयार सामान हकदारी (आरजीई) प्रणाली	30%
4.	**मेड अप्स (हथकरघा) (संयुक्त राज्य अमरीका में मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अंतर्गत) :**	
(1)	पिछली निर्यात निष्पादन हकदारी (पीपीई) प्रणाली	55%
(2)	तैयार सामान हकदारी (आरजीई) प्रणाली	45%
5.	**मेड अप्स (मिल निर्मित/विद्युतकरघा) :**	
(1)	विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पीपीई) प्रणाली	55%

1	2	3
(2)	विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एमएमई) प्रणाली	15%
(3)	विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पीईई) प्रणाली	15%
(4)	तैयार सामान हकदारी (आरजीई) प्रणाली	15%

(3) नई नीति की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में, कोटे का चरणबद्ध उपयोग, ऐसे नए निवेश के साथ कोटे को जोड़ना जो ऐसे नए संयंत्रों और मशीनों में किए गए हों जो कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हों और नए निवेश की कोटा हकदारी को अहस्तांतरणीय बनाना शामिल हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने 1.1.2000 से 31.12.2004 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि कोटा (निर्यात हकदारी) वितरण प्रणाली की सिफारिश करने के लिए कार्य बल की स्थापना की है। इस कार्यबल ने निर्यात संवर्द्धन परिषदों (ईपीसी), प्रमुख व्यापार संघों और नई दिल्ली और मुबंई में स्थित विभिन्न निर्यातकों के परिसंघों और संबंधित संघों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कार्य बल ने नई कोटा नीति बनाते समय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व अनेक संसाधनों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखा है।

वस्त्र/परिधान निर्यातकों के विभिन्न संघों से समय-समय पर प्राप्त सुझावों पर समुचित विचार किया गया है और जब कभी भी आवश्यक समझा गया है कोटा प्रणाली के सुचारू प्रचालन के लिए उसमें उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

भारतीय चाय हेतु संवर्धन अभियान

*553. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इस्राइल के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार के मद्देनजर, भारतीय चाय बोर्ड ने इस्राइल से भारतीय चाय को प्रचारित करने के उद्देश्य से इसके लिए एक संवर्धन-अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संवर्धन-अभियान का ब्यौरा क्या है और इस संदर्भ में कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या चाय बोर्ड अन्य देशों में भी ऐसे संवर्धन-अभियान शुरू करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 के दौरान किन-किन देशों में ऐसे अभियान चलाये जायेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारत-इजरायल द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के बढ़ने के साथ-साथ चाय बोर्ड द्वारा मई, 2000 में इजरायल में आयोजित भारतीय व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेकर भारतीय चाय के ब्रांड संवर्धन हेतु एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, इजरायल में समग्र संवर्धन अभियान के एक भाग के रूप में चाय बोर्ड ने संयुक्त संवर्धन कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार किया है। तथापि, उक्त संवर्धन अभियान के संदर्भ में इजरायल को होने वाले निर्यात के प्रभाव एवं उसमें वृद्धि का अनुमान और उसकी मात्रा का पता लगाना समयपूर्व होगा।

(ग) और (घ) विदेशी बाजारों में भारतीय चाय का संवर्धन करने के लिए चाय बोर्ड संवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाता है जिनमें विभिन्न पहलू शामिल होते हैं जैसेकि प्रमुख चाय आयातक देशों में चाय बोर्ड के लोगों और विशिष्टता चाय लोगों का पंजीकरण, अलग-अलग बाजारों में निर्यातों में आने वाली बाधाओं को दूर करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशिष्टता स्टोरों तथा प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना, विशिष्टतायुक्त भारतीय चाय के बारे में उपयोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मीडिया अभियान चलाना। चाय बोर्ड ने रूस, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका, पोलैण्ड एवं यू०के० जैसे महत्वपूर्ण बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वर्ष 2002-07 के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीति के कार्यान्वयन हेतु कदम भी उठाये हैं।

क्रय वरीयता-सम्बन्धी नीति

*554. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रय वरीयता सम्बन्धी नीति को और दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वह क्रय वरीयता किन किन सरकारी उपक्रमों पर लागू होगी;

(घ) इस नीति से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार ने 'भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड' और 'भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड' के वित्तीय पुनर्गठन की भी मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के उत्पादों एवं उनकी सेवाओं के लिए 10% क्रय अधिमानता की नीति को 1.4.2002 से आगामी दो वर्षों अर्थात् 31.3.2004 तक बढ़ा दिया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक की निविदाओं / एन० आई० टी० को 10% की क्रय अधिमानता उपलब्ध होगी।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा सांविधिक सरकारी उद्यम भी पहले की भांति क्रय अधिमानता के पात्र होंगे। जिन संयुक्त उद्यम कम्पनियों में सरकार और / अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की शेयरधारिता 51% या इससे अधिक है तथा जो संयुक्त उद्यम केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सहायक कम्पनियां हैं और जिनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की इक्विटी 51% या उससे अधिक है, वे भी क्रय अधिमानता के पात्र होंगे।

(iii) क्रय अधिमानता की नीति का लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम/संयुक्त उद्यम द्वारा विनिर्माण और/अथवा सेवा के माध्यम से न्यूनतम 20% का मूल्ययोजन एक पूर्वापेक्षा होगी।

(iv) मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा केन्द्र सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकाय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को क्रय अधिमानता प्रदान करते रहेंगे।

(v) क्रय अधिमानता उन निजीकृत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को भी उपलब्ध होगी जिन्हें सरकार द्वारा विनिवेश की तारीख से एक खास अवधि तक के लिए सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त हो।

(vi) सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग/स्वायत्तशासी निकाय/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम क्रय अधिग्नता नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) वर्तमान नीति के अनुसार पांच करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक मूल्यवाली निविदा आमंत्रण सूचना में क्रय अधिमानता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एन. आई.टी. में क्रय अधिमानता संबंधी धारा को शामिल न करने सहित अन्य किसी विचलन की स्थिति में मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकारी उद्यमों/स्वायत्तशासी निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे लोक उद्यम विभाग के परामर्श से मंत्रिमंडल से पहले ही छूट प्राप्त कर लें।

(viii) क्रय अधिमानता संबंधी अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(ङ) से (च) सरकार ने भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड तथा भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड दोनों के वित्तीय पुनर्गठन के प्रस्तावों को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया है, जो उन कम्पनियों के सफल संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु अत्यावश्यक है।

कॉफी का निर्यात बढ़ाने की योजना

*555. **श्री आर०एस० पाटिल :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान कॉफी के निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ाने की दृष्टि से, 1000 करोड़ रु० की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कॉफी बोर्ड ने निर्यात हेतु मध्यावधि योजना तैयार करने और विश्व बाजार में अपना हिस्सा बनाने के उपाय सुझाने के लिए ''मै० मैकिन्से एण्ड कम्पनी'' की सेवाएं ली हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कॉफी बागानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (छ) कॉफी बोर्ड ने भिन्न-भिन्न बाजारों, मूल्यवर्धित कॉफी के विभिन्न ग्रेडों एवं किस्मों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति तैयार की है। साथ ही साथ, बोर्ड द्वारा उक्त योजना अवधि के दौरान देश के भीतर कॉफी की खपत को बढ़ाने के लिए घरेलू विपणन कार्यनीति भी कार्यान्वित की जायेगी।

कॉफी बोर्ड द्वारा शुरु की गई मध्यावधि निर्यात कार्यनीति मै० मैकेन्जी एंड कंपनी इंक की रिपोर्ट से उत्पन्न ठोस सुझावों तथा कार्ययोजना पर आधारित है। कार्यनीति के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कॉफी के बाजार हिस्से में वृद्धि करने तथा निर्यात आय को अधिकतम बनाने के लिए परिकल्पना की गई है। कॉफी बोर्ड द्वारा अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए शुरु किये गए कुछेक प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- उत्पाद मिश्रण को अरेबिका के पक्ष में लाना।
- उत्पादन लागत में भारी कमी करके भारतीय कॉफी के लिए प्रतिस्पर्धी पहुंच कीमत सुनिश्चित करना।
- कॉफी के निर्यात की गुणवत्ता में सुसंगतता बनाये रखना।
- निर्यातकों की गारंटी विश्वसनीयता।
- लक्षित बाजारों में भारतीय कॉफी की जागरुकता को बढ़ाना।
- भारतीय कॉफी को विश्व व्यापार के साथ समेकित करना।

दसवीं योजना के दौरान कॉफी क्षेत्र में विकास हेतु कॉफी बोर्ड के लिए नौवीं योजना के दौरान इंगित किए गये 124 करोड़ रु० के आवंटन की तुलना में 300 करोड़ रु० की धनराशि इंगित की गई है। इस परिव्यय में से बोर्ड द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी जिनमें शामिल हैं उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ाना/गुणवत्ता बढ़ाना, अवस्थापना विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र/गैर परम्परागत क्षेत्रों में काफी का विकास इत्यादि।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों का बाजार-मूल्य

*556. **श्री वाई०वी० राव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम अपनी नियत, परिसम्पत्तियों का खाता-मूल्य अपेक्षाकृत रूप से कम दर्शा रहे हैं, जबकि अनेक मामलों में उनका बाजार-मूल्य काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों की नियत परिसम्पत्तियों के बाजार-मूल्य के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नियत परिसम्पत्तियों के परिशुद्ध मूल्य का आकलन करने के लिए अन्य क्या कार्यविधि उपलब्ध है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) से (ग) वित्तीय विवरण अर्थात किसी उद्यम के लाभ व हानि लेखे तथा तुलन पत्र देश में प्रचलित विधि व सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ये विवरण मुख्य रूप से ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तद्नुसार, मूल लागत में से मूल्यह्रास घटाकर 'अचल परिसम्पत्तियों' का मूल्यांकन किया जाता है, हालांकि उसके पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी जाती है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, अचल परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य पर किसी प्रकार का अध्ययन कराए जाने की सूचना नहीं मिली है।

(घ) अचल परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्धारण का सामान्य रूप से स्वीकार्य तथा वरीयता प्राप्त तरीका सक्षम मूल्य निर्धारक द्वारा मूल्यांकन करना है।

अंत्योदय योजना

*557. **श्री अरुण कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धारित मानदंडों के अनुसार, गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या बहुत कम क्रय-क्षमता होने के कारण गरीबों में भी सबसे गरीब लोग, "अंत्योदय योजना" के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न तक खरीद नहीं पा रहे हैं;

(घ) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, खाद्यान्न का खाद्यान्न-वार भंडार कितना था; और

(ङ) खाद्यान्न के इस भंडार के रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार मानदण्डों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (अंत्योदय परिवारों सहित) के लिए खाद्यान्नों का आबंटन कर रही है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। जहां, केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भंडारण और केंद्रीय गोदामों तक इनकी ढुलाई करने तथा इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है, वहीं, उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से इन वस्तुओं के वास्तविक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। 2001-2002 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी (अंत्योदय सहित) के अधीन गेहूं और चावल का उठान क्रमश: 44.37 लाख टन और 65.49 लाख टन हुआ था, जबकि 2000-2001 के दौरान 36.63 लाख टन गेहूं और 58.93 लाख टन चावल का उठान हुआ था।

(ग) 2001-2002 के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों का उठान चावल के संबंध में आबंटन का 79.66 प्रतिशत और गेहूं के संबंध में आबंटन का 65.73 प्रतिशत हुआ था।

(घ) और (ङ) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में रखा खाद्यान्नों का कुल स्टाक (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास रखा) निम्नानुसार था :-

(लाख टन में)

जिन्स	स्टाक (अनंतिम)
चावल	249.12
गेहूं	260.39
मोटे अनाज	0.72
जोड़	510.23

वर्ष 2001-2002 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्न के बफर और प्रचालनात्मक स्टाक के रखरखाव की अनुमानित लागत 9015 करोड़ रुपये थी।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध

*558. **श्री जी०एस० बसवराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अफ्रीकी देशों के साथ अपने व्यापारिक-संबंधों को मजबूत करने का विचार है;

(ख) क्या इस संदर्भ में निर्यात हेतु किसी वस्तु विशेष/सामग्री विशेष की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र का साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए वर्ष 2002-07 के लिए एक्जिम नीति के साथ-साथ 31 मार्च, 2002 को "फोकस-अफ्रीका" का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ख) यह कार्यक्रम निम्नलिखित प्रमुख उत्पाद समूहों पर केन्द्रित होगा ताकि उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र को भारत के निर्यातों में वृद्धि की जा सके;

- सूती यार्न, फैब्रिक्स तथा अन्य वस्त्र मदें
- औषधि एवं भेषज
- मशीनरी एवं उपकरण
- परिवहन उपकरण; तथा
- दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(ग) इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों का पता लगाकर दोनों क्षेत्रों के बीच परस्पर सम्पर्क को बढ़ाना है। इस क्षेत्र को होने वाले निर्यातों में वृद्धि भारत सरकार, इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, भारतीय मिशनों तथा एग्जिम बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) इत्यादि जैसी संस्थाओं के समेकित प्रयासों के जरिये करने की व्यवस्था है।

आईडीबीआई और आईएफसीआई पर सरकारी नियंत्रण

*559. **श्री आनन्दराव बिठोबा अडसुल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से आईडीबीआई और आईएफसीआई ने उन पर से सरकारी नियंत्रण को कम करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कदम से इन वित्तीय संस्थाओं को किस हद तक लाभ होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत सरकार का भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) में कोई इक्विटी शेयर नहीं है। सरकार का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) जिसमें सरकार की शेयरधारिता वर्तमान में लगभग 58% है, को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित करने का प्रस्ताव है। निगमीकरण से प्रबंधन एवं परिचालनों में वांछित लचीलापन आने की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

फूलों का आयात/निर्यात

*560. **श्री रामचन्द्र पासवान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फूलों के आयात/निर्यात के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के फूलों का आयात/निर्यात किया गया;

(ग) क्या फूलों के आयात/निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार कोई नयी नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या घरेलू बाजार में पुष्प-उद्योग के लिए आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आयातों एवं निर्यातों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत फूलों का आयात एवं निर्यात मुक्त है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित/आयातित फूलों की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	मात्रा (किग्रा.)		मूल्य (लाख रु.)	
		आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
1.	1998-99	5599	11017781	10.78	7615.67
2.	1999-2000	32834	7821542	28.43	7348.05
3.	2000-01	14499	10476799	22.97	9597.72
4.	2001-02 (अप्रैल-दिसम्बर)	143066	7581128	162.45	6310.78

(ग) से (ङ) विद्यमान नीति में फूलों के निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं समेत निर्यातोन्मुख बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्योत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने फूलों समेत खराब होने वाले कार्गो की हैंडलिंग के लिए नई दिल्ली, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई और हैदराबाद में शीतागारों की स्थापना की है। एपीडा ने मुम्बई में शीतागार हैंडलिंग सुविधाओं तथा बंगलौर, मुम्बई और नोएडा में फूल नीलामी केन्द्रों की स्थापना हेतु भी कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

रेजीडेंट कांट्रैक्टर्स को भुगतान

5750. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेजीडेंट कांट्रैक्टर्स को विभिन्न कार्यों को करने तथा श्रमिकों की आपूर्ति करने, माल और यात्रियों को परिवहन के किसी भी साधन से लाने-ले-जाने के लिए भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा कांट्रैक्टर के खाते में ऐसी धनराशि को जमा करते समय अथवा उसका भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है लेकिन रिकार्डों की जांच करने से पता चला है कि अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण कर कटौती करने वाले अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसकी परिणति कई सौ करोड़ रुपये की धनराशि में हो गई है जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 12(क) में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्रोत पर कर कटौती किए बिना कितनी राशि का भुगतान किया गया और आयकर के रूप में कितनी राशि की वसूली नहीं की गई; और

(ग) सरकार का मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है और संबंधित चूककर्ताओं की जिम्मेदारी तथा जवाबदेही निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 12क के अनुसार 289.31 लाख रुपये कर-प्रभाव की अंतर्ग्रस्तता वाले कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधानों का उचित रूप से अनुसरण/अनुपालन नहीं किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पैरावार उत्तर देने और उक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की शुद्धता अथवा अन्यथा निर्धारित करने के उद्देश्य

से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जांच की जा रही है।

(ग) उन मामलों में, जहां कर कटौतीकर्त्ता स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के दोषी पाए जाते हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकारिक कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा धारा 271ग के तहत अर्थदंड लगाया जाता है।

ग्रामीण जल योजनाओं के लिए विश्व बैंक का ऋण

5751. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के कई राज्यों को ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजनाओं हेतु ऋण स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन राज्यों को ऋण प्रदान किया गया और राज्य-वार कितनी-कितनी राशि का ऋण प्रदान किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक के साथ निम्नलिखित राज्यों के नाम के सामने उल्लिखित राशि के लिए ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के संबंध में हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष	राज्य का नाम	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1999 2000	शून्य	शून्य
2000 2001	केरल	65.5
2001 2002	कर्नाटक	151.6

[हिन्दी]

झारखंड के स्वैच्छिक संगठन

5752. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड के उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जो वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं;

(ख) इन संगठनों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई और पिछले दो वर्षों के दौरान उनके लिए वास्तविक रूप से कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई;

(ग) ऐसे संगठनों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान काली सूची में डाला गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में हैं।

(ग) इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान हेतु गैर-सरकारी संगठन पर विचार करने के मानदंड निम्नलिखित हैं :-

- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निकाय।
- पंजीकृत सार्वजनिक न्यास।
- कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त दातव्य कम्पनी।
- इंडियन रेड क्रास सोसाइटी अथवा इसकी शाखाएं।
- कानूनी दर्जा वाली अन्य सार्वजनिक संस्थाएं।
- सहायता हेतु आवेदन करते समय निकाय को कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।
- व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए संचालित नहीं होना चाहिए।
- बजटीय व्यय का न्यूनतम 10% वहन करने की वित्तीय समर्थता तथा क्षमता।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान झारखंड में किसी संगठन को काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठनों का नाम और पता	परियोजना का नाम	वर्ष 2000-01 के दौरान निर्मुक्त राशि	वर्ष 2001-02 के दौरान निर्मुक्त राशि
योजना का नाम : विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना				
1.	जन चेतना केन्द्र, हजारीबाग, झारखंड	विकलांगों के लिए आवासीय स्कूल	–	1.02
2.	भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर, झारखंड	एलपीसी के लिए गृह	–	1.74
3.	दीपशिक्षा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हैल्थ, रांची झारखंड	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल	–	4.25
योजना का नाम : सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता				
4.	मुक्ति संस्थान, रांची, झारखंड	एडीआईपी	–	1.00
योजना का नाम : बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम				
5.	छोटानागपुर संस्कृति संघ, जोगनाथ नगर, धुरूवा, रांची, झारखंड	चाइल्ड लाइन सर्विस	–	0.07
योजना का नाम : अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता				
6.	ग्रामीण विकास केन्द्र, देवघर, झारखंड	प्रिन्टिग, कम्पोजिंग तथा बुक बाइन्डिंग ट्रेनिंग सेन्टर	–	1.05
योजना का नाम : मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण				
7.	कामिनी सेवा सदन, जयप्रकाश नगर, धनबाद, झारखंड	परामर्श केन्द्र	2.38	6.08
8.	बिरसा सेवा संस्थान, 25, शारदानन्द रोड, रांची, झारखंड	परामर्श केन्द्र	4.97	3.73
9.	बिहार रिहैबिलीटेशन एंड वेलफेयर इंस्टीच्यूट, जी-4, पीपुल्स कोओपरेटिव कालोनी, कंकड़ाग, पटना	धनबाद में नशामुक्ति केन्द्र	–	3.40
योजना का नाम : अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता				
10.	वीमेन इन सोशल एक्शन, रघुनाथपुर, झारग्राम, मिदनापुर	पूर्वी सिंहभूम में वेल्डर और फिटर ट्रेनिंग सेंटर	–	1.91
	कुल		7.35	24.25

[अनुवाद]

आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई का विलय

5753. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई–आईसीआई-सीआई बैंक विलय पर कम संख्या वाले लघु शेयरधारकों को प्रदान किया गया था;

(ख) क्या ऐसा ''एक्जिट रूट'' बैंक आफ मदुरा–आईसी-आईसीआई बैंक विलय के शेयरधारकों को प्रदान किया गया था;

(ग) कम संख्या वाले लघु निवेशकों के लिए एहतियात के क्या पूर्वोपाय उपलब्ध हैं;

(घ) क्या आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों एक ही प्रबंधन के अधीन हैं और वित्तीय कंपनियां हैं;

(ङ) बैंक आफ मदुरा के लघु निवेशकों को क्या आधारभूत मूल्यांकन, तरीका और दर प्रदान की जाती है;

(च) क्या आईसीआईसीआई प्रबंधन से ऐसा ''एक्जिट रूट'' प्रदान करने के लिए कहा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) दो बैंकिंग कंपनियों के विलय के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44-क के तहत यह व्यवस्था है कि विसम्मत शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उनके पास रखे गए शेयरों के मूल्य का भुगतान किए जाने का विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है। आईसीआईसी-आई जैसी गैर-बैंककारी कंपनी के विलय के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391(2) में यह व्यवस्था है कि समामेलन की योजना न्यायालय द्वारा मंजूर की जाए।

(घ) आईसीआईसीआई कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निगमित बैंकिंग कंपनी है। जबकि आईसीआईसीआई बैंक वास्तविक रूप में आईसीआईसीआई द्वारा अपने अनुषंगी के रूप में प्रवर्तित किया गया था, आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई की शेयरधारिता को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार तदन्तर घटाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ङ) अंतर्भूत मूल्य के अंकित मूल्य, भविष्य में अर्जन की क्षमता और बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानक तरीकों का प्रयोग करके डेलोइटी हैस्किन्स एंड सेल्स द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया था।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम को कर लाभ

5754. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम औद्योगिक विकास निगम ने केन्द्र सरकार से उत्तरी-पूर्वी नीति के अन्तर्गत मार्च, 2007 तक असम की नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आयकर लाभ और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो असम की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा किन विशिष्ट केन्द्रीय कर और अन्य लाभों की मांग की गई है और उन्हें क्या लाभ स्वीकृत किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राजस्व विभाग को पूर्वोत्तर चाय संघ और ईस्टर्न असम चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ ख के अन्तर्गत, असम (पिछड़ा राज्य होने के कारण) में 31.3.2002 से पूर्व स्थापित औद्योगिक उपक्रम प्रथम पांच वर्षों के लिए ऐसे औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त लाभों एवं अभिलाभों के 100% और तत्पश्चात् अगले 5 वर्षों के लिए 25% (कंपनियों के मामले में 30%) की कटौती का पात्र होता है।

उक्त धारा के अंतर्गत, असम (और पूर्वोत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र) में प्रोत्साहन वाले क्षेत्रों में 31.3.2002 तक स्थापित औद्योगिक उपक्रम 10 वर्ष की अवधि के लिए लाभों के 100% तक की कटौती के पात्र हैं।

वित्त विधेयक, 2002 ने 31.3.2004 को अथवा इससे पहले स्थापित की गई औद्योगिक इकाइयों को इस कटौती को प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

धारा 10-ग के अंतर्गत, असम (और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र) में 1.4.1998 के बाद स्थापित एकीकृत आधारभूत सुविधा विकास केन्द्र में स्थित औद्योगिक उपक्रम धारा 10-ग के अन्तर्गत 10 वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण लाभों के 100% कर छूट के लिए पात्र होते हैं।

अधिसूचना सं० 32/99-सी ई और 33/99-सी ई के अंतर्गत असम में इकाइयों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट उपलब्ध है जो उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है।

[हिन्दी]

बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात

5755. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में गेहूं की बिक्री की गई और उसकी कितनी कीमत प्रभारित की गई;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों को भी गेहूं का निर्यात किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक बंगलादेश को वास्तव में 13.46 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया है। समय-समय पर केन्द्रीय पूल से निर्यात के लिए पेशकश किए जाने वाले गेहूं के मूल्य निम्नानुसार हैं :-

(दर : रुपए प्रति क्विंटल)

दर	निम्न तारीख से	निम्न तारीख तक
4150/-	20.10.2000	31.03.2001
4300/-	01.04.2001	16.08.2001
4200/-	17.08.2001	30.11.2001
4250/-	01.12.2001	10.05.2002

(ग) जी, हां।

(घ) बंगलादेश, मिश्र, इंडोनेशिया, इराक, कुवैत, मलेशिया, म्यांमार, ओमान/दुबई, फिलीपिंस, कतर, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सुडान, ताईवान, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमीरात/शारजाह, वियतनाम और यमन को गेहूं निर्यात किया गया है। 12.4.2002 की स्थिति के अनुसार निर्यात हेतु 57.28 लाख टन गेहूं का उठान किया गया है। 12.4.2002 तक लगभग 2427.14 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।

[अनुवाद]

कल्याणकारी योजना के लिए राज्यों को धनराशि

5756. श्री जे०एस० बराड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निराश्रित लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) निराश्रित लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई और प्रति निराश्रित व्यक्ति को मिले लाभ-की-तुलना में योजना को चलाने पर व्यय की गई धनराशि का अनुपात क्या है;

(ग) क्या निराश्रित लोगों के लिए कोई मासिक भुगतान योजना उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) निराश्रितों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, बेसहारा बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रमों की योजनाओं का उद्देश्य बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों की निराश्रयता को रोकना है। इन योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक संगठनों को निधियां आवंटित की जाती हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गीता कृष्णन समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

5757. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय गीता कृष्णन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय सहित गीता कृष्णन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन न किए जाने पर पुनर्विचार करने हेतु किसी सरकारी संस्थान से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्री के०पी० गीताकृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों (सूचना और प्रसारण मंत्रालय सहित) को भेज दिया गया है और ये सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

खाद्यान्नों की बिक्री हेतु प्रयोगशाला जांच

5758. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की प्रयोगशाला जांच में सफल होने के बाद बाजार में खाद्यान्नों और अन्य उपभोक्ता मदों की बिक्री हेतु योजना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राहत सहायता के दौरान जनता को खाद्यान्नों का वितरण या सरकारी डिपार्टमेंटस स्टोर्स के माध्यम से बिक्री प्रयोगशाला में जांच के बिना बिक्री की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप खाद्यान्न लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को जारी किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक का उठान करने से पूर्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों का इसका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(ii) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश दिए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ऐसा अधिकारी नियुक्त करें जो निरीक्षक के स्तर से कम न हो।

(iii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक जारी करने से पूर्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से खाद्यान्नों के नमूने लिए जाते हैं और सीलबंद किए जाते हैं ताकि इन्हें उचित दर दुकानों के काउंटरों पर प्रदर्शित किया जा सके।

(iv) संबंधित राज्य सरकार और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उचित दर दुकानों की अचानक जांच की जाती है।

(v) 'क्षेत्राधिकारी' के रुप में नामित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी भी अपने संबंधित राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की मानीटरिंग करते हैं और राज्य में अपने दौरे के दौरान भंडारण डिपुओं तथा उचित दर दुकानों का निरीक्षण भी करते हैं।

[हिन्दी]

उद्योगों/कंपनियों को बैंक ऋण

5759. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन निजी उद्योगों/कंपनियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 50 करोड़ से भी अधिक का ऋण लिया है;

(ख) उनमें से ऐसे उद्योगों/कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त धनराशि ली है;

(ग) ऐसे उद्योगों/कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान ऋणों की किस्तों और उस पर देय ब्याज बैंकों को नहीं दिया है;

(घ) बैंकों/संस्थाओं द्वारा कुल कितनी वित्तीय हानि उठाई गई; और

(ङ) सरकार द्वारा उस पर क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मध्य प्रदेश की 32 गैर-सरकारी कंपनियों ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 50 करोड़ रु० से अधिक का ऋण लिया था। इनमें से 18 कंपनियों ने उक्त ऋण पिछले तीन वर्षों के दौरान लिया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

5760. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर गोदाम लेने हेतु क्या नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि भारतीय खाद्य निगम के कई गोदाम रेलवे स्टेशन से 70-80 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम को उनके परिवहन पर कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे गोदामों को रेलवे स्टेशन के निकट लाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम गोदाम किराये पर लेते समय प्रचालानात्मक अपेक्षाओं और गोदामों की भण्डारण संबंधी उपयुक्तता, तोल सेतु, कार्यालय ब्लाक, रेलवे साइडिंग आदि जैसी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखता है।

कुछ गोदाम जो रेल शीर्ष से दूर होते हैं उन्हें प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के कारण पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम को किराये पर लेना पड़ता है। निकटतम रेल शीर्ष से ऐसे गोदामों तक खाद्यान्नों को ले जाने में वहन की गई अतिरिक्त लागत इस प्रकार अपरिहार्य हो जाती है। यदि विकल्प मौजूद हो तो किराये के लिए रेल शीर्ष के निकट के गोदामों को तरजीही दी जाती है।

[अनुवाद]

वृद्धाश्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

5761. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वृद्धाश्रमों को चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संगठन को राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धावस्था गृहों के संचालन के लिए दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार, संगठनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वर्ष 2001-02 के दौरान "वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था गृहों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा राज्यवार/जिलावार संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्यवार/जिलावार	सोसाइटीज	परियोजना	निर्मुक्त राशि रु./लाख में 2001-02
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	अनन्तपुर	रूपा एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.28

1	2	3	4	5
2.	अनन्तपुर	श्री वेंकेटेश्वर कॉवेन्ट एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.34
3.	अनन्तपुर	नव भारत सोसियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	3.97
4.	अनन्तपुर	पीपुल्स रूरल एजूकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.47
5.	कुडापह	चैतन्य एजूकेशन और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	4.14
6.	कुडापह	डिप्रेस्ड पीपुल्स डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	3.69
7.	कुडापह	डॉ० अम्बेडकर दलित वर्गा अभ० संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
8.	कुडापह	श्रीनिवास एजूकेशन और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.24
9.	कुडापह	श्री पदमवती महिला मंडल	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
10.	कुडापह	श्री वेंकेटेश्वर सोसियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	6.10
11.	कुडापह	श्री कृष्णा देवराय युवाजन संगम	वृद्धावस्था गृह-1	1.29
12.	कुडापह	खादी सिल्क ग्रामोद्योग समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.37
13.	चित्तूर	मदर इंडिया काम्यूनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-2	5.10
14.	चित्तूर	पंडा प्राजला सेवा समिति	वृद्धावस्था गृह-2	7.97
15.	चित्तूर	पीपुल एक्शन फॉर सोसल सर्विस	वृद्धावस्था गृह-2	5.53
16.	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समिति	वृद्धावस्था गृह-2	5.53
17.	चित्तूर	सर्वोदय वीमेन वेल्फेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
18.	चित्तूर	श्री वेंकेटेश्वर महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.66
19.	चित्तूर	तेलुगू भारती महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
20.	पूर्वी गोदावरी	एसोसिएशन फॉर दी केयर ऑफ एज्ड	वृद्धावस्था गृह-1	2.02
21.	पूर्वी गोदावरी	हेल्प दी वीमेन	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
22.	पूर्वी गोदावरी	रवीन्द्र एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
23.	पूर्वी गोदावरी	संजय गांधी मेमोरियल आर्फनेज और बोर्डिंग होम	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
24.	पूर्वी गोदावरी	सारदा एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
25.	गुन्टूर	इन्दिरा मेमोरियल वीकर सेक्शन डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.61
26.	गुन्टूर	इन्दिरा प्रियदर्शिनी गिरीजन बैकवर्ड क्लास महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.04

1	2	3	4	5
27.	गुन्टूर	कोठपेटा महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
28.	गुन्टूर	नरासारपेट महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
29.	गुन्टूर	नवीन आदर्श महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.36
30.	गुन्टूर	ओमकार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	0.86
31.	गुन्टूर	एसईआरडी, एससी/एसटी और क्रिश्चियन वेल्फेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	3.69
32.	गुन्टूर	सोनिया गांधी हरिजन गिरीजन बल्हीना वारगमुला महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	4.04
33.	गुन्टूर	उदयश्री महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.61
34.	गुन्टूर	केन्द्रिका महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
35.	गुन्टूर	श्री वेंकेटेश्वर महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
36.	हैदराबाद	अनुराग ह्यूमन सर्विस	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
37.	हैदराबाद	डॉ० पी०एन० हनुमन्त राव चैरिटेबल ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
38.	हैदराबाद	ओल्ड ऐज वेल्फेयर सेन्टर	वृद्धावस्था गृह-1	3.61
39.	हैदराबाद	सांई सेवा संघ	वृद्धावस्था गृह-1	3.02
40.	हैदराबाद	सोसल इन्टोग्रेशन फॉर रूरल इम्प्रोवमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	2.49
41.	हैदराबाद	ज्योति वेल्फेयर एसोसिएशन संतोष एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
42.	करीमनगर	संतोष एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	4.51
43.	कृष्णा	ए.पी. गिरिजन सेवक संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
44.	कृष्णा	अम्मा वयोवद्ध सेवा संघ	वृद्धावस्था गृह-1	1.27
45.	कृष्णा	इन्टोग्रेटेड डेवलपमेंट एजेन्सी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
46.	कृष्णा	सीनियर सिटोजन फोरम	वृद्धावस्था गृह-1	1.18
47.	कृष्णा	बापूजी इन्टोग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
48.	कुर्नूल	आशा ज्योति एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.33
49.	कुर्नूल	नव भारत एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
50.	कुर्नूल	प्रतिभा एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.24
51.	कुर्नूल	प्रियदर्शिनी महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.09

1	2	3	4	5
52.	कुर्नूल	रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.03
53.	कुर्नूल	रूरल अपलिफ्टमेंट ऑफ हेल्थ एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.34
54.	महबूबनगर	बेथाल एजूकेशनल सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.50
55.	महबूबनगर	सोसल ऐक्शन फॉर सोसल डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1 डीसीसी-1 और एमएमयू-1	7.31
56.	महबूबनगर	ग्रामाभुदय सेवा संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	1.08
57.	महबूबनगर	स्वराज्य लक्ष्मी आर्गनाइजेशन फॉर वीमेन	वृद्धावस्था गृह-1	2.60
58.	महबूबनगर	संध्या रूरल वेल्फेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.34
59.	महबूबनगर	एस०ए०वी० गुप्ता एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.66
60.	महबूबनगर	रूरल सोसल वेल्फेयर ऐसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	2.66
61.	नालगोन्डा	सोसाइटी ऑफ इम्मानुएल इवांगलिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	2.69
62.	नालगोन्डा	महालक्ष्मी महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	3.93
63.	नेल्लूर	आर्य दयानन्द महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
64.	नेल्लूर	आस्था-ए-क्रिश्चिया महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
65.	नेल्लूर	भारती महिला वाइलुन्टरी सर्विस आर्गनाइजेशन	वृद्धावस्था गृह-1	1.02
66.	नेल्लूर	हरित महिला मंडली सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.00
67.	नेल्लूर	नेहरू भारती एंजूकेशनल इन्स्टीट्यूट	वृद्धावस्था गृह-1	2.55
68.	नेल्लूर	पालीमर्स एजूकेशनल सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
69.	नेल्लूर	हेल्थ केयर एण्ड सोसल वेल्फेयर सोसाइटी (हरीजन क्रिश्चियन सोसल वेल्फेयर सोसाइटी)	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
70.	प्रकाशम	3 मेन एकेडमीज	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
71.	प्रकाशम	आदर्श महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
72.	प्रकाशम	चन्द्रवाम्सा आर्गनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
73.	प्रकाशम	कास्टाजीवुला जाटीया सेवा संगम	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
74.	प्रकाशम	लक्ष्मी महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.38

1	2	3	4	5
75.	प्रकाशम	महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
76.	प्रकाशम	नेताजी युवक केन्द्र	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
77.	प्रकाशम	प्रकाशम जिला बालहीन वर्गला कॉलोनी वर्ला सेवा संगम	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
78.	प्रकाशम	समता महिला वेदिका	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
79.	प्रकाशम	श्री महालक्ष्मी महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
80.	प्रकाशम	वाल्मिकी सेवा संगम	वृद्धावस्था गृह-1	2.73
81.	प्रकाशम	वासवी शिक्षा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
82.	रंगा रेड्डी	फोरम फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, सिकन्दराबाद	वृद्धावस्था गृह-1	1.20
83.	रंगा रेड्डी	गोल्डन इन्वायरवेन्टल शिक्षा तकनीकी स्वास्थ्य एवं तकनीकी सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.10
84.	रंगा रेड्डी	सेन्ट ऐन्थोनी शिक्षा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	0.89
85.	रंगा रेड्डी	वेंकेटश्वर सोशल सर्विस एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	1.05
86.	सिकन्दराबाद	रूबेन इन्टीग्रटेड डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.34
87.	विशाखापत्तनम	प्रियदर्शिनी सेवा संगठन	वृद्धावस्था गृह-1	3.89
88.	विशाखापत्तनम	श्री वेंकेटेश्वर युवाजन संगम	वृद्धावस्था गृह-1	4.04
89.	विजियानाग्राम	प्रेम समाजम	वृद्धावस्था गृह-1	2.12
90.	वारांगल	कश्तूरीबाई महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	5.53
91.	पश्चिमी गोदावरी	सेन्ट मैरी रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर आर्फन्स विडोज एवं लैपर्स	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
	असम			
92.	हैला कंडी	वोडविची	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
93.	नागांव	बहुमुखी कृषि एवं समाज कल्याण समिति	वृद्धावस्था गृह-2	3.84
94.	नागांव	ग्लोबल हेल्थ टिकाकरण एवं जनसंख्या नियंत्रण संगठन	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
95.	नागांव	सदुआ असम ग्राम पुथिभराई संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	2.55
96.	कामरूप	ग्रामीण महिला अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन, गोवाहाटी, असम	वृद्धावस्था गृह-1	1.48
	बिहार			
97.	पटना	महिला मुक्ति वाहिनी	वृद्धावस्था गृह-1	5.53

1	2	3	4	5
	छत्तीसगढ़			
98.	रायपुर	बाल एवं वृद्ध कल्याण परिषद, छत्तीसगढ़	वृद्धावस्था गृह-1	1.28
	गुजरात			
99.	अहमदाबाद	गुजरात कलवाणी ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
	हरियाणा			
100.	जिन्द	अमर ज्योति शिक्षा संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
101.	महेन्दरगढ़	राव माधव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.69
102.	रोहतक	छौविसी विकास संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
103.	सोनीपत	समाज कल्याण शिक्षा समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.24
	जम्मू और कश्मीर			
104.	लेह	महाबोधि इन्टरनेशनल मेडीटेशन सेन्टर	वृद्धावस्था गृह-1	1.75
105.	श्रीनगर	सोसाइटी फॉर रूरल एण्ड अरबन डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.80
	कर्नाटक			
106.	बंगलौर	अस्कथा पोसाक सभा	वृद्धावस्था गृह-1	4.62
107.	बंगलौर	डॉ० जचानी राष्ट्रीय सेवा पंथ	वृद्धावस्था गृह-1	2.38
108.	बंगलौर	मातादहली जपाजीवन्द्रम सर्वोदय संघ	वृद्धावस्था गृह-1	1.27
109.	बंगलौर	श्री अमहीगारा छवदश शिक्षा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-2	5.48
110.	बंगलौर	श्री सत श्रृंगा विद्या समस्ते	वृद्धावस्था गृह-1	6.60
111.	बंगलौर	ईश्वर शिक्षा एवं कल्याण सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.55
112.	बंगलौर	मदर केयर एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.32
113.	बंगलौर	नाइटिंगल्स मैडिकल ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	0.24
114.	बंगलौर	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.02
115.	बेलगांव	रामलिंगेश्वर ग्राम विरुधि संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.78
116.	बेलगांव	श्री मलिकार्जुन जनसेवा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.06
117.	बीदर	च्यवन आयुर्वेदिक शिक्षा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.30

1	2	3	4	5
118.	बीदर	डा. बी.आर. अम्बेडकर सांस्कृतिक एवं वेल्फेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.28
119.	बीदर	संगम एजूकेशनल सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.22
120.	बीदर	नितूर शिक्षा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
121.	बेल्लारी	आदर्श शिक्षा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.14
122.	बीजापुर	श्री शरण ज्योति विद्या समस्ते	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
123.	चित्रदुर्ग	श्री सद्गुरु कबीर नन्द स्वामी विद्यापीठ	वृद्धावस्था गृह-1	2.28
124.	चित्रदुर्ग	निरंतर जनसेवा राष्ट्रीय शिक्षा पुनर्वास एवं ग्रामीण विकास संगठन	वृद्धावस्था गृह-1	1.06
125.	देवनगरी	आदर्श महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
126.	देवनगरी	श्री मैत्री महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
127.	देवनगरी	श्री शक्ति महिला मंडली	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
128.	गुलबर्गा	महबूब सुभानी एजूकेशन ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.31
129.	गुलबर्गा	महादेवी ताई महिला विद्या वर्धाका संघ	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
130.	गुलबर्गा	श्री मल्लिकार्जुन विद्या वर्धाका संघ	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
131.	गुलबर्गा	श्री संगमेश्वर्ण एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
132.	गुलबर्गा	शरानारा नाडु एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.80
133.	गुलबर्गा	श्री जगतगुरु गुरुसिद्धेश्वर विद्या वर्धाक एण्ड सांस्कृतिक संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	1.15
134.	कोलर	श्री रामन महर्षि ट्रस्ट फॉर डिस्बल्ड पर्सनस	वृद्धावस्था गृह-1	5.53
135.	कोलर	श्री स्वामी सर्व धर्म शरनालय ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	2.68
136.	कोलर	श्री विष्णु एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.29
137.	मंदया	पूर्णिमा विद्या संस्थान अराकेला	वृद्धावस्था गृह-1	5.45
138.	मंदया	जन सिद्धू शिक्षा एवं सास्कृतिक सोसाइटी, बंगलौर	वृद्धावस्था गृह-1	1.49
139.	तुमकुर	रूरल आर्गनाइजेशन सोशल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.10
140.	तुमकुर	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.34
	केरल			
141.	कोची	वेल्फेयर सर्विसेज इर्नाकुलम	वृद्धावस्था गृह-1	3.67

1	2	3	4	5
142.	कोल्लम	इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर स्टडी एंड डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	2.13
	मध्य प्रदेश			
143.	इन्दौर	कल्याण मित्र समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.27
144.	सेहोर	ज्ञानी वेन्दजव सेवा केन्द्र	वृद्धावस्था गृह-1	4.15
145.	सतना	प्रमोद वन आनन्द धाम	वृद्धावस्था गृह-1	1.14
146.	उज्जैन	उज्जैन सिनियर सिटीजन फोरम	वृद्धावस्था गृह-1	2.28
	पंजाब			
147.	अमृतसर	भाई बीर संघ वृद्ध घर	वृद्धावस्था गृह-1	1.12
148.	भटिंडा	आल इंडिया गुरुनानक मिशन	वृद्धावस्था गृह-1	1.60
149.	फरीदकोट	इन्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	0.88
150.	होशियारपुर	भाई घानिया चैरिटेबल ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.02
151.	मनसा	महिला कल्याण समिति	वृद्धावस्था गृह-1	3.38
	पांडिचेरी			
152.	पांडिचेरी	सेन्ट जोजफ ऑफ क्लंसी, होस्पाइस, कांवेन्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.94
153.	पांडिचेरी	सेन्ट जोजफ कांवेन्ट (होस्पाइस)	वृद्धावस्था गृह-1	2.69
154.		इम्यूकुलेट हर्ट ऑफ मैरी होम फॉर एजेड	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
	महाराष्ट्र			
155.	अहमदनगर	अरूनोदय बहुद्देशीय ग्रामीण विकास संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
156.	जालान	प्रसार शिक्षण संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	2.68
157.	लातूर	बाल विकास महिला मंडल	वृद्धावस्था गृह-1	0.86
158.	नागपुर	राष्ट्रसन्त तुकदोजी महाराज तकनीकी एवं शिक्षा सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.65
159.	नानदेड़	डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	2.66
160.	यावतमल	स्वर्गीय संजय राठौर शिक्षण संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	3.9
161.	यावतमल	स्वर्गीय रमेश यादव शिक्षण एवं कृद प्रसारक मंडल संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	3.99
	मणिपुर			
162.	चन्देल	सेन्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.34

1	2	3	4	5
163.	चन्देल	सोशल एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट एजेन्सी	वृद्धावस्था गृह-1	1.33
164.	चुराचांदपुर	ट्राइबल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-3	6.65
165.	इम्फाल (पूर्व)	दी सेन्टर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल वीमेन एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
166.	इम्फाल (पूर्व)	रूरल डाउनट्राड्डेन पीपुल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.54
167.	इम्फाल (पूर्व)	कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.22
168.	इम्फाल (पश्चिम)	बशिखांग चनुरा शिलोन लैप	वृद्धावस्था गृह-1	2.24
169.	इम्फाल (पश्चिम)	दी मणिपुर डीफ एण्ड म्यूट एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	2.68
170.	इम्फाल (पश्चिम)	दी मणिपुर एस् सी वेल्फेयर एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	1.35
171.	थाउबाल	जामिया एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	5.23
172.	थाउबाल	इन्टोग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशन एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
173.	थाउबाल	न्यू इन्टोग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेन्सी	वृद्धावस्था गृह-2	5.52
174.	थाउबाल	साउथ ईस्टर्न रूरल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन	वृद्धावस्था गृह-1	3.99
175.	थाउबाल	दी रूरल पीपुल्स डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन	वृद्धावस्था गृह-1	5.33
176.	थाउबाल	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
177.	थाउबाल	यूथ प्रोग्रेशिव सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
178.	थाउबाल	दी यूनाइटेड हिल पीपुल्स डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.13
179.	बिष्णुपुर	कुम्भी खुलकपम्म लेक वीमेन्स एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	4.08
	नागालैंड			
180.	दिमापुर	ओल्ड ऐज होम, दिमापुर	वृद्धावस्था गृह-1	2.06
	उड़ीसा			
181.	अंगुल	ग्राम सेवा मंडल	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
182.	बालांगीर	ग्राम मंगल पथगार	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
183.	भुबनेश्वर	उड़ीसा मल्टीपर्पस डेवलपमेंट सेन्टर	वृद्धावस्था गृह-1	5.42
184.	भुबनेश्वर	जनकल्याण समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.38
185.	भुबनेश्वर	आर्गनाइजेशन फॉर सोशल चेन्ज एण्ड रूरल डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	3.94

1	2	3	4	5
186.	कटक	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्स्ट्रेक्टिव एक्टीविटी	वृद्धावस्था गृह-1	4.14
187.	कटक	वासुदेव पथगार	वृद्धावस्था गृह-1	3.42
188.	कटक	डा० अम्बेकर रूरल ओलम्पिक एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	0.76
189.	धेनकनाल	आदर्श सेवा संगठन	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
190.	धेनकनाल	अरुण इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल एफेयर्स	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
191.	धेनकनाल	महर्षि दयानन्द सर्विस मिशन	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
192.	धेनकनाल	सोसाइटी फॉर रूरल एडवांसमेंट एण्ड डेमोक्रेटिक ह्यूमेनटेरियन एक्शन	वृद्धावस्था गृह-1	1.34
193.	गंजाम	इन्स्टीट्यूट फॉर वीमेन्स वेल्फेयर	वृद्धावस्था गृह-1	2.18
194.	कालाहांडी	श्री रामकृष्ण आश्रम	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
195.	केन्द्रपडा	जनसेवा परिषद	वृद्धावस्था गृह-1	3.95
196.	केन्द्रपडा	इन्डियन विलेज डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन	वृद्धावस्था गृह-1	1
197.	केन्द्रपडा	लुथेरन महिला समिति	वृद्धावस्था गृह-1	1.32
198.	केन्द्रपडा	जनकल्याण सेवा संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
199.	क्योंझर	विष्णुप्रिया बालाश्रम	वृद्धावस्था गृह-1	4.11
200.	खुर्दा	नेशनल रिसोर्सेज सेन्टर फॉर वीमेन डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.25
201.	खुर्दा	भैरावी कल्ब	वृद्धावस्था गृह-1	2.44
202.	खुर्दा	जुबा ज्योति क्लब	वृद्धावस्था गृह-1	2.67
203.	खुर्दा	यूनियन फॉर लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिफोरमेटिव एक्टीवीटीज	वृद्धावस्था गृह-1	2.54
204.	खुर्दा	विश्व जीवन सेवा संघ	वृद्धावस्था गृह-2	5.52
205.	कोरापुट	गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एंडवामेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.25
206.	नयागढ़	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राबलस वेलफेयर एंड सोशल एक्शन	वृद्धावस्था गृह-2	6.58
207.	नयागढ़	जनविकास	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
208.	फुलबानी	बनवासी सेवा संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.36
209.	फुलबानी	सुभद्रा महताब सेवा सदन	वृद्धावस्था गृह-1	2.67
210.	पुरी	एसोसिएशन फॉर वोलेन्ट्री एक्शन	वृद्धावस्था गृह-1	2.76

1	2	3	4	5
211.	पुरी	बंकेश्वरी जुबक संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
212.	पुरी	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	वृद्धावस्था गृह-1	8.28
213.	पुरी	रतनाचिरा	वृद्धावस्था गृह-2	1.38
214.	पुरी	जयकृष्ण यूथ क्लब	वृद्धावस्था गृह-1	1.51
215.	पुरी	अदल बदल महिला संघ	वृद्धावस्था गृह-1	1.52
216.	मयूरभंज	रूरल डेवलपमेंट एक्शन सैल	वृद्धावस्था गृह-1	4.72
	राजस्थान			
217.	कोटा	मधु स्मृति महिला एंड बाल कल्याण उत्थान संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	1.08
218.	श्री गंगा नगर	मनोहर बाल मंदिर समिति	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
	तमिलनाडु			
219.	चेन्नई	इंडियन इंस्टीट्यूट फार संसटेनबुल डवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.3
220.	चेन्नई	कलईसेलवी कुरुनालाया सोशल वेलफेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	4.13
221.	चेन्नई	विल्लंची चेरिटेबल ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	2.21
222.	कुडलौर	मधार नाला थंडू	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
223.	डिंडीगुल	डिंडीगुल मल्टीपरपस सोशल सर्विस सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.66
224.	डिंडीगुल	रूरल एजुकेशन फॉर एक्शन एंड डवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
225.	डिंडीगुल	सीईडीए ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
226.	इरोड	रूरल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
227.	कंचापुरम	ब्यूरो फार इंटेग्रेडिट रूरल डवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	2.71
228.	कंचापुरम	दुरैसमी जेनेरस सोशल एजूकेशन सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	6.26
229.	कंचापुरम	लाइफ इम्प्रोवमेंट ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.3
230.	कंचापुरम	अन्नै करुरणालय सोशल वेल्फेयर एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
231.	नामक्काल	वीमेन आर्गनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	2.26
232.	नागापत्तिनम	अव्वाई ग्राम कल्याण समिति	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
233.	नागापत्तिनम	ग्रामिया सोशल वेलफेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76

1	2	3	4	5
234.	नागापत्तिनम	नेहरू सोशल एजू. सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
235.	नागापत्तिनम	सोसाइटी फॉर डवलपमेंट	वृद्धावस्था गृह-1	1.79
236.	नागापत्तिनम	करुणालय सरस्वती इल्लाम	वृद्धावस्था गृह-1	1.1
237.	पुडुक्कोट्टई	ग्रामा सूर्याराज	वृद्धावस्था गृह-1	5.36
238.	पुडुक्कोट्टई	विद्यार्थी महर्षि सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	2.21
239.	पुडुक्कोट्टई	ओजोन	वृद्धावस्था गृह-1	4.03
240.	पुडुक्कोट्टई	डवलपमेंट फॉर एजू. रूरल मास	वृद्धावस्था गृह-1	1.54
241.	पुडुक्कोट्टई	रूरल एजूकेशन फॉर काम्यूनिटी संस्था	वृद्धावस्था गृह-1	0.96
242.	शिवगंगाई	सिंगामपत्ती ग्रामा मुन्तेरा संगम	वृद्धावस्था गृह-1	1.53
243.	शिवगंगाई	सोसाइटी फॉर रूरल एंड अर्बन वोमेन रिनाइसंस एक्टीवीटीज	वृद्धावस्था गृह-1	0.94
244.	थांजावुर	मर्सी मिरुना ओल्ड ऐज होम	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
245.	थांजावुर	श्री विक्टोरिया एजू. सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	3.87
246.	थांजावुर	भारत माता फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन	वृद्धावस्था गृह-1	5.92
247.	थांजावुर	नेशनल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर आर्गे.	वृद्धावस्था गृह-1	5.52
248.	थांजावुर	भारती वोमनस डवलपमेंट केन्द्र	वृद्धावस्था गृह-1	4.02
249.	त्रिचिरापल्ली	दि तमिलनाडु पंगल नाला संगम	वृद्धावस्था गृह-1	2.72
250.	थेनी	युवक विकास केन्द्र	वृद्धावस्था गृह-1	4.14
251.	थेनी	ग्रामीयम संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
252.	तिरुनेलवेली	मक्काल नालवालयु मंत्राम	वृद्धावस्था गृह-1	2.6
253.	तिरुनेलवेली	आरासन रूरल डेवलपमेंट समिति	वृद्धावस्था गृह-1	0.89
254.	त्रिची	जया बलवादी शिक्षा समिति	वृद्धावस्था गृह-2	5.4
255.	त्रिची	कृष्णा होम	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
256.	त्रिची	परियार कुडील	वृद्धावस्था गृह-1	0.9
257.	त्रिची	थिरुचेराल्ली रूरल एंड अर्बन वेलफेयर डेवलप. शिक्षा समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
258.	त्रिची	विडिवेल्ली रूरल डवलपमेंट समिति	वृद्धावस्था गृह-1	1.75

1	2	3	4	5
259.	विल्लुपुरम	अन्नई करुनालय सोशल वेलफेयर एसो.	वृद्धावस्था गृह-1	1.11
	त्रिपुरा			
260.	पश्चिम त्रिपुरा	अबलाम्बान	वृद्धावस्था गृह-1	3.6
261.	पश्चिम त्रिपुरा	आल त्रिपुरा एससी, एसटी एंड माइनोरिटी अपलीफमेंट कौंसिल	वृद्धावस्था गृह-1	5.39
	उत्तर प्रदेश			
262.	इलाहाबाद	आदर्श जनता शिक्षण समिति	वृद्धावस्था गृह-1	4.15
263.	इलाहाबाद	आर्य कन्या विद्यालय समिति	वृद्धावस्था गृह-1	4.14
264.	इलाहाबाद	दलित मानव उत्थान समिति	वृद्धावस्था गृह-1	5.52
265.	इलाहाबाद	गायित्री देवी शिक्षा समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
266.	इलाहाबाद	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	4.14
267.	इलाहाबाद	प्रकाश ग्रामीण विकास संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	2.65
268.	इलाहाबाद	गौरव जन कल्याण समिति	वृद्धावस्था गृह-1	4.14
269.	बाराबंकी	निर्बल समाज कल्याण संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	5.45
270.	गाजियाबाद	गुरुकुल विद्यापीठ पुष्पावती	वृद्धावस्था गृह-1	4.34
271.	गोंडा	संगम विकास सेवा संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	2.5
272.	हमीरपुर	श्री कंचन लाल सगुना सेवा संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
273.	हरदोई	सार्वजनिक शिकसोन्नयम संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	2.53
274.	लखनऊ	शहीद मैमोरियल सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	8.28
275.	लखनऊ	सार्वजनिक शिक्षा समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.54
276.	मथुरा	आल इंडिया वोमेनस कान्फ्रेंस नई दिल्ली	वृद्धावस्था गृह-1	1.18
277.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति	वृद्धावस्था गृह-1	3.3
278.	प्रतापगढ़	गंगा प्रसाद स्मारक महिला कल्याण संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	5.52
279.	रामपुर	जवाहर ज्योति शिक्षा एवं ग्राम्य विकास समिति	वृद्धावस्था गृह-1	4.14
280.	संत रविदास नगर	ग्रामीण जन कल्याण संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
281.	उन्नाव	न्यू पब्लिक स्कूल समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.76

1	2	3	4	5
	उत्तरांचल			
282.	देहरादून	उत्तराखंड शोषित महिला उत्थान समिति	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
283.	बागेश्वर	पर्वतीय नव जागरण समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.58
	पश्चिम बंगाल			
284.	बर्दवान	सेंट्रल अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संस्थान	वृद्धावस्था गृह-1	2.51
285.	कलकत्ता	आल बंगाल वोमेनस यूनियन	वृद्धावस्था गृह-1	1.98
286.	कलकत्ता	चन्द्रनाथ बसु सेवा संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.24
287.	कलकत्ता	जनशिक्षा प्रचार केन्द्र	वृद्धावस्था गृह-1	2.49
288.	कलकत्ता	नवादिगन्ता	वृद्धावस्था गृह-1	3.96
299.	हावड़ा	विलेज वेलफेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
290.	हुगली	कल्याण भारती	वृद्धावस्था गृह-1	3.02
291.	मिदनापुर	अमर सेवा संघ	वृद्धावस्था गृह-1	2.64
292.	मिदनापुर	बिक्रमनगर उद्यान संघ	वृद्धावस्था गृह-2	5.52
293.	मिदनापुर	बाल एवं समाज कल्याण सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
294.	मिदनापुर	हिट्ठजोल किशोरी बाला दाताब्या चिकित्सालय	वृद्धावस्था गृह-1	2.2
295.	मिदनापुर	नेताजी पथचक्र	वृद्धावस्था गृह-1	2.69
296.	मिदनापुर	निम्बार्क मठसेवा समिति ट्रस्ट	वृद्धावस्था गृह-1	1.09
297.	मिदनापुर	साइनपुकर मैत्रि सेविका समिति	वृद्धावस्था गृह-1	2.49
298.	मिदनापुर	शिवरामपुर मिलन तीर्थ	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
299.	मिदनापुर	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.76
300.	मिदनापुर	विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतन	वृद्धावस्था गृह-1	1.38
301.	मिदनापुर	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण एसोसिएशन	वृद्धावस्था गृह-2	7.23
302.	मिदनापुर	शिउलीपुर उद्यान क्लब	वृद्धावस्था गृह-1	2.22
303.	मिदनापुर	नेपुरा ग्रामीण विकास सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	1.59
304.	नादिया	करीमपुर सोशल वेलफेयर सोसाइटी	वृद्धावस्था गृह-1	2.72

1	2	3	4	5
305.	उत्तरी 24-परगना	जेरकपुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन	वृद्धावस्था गृह-1	2.64
306.	दक्षिणी 24-परगना	गणेशनगर लक्ष्मीनारायण क्लब एवं पथगार	वृद्धावस्था गृह-1	2.5
307.	दक्षिणी 24-परगना	विवेकानन्द बाल कल्याण गृह	वृद्धावस्था गृह-1	2.41
308.	दक्षिणी 24-परगना	पीपुल सर्विस इन्स्टीट्यूट	वृद्धावस्था गृह-1	1.08

जीडीआर निधि

5762. श्री एच०डी० देवगौड़ा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 तक भारतीय कार्पोरेट घरानों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा विदेशी पूंजी बाजार में जीडीआर के माध्यम से इक्विटी की कितनी राशि जुटाई गई है;

(ख) जीडीआर के माध्यम से विदेशी इक्विटी राशि के रूप में कितनी राशि जुटाई गई और भारत में लाई गई;

(ग) कार्पोरेट घरानों और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा जीडीआर निधि पर नजर रखने हेतु कौन-से विनियामक और निगरानी तंत्र बनाए गए हैं; और

(घ) उन कंपनियों, कार्पोरेट घरानों और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्वीकृत उद्देश्यों के लिए जीडीआर निधि का उपयोग नहीं किया है तथा ऐसे प्रत्येक कार्पोरेट घरानों और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा किस सीमा तक धन का दुरुपयोग किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारतीय कार्पोरेट घरानों/निजी लिमिटेड कंपनियों द्वारा विदेशी पूंजी बाजार में 31 मार्च, 2002 तक एडीआर/जीडीआर के जरिए 10647.84 मिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटाई गई थी।

(ख) एडीआर/जीडीआर के जरिए जुटाई गई 10647.84 मिलियन अमरीकी डालर की राशि में से 9227.499 मिलियन डालर की राशि भारत वापस ले आई गई थी।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अन्तर्गत एडीआर/जीडीआर के एवज़ में शेयर जारी करने वाली भारतीय कंपनियों से ऐसे निर्गम के बंद होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक को पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करने तथा कैलेण्डर त्रैमासिक की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर निर्गम के ब्यौरे देते हुए त्रैमासिक विवरणी रिजर्व बैंक के पास दाखिल किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) इस संबंध में विद्यमान नीति के अनुसार निर्गम प्राप्तियों के स्थावर संपदा तथा स्टॉक बजारों में निवेश पर प्रतिबंध के अतिरिक्त कोई अन्य अन्त उपयोग प्रतिबंध नहीं हैं।

चाय नीलामी केन्द्र का विशाखीकरण

5763. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित एकमात्र चाय नीलामी केन्द्र को विशाखीकरण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र में कार्यरत कामगारों के हितों की किस तरह से रक्षा की जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वृद्धाश्रम

5764. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से वहां कुछ जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ग) स्वीकृति के अनुसार इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) उक्त ''वृद्धाश्रमों'' की स्थापना हेतु क्या समय-सीमा दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नए परियोजना प्रस्तावों पर विचार और स्वीकृति के संबंध में लगने वाला समय विभिन्न तथ्यों नामत: पात्रता मानदण्ड को पूरा करने, प्रस्तावों के सभी तरह से पूरा होने, निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। व्यय का स्तर दिए गए अनुमोदनों पर निर्भर करेगा। स्वीकृत राशि दो किस्तों में जारी की जाती है, प्रथम किस्त का समुचित उपयोग होने पर दूसरी किस्त जारी की जाती है।

[अनुवाद]

व्हिस्की की बिक्री

5765. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत को यूरोपीय संघ के देशों में व्हिस्की की बिक्री की अनुमति दी है जैसाकि 15 अप्रैल, 2002 के ''इकोनामिक टाइम्स'' में ''ग्रेनड्रेन: ईयू आक्स इंडिया टू सेल इट्स व्हिस्की एज़ रम'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ के देशों में व्हिस्की की बिक्री के संबंध में कोई शर्त रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपर्युक्त शर्तों के पीछे क्या कारण हैं; और

(च) उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) ईयू वर्गीकरण के अनुसार व्हिस्की एक ऐसी स्पिरिट है जो अनन्य रूप से अनाजों से आसवन द्वारा प्राप्त होती है और जो 3 वर्षों की अवधि में परिपक्व होती है। इस वर्गीकरण को विश्व सीमा-शुल्क संगठन तथा यूरोप एवं उत्तरी अमरीका के देशों सहित विश्व भर के 60 से अधिक देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। भारत में तैयार की गई व्हिस्की शीरा आधारित होती है और यह 3 वर्षों में परिपक्व नहीं होती है और इस प्रकार इसे यूरोपीय संघ के सामान्य सीमा शुल्क टैरिफ के तहत ''अन्य स्पिरिट'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

यूरोपीय संघ के देशों में भारतीय व्हिस्की के वर्गीकरण के प्रश्न और संबंधित टैरिफ मुद्दों पर ईयू के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि भारतीय व्हिस्की को ईयू बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके।

आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण

5766. **श्री रामजी मांझी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अक्तूबर, 1993 में निदेशक कर प्रशासन की दक्षता एवं कुशलता में सुधार करने और इसके विभिन्न पहलुओं पर डाटा बेस बनाने के लिए किसी व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी और आयकर (सिस्टम्स) निदेशालय को हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद एवं प्रायोगिक साफ्टवेयर के विकास/संस्थापन सहित कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के सम्पूर्ण आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य नोडल प्राधिकारी बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक यह कार्यक्रम क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो जहां कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है उसके ब्यौरे सहित तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) कितने कम्प्यूटर खरीदे गए हैं और उन पर कितनी राशि कम की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, हां। प्रत्यक्ष कर प्रशासन की कार्यक्षमता और कारगरता में सुधार लाने के लिए और आयकर विभाग की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर एक डेटाबेस के सृजन के लिए 1993 में सरकार द्वारा एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था। आयकर निदेशालय (प्रणाली) को तीन चरणों में इस कार्यक्रम की सम्पूर्ण आयोजना और कार्यान्वयन के लिए एक नोडल प्राधिकरण बनाया गया था। चरण-I में तीन शहरों अर्थात दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई को टेलीफोन विभाग से लीज्ड लाइनों का उपयोग करते हुए स्थानीय क्षेत्र और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क कार्य के जरिए नेटवर्क पर लाया गया। चरण-II में इस नेटवर्क का विस्तार 57 अन्य शहरों में किया गया। चरण-III में 16 कम्प्यूटर केन्द्रों पर मुख्य कम्प्यूटर प्रणालियों के उन्नयन के साथ-साथ शेष 418 शहरों और नगरों में इस नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है।

कम्प्यूटरीकरण योजना कर चरण I और II कार्यान्वित कर दिया गया है। योजना के चरण III का कार्यान्वयन चालू वर्ष में प्रारंभ होना है। अब तक 177 सर्वर और 7736 पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। दिनांक 31.3.2002 तक कम्प्यूटर प्रणालियों की आपूर्ति, प्रारंभण, स्थापन, स्थल तैयारी, नेटवर्क कार्य, साफ्टवेयर विकास और खरीद, प्रशिक्षण और अनुरक्षण पर 1,811,149,477/- रुपए व्यय किए गए हैं।

नि:शक्तों के लिए जिला पुनर्वास केन्द्र

5767. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्तियों के लिए देश के सभी राज्यों में जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूरे देश में जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने में कितना समय लगने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) भुवनेश्वर (उड़ीसा), मिदनापुर (पश्चिम बंगाल), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), भिवानी (हरियाणा), जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश), मैसूर (कर्नाटक), विरार (महाराष्ट्र), कोटा (राजस्थान), चेंगलपट्टू (तमिलनाडु) तथा विजयवाडा (आंध्र प्रदेश) में स्थित 11 पुनर्वास केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, चंड़ीगढ़ तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) को शामिल करते हुए जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए 100 से अधिक जिलों की पहचान की गई है। 70 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र अब तक कार्यशील हो गए हैं।

सहकारी बैंकों द्वारा गिल्ट की खरीदारी

5768. **श्री अम्बरीश :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों ने उन दलालों के साथ सौदा किया है जिन्होंने गिल्ट की खरीदारी के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सहकारी बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों को, अलग-अलग दलालों के माध्यम से किए जाने वाले कुछ लेन-देनों के 5% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री संबंधी लेनदेन करने की अनुमति दी जाती है। उस मामले में, जहां बैंक को अधिकतम सीमा को पार करना अपेक्षित होता है, बैंक को निदेशक बोर्ड को कार्योत्तर सूचना देनी होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, किसी भी शहरी सहकारी बैंक ने किसी दलाल को सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए वित्त प्रदान नहीं किया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

5769. **डा० एस० वेणुगोपाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनेक अध्यक्षों ने बैंकों से 500 करोड़ रुपये गलत तरीके से निकाले हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 से इस प्रकार के बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के आरोप हैं कि राजस्थान बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने भी बैंक से 500 करोड़ रुपये गलत तरीके से निकाले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या उनके विरुद्ध अथवा गरीब जमाकर्ताओं का धन वसूलने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बैंक आफ राजस्थान के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एन०एम० चोरदिया को बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/अनुदेशों के उल्लंघन के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 3 फरवरी, 1997 को बैंक पर 20 लाख

रु० का दंड लगाया गया था। श्री चोरदिया ने 24 जून, 1997 को बैंक से त्यागपत्र दे दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने निरीक्षण के दौरान बैंक आफ राजस्थान द्वारा कारबार करने में गम्भीर अनियमितताएं पाई। अधिकांश अनियमितताएं बंगूर समूह से जुड़े कुछ उधार खातों के संबंध में हुई थीं। इस समूह से सम्बद्ध बैंक के प्रवर्तक एवं निदेशक दोनों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशक मंडल से 25 अक्तूबर, 1997 को हटा दिया था। बंगूर से संबंधित खातों में कथित निधियों को गलत तरीके से निकालने से संबंधित मामला वर्तमान में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के अधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में भर/राजभर जाति को सम्मिलित किया जाना

5770. **श्री बब्बन राजभर :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा वर्ग अयोग ने भर/राजभर जाति को इस तर्क के आधार पर उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की सिफारिश की है कि उनका सामाजिक स्तर और सामाजिक संपर्क चमार, पासी जातियों के समतुल्य है;

(ख) यदि हां, तो भर/राजभर जाति को उपर्युक्त श्रेणी के लाभ दिलाने हेतु आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की आगे जांच किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो भर/राजभर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सम्मिलित किए जाने के मुद्दे पर कब विचार किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भर/राजभर जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति आयोग के परामर्श से जांच की गई है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) निर्णय राज्य सरकार से आवश्यक सूचना प्राप्त होने के पश्चात लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

कपास की खरीद

5771. **डॉ० डी०वी०जी० शंकर राव :**
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कपास उत्पादक राज्यों से कपास की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कपास निगम द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषकर गुजरात से गत एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कपास/कपास की गांठों की खरीद की गई;

(ग) क्या कपास की खरीद निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का विचार उन किसानों की किस प्रकार सहायता करने का है जिसकी कपास की बिक्री नहीं हो सकी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (च) कपास उपजकर्ता राज्यों से कपास की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। कपास उपजकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने कपास (कपास बीज) के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) की घोषणा की है। जब कभी कपास की बजार कीमतें एमएसपी के स्तर तक पहुंचती है, भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई) बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के समर्थन कीमत अभियान तथा कपास की खरीद करता है। कपास वर्ष 2001-02 के दौरान (अक्तूबर-सितम्बर) भारतीय कपास निगम द्वारा राज्य-वार अधिप्राप्त की गई कपास की मात्रा निम्नानुसार है:-

प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की गांठ में

राज्य	वाणिज्यिक खरीद (26.4.2002 की अवस्थिति अनुसार)	समर्थन कीमत अभियान के अंतर्गत की गई खरीद (26.4.2002 की अवस्थिति अनुसार)	कुल खरीद (26.4.2002 की अवस्थिति अनुसार)
1	2	3	4
पंजाब	12,570	000	12,570

1	2	3	4
हरियाणा	9,459	504	9,963
राजस्थान	23,658	43,775	67,433
गुजरात	12,672	2,21,201	2,34,172
मध्यप्रदेश	1,275	61,611	62,886
आन्ध्र प्रदेश	000	4,64,899	4,64,899
कर्नाटक	1,445	77,775	79,220
उड़ीसा	795	17,406	18,201
मेघालय	513	80	593
तमिलनाडु	200	—	200
कुल	62,587	8,87,550	9,50,137

[हिन्दी]

सहकारी चीनी मिलों का सुधार

5772. डा० बलिराम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के सुधार संबंधी राज्य-वार कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की दशा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) देश में सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लम्बित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य	सहकारी चीनी मिलों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	3
2.	गुजरात	1
3.	कर्नाटक	2
4.	आंध्र प्रदेश	2
	जोड़	8

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों से संबंधित कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) संबंधित राज्य सरकार/सहकारी समिति से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपर्युक्त मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के संबंध में निर्णय इन मिलों की पात्रता तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा।

(ग) चूंकि उत्तर प्रदेश की किसी भी सहकारी चीनी मिल को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लम्बित नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, सरकार ने रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के मामलों की जांच करने तथा संभावित व्यवहार्य इकाइयों को जीवनक्षम बनाने के लिए पुनरुद्धार पैकेजों की अनुशंसा करने के लिए सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सरकार संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी मिलों को ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय यहायता प्रदान करने के लिए चीनी विकास निधि नियम, 1983 में संशोधन करने के बारे में भी विचार कर रही है।

[अनुवाद]

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

5773. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी जांच में सनदी लेखाकार या सनदी लेखा फर्मों का उपयोग करने संबंधी केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो वित्तीय अनियमितताओं, विशेषकर पूंजी बाजार में हुई अनियमितताओं की जांच करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नाबार्ड द्वारा एसजीएसवाई योजना का वित्तपोषण बंद किया जाना

5774. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने एसजीएसवाई योजना का वित्तपोषण बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड के निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं रुक जाएंगी;

(घ) क्या सरकार को नाबार्ड द्वारा इस निर्णय को वापस लेने हेतु केरल सरकार से कोई संदेश प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) केरल सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत केरल में राज्य सहकारी संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को लिखा था। केरल राज्य सहकारी बैंक के लिए नाबार्ड पुनर्वित्त जुलाई, 1999 में निलम्बित कर दिया गया था, क्योंकि उसने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जमाराशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी कोष में रखी थी। तथापि, प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुरोधों के आधार पर जून, 2001 में स्थिति की समीक्षा की गई थी और जिन सहकारी संस्थाओं ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया था, उनके लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन एक अति विशिष्ट मामले के रूप में सभी प्रकार की नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता पुन: शुरू कर दी गई थी।

बीआईएफआर के पास भेजे गए कंपनियों के मामले

5775. **श्री नरेश पुगलिया :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री रामशकल :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार बीआईएफआर के पास कितनी कंपनियों के मामले भेजे गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की अलग-अलग कितनी कंपनियों के मामले, राज्य-वार, बीआईएफआर को भेजे गए;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य-वार, कितनी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने/पुनरूद्धार की सिफारिश की गई है;

(घ) क्या सरकार कर विचार बीआईएफआर को बंद करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रूग्ण उद्योगों के संबंध में निर्णय लेने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सूचित किया है कि 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अधीन 5320 रूग्ण औद्योगिक कंपनियों से संदर्भ प्राप्त हुए थे और उसमें से 3912 कंपनियां उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड के पास पंजीकृत थीं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1999 से 2001 और जनवरी, 2002 के दौरान बीआईएफआर के पास पंजीकृत सरकारी क्षेत्र की कंपनियों (केन्द्रीय और राज्य) और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा और उक्त अवधि के दौरान बन्द करने/पुनरूज्जीवन के लिए सिफारिश की गई औद्योगिक इकाइयों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985, जिसके अधीन बीआईएफआर की स्थापना की गई थी, ने (क) रूग्णता की सीमित परिभाषा, (ख) बीआईएफआर के हस्तक्षेप की धीमी

गति और (ग) रूग्ण कंपनियों के परिसमापन में विलम्ब जैसे कारणों की वजह से औद्योगिक रूग्णता की समस्या का कारगर ढंग से समाधान नहीं किया है।

रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का निरसन करने के लिए रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 नामक एक विधेयक दिनांक 30.8.2001 को लोक सभा में पेश किया गया था जिसके द्वारा औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) तंत्र के उन्मूलन का प्रस्ताव किया गया था। साथ ही, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 नामक दूसरा विधेयक भी पेश किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसे वर्तमान में (क) कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), (ख) कंपनियों के परिसमापन और योजनाओं के समामेलन के संबंध में उच्च न्यायालयों और (ग) रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के आधीन बीआईएफआर/एएआईएफआर द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां प्राप्त होंगी। दोनों विधेयकों पर इस समय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां विचार कर रही हैं।

विवरण

1.1.1999 से 31.1.2002 की अवधि के दौरान बीआईएफआर के पास पंजीकृत रूग्ण कंपनियों (केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों और गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों) के राज्य-वार ब्यौरे और बन्द करने/ पुनरूज्जीवन के लिए सिफारिश की गई कंपनियों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीआईएफआर के पास पंजीकृत कंपनियां			परिसमापन की सिफारिश	पुनरूज्जीवन के लिए सिफारिश/योजनाओं की मंजूरी
	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां	राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां	गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियां		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	–	–	111	4	0
असम	–	1	5	–	–
बिहार	3	–	3	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	1	–	–
चण्डीगढ़	–	–	3	–	–
दादरा एवं नगर हवेली	–	–	5	–	–
गोवा	–	1	9	–	–
गुजरात	–	–	117	2	1
हरियाणा	–	–	35	2	2
हिमाचल प्रदेश	–	–	5	–	–
झारखण्ड	1	–	3	–	–
केरल	–	1	21	–	–

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	–	2	61	2	1
मध्य प्रदेश	–	–	64	2	1
महाराष्ट्र	1	2	308	3	1
मणिपुर	–	–	1	–	–
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1	–	134	1	3
नागालैण्ड	–	–	1	0	–
उड़ीसा	–	–	10	1	–
पांडिचेरी	–	–	2	0	–
पंजाब	–	–	76	0	–
राजस्थान	1	–	48	1	–
तमिलनाडु	–	2	149	6	4
उत्तर प्रदेश	–	2	93	3	–
उत्तरांचल	–	–	1	–	–
पश्चिम बंगाल	2	–	84	1	2
जोड़	9	11	1350	28	15

बंगलौर-II आयुक्तालय के कार्यकरण पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

5776. **श्री शीशराम सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय बंगलौर-II ने सितम्बर, 1997 से मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए 64.72 लाख के भेदक शुल्क की मांग की है जिसकी निर्धारित की गई वार्षिक उत्पादन क्षमता के आधार पर नहीं की जा सकी जैसा कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 11 पृष्ठ 37 के पैरा 6.1 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयुक्तालय द्वारा स्वयं नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और उत्पाद शुल्क लगाने योग्य प्रत्येक उत्पाद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न लगाए जाने की संभावना को नकारा जा सकता है;

(ग) क्या मामले की जांच करने और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी और दायित्व निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। यह सच है कि बंगलौर-II केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय ने सितम्बर, 1997 से मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए कुल 64.72 लाख रुपये की छह मांगे उठायी थी। तथापि, मांगें किसी भी तरह से विनिर्मित वस्तुओं पर शुल्क न लगाने और जॉब वर्क के रूप में निकासी किए जाने से सम्बद्ध नहीं हैं जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट सं. 11 के पृष्ठ 37 के पैरा 6.1 में बताया गया है। ये मांगें मै. विजया स्टील लि. के संबंध में उत्पादन की वार्षिक क्षमता को अंतिम रूप दिए जाने के कारण उठी थीं।

(ख) बंगलौर-II केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय ने इकाई की अंतिम वार्षिक क्षमता को अंतिम रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप ये छह मांगें स्वतंत्र रूप से उठायी थीं न कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के फलस्वरूप उठायी थीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अचल संपत्तियों का गलत मूल्यांकन

5777. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1999 की अपनी रिपोर्ट संख्या 12 (प्रत्यक्ष कर) में सम्पदा कर विवरणी में अचल संपत्तियों के गलत मूल्यांकन के कुछ मामले उजागर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाये गये इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कम कर लगाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई आरम्भ की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचित किए गए ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पैरावार उत्तर देने और ऐसे लेखा परीक्षा प्रेक्षपों की शुद्धता अथवा अन्यथा निर्धारित करने के उद्देश्य से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जांच की जा रही है।

(ग) कर-निर्धारण में उचित सावधानी बरतने और गलतियों से बचने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले ही से कर-निर्धारण अधिकारियों/क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एक मॉनिटरिंग प्रणाली भी है जहां की गई गलतियों से संबंधित लेजर कार्ड रखे जाते हैं और जहां अधिकारी ऐसी गलतियां करते हुए पाए जाते हैं, वहां पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। आयकर निदेशक (लेखा परीक्षा) लेखा परीक्षा कार्य का निरीक्षण करते हैं और कर-निर्धारण अधिकारियों के मार्ग-दर्शन के लिए जांच-सूची निर्धारित करते हैं।

विवरण

भाग (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार संपदा कर विवरणी में अचल सम्पत्तियों के गलत मूल्याकंन के ब्यौरे

क्र. सं.	मामले का नाम	आयकर आयुक्त-प्रभार	कर-निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव (लाख रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
			(क) 1999 की रिपोर्ट सं० 12		
1.	आर० एन० बिल्लिमोरिया	कोल्हापुर	1981-82 से 1988-89 तक	13.14	स्वीकार नहीं किया गया है।
2.	बी० एन० बिल्लिमोरिया	कोल्हापुर	1981-82 से 1988-89 तक		
3.	मै० दि यूनियन कंपनी मोटर्स लि०	तमिलनाडु-I चेन्नई	1990-91 एवं 1991-92	52.34	स्वीकार नहीं किया गया है।
			(ख) 2000/2001 की रिपोर्ट सं० 12		
			शून्य		
			(ग) 2002 की रिपोर्ट संख्या 12		
1.	मै० दि व्हील एण्ड रिम कं० ऑफ इंडिया	तमिलनाडु-I, चेन्नई	1990-91	5.05	जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
		(घ) 2001 की रिपोर्ट संख्या 12क			
1.	मै० डीबीएस फाइनेनसियल प्रा० लि०	मुम्बई-IV	1996-97	29.65	जांच की जा रही है।
2.	मै० टी ट्रेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लि०	गुवाहाटी	1994-95	24.50	जांच की जा रही है।

नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 को अपनी रिपोर्ट संख्या 12क के पृष्ठ 12 पर इसी तरह की गलतियों को बताया है :-

क्र. सं.	राज्य	मामलों की सं०	कर की कम उगाही (लाख रुपयों में)	अभ्युक्ति
1.	मुम्बई	77	296.70	जांच की जा रही है।
2.	कर्नाटक	12	17.02	जांच की जा रही है।
3.	तमिलनाडु	10	17.38	जांच की जा रही है।
4.	उत्तर प्रदेश	52	130.67	जांच की जा रही है।
5.	पश्चिम बंगाल	1	1.19	जांच की जा रही है।
6.	आन्ध्र प्रदेश	5	3.60	जांच की जा रही है।
7.	हिमाचल प्रदेश	7	9.14	जांच की जा रही है।
	कुल	164	475.70	

सरकारी खर्च में कटौती

5778. **श्री जी० गंगा रेड्डी :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खर्च को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत सभी सरकारों/मंत्रालयों से सभी ऐसे खर्चों की तिमाही रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया है जो नियोजित खर्च अनुसूची से हटकर किए गये हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी खर्च को घटाने के लिए और कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने व्यय की प्रगति पर निगरानी रखने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय के तिमाही प्रक्षेपण प्रस्तुत किए जाने के लिए एक प्रोफार्मा निर्धारित किया है।

(ग) सरकार का निरंतर यह प्रयास रहता है कि योजनेतर, गैर-विकासात्मक व्यय को कम किया जाए। इस सिलसिले में, अन्य उपायों के साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर अपव्यय से बचने के अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन उपायों में पदों के सृजन पर रोक, स्वीकृत पदों की संख्या कम किया जाना, रिक्त पदों के भरे जाने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्ययों को कम किया जाना, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्राओं और मनोरंजन/अतिथि सत्कार संबंधी व्यय आदि पर प्रतिबंध शामिल हैं।

सरकार के सम्पूर्ण व्यय की समीक्षा के लिए सरकार के कार्यों, कार्यकलापों और प्रशासनिक ढांचे को, कम करने की रूपरेखा सुझाने, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों आदि के अधीन कर्मचारियों की पद संख्या की उपयुक्तता की समीक्षा करने और विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों एवं संवर्गों को तर्कसंगत बनाने के उपाय सुझाने, स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किए जाने और निधीयन पद्धति की क्रियाविधि की समीक्षा किए जाने और सुधार लाने एवं बजट सहायता कम करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से व्यय सुधार आयोग का भी गठन किया गया

था। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई थी।

कृषि उत्पादों के परिवहन संबंधी लाइसेंस

5759. **श्री एन०टी० षणमुगम : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कपास के आपूर्तिकर्ताओं के लिए कृषि उत्पादों के परिवहन संबंधी लाइसेंस की पूर्व प्रणाली को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय कपास के अनेक आपूर्तिकर्ता कपास के गट्ठों पर केन्द्रीय बिक्री कर की चोरी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर पूल से केन्द्र सरकार के राजस्व संबंधी अंशदान पैदा करने हेतु कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) यद्यपि केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी), केन्द्रीय बिक्री कर, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रभार है, फिर भी यह कर, संबंधित राज्यों द्वारा ही वसूल किया जाता है और उसकी समस्त राशि उनके द्वारा रखी जाती है।

राजस्थान को विशेष केन्द्रीय सहायता

5780. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष घटक योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य सरकार को बढ़ी हुई सहायता के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्मुक्त की जाती है। वर्ष 2001-02 के दौरान राजस्थान को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 30.05 करोड़ रु० निर्मुक्त किये गये।

[हिन्दी]

खाद्य तेल का आयात

5781. **श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी मात्रा में विभिन्न खाद्य तेलों का आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) देश में खाद्य तेल की मांग और पूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरसों के तेल में अपमिश्रण के कारण खाद्य तेल के भंडार में कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए विभिन्न खाद्य तेलों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा टन में	मूल्य (लाख रुपये में)
1999-2000	4195638	804605.37
2000-2001	3974638	593275.74
2001-2002 (दिसंबर, 2001 तक)	3468008	503408.80

(ख) सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता तिलहनों का कम उत्पादन होने के कारण खाद्य तेलों की मांग से कम रही है जिससे खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋणों की अदायगी

5782. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में और दस वर्ष पूर्व ऋणों की अदायगी की क्या स्थिति थी;

(ख) क्या ऋणों की अदायगी दर में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस ऋण के स्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) ऋण की वापसी अदायगी (राजकोषीय हुंडिया और अर्थोपाय अग्रिमों के उन्मोचन को छोड़कर) वर्ष 1992-1993 में 38457 करोड़ रुपए की तुलना में प्राप्तियों की अपेक्षा अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अत्यधिक उधार लेने के कारण बढ़कर वर्ष 2002-2003 (ब०अ०) में 140615 करोड़ रुपए हो गई।

(घ) सरकार को अपने संसाधनों में अंतर के वित्तपोषण के लिए उधार का आश्रय लेना पड़ता है। संसाधनों को अधिक करने की दृष्टि से अनुत्पादक व्यय को रोकने और राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5783. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में गुजरात में चल रहे ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों और अन्य लोगों को 1 जनवरी, 1999 से आज तक इन ग्रामीण बैंकों द्वारा बैंक-वार कितना ऋण और अनुदान दिया गया और इसके लिए क्या आधार नियम और प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध ऋण मंजूर न करने और कुछ अन्य अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर क्या कार्रवाई की गई है और उनका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) आज की तारीख में नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) अपनी 388 शाखाओं के नेटवर्क समेत गुजरात के 22 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसानों एवं अन्य लोगों को पिछले 3 वर्ष के दौरान किए गए इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऋणों की मंजूरी आदि के लिए अपनाई गई प्रक्रिया एवं नियम संबंधित क्षेत्रीय बैंक के बोर्ड द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किए जाते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से व्यापक रूप से नियंत्रित होते हैं।

(ग) अब तक कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

गुजरात राज्य में वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वार बकाया ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	बकाया ऋण एवं अग्रिम		
		1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5
1.	कच्छ ग्रामीण बैंक	2984-81	3584.68	3879.01
2.	जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक	4412.48	6050.46	8224.51
3.	बनासकंथा मेहसाना ग्रामीण बैंक	4272.50	6043.38	7978.37
4.	पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक	4647.13	5636.77	6314.97

1	2	3	4	5
5.	सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक	3125.45	4271.25	5593.42
6.	बलसाड़ डैंग ग्रामीण बैंक	3068.39	3832.93	4293.61
7.	सूरत भरूच ग्रामीण बैंक	5745.05	6508.81	6782.19
8.	साबरकंथा गांधीनगर ग्रामीण बैंक	2255.58	2560.75	2921.60
9.	जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक	2239.66	2777.60	3233.10
	कुल	32751.05	41266.63	49220.78

[अनुवाद]

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां

5784. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों की ओर से राज्य-वार ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर उड़ीसा में ऐसी इकाइयां स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निजी उद्यमियों/प्रवर्तकों द्वारा की जाती है। दिनांक 31.3.2002 तक प्राप्त सभी प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय ले लिया गया है।

रबड़ का उत्पादन/उपभोग

5785. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार रबड़ का कुल कितना उत्पादन और उपभोग किया गया;

(ख) उक्तावधि के दौरान देश से रबड़ का कुल कितना निर्यात और आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा अपारम्परिक आदिवासी क्षेत्रों में रबड़ की खेती हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ का राज्यवार उत्पादन निम्नानुसार है:-

राज्य	उत्पादन टनों में		
	1998-99	1999-2000	2000-01
केरल	559099	572820	579866
तमिलनाडु	20263	21134	21611
पूर्वोत्तर राज्य	12183	14170	14476
अन्य राज्य	13500	14141	14452
कुल	605045	622265	630405

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ की राज्यवार खपत निम्नानुसार है:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खपत (टनों में)		
	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
केरल	77583	86849	88221
पंजाब	81685	79242	82843
महाराष्ट्र	61415	68544	68344
उ०प्र०	61567	61707	55684
प० बंगाल	41113	42952	43258
हरियाणा	35855	39678	38638
राजस्थान	30230	37534	35867

1	2	3	4
गुजरात	31539	32439	35107
तमिलनाडु	32130	31989	32588
कर्नाटक	27409	29736	31233
मध्य प्रदेश	23790	26677	27732
उड़ीसा	21768	23496	24072
गोवा और दमन	24327	23469	23552
आंध्र प्रदेश	16890	19729	19906
दिल्ली	18826	18926	18360
पांडिचेरी	2434	2255	2531
बिहार	1625	1396	1304
अन्य	1359	1392	2235
कुल	591545	628110	631475

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ का कुल निर्यात और आयात निम्नानुसार था:-

वर्ष	निर्यात (टनों में)	आयात (टनों में)
1998-99	1,840	29,534
1999-2000	5,989	20,213
2000-01	13,356	8,970

(ग) और (घ) जी, हां। अपारम्परिक जनजातीय क्षेत्रों में रबड़ के बागान के लिए भारत सरकार रबड़ बोर्ड के जरिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से एक ब्लाक बागान स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

केरल की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची

5786. श्री एस० अजय कुमार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची से केरल के उत्तरी भाग में रहने वाले मराठी समुदाय को निकालने के बारे में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य में रहने वाले मराठी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में अभी भी शामिल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केरल में रहने वाले इस समुदाय ने कर्नाटक राज्य में रहने वाले इसी समुदाय के लोगों की तुलना में अपने सामाजिक आर्थिक स्तर में कोई महत्वपुर्ण सुधार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (च) केरल के कन्नौर जिले के होसदुग और कसारगोड़ तालुकों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "मराठी" समुदाय शामिल है। जनजातिय कार्य मंत्रालय, जो प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, ने सूचित किया है कि केरल राज्य सरकार की सिफारिश पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है। "मराठी" समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में कर्नाटक केवल दक्षिण कन्नड़ जिले के संबंध में अधिसूचित किया गया है। यह सूची राज्य विशिष्ट है। समुदायों को उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों, जो हर राज्य में अलग-अलग हैं, के आधार पर सूची में शामिल अथवा सूची से निकाला जाता है।

खाद्यान्न खरीद लक्ष्य 2002

5787. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भंडारण नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे अच्छे मानसून में अधिक उपज पैदा करने वाले किसानों को सहायता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अच्छी फसल होने पर खाद्यान्न के भंडारण करने हेतु क्या तंत्र उपलब्ध है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता अर्थात 35.84 मिलियन टन क्षमता उपलब्ध है, जिसमें ढकी हुई और कैप (कवर और प्लिंथ) दोनों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भडारण निगमों और प्राइवेट पार्टियों से किराये पर ली गई क्षमता शामिल है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 6.78 लाख टन अपनी भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इसमें से वर्तमान वार्षिक योजना (2002-2003) के दौरान 1.36 लाख टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई 7 वर्षीय गारंटी उपयोग पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगम भी 85.32 लाख टन ढकी हुई भण्डारण क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। पंजाब राज्य भंडारण निगम द्वारा 4.41 लाख टन कैप भंडारण क्षमता भी सृजित की जा रही है। इस योजना के अधीन पहले ही 23.20 लाख टन भण्डारण क्षमता हासिल कर ली गई है।

[हिन्दी]

बैंक डकैतियां

5788. **श्रीमती कैलाशो देवी :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और मुम्बई स्थित विभिन्न बैंकों में हाल ही में डकैतियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2001 से आज तक प्रत्येक मामले के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) डकैतियों के उक्त मामलों में कितनी धनराशि लूटी गई;

(घ) इन मामलों में कितने व्यक्ति उत्तरदायी पाए गए और गिरफ्तार किए गए;

(ङ) सरकार/बैंक द्वारा बैंक कर्मचारियों, जिनमें गार्ड, ग्राहक, आम जनता जो इन घटनाओं में मारे गए/घायल हुए, के मामलों में इन लोगों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(च) सरकार द्वारा बैंकों में लूट और डकैती के मामलों को रोकने के क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और मुम्बई में जनवरी, 2001 से मार्च, 2002 की अवधि के दौरान हुई बैंक लूटपाट/डकैती के मामलों, उनमें अंतर्गत राशि, अंतर्ग्रस्त पाए गए/गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और इन घटनाओं में घायल हुए/मारे गए कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को दी गई क्षतिपूर्ति के ब्यौरे को दर्शानेवाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुलाई गई राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकरों और राज्य सरकार के अधिकारियों को भाग लेना होता है। समिति राज्य में सुरक्षा के वातावरण, बैंक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों का जायजा लेती है और जब कभी और सुधार की आवश्यकता होती है तब बैंकों को अपेक्षित मार्गनिर्देश/अनुदेश दिए जाते हैं। बैंकों ने अंतर्ग्रस्त जोखिम के पहलू के आधार पर अपनी शाखाओं का वर्गीकरण किया है और सशस्त्र गार्ड तैनात किए हैं, आवश्यकतानुसार सेंधमारी-विरोधी उपाय आदि किए हैं। राज्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सशस्त्र गार्डों द्वारा बैंक शाखाओं की सुरक्षा के संबंध में जहां कहीं भी कमियों की सूचना दी जाती है, वहां समिति पुलिस अधिकारियों पर पर्याप्त सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराने के लिए बल देती है।

विवरण

हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और मुम्बई में जनवरी 2001 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान हुई बैंक लूटपाट/डकैती के मामलों, उनमें अंतर्ग्रस्त राशि, अंतर्ग्रस्त पाए गए/गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और इन घटनाओं में घायल हुए/मारे गए कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा

क्र० सं०	बैंक/शाखा	अंतर्ग्रस्त राशि	घायल/मारे गए	दी गई क्षतिपूर्ति	व्यक्तियों की संख्या	
					अन्तर्ग्रस्त	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4	5	6	7
(क) हरियाणा						
1.	सिंडिकेट बैंक, पटौदी शाखा, गुड़गांव	3.00	एक अटेंडेंट को मामूली चोट	—	02	02

1	2	3	4	5	6	7
2.	पंजाब नैशनल बैंक, फतेहाबाद शाखा	8.00	–	–	05	–
3.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, हिसार शाखा	3.00	–	–	03	–
4.	भारतीय स्टेट बैंक, बोहर शाखा, रोहतक	1.07	–	–	04	–
5.	भारतीय स्टेट बैंक, भालौट शाखा रोहतक	0.12	–	–	02	–
6.	केनरा बैंक, वर्लपूल एक्स. काउंटर, फरीदाबाद	5.00	–	–	कुछ	–
7.	पंजाब नैशनल बैंक एमएम कालेज, फतेहाबाद	0.86	–	–	03	–
8.	पंजाब नैशनल बैंक, बहुआदीन शाखा, हिसार	0.59	1 शाखा प्रबंधक मारा गया	–	04	–
(ख)	गुजरात					
9.	बैंक आफ बड़ौदा, मस्कटी मार्केट शाखा, अहमदाबाद	12.00	–	–	01	01
10.	बैंक आफ बड़ौदा, कबीलपोर इंड. इस्टेट शाखा, नवसारी	9.28	–	–	06	–
(ग)	दिल्ली					
11.	भारतीय स्टेट बैंक, खैर शाखा	5.00	–	–	08-09	–
12.	पंजाब नैशनल बैंक, सर्विस केन्द्र, ककरोला	2.00	–	–	03	–
(घ)	मुम्बई					
13.	विजया बैंक, बेलापुर शाखा, न्यू मुम्बई	7.07	सशस्त्र गार्ड को मामूली चोट	–	04	–
14.	कार्पोरेशन बैंक, वाशी शाखा	1.96	–	–	04	–
15.	दि साऊथ इंडियन बैंक लि०, फोर्ट शाखा	0.19	–	–	01	–

[अनुवाद]

केरल को अनुदान

5789. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने केरल राज्य को अतिरिक्त अनुदान देने हेतु किसी ज्ञापन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार का इस पर क्या निर्णय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। केरल सरकार ने तटरेखा पर समुद्र क्षय संबंधी विशिष्ट समस्या से निपटने के लिए 212 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान हेतु अनुरोध किया था। ग्यारहवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन हेतु 1.4.2000 से 31.3.2004 तक 50 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की थी, जिसमें से 20.11 करोड़ रुपए की राशि केरल सरकार को जारी की गई थी। इससे अगली राशि उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही जारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उनकी वार्षिक योजना 2001-2002 में इस प्रयोजन हेतु राज्य को 7.50 करोड़ रुपए की एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी मुहैया कराई गई थी।

दालों का आयात

5790. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दालों के अंधाधुंध आयात को रोकने के लिए किसानों अथवा राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक राज्य से इस प्रकार प्राप्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार को दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटक सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। दालों की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को काफी हद तक आयात द्वारा पूरा किया जाता है जिसकी मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है। घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने 2002-03 के केंद्रीय बजट में दालों पर आयात शुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है।

राज्यों पर बकाया ऋण

5791. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनका ऋण उनके वार्षिक राजस्व से दो गुना हो गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें फिर से वित्तीय रूप से सक्षम बनाने हेतु क्या उपाय अपनाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार आठ राज्यों अर्थात् बिहार, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का कुल बकाया ऋण 1999-2000 के उनके वार्षिक राजस्व के दुगुने से अधिक था।

(ख) राज्यों के वित्तीय प्रबन्धन की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की होती है, जिसके लिए वे अपने-अपने विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों से पर्याप्त कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) शुरू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजकोषीय सुधार सुविधा हेतु एक स्कीम (2000-01 से 2004-05) बनाई गई है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सुधार अवधि में ऋण-स्थिति को संभालने के साथ-साथ राजकोषीय समेकन हेतु पर्याप्त कदम उठाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक

5792. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या आयात-निर्यात बैंक में दो श्रेणी अर्थात अधिकारी और संदेशवाहक व्यवस्था ही है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था किस सीमा तक लाभदायक पाई गई है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में अपने कर्मचारियों के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का कोई कर्मचारी संघ ने इस दो श्रेणी वाले फार्मूले का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार की किन परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक में काम करने वाले अधिकारियों के हित का ध्यान रखने में रुचि नहीं है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक में यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

डीप डिस्काउंट बांड हेतु कर संबंधी नियम

5793. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीप डिस्काउंट बांड और मोंडीफाइड टैक्स ट्रीटमेंट से संबंधित नए कर संबंधी नियम वर्तमान प्रणाली में विसंगतियों को दूर करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। सरकार ने डीप डिसकाउंट बांड और स्ट्रिप्स पर कर व्यवहार दिनांक 15.2.2002 का एक परिपत्र संख्या 2/2002 जारी किया है।

(ख) डीप डिस्काउंट बांडों के कर-व्यवहार में कुछ विसंगतियां थीं:-

(1) ऐसे बांड के विभोचन से होने वाली सम्पूर्ण आय पर कर लगाने से ब्याज आय के रूप में एक वर्ष में कर देयता में अचानक एवं भारी वृद्धि हुई थी जबकि बांड के मूल्य में धारिता अवधि के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

(2) जहां बांड मूल अंशदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विमोचित किया गया था, वहां वह व्यक्ति बोली मूल्य और विमोचन मूल्य के मध्य सम्पूर्ण अन्तर पर ब्याज आय के रूप में कराधेय हो गया क्योंकि वह ऐसी आय से अपनी अधिग्रहण की लागत की कटौती करने में समर्थ नहीं था।

(3) ऐसे बांडों को जारी करने वाली तथा लेखा की वाणिज्यिक प्रणाली का अनुसरण करने वाली कोई कम्पनी ऐसे बांड के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए देयता की वार्षिक प्राप्ति की कटौती का दावा करती भले ही निवेशक के पास तदनुरूपी आय पर परिपक्वता के समय ही कर लगाया जाता।

डीप-डिस्काउंट बांडों के कर व्यवहार पर परिपत्र द्वारा अब मौजूदा प्रणाली में विसंगतियों को हटाया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य स्पष्टीकरणों के अलावा, यह व्यवस्था की गई है कि डीप डिस्काउंट बांड का धारक कोई व्यक्ति निवेशों के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष की 31 मार्च को बांड का बाजार मूल्यांकन करवाएगा। दोनों क्रमिक मूल्यांकन तारीखों को किए गए बाजार मूल्यांकन के मध्य अन्तराल को संगत वित्त वर्ष के दौरान बांड के मूल्य में वृद्धि माना जाएगा और वह ब्याज आय (जहां बांड निवेशों के रूप में धारित किए जाते हैं) अथवा कारोबार आय, जहां बांड व्यापारिक परिसम्पत्तियों के रूप में धारित किए जाते हैं, कराधेय होगी। ऐसे मामले में, जहां किसी मध्यस्थ खरीदार द्वारा वर्ष के दौरान बांड अर्जित किया जाता है, वहां मूल्यांक तारीख को बाजार मूल्य और लागत जिसके लिए वह बांड अर्जित करता है के बीच अन्तराल ब्याज आय अथवा कारोबार आय के रूप में कराधेय होगा, जैसा भी मामला हो, और कोई पूंजीगत अभिलाभ उद्भूत नहीं होंगे क्योंकि मूल्यांकन की तारीख को बांड का कोई अन्तरण नहीं होगा।

जहां बांड को परिपक्वता तारीख से पहले किसी भी समय अन्तरित किया जाता है, तो बिक्री मूल्य और बांड की लागत के मध्य अन्तर निवेशक के पास पूंजीगत अभिलाभ के रूप में अथवा व्यापारी के लिए कारोबार आय के रूप में कराधेय होगा। पूंजी अभिलाभों का परिकलन करने के लिए बांड की लागत उक्त लागत के सकल योग के रूप में समझी जाएगी जिसके लिए बांड अंतरितक द्वारा अर्जित किया गया था तथा आय, यदि कोई हो, जो ऐसे अंतरितक द्वारा कर के लिए पहले ही प्रस्तुत कर दी गई थी।

कम उत्पादकता और कर ढांचे संबंधी भारतीय उद्योग परिसंघ का व्यापक अध्ययन

5794. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादन करने वाला और औद्योगिक रोजगार का 18 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने वाला वस्त्र क्षेत्र कम उत्पादकता और अनुचित कर ढांचे के कारण विश्व बाजार में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के व्यापक अध्ययन से पता चला है कि राजकोषीय व्यवस्था, श्रम कानून, आगम/निर्गम अवरोध और ढांचागत सुविधाओं की ऊंची लागत इसके मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या सी आई आई के व्यापक अध्ययन ने तत्संबंधी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) वस्त्र क्षेत्र जिसने 2000-01 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 14% तथा देश की निर्यात आय में 27% का योगदान किया तथा जो कृषि के बाद देश का रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है—उसी वर्ष में लगभग 35 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला—वर्ष 2001-02 के लिए सभी क्षेत्रों में कपड़ा का कुल उत्पादन 41696 मिलियन वर्ग मी. (अनुमानित) है जो विगत 5 वर्षों में वार्षिक वृद्धि का 3.66% होता है और जिसने 1992-93 और 2000-01 के बीच डॉलर में, 53% निर्यात आय वृद्धि देखी है।

इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि हम विश्व बाजार को खो रहे हैं।

(ख) से (ङ) फरवरी, 2002 और अप्रैल 2002 को 2 भागों में वस्त्र उद्योग पर सी आई आई एसेन्चर अध्ययन रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। रिपोर्ट ने, वस्त्र उद्योग द्वारा झेली जा रही समस्याओं तथा वित्तीय ढांचा, श्रम सुधार, प्रवेश/निकास अवरोधों की समाप्ति, द्विपक्षीय समझौतों द्वारा बाजार पहुंच सुधार आदि में परिवर्तनों सहित संभव उपायों के संबंध में सी आई आई के दृष्टिकोण को दर्शाया है। सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट पर ध्यान दिया है रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों अन्य समूहों जैसे लघु क्षेत्र; कर्मचारी संगठनों, उपभोक्ता हित समूहों आदि द्वारा दिये गये सुझावों का उपयोग सरकार द्वारा नीतियों और योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में किया जाता है।

[हिन्दी]

सीबीआई द्वारा दर्ज मामले

5795. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए हैं और ये अधिकारी कौन-कौन हैं और ये किस-किस पद पर हैं;

(ख) इनके विरुद्ध जांच की स्थिति क्या है;

(ग) ऐसे अधिकारी कौन-कौन से हैं निके विरुद्ध सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान नहीं की है; और

(घ) अनुमति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों की जमा राशि

5796. **श्री मोहन रावले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों की सभी जमाराशियों को पूर्णत: परिवर्तनीय किए जाने संबंधी निर्णय के कारण देश का विदेशी ऋण बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय मानक ब्यूरो

5797. **श्री नागमणि :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न आयातित उत्पादों/वस्तुओं पर भारतीय मानक कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों को लागू करके घटिया वस्तुओं के आयात पर रोक लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह रोक किस सीमा तक लागू की जाएगी ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) सभी आयातित वस्तुओं पर घरेलू कानून, नियम आदि तथा सुरक्षा नार्म उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह देश में उत्पादित वस्तुओं पर लागू होते हैं। इस प्रकार वस्तुओं का आयात जहां भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणीकरण अनिवार्य है, आयातित वस्तुओं के भारतीय मानकों के अनुरूप होने के बारे में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणीकरण के अध्यधीन किया लाएगा।

[अनुवाद]

इरडा का मुख्यालय

5798. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :**
श्री अम्बरीश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के मुख्यालय की स्थापना के स्थान के संबंध में कोई फैसला लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विशेषकर महाराष्ट्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने अंतिम निर्णय लेने से पहले बीमा संबंधी विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (च) जी, हां। भारत सरकार को तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार से उनके राज्यों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) का मुख्यालय स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों में उल्लिखित सभी तथ्यों पर विचार करके आईआरडीए का मुख्यालय हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

खाद्यान्न निर्यात पर राज-सहायता में कमी

5799. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्न निर्यात पर राजसहायता कम कर दी है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने 1 अप्रैल, 2002 से निर्यातकों को 4310/- रुपये प्रति टन पर गेहूं की बिक्री करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या राजसहायता में कमी का निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऊंची दर पर राजसहायता बहाल करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) सरकार समय-समय पर खाद्यान्नों के उन मूल्यों का घोषणा करती रही है जिन पर केन्द्रीय पूल से निर्यात हेतु खाद्यान्नों की पेशकश की जाती है। निर्यात के लिए पेश किए जाने वाले गेहूं का मूल्य 11.5.2002 से 4310/- रुपये प्रति टन होगा।

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि निर्यातकों के लिए विश्व व्यापार संगठन की अपेक्षाओं के दायरे में अनुमत सुपुर्दगी उपरांत खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाए जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न होंगे।

विकलांग बच्चे

5800. **श्री बी०के० पार्थसारथी :**
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंशिक और पूर्ण रूप से विकलांग बच्चों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में ऐसी कोई विशेष संस्थाएं स्थापित की गई है जो ऐसे बच्चों की दशा में सुधार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) विकलांग बच्चों को संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से सहायक यंत्र और उपकरण नि:शुल्क शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास सेवाएं आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में छ: शीर्ष स्तरीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 संयुक्त पुनर्वास केन्द्र, 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र तथा 70 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। मंत्रालय पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले 640 स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दे रहा है। मंत्रालय द्वारा इन संस्थानों के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा उनके प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा डालर की खरीद

5801. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थाएं अमरीकी डालर बाजार से खरीदती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्ष के दौरान बाजार से प्रतिवर्ष कितने रुपये के अमरीकी डालर की खरीद की गई;

(घ) पूर्वोक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष औसतन कितने मूल्य पर अमरीकी डालर की खरीद की गई; और

(ङ) पूर्वोक्त वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बाजार में अमरीकी डालर किस मूल्य पर बेचा गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विकास वित्त संस्थाएं (डीएफआई) वर्तमान विनियमों के अधीन अपने ग्राहकों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तथा स्वयं अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अमरीकी डालर सहित बाजार से विभिन्न विदेशी मुद्राएं खरीदती हैं।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) द्वारा खरीदे गए अमरीकी डालर का भारतीय रुपए में मूल्य निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

	1999-2000	2000-01	2001-02
आईएफसीआई	652.13	653.25	944.02
आईडीबीआई	2884.00	3162.00	2714.00
एक्जिम बैंक	93.87	369.29	530.00
आईसीआईसीआई	9508.78	20122.98	23671.91
आईआईबीआई		शून्य	

(घ) उपर्युक्त 3 वर्षों के दौरान औसत मूल्य, जिस पर अमरीकी डालर खरीदे गए थे, निम्नानुसार है :-

	1999-2000	2000-01	2001-02
आईएफसीआई	43.40	45.89	47.55
आईडीबीआई	43.42	46.75	47.64
एक्जिम बैंक	43.42	45.83	48.30
आईसीआईसीआई	43.84	46.14	47.88
आईआईबीआई		—शून्य—	

(ङ) पूर्वोक्त अवधि के दौरान बाजार में बेचे गए अमरीकी डालर का मूल्य निम्नानुसार है :-

	1999-2000	2000-01	2001-02
आईएफसीआई	109.01	82.64	362.33
आईडीबीआई	1530.00	1060.00	1145.00
एक्जिम बैंक	275.08	357.00	734.45
आईसीआईसीआई	10188.69	17276.65	22384.50
आईआईबीआई		—शून्य—	

वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार

5802. **श्रीमती जसकौर मीणा :**
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिलहाल कितनी वस्त्र मिलें हैं और इनमें से राज्य-वार कितनी मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं/घाटे में चल रही हैं;

(ख) इनमें घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार बंद की गई मिलों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बंद वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिल-वार और राज्य-वार कामगारों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) 28 फरवरी, 2002 की स्थिति अनुसार, देश में 1858 सूती/मानव-निर्मित फाईबर कताई और संश्लिष्ट सूती मिलें (गैर एस एस आई) हैं। इन मिलों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल मिलें
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	98
2.	असम	8
3.	बिहार	8
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	दिल्ली	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	152
8.	हरियाणा	80
9.	हिमाचल प्रदेश	15
10.	जम्मू व कश्मीर	2
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	59
13.	केरल	38
14.	मध्य प्रदेश	58
15.	महाराष्ट्र	207
16.	मणिपुर	1
17.	उड़ीसा	17
18.	पंजाब	75
19.	राजस्थान	53
20.	तमिलनाडु	849
21.	उत्तर प्रदेश	72
22.	उत्तरांचल	5
23.	प. बंगाल	39
	संघ राज्य क्षेत्र	
24.	दादरा और नगर हवेली	5
25.	दमन और दीव	1
26.	पांडिचेरी	11
	कुल योग	1858

लाभ अर्जित करने वाले/घाटे उठाने वाले मिलों के राज्यवार ब्यौरे से संबंधित आंकड़े भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

(ख) घाटे उठाने के कारण एकक दर एकक अलग-अलग होंगे। तथापि, सामान्यतया घाटों के कारण अप्रचलित मशीनरी, खर्चीले क्रियाकलाप, अधिशेष कार्यबल, उत्पादन की अधिक लागत, निम्न उत्पादकता, वित्तीय कुप्रबंध, विपणन समस्याएं आदि हैं।

(ग) प्रभावित कामगारों की संख्या सहित विगत तीन वर्षों के दौरान बंद सूती/मानव-निर्मित फाइबर कताई और संश्लिष्ट वस्त्र मिलों (गैर एस एस आई) के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

क्र.सं.	राज्य	के दौरान बंद					
		01.03.1999 से 29.02.2000		01.03.2000 से 28.02.2001		01.03.2001 से 28.02.2002	
		मिलों की संख्या	नामावली पर कामगारों की संख्या	मिलों की संख्या	नामावली पर पर कामगारों की संख्या	मिलों की संख्या	नामावली पर पर कामगारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3	1510	6	2621	2	633
2.	बिहार	2	519	2	1586	0	0
3.	गुजरात	6	7664	7	1555	0	0
4.	हरियाणा	1	64	3	147	0	0
5.	कर्नाटक	6	4866	1	53	1	148
6.	मध्य प्रदेश	0	0	2	2692	0	0
7.	महाराष्ट्र	6	4929	7	6852	0	0
8.	उड़ीसा	2	2356	3	4354	0	0
9.	पंजाब	2	876	2	123	3	2916
10.	राजस्थान	1	431	1	1172	0	0
11.	तमिलनाडु	12	2566	5	1257	12	1322
12.	उत्तर प्रदेश	4	2798	8	6085	1	19
13.	पं० बंगाल	2	805	0	0	0	0
	कुल	47	29384	47	28497	19	5038

विगत तीन वर्षों के दौरान बंद 113 सूती/मानव-निर्मित फाइबर कताई और संश्लिष्ट वस्त्र मिलों (गैर एस एस आई) में से, केवल एक मिल नामत: **'जवाहर सहकारी कपास उत्पादक सूत गिरनी मर्यादित, लातूर; महाराष्ट्र** सरकारी परिसमापक के अधीन बंद है। उपरोक्त में से कोई भी मिल औद्योगिक विवाद, अधिनियम की धारा 25 (ओ) के अंतर्गत बंद नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 बनाया तथा बी.आई.एफ.आर. स्थापित किया है ताकि रुग्ण तथा संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाया जा सके और प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों जिन्हें ऐसे कंपनियों के मामले में उठाया जा सके का त्वरित निर्धारण किया जा सके। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में पूंजी का पुनर्गठन, प्रवर्तकों द्वारा नयी निधियों को लगाना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधन में परिवर्तन, कार्यशील पूंजी का प्रावधान और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान बंद 113 सूती/मानव-निर्मित फाइबर कताई और संश्लिष्ट वस्त्र मिलों (गैर एस एस आई) में से, वस्त्र मिलों के 32 मामले 31.10.2001 की स्थिति अनुसार बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत है। बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत वस्त्र मिलों के तीन मामलों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	31.10.2001 की स्थिति अनुसार बी.आई.एफ.आर. के साथ स्थिति	वस्त्र मामलों की संख्या
1.	धारा 18(4) के अंतर्गत स्वीकृत योजना	4
2.	ए.ए.आई.एफ.आर./न्यायालय द्वारा मांगी गई	1
3.	जांच के अधीन	11
4.	एस.आई.सी.ए. 1985 की धारा 20(1) के अंतर्गत बंद करने की सिफारिश की गयी	11
5.	रुग्ण नहीं घोषित	5
	कुल	32

सीमा शुल्क विभाग से हथियारों के आबंटन हेतु मापदण्ड

5803. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शूल्क विभाग से संसद सदस्यों को प्रतिबंधित/अप्रतिबंधित हथियारों के आबंटन हेतु मौजूदा मापदंड क्या हैं;

(ख) मत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान अप्रैल, 2002 तक संसद सदस्यों को कितने उक्त हथियार प्रदान किए गए/दिए गए हैं;

(ग) क्या उक्त हथियारों के आबंटी 1996-97 से प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास प्रतीक्षा सूची में दर्ज आबंटियों को हथियार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) मौजूदा मानदण्डों के अनुसार, विभागीय अधिकारियों को लीज शर्तों पर गैर-निषिद्ध बोर हथियारों का आबंटन करने की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात्, सीमा शुल्क विभाग द्वारा इन हथियारों की उन वर्तमान संसद सदस्यों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर बिक्री की जाती है जिनके पास कोई हथियार नहीं होता है। इसके अलावा, निषिद्ध बोर के हथियारों को जब्त किया जाता है और उन्हें केवल विभागीय प्रयोग के लिए रख लिया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष में अप्रैल, 2002 तक संसद सदस्यों को 102 हथियार की बिक्री की गई है।

(ग) और (घ) कोई प्रतीक्षा-सूची नहीं है क्योंकि हथियारों को उनकी उपलब्धता के आधार पर बेचा जाता है। कभी-कभी संसद सदस्य तब तक इंतजार करना बेहतर समझते हैं तब तक उनकी पसन्द के हथियार उपलब्ध नहीं हो जाते। कुछ इस कारण से और कुछ सीमा शुल्क विभाग के पास उपयोगी गैर निषिद्ध बोर के हथियार उपलब्ध न होने के कारण से 129 संसद सदस्यों को 1996-97 से लेकर अप्रैल, 2002 तक हथियार नहीं दिए गए हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (ग) एवं (घ) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

गरीबी उपशमन निधि

5804. श्री बीर सिंह महतो : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने जोर देकर कहा है कि भारत ने गरीबी उपशमन निधि का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तम्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट करने और सुधारों की गति को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिभाशाली अ.ज./अ.ज.जा. के छात्रों को शिक्षा

5805. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में शिक्षा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने छात्रों को यह सुविधा प्रदान की गई है; और

(ग) यह सुविधा प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनु. जाति, अनु. जनजाति से संबंधित छात्रों को विदेश में विशेषीकृत विषयों में उच्चतर अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 541 छात्रों को सहायता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के अध्यधीन सहायता प्रदान की जाती है:-

(1) आवेदक की सभी स्रोतों से कुल आय प्रतिमाह 12,000/- रु. से अधिक नहीं होनी चाहीए।

(2) उम्मीदवार को 35 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।

(3) शिक्षा-(क) पोस्ट डाक्टोरल पाठयक्रमों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60% अंक (अनु. जनजातियों के लिए 50% अंक सहित द्वितीय श्रेणी), और पीएचडी तथा 5 वर्ष का अनुभव।

(ख) पीएचडी पाठयक्रमों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी या 60% अंक या समकक्ष ग्रेड (अनु. जनजातियों के लिए 50% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी) और 2 वर्ष का अनुभव।

(ग) स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रमों के लिए संबंधित स्नातक डिग्री में 60% अंक या समकक्ष ग्रेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी) तथा 2 वर्ष का अनुभव।

[अनुवाद]

बैंकिंग क्षेत्र में विनिवेश

5806. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकिंग क्षेत्र में विनिवेश के दृष्टिगत बैंक कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा से संबंधित मांगों को स्वीकार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) बैंकिंग क्षेत्र में विनिवेश को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की न्यूनतम निर्धारित शेयरधारिता के निर्धारण को संशोधित करके 51 प्रतिशत से 33 प्रतिशत करने के उद्देश्य से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 को संशोधित करने के लिए लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी इक्विटी को 51 प्रतिशत से कम किए जाने के पश्चात् भी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी क्योंकि बैंकों के सरकारी स्वरूप को समाप्त नहीं किया जा रहा है तथा वे उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

5807. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में विकलांग व्यक्तियों का अद्यतन सांख्यिकीय ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में शारीरिक रूप से विकलांग, विशेषत: नेत्रहीन, मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए और अधिक विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस समय मौजूद ऐसे विद्यालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने जनसंख्या जनगणना 2001 में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए घरेलू अनुसूची में विकलांगता संबंधी प्रश्न शामिल है। जनगणना कार्य 2001 के दौरान संग्रहित आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत जनशक्ति विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान पर विशेष ध्यान देते हुए शीर्ष स्तरीय संस्थानों के रूप में 6 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु परियोजनाएं चलाने के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 300 से अधिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत सहायताप्राप्त संगठनों की कुल संख्या तथा उन्हें प्रदान की गई सहायता की राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान संगठनों की संख्या और दी गई सहायता का ब्यौरा

राज्य	1999-90		2000-01		2001-02	
	संख्या	रु० लाख में	संख्या	रु० लाख में	संख्या	रु० लाख में
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	84	1208.35	91	1283.57	106	1151.64
अरुणाचल प्रदेश	2	13	1	6.32	2	18.98
असम	3	30.56	8	40.11	13	51.41
बिहार	11	57.68	8	162.47	19	225.42
चंडीगढ़	2	1.42	2	6.57	2	5.22
छत्तीसगढ़			1	9.08	3	12.49
दादरा व नगर हवेली					1	1.53
दिल्ली	31	679.04	34	649.54	36	527.78
गोवा	2	17.68	2	12.64	3	24.07
गुजरात	17	75.36	25	114.52	17	125.83
हरियाणा	10	59.51	15	95.44	17	73.42
हिमाचल प्रदेश	1	32.42	2	15.85	3	24.49
जम्मू और कश्मीर	2	7.24	3	12.23	4	4.36
झारखंड					3	7.00
कर्नाटक	58	571.99	57	640.58	67	658.89
केरल	49	442.04	55	483.72	62	539.83
मध्य प्रदेश	8	17.43	10	39.32	15	79.19
महाराष्ट्र	26	263.72	18	197.99	27	209.39
मणिपुर	7	57.06	5	56.63	8	59.89
मेघालय	4	17.41	4	46.38	5	60.1
मिजोरम	1	25.31	3	29.52	2	30.06

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड			1	2.83	1	1.78
उड़ीसा	21	193.96	24	252.26	27	313.47
पांडिचेरी	2	1.44	1	6.59	1	5.85
पंजाब	10	64.94	11	91.39	11	79.85
राजस्थान	6	88.13	11	93.99	22	155.81
सिक्किम					1	1.94
तमिलनाडु	34	325.69	37	396.07	50	426.57
त्रिपुरा	1	6.83	1	6.02	1	6.5
उत्तर प्रदेश	67	772.39	57	873.19	59	715.33
उत्तरांचल			5	95.85	8	35.18
प० बंगाल	43	365.53	42	492.52	48	448.64
कुल	502	5396.13	534	6213.19	644	6081.91

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

5808. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधान क्या हैं;

(ख) झारखंड में बैंक की ऐसी शाखाएं कितनी हैं और प्रत्येक शाखा द्वारा कृषि कार्यों के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें ऋण स्वीकृत किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बैंकों से कहा गया है कि उच्च प्रौद्योगिकी कृषि ऋणों से संबंधित कार्य को समुचित रूप से निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य में वाणिज्यिक बैंक की कम से कम एक विशिष्ट कृषि वित्त शाखा (एस ए एफ बी)(संबंधित राज्य स्तरीय बैंक समिति के संयोजकों द्वारा स्थापित) होनी चाहिए। इसके तहत अनेक बैंकों ने ऐसी एस ए एफ बी स्थापित की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने 61 एस ए एफ बी खोली हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार झारखंड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की विशिष्ट कृषि शाखाओं और कृषि कार्यों के लिए दिए गये बकाया ऋणों की राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(लाख रुपये में)

शाखा का नाम	केन्द्र का नाम	बकाया राशि
1	2	3
राजमहल एग्री.डवल. बैंक	राजमहल	143.45
डालटनगंज एग्री.डवल. बैंक	डालटनगंज	246.00
एग्री. मार्किट यार्ड दुमका	दुमका	2.29

1	2	3
गढ़वा	गढ़वा	222.28
सतबरवा	सतबरवा	107.56

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेपाल से धुलाई साबुन का आयात

5809. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से धुलाई साबुन के आयात के कारण देश में विशेषत: बिहार और उत्तर प्रदेश में कई साबुन निर्माण इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या आयातित साबुनों में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आयातित साबुनों में विभिन्न सामग्री जिस अनुपात में मिलायी गयी है उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि साबुन कम लागत पर आयात की जा रही है जिसके कारण करोड़ों रुपये के सीमाशुल्क और उपकर शुल्क का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) नेपाल में विनिर्मित साबुन के आयात के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भारतीय उद्योग जगत से वाणिज्य विभाग में कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नही।

(ग) वाणिज्य विभाग को उस अनुपात के ब्यौरों का विश्लेषण करने के लिए किए गए किसी अध्ययन की कोई जानकारी नहीं है जिस अनुपात में विभिन्न सामग्रियां आयातित साबुन में मिलाई जाती हैं।

(घ) से (च) भारत-नेपाल व्यापार संधि में निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त पर मूल सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना तीन मदों की एक सूची अर्थात् मादक मदिरा/पेयजल, इत्र एवं सौन्दर्य प्रसाधन तथा सिगरेट एवं तम्बाकू को छोड़कर नेपाल में विनिर्मित साबुन सहित सभी वस्तुओं के आयात की व्यवस्था है। भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा के लिए 2 मार्च, 2002 को भारत-नेपाल व्यापार संधि के नवीकरण के समय उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

चक्रवात प्रभावित उड़ीसा को पुनर्वास सहायता

5810. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्वास सहायता रोक दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा आपातकालीन पुनर्निर्माण परियोजना को (46 मिलियन अमरीकी डालर) जिसे त्वरित चरण के रूप में प्रारम्भ किया गया है, विश्व बैंक द्वारा निरन्तर वित्तपोषित किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चावल खरीद की धीमी गति

5811. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में विशेषत: उड़ीसा में चावल खरीद की धीमी गति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास खुले बाजार से चावल खरीदने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो किसानों से सीधे चावल नहीं खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ङ) चावल खरीदते समय किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम

और राज्य एजेंसियों द्वारा चावल की वसूली धीमी नहीं रही है। 29.4.2002 की स्थिति के अनुसार, देश में 172.15 लाख टन चावल की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 161.64 लाख टन की मात्रा की वसूली की गई थी। जहां तक उड़ीसा का संबंध है, 26.4.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा 7.60 लाख टन लेवी चावल की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 5.60 लाख टन मात्रा की वसूली की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निदेश जारी करें कि इस बात की पूर्ण जांच करने के बाद प्रवर्तन प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं कि किसानों से धान की वसूली संबंधित मिल मालिकों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान कर किया गया है और उनका मिलिंग रिकार्ड लेवी के अधीन सुपुर्द की जाने वाली चावल की मात्रा के अनुरूप है। जिलाधिकारियों को प्रवर्तन प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रत्येक मामले की प्रामाणिकता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे जिलाधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रवर्तन प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करने तथा उन पर कार्यवाही करने के पूर्व ब्यौरे का सत्यापन करें। इसके अलावा, एक जिले से दूसरे जिले में चावल और धान के संचलन पर से प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।

वित्तीय क्षेत्र के लिए सुपर रेगुलेटर

5812. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वित्तीय क्षेत्र में सुपर रेगुलेटर की स्थापना करने का विरोध करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऋणों की अवधि का पुनर्निर्धारण

5813. **श्री एच०डी० देव गौड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान कारपोरेट घरानों को दिए गए ऋण्णें की अवधि को 20 वर्ष से 50 वर्ष तक के लिए पुनर्निधारित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए बाध्य करने वाले कारण क्या हैं; और

(ग) आईडीबीआई, आईआईबीआई, आईडीएफसी और आईएफसीआई सहित सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा किन कारपोरेट घरानों और निजी लिमिटेड कम्पनियों के ऋणों का 20 वर्ष से 50 वर्ष के लिए पुनर्निर्धारण किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) आईडीबीआई, आईआईबीआई, आईडीएफसी तथा आईएफसीआई ने कंपनी घरानों को दिए जाने वाले ऋण की अवधि का 20 वर्ष से 50 वर्ष तक पुनर्निर्धारण नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान केन्द्र

5814. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन स्थानों पर भारतीय पैकेजिंग संस्थान केन्द्र स्थित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में आईआईपी केन्द्र खोलने के कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) का मुख्यालय मुम्बई में है तथा उसके तीन क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित हैं।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश की सरकार ने हैदराबाद में आईआईईपी का एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है तथा इस उद्देश्य के लिए उसने दिनांक 1.4.2002 को जमीन का मुफ्त आवंटन किया है। इस प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का वेतन ढांचा

5815. **श्री अम्बरीश :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वेतन ढांचे में वृद्धि से जिन्हें लाभ होगा उन ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(घ) ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण केन्द्र सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिनांक 31 जनवरी, 2001 एवं 7 मार्च, 2002 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सरकार ने कमश: 1.11.1992 एवं 1.11.1997 से प्रभावी छठी एवं सातवीं द्विपक्षीय समझौतों एवं अधिकारियों के वेतन संशोधन के लाभों को प्रदान करते हुए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के सभी पात्र कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करते हुए तथा 01.04.2000 से वाणिज्यिक बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों के बराबर वेतनमान मंजूर करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के दूसरे परन्तुक के तहत क्रमश: दिनांक 11 अप्रैल, 2001 तथा 17 अप्रैल, 2002 को आदेश जारी किया है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त सूचना के अनुसार, लगभग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 70,000 कर्मचारी इस संशोधित वेतनमान से लाभान्वित होंगे।

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार पर कोई तत्काल प्रत्यक्ष वित्त बोझ नहीं पड़ेगा। आशा की जाती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने विद्यमान संसाधनों से तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार द्वारा इसके कारण उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को सहने की स्थिति में होंगे।

इलायची का उत्पादन

5816. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों भारतीय इलायची की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलायची का उत्पादन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इलायची का कितना उत्पादन दर्ज किया गया;

(घ) क्या इलायची उत्पादक अपने उत्पादन के लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों को उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इलायची की अच्छी मांग है और इलायची का उत्पादन मांग के अनुरूप हो रहा है जैसा कि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है:-

वर्ष	इलायची का निर्यात (टन)	उत्पादन (टन)
1998-99	476	9330
1999-00	646	10480
2000-01	1100	11365•

•प्राथमिक अनुमान स्रोत: मसाला बोर्ड

(घ) और (ङ) उत्पादन और निर्यात में हो रही वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि उत्पादकों को पर्याप्त कीमतें मिल रही हैं। इलायची के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को उपलब्ध कुछेक प्रोत्साहनों में इन योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है जैसेकि गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण; पुराने, जीर्ण-शीर्ण और अलाभकारी बागानों का पुनर्रोपण; सिचाई; तथा भूमि विकास इत्यादि।

आईबीआरडी से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5817. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आईबीआरडी से सहायता प्राप्त ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं प्रगति पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आईबीआरडी से सहायता-प्राप्त केवल एक ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना कार्यान्वयनाधीन है जो निम्नानुसार है:-

परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/प्रभावी होने/समापन की तारीख	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	22.7.96/	59.6 (मूल)
ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना (ऋण सं० 4056-इन)	28.8.96/ 31.5.2003	52.4 (संशोधित)

बंजर भूमि विकास हेतु बैंकों द्वारा निवेश

5818. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंजर भूमि विकास में निवेश हेतु संस्थाओं और ऋण लेने वालों को प्रेरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंकों, नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थाओं की एक बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में जिन बिन्दुओं पर चर्चा हुई उसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया;

(घ) क्या सरकार ने बंजर भूमि विकास के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के ब्याज पर राजसहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए दी गई ब्याज राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार ने बंजर भूमि और जल विभाजक विकास के लिए ऋणदात्री संस्थाओं के साथ संयोजन के लिए मार्च 2002 में एक कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल की पहली बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा चुनिंदा राज्य सरकारों ने भाग लिया था। कार्यबल ने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता, परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, बैंक ऋण की वसूली के तंत्र में सुधार करने आदि की समीक्षा की। कार्यबल को 3 महीने की समयावधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(घ) और (ङ) सरकार ने बंजर भूमि विकास के लिए बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

डा० अम्बेडकर विदेश अध्येतावृत्ति योजना

5819. **श्री रामदास आठवले** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लाभार्थ डा० अम्बेडकर विदेश अध्येतावृत्ति योजना में संशोधन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) यह योजना 1997 से बन्द कर दी गई है।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद

5820. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात के द्वारा कितने प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया गया;

(ख) क्या यह अन्य एशियाई देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग के विकास के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं या उठाए गए हैं;

(ङ) विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के लागू होने के लिए कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है; और

(च) स्वेदशी सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकाम हार्डवेयर उद्योग पर इसके सम्भावित प्रभाव क्या होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 2001-02 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और हार्डवेयर के निर्यातों की राशि 42371 करोड़ रुपए थी जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) विश्व विकास रिपोर्ट, 2002 में प्रस्तुत एक सम्बद्ध संकेतक के अनुसार वर्ष 1999 में विनिर्माण निर्यातों के प्रतिशत के रूप में उच्च प्रौद्योगिकी में भारत का हिस्सा 6 प्रतिशत था जबकि इण्डोनेशिया का 10 प्रतिशत, चीन का 17 प्रतिशत, हांगकांग का 21 प्रतिशत, दक्षिणी कोरिया और थाइलैण्ड का 32 प्रतिशत तथा मलेशिया और फिलीपीन्स का 59 प्रतिशत था।

(ग) हालांकि भारतीय साफ्टवेयर उद्योग में निरन्तर प्रगति हो रही है लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग कई कारणों से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिनमें अन्यों के साथ-साथ इलैक्ट्रानिक/आईटी हार्डवेयर में नए निवेश की कमी, कच्चे माल/पुर्जों की स्थानीय उपलब्धता की कमी, पूंजीगत वस्तुओं की ऊंची लागत, उच्च टैरिफ शुल्क, आधारढांचे की रूकावटें, कठोर श्रमिक नियम, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर और अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) संबंधी प्रयासों की कमी शामिल हैं।

(घ) सरकार आईटी हार्डवेयर उद्योग के महत्व और देश के विकास, रोजगार और निर्यातों में इसके योगदान करने की क्षमता को पहचानती है। इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ''आटोमैटिक रूट'' के तहत निर्यात हेतु स्थापित इकाइयों में सभी तरह के प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को मंजूरी कम्प्यूटरों और बाह्य उपकरणों के लिए त्वरित मूल्यह्रास मानदण्ड, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक पहुंच और आयकर अधिनियम की धारा 10 क और 10 ख के अधीन ईओयू/ईपीजेड/ईएचटीपी इकाइयों को आय कर लाभ, कर भुगतान रोकने की छूट, अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) कार्यकलापों के लिए अपेक्षाकृत अधिक भारित कटौती और निर्यात के प्रयोजनों हेतु कठिनाई-रहित विनिर्माण और व्यापार के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करना शामिल है। इंटरनेट के जरिए ई-कामर्स के विस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिए साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा संबंधी कानूनी पहलुओं से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भी लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, सतत आधार पर आईटी निर्यातों में तेजी लाने के लिए जब भी आवश्यकता होगी, नीतिगत परिवर्तन लाए जाएंगे।

(ङ) चरणबद्ध अनुसूची में भारत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत परिबद्ध 217 टैरिफ लाइनों में से, वर्ष 2000 तक 95 टैरिफ लाइनों पर, 2003 तक 4 टैरिफ लाइनों पर, 2004 तक 2 टैरिफ लाइनों और 2005 तक शेष 116 टैरिफ लाइनों पर शुल्क दर घटा कर शून्य करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए) से घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और दूरसंचार उद्योगों के विकास में सहायता मिलने की आशा है क्योंकि इससे आईटी उत्पादों का विश्व व्यापार बढ़ने की आशा है। भारत को इस विकासशील क्षेत्र के अनुसंधान और विकास में पूंजी निवेशों से लाभ होने की संभावना है। आईटीए से सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर अन्य उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होने की भी आशा है।

[हिन्दी]

बैंक गारंटी में छूट

5821. श्री रामपाल सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वस्त्र निर्यातकों के लिए बैंक गारंटी मानदंडों में कुछ छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने वस्त्र निर्माताओं को लाभ मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इससे संबंधित दिनांक 6 मार्च, 2002 को जारी की गई राजपत्र अधिसूचनाओं का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। यह रिआयत उन सभी वस्त्र व क्लोदिंग निर्यातकों को लाभांवित करेगी, जो कोटा नीतियों के अंतर्गत निर्यात कर रहे हैं।

विवरण

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ
वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 6 मार्च, 2002

विषय : उन देशों के संबंध में परिधान व निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000-2004), जहां इस प्रकार के निर्यात को वस्त्र व क्लोदिंग समझौते के प्रावधान के तहत कवर किया जाता है।

सं. 1/15/2001-निर्यात-1-उपर्युक्त विषयक संख्या 1/128/99-निर्यात-1 दिनांक 12 नवंबर, 1999 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाता है, जिसे तदुपरांत दिनांक 10 दिसंबर, 1999, 7 फरवरी, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना, 13 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/68/2000-निर्यात-1, 21 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/21/2000-निर्यात-1, दिनांक 20 नवंबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/133/2000-निर्यात-1, 8 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 13/33/2001-निर्यात-1, 24 जनवरी 2001 की अधिसूचना संख्या 1/149/99-निर्यात-1 तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 1/21/2001-निर्यात-1 एवं 1/161/2000-निर्यात-1 द्वारा संशोधित किया गया था।

2. इस नीति के पैरा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2001 की हकदारी के प्रति निर्यात नीति के पैरा 12(vii) से (ix) प्रचालन से निम्नलिखित तरीके से छूट प्रदान की है।

"(vii) उस निर्यातक का, ई.एम.डी./बी.जी./एल.यू.टी. पूर्व दिनांकित चैक पूरी राशि में जारी किए जाएंगे, जो हकदारी का 75% अथवा उसका पूरा भाग निर्यात करता है। तथापि, धीमी गति से उपयोग की जाने वाली मदों के मामले में, यह प्रतिशत 50% अथवा उससे अधिक रहेगा।

(viii) 'कोटा व्यवस्था प्राधिकारण' उन मामलों में उपयोगिता में गिरावट के अनुपात में, ई.एम.डी./बी.जी. को जब्त कर लेगा, जब शीघ्र उपयोग की जाने वाली मदों मे 50% या अधिक परन्तु 75% से कम उपयोगिता रहेगी और धीमी गति से उपयोग की जाने वाली मदों में 40% या अधिक परन्तु 50% से कम उपयोगिता रहेगी।

(ix) यदि उपयोगिता उपर्युक्त से कम है अर्थात शीघ्र उपयोग की मदों के मामले में 50% तथा धीमें उपयोग की मदों के मामलों में 40% तब अग्रिम जमाराशि/बैंक गारण्टी/एल.यू.टी./पूर्व दिनांकित चैक को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा।"

3. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित, अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./-
(अतुल चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 6 मार्च, 2002

विषय : उन देशों के संबंध में यार्न, फैब्रिक तथा मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000-2004), जहां इस प्रकार के निर्यात को वस्त्र व क्लोदिंग समझौते के प्रावधान के तहत प्रतिबंधों द्वारा कवर किया जाता है।

सं. 1/15/2001-निर्यात-1-उपर्युक्त विषयक संख्या 1/129/99-निर्यात-1 दिनांक 12 नवंबर, 1999 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसे, तदुपरांत, दिनांक 8 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 13/33/2000-निर्यात-1 तथा दिनांक 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 1/161/2000-निर्यात-1 द्वारा संशोधित किया गया था।

2. इस नीति के पैरा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2001 की हकदारी के प्रति निर्यात नीति के पैरा 11(ii) से (iv) प्रचालन से निम्नलिखित तरीके से छूट प्रदान की है।

"(ii) उस निर्यात का, ई.एम.डी./बी.जी./एल.यू.टी. पूर्व दिनांकित चैक पूरी राशि में जारी किए जाएंगे, जो हकदारी का 75% अथवा उसका पूरा भाग निर्यात करता है।

(iii) 'कोटा व्यवस्था प्राधिकारण' उन मामलों में उपयोगिता में गिरावट के अनुपात में, ई.एम.डी./बी.जी. को जब्त कर लेगा, जब शीघ्र उपयोग की जाने वाली मदों में 50% या अधिक परन्तु 75% से कम उपयोगिता रहेगी और धीमी गति से उपयोग की जाने वाली मदों में 40% या अधिक परन्तु 50% से कम उपयोगिता रहेगी।

(iv) यदि उपयोगिता उपर्युक्त से कम है अर्थात शीघ्र उपयोग की मदों के मामले में 50% तथा धीमें उपयोग की मदों के मामलों में 40% तब जमाराशि/बैंक गारण्टी/एल.यू.टी./पूर्व दिनांकित चैक को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा।"

3. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित, अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./-
(अतुल चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

5822. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री पदमसेन चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :

श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों का देशवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और वास्तव में उनका कितना निर्यात हुआ;

(ख) क्या कुछ देशों ने यह कहकर खाद्यान्न लौटा दिया हैं कि वे घटिया गुणवत्ता वाले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रुपयों में इसका मूल्य क्या है;

(घ) खाद्यान्नों के निर्यात का स्वदेशी आपूर्ति और मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या देश में खाद्यान्नों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध के हटाएं जाने के बाद खाद्यान्नों का निर्यात बढ़ा है; और

(च) यदि हां, तो प्रतिबंध हटाए जाने के बाद की तिथि से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 1999-2000 में केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का कोई निर्यात नहीं हुआ था। 2000-01 और 2001-02 के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 लाख टन गेहूं और 2000-01 और 2001-02 के वर्षों के लिए कमश: 20 लाख टन और 30 लाख टन चावल की निर्यात हेतु केन्द्रीय पूल से पेशकश की गई थी। इसके प्रति 31.3.2002 तक वास्तव में गेहूं और चावल की कमश: 52.76 लाख टन 14.36 लाख टन मात्रा निर्यात की गई। जिन देशों को भारत से खाद्यान्नों का निर्यात किया गया है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) किसी भी देश ने घटिया गुणवत्ता होने के कारण केन्द्रीय पूल से निर्यात किए गए भारतीय खाद्यान्नों को अस्वीकार नहीं किया है। तथापि, तीन प्राइवेट पार्टियों द्वारा भेजे गए गेहूं के चार शिपमेंट अकार्बनिक तत्व मौजूद होने के कारण इरानी ग्रेन बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं यद्यपि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य कोडैक्स मानको के अनुरूप थे। इसमें अंतर्ग्रस्त मात्रा 74,018 टन थी और इसकी 4340/- रुपए प्रति टन की दर पर निर्यातकों को पेशकश की गई थी।

(घ) केन्द्रीय पूल में अत्यधिक अधिशेष स्टाक को निपटान करने के विभिन्न तरीकों में से खाद्यान्नों का निर्यात करना एक तरीका है। इससे खाद्यान्नों की घरेलू मांग और आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है।

(ङ) और (च) खाद्यान्नों के संचलन पर से प्रतिबंध हटाना एक सकारात्मक कदम है। तथापि, इस अवस्था में निर्यात पर इसके प्रभाव का ठीक-ठीक आकलन करना संभव नहीं है।

विवरण

जिन देशों को गेहूं और चावल का निर्यात किया गया उनका नाम दर्शाने वाला विवरण

जिन्स	गेहूं	चावल
1	2	3
	बंग्लादेश	बहरीन
	मिस्र	बंग्लादेश
	इंडोनेशिया	कैमरुज़
		दमम
	कुवैत	दुबई
	मलेशिया	इथोपिया
	म्यांमार	इंडोनेशिया
	ओमान/दुबई	ईराक
	फिलीपींस	आइवरी कोस्ट
	कतर	केन्या
	रूस	कुवैत
	सिंगापुर	मलेशिया
	दक्षिण कोरिया	मापुतो
	श्रीलंका	मोज़ाम्बीक
	सूडान	नाईजीरिया
	ताईवान	फिलीपींस
	थाईलैंड	सिंगापुर

1	2	3
	संयुक्त अरब अमीरात/ शारजाह	सोमालिया
	वियतनाम	दक्षिण अफ्रीका
	यमन	श्रीलंका
	पश्चिम अफ्रीका	तंजानिया
		संयुक्त अरब अमीरात/शारजाह
		पश्चिम अफ्रीका
		यमन

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स के लिए विनियामक

5823. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स के पेशे पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु एक भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट विनियामक नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चार्टर्ड अकाउन्टेंसी के छात्रों को इन्टर्नशिप के लिए तभी अनुमति प्रदान करने का है जब वे अपनी इंटर और फाइनल परीक्षा पास कर लें जैसाकि चिकित्सा पेशे के मामले में होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ख) भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स संस्थान चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स के पेशे को विनियमित करने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.) ने शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए 1.10.2001 से एक नई स्कीम शुरू की है जिसके अनुसार आई.सी.ए.आई. की व्यावसायिक शैक्षिक परीक्षा-II (पी.ई. II), जो मोटे तौर पर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा है, में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् ही आर्टिकलशिप शुरू की जानी वांछित है। उपरोक्त नई स्कीम की शुरूआत के पहले कोई भी छात्र पूर्ववर्ती माध्यमिक परीक्षा (वर्तमान पी.ई. II परीक्षा के समतुल्य) की अर्हता प्राप्त किए बिना ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकता था।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सोने का आयात

5824. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के माध्यम से किए जाने वाले सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

5825. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को चालू वर्ष 2001-2002 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का कितना आवंटन किया गया;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान आयातित खाद्य तेल की वास्तविक मांग की तुलना में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इसका कितना आवंटन किया गया;

(ग) क्या उक्त आवंटन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अंदरूनी मांगें पूरी हो जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी मात्रा में उक्त आवश्यक वस्तुएं उठाई गईं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल के आबंटन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चूंकि 2001-2002 के दौरान किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आयातित खाद्य तेल की कोई मांग नहीं थी इसलिए कोई आबंटन नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और वह किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार की पूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है। केन्द्रीय पूल में स्टाक की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1.4.2002 से गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए खाद्यान्नों को आबंटन बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का वार्षिक आबंटन वर्ष के आरंभ होने से अग्रिम में कुछ सिद्धांतों को अपनाकर किया जाता है। वार्षिक आबंटन के अलावा बाढ़, सूखा आदि जैसी अप्रत्याशित स्थितियों के कारण अतिरिक्त मिट्टी के तेल के आबंटन हेतु राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी का आबंटन 1.3.2000 की आबादी के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए सीमित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चीनी की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आपूर्ति को उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीप समूहों, जहां न्यूनतम मानदंड 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह है, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम प्रति माह कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन उनसे प्राप्त मांग और कुल आयात, पत्तन पर राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्धता जैसे घटकों के आधार पर किया जाता है।

(ङ) वर्तमान वर्ष 2001-2002 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का राज्यवार उठान का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का राज्यवार आवंटन

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं (हजार टन में)	चावल (हजार टन में)	चीनी• (टन में)	मिट्टी का तेल (@)(टन में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	96.000	3153.480	123894	594463
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.925	95.913	10102	10079
3.	असम	123.600	854.490	222940	267475
4.	बिहार	1359.105	786.102	256270	655846
5.	छत्तीसगढ़	128.697	451.980	56157	150966
6.	दिल्ली	517.815	175.590	33636	198823
7.	गोवा	23.700	50.250	1590	23639
8.	गुजरात	1038.336	462.954	74970	804436

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	218.527	0.000	31744	166976
10.	हिमाचल प्रदेश	122.124	250.887	56984	59690
11.	जम्मू व कश्मीर	130.780	284.590	84412	93112
12.	झारखंड	433.427	288.958	85927	219783
13.	कर्नाटक	289.365	1157.469	108982	520903
14.	केरल	452.640	1821.858	52836	269497
15.	मध्य प्रदेश	939.527	411.064	156828	511168
16.	महाराष्ट्र	2041.458	1087.735	210518	1442085
17.	मणिपुर	20.520	71.370	21364	22780
18.	मेघालय	12.000	162.115	20648	20597
19.	मिजोरम	12.120	101.337	8070	7284
20.	नागालैंड	24.975	130.025	14276	13513
21.	उड़ीसा	0.000	1040.151	108214	327831
22.	पंजाब	134.126	21.440	19012	301725
23.	राजस्थान	1412.643	17.394	93196	428299
24.	सिक्किम	1.200	48.021	4742	6924
25.	तमिलनाडु	0.000	1847.178	136630	634658
26.	त्रिपुरा	15.360	180.075	32066	32274
27.	उत्तर प्रदेश	2032.488	945.396	412092	1298013
28.	उत्तरांचल	57.552	86.754	73178	112059
29.	पश्चिम बंगाल	1254.297	1015.158	176840	795453
30.	अं० व नि० द्वीपसमूह	10.155	32.477	4742	6382
31.	चंडीगढ़	16.970	2.708	856	14729
32.	दादर व नगर हवेली	1.593	5.769	590	3119
33.	दमन और दीव	0.870	2.979	144	2374

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप	0.500	6.644	1402	902
35.	पांडिचेरी	0.240	27.306	3004	14606
	जोड़	12931.635	17076.249	2693510	10032462

•लेवी चीनी के आवंटन में वार्षिक त्यौहार कोटा शामिल है जिसे वर्ष 2001 में दुगुना कर दिया गया है।

@मिट्टी के तेल के आवंटन में राज्यों को किया गया एस.के. तेल का तदर्थ आवंटन भी शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का राज्यवार उठान

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं (हजार टन में)	चावल (हजार टन में)	मिट्टी के तेल@ (टन में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.385	1719.860	589555
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.510	46.812	10439
3.	असम	70.011	503.636	268784
4.	बिहार	379.100	108.577	657969
5.	छत्तीसगढ़	41.437	226.386	147165
6.	दिल्ली	85.656	28.597	197717
7.	गोवा	1.350	8.481	23647
8.	गुजरात	360.134	144.762	799031
9.	हरियाणा	94.004	0.000	171503
10.	हिमाचल प्रदेश	45.877	120.198	49353
11.	जम्मू व कश्मीर	91.145	254.065	90693
12.	झारखंड	189.259	109.063	217815
13.	कर्नाटक	245.790	1084.535	520080
14.	केरल	98.533	454.006	266655
15.	मध्य प्रदेश	560.865	174.264	507218
16.	महाराष्ट्र	889.859	510.728	1440203
17.	मणिपुर	0.000	26.195	16315
18.	मेघालय	6.334	50.601	21204
19.	मिजोरम	8.887	38.255	7182
20.	नागालैंड	18.809	29.608	14076
21.	उड़ीसा	0.468	587.046	319792
22.	पंजाब	52.424	1.588	297969
23.	राजस्थान	671.784	0.981	424012
24.	सिक्किम	0.600	18.489	6393
25.	तमिलनाडु	0.000	1065.513	634891
26.	त्रिपुरा	3.000	83.264	30856
27.	उत्तर प्रदेश	535.474	155.215	1292742
28.	उत्तरांचल	0.000	0.000	110702
29.	पश्चिम बंगाल	498.106	270.362	795592
30.	अं० व नि० द्वीपसमूह	4.209	12.776	6371
31.	चंडीगढ़	0.050	0.373	13310

1	2	3	4	5
32.	दादर व नगर हवेली	0.925	3.790	3096
33.	दमन और दीव	0.064	0.360	2231
34.	लक्षद्वीप	0.000	3.000	225
35.	पांडिचेरी	0.315	9.539	14101
	जोड़	14966.364	7850.925	9968887

• लेवी चीनी की आवंटित मात्रा का उठान करने की जिम्मेदारी केवल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

@उठान के आंकड़े आई०पी०आर० आंकड़े अनंतिम है।

नई खाद्यान्न नीति

5826. **श्री सुबोध राय :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई खाद्यान्न नीति बनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट केन्द्र सरकार को मार्च, 2002 तक सौंप दिए जाने की आशा थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने वास्तव में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है;

(ग) उस अंतरिम रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) उनमें से प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस नीति के अनुसार गेहूं का वर्तमान खरीद मूल्य क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

(1) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्यों द्वारा लगाए गए सांविधिक करों और लेवियों को सीमित करने का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

(2) विभाग ने अनुदेश जारी किए हैं कि गुणवत्ता मानदंडों को कड़ाई से लागू किया जाए और केवल उचित औसत किस्म का अनाज ही वसूल किया जाए। जहां अपरिहार्य परिस्थितियों में उचित औसत किस्म के मानदंडों में ढील दी जानी है वहां ढील के साथ पूर्ण मूल्य कटौती को सम्बद्ध किया जाए।

(3) गेहूं के खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के मूल्य भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा भण्डारण और ढुलाई लागतों को हिसाब में लेने के बाद निर्धारित किए जा रहे हैं।

(4) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 12.7.2001 से कम कर आर्थिक लागत के 70 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था।

(5) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ा कर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है और 12.7.2002 से गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति भी की जा रही है।

(6) 1.4.2002 से गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 100 रुपये प्रति क्विंटल कम कर दिया गया है और गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए आवंटन को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह निर्धारित किया गया है।

(7) समय-समय पर सूखा और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है।

(8) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन काम के बदले अनाज कार्यक्रम और रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति मुफ्त की जा रही है।

(9) असम, बिहार और उड़ीसा में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच बनाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

(10) खाद्यान्नों का स्टाक रखने और संचलन करने संबंधी सभी लाइसेंसिंग नियंत्रण और प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं।

(ङ) रबी विपणन मौसम 2002-03 के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य 620 रुपये प्रति क्विंटल है।

विवरण

I. तत्काल के लिए सिफारिशें

1. खाद्यान्नों की खरीदारी पर लगाई गई सांविधिक लेवियां कुछ राज्यों में वसूली मूल्यों का 12.5% तक बैठती हैं। समिति मानती है कि राज्य सरकार को सांविधिक लेवियों के रूप में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए भुगतान आवश्यक रूप से केन्द्र से राज्य सरकार को अंतरित राशि है और इसे इसी प्रकार माना जाना चाहिए। अत: यह सिफारिश करती है कि खाद्यान्न जो एक आवश्यक वस्तु है पर ऐसी लेवियां समाप्त की जाएं। ऐसे समय तक राज्यों द्वारा ली गई सांविधिक लेवियां भारतीय खाद्य निगम अथवा इसकी आर्थिक लागत को शामिल किए बिना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अलग से तय की जानी चाहिए। इसके लिए राज्यों के बिक्री कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन अपेक्षित होगा। विकल्पत:, सांविधिक लेवियों के रूप में केन्द्र सरकार से राज्यों को स्पष्ट रूप से अंतरित की जा रही राशि वर्तमान अंतरण के रूप में सीधे अंतरित की जाए।

2. समिति केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली हेतु गुणवत्ता मानदण्डों के लिए विभिन्न उत्पादक राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर ढील देने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में चिंता व्यक्त करती है। कई उपभोक्ता राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ऐसे खाद्यान्नों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। अत: समिति सिफारिश करती है कि उचित औसत किस्म के मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि राज्य सरकार गुणवत्ता मानदंडों में ढील देने का अनुरोध करती है तो उसे राज्य की सांविधिक लेवियों से छूट देने के अलावा मूल्य में अनिवार्य उचित कमी के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

3. धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और चावल के लिए लेवी मूल्य केवल एक ग्रेड के लिए निर्धारित किए जाएं जबकि फिलहाल ये साधारण और ''ए'' ग्रेड के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

4. खुला बाजार बिक्री योजना के मूल्य में न केवल अधिग्रहण लागत कवर की जानी चाहिए बल्कि जहां तक संभव हो, उसमें बिक्री के विभिन्न केन्द्रों में ढुलाई और भंडारण की लागतों में अंतर को पूर्णतया दिखाया जाना चाहिए। यह मूल्य कम से कम भारतीय खाद्य निगम की अधिग्रहण लागत में से सांविधिक लेवियां घटाकर निकालने वाला मूल्य होना चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्रों के बीच अंतर को बहाल किया जाना चाहिए और प्रत्येक क्वार्टर के लिए पूर्व घोषित ग्रेड युक्त वृद्धि होनी चाहिए।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उठान को बहाल करने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों को लेवियों को छोड़कर आर्थिक लागत के 80% अथवा लेवियों सहित वर्तमान आर्थिक लागत के 75% पर करके गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों को सांविधिक लेवियों को छोड़कर आर्थिक लागत के 50% पर रखना चाहिए। इससे वितरण नेटवर्क की व्यवहार्यता में सुधार करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे का उठान भी बढ़ेगा।

6. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोटा निर्भर होना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को प्रति माह गरीबी रेखा से नीचे के घोषित मूल्यों पर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खरीदारी करने की अनुमति दी जाए अथवा 20 किलोग्राम प्रति परिवार का आवंटन, जो भी अधिक हो, किया जाए। अतिरिक्त आवश्यकता को गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर पूरा किया जाए।

7. पूर्व की सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों (1775 ब्लाकों) ओर फिलहाल सूखा प्रभावित अथवा बाढ़, चक्रवात, भूंकप आदि जैसी अन्य आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों और कोटे पर सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जाए।

8. सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. के अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम को मजबूत बनाया जाए।

इसी प्रकार मध्याह्न भोजन योजना के क्षेत्र को माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को कवर करके इसे सशक्त किया जा सकता है।

9. समिति सरकार से जोरदार आग्रह करती है कि खाद्यान्नों के लिए प्रभावी मांग सृजित करके रोजगार सृजन कार्यक्रमों का विस्तार करने के तरीकों की जांच करे।

(i) आदर्शत:, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जैसा विशाल कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को शुरू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की होनी चाहिए।

(ii) तथापि, वस्तु के रूप में भुगतान करने में व्यवहारिक क्रियान्वयन समस्याएं हो सकती हैं, इन मामलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्तियों का विस्तार करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ नकद में मजदूरी भुगतान के साथ रोजगार प्रावधानों को बढ़ाया जाए।

(iii) सुनिश्चित रोजगार योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को रोजगार देने संबंधी मौजूदा प्रतिबंध को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शीघ्र क्रियान्वयन करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की छूट दी गई दरों पर राज्यों के लिए 2 से 3 मिलियन टन खाद्यान्नों का अंतरिम आवंटन उपलब्ध कराया जाए। मुख्य उद्देश्य प्रधान मंत्री सड़क रोजगार योजना जैसी योजनाओं को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन/तेजी लाना होना चाहिए।

II. दीर्घकालिक सिफारिशें

1. कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर उत्पादन की सी-2 लागत (अर्थात् परिवार श्रम की आदान लागत, मालिकाना पूंजी और अपनी भूमि पर किराया सहित सभी लागतें) के आधार पर बुआई मौसम से पूर्व न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जानी चाहिए। इस मूल्य पर केन्द्र सरकार को उचित औसत किस्म के अनाजों की खुली खरीदारी करनी चाहिए ताकि उत्पादक के लिए अपनी लागत पर उचित लाभ सुनिश्चित हो सके।

2. केन्द्र सरकार जब कभी बाजार स्थितियां ऐसी हों, तो नियामक बफर स्टाक में किसी कमी को पूरा करने अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक मूल्यों पर खरीदारी करे। यह मूल्य प्रत्येक वर्ष में बाजार आकलन आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा तय किया जाना चाहिए और यह मूल्य अगले वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का आधार नहीं होना चाहिए।

3. केन्द्र सरकार को अपनी वसूली एजेंसियों/राज्य सरकारों को अनुदेश देना चाहिए कि वे असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, जहां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य मिलने की सूचनाएं हैं, जैसे राज्यों/क्षेत्रों में अपने न्यूनतम समर्थन प्रचालनों का अधिक प्रभावी रूप से विस्तार करे।

4. आवश्यक वस्तुओं पर करों को कम करने और निजी व्यापार की बाधाओं को न्यूनतम करने की आवश्यकता है।

5. खुला बाजार बिक्री योजना का इस्तेमाल अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अनाज बेचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। खुला बाजार बिक्री योजना के लिए न्यूनतम मूल्य भारतीय खाद्य निगम की अधिग्रहण लागत में से सांविधिक लेवियां घटाकर और वर्ष में अलग-अलग समय पर विभिन्न क्षेत्रों में ढुलाई और भंडारण लागत जोड़कर आने वाले मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

6. खाद्यान्नों के निर्यात और आयात की प्रणाली भिन्न-भिन्न प्रशुल्कों की प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए और इसके द्वारा कोटे को हटाया जाना चाहिए। ऐसा करना खुली अर्थव्यवस्था में मूल्यों को स्थिर करने के लिए अपेक्षित है। जहां तक संभव हो, सरकारी स्टाक से निर्यात के लिए निर्मुक्तियां सर्वोत्तम वाणिज्यिक शर्तों पर की जानी चाहिएं।

7. खाद्यान्नों की वसूली और वितरण प्रणाली का विकेन्द्रीकरण वांछनीय है। बशर्ते कि इसे ऐसे साधन के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे राज्यों को अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार करने में अधिक लचीलापन दिया जा सके और भारतीय खाद्य निगम को केन्द्र सरकार की मूल्य स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने की अपेक्षा के लिए इसकी वचनबद्धता में कमी लाए बिना लागत नियंत्रण के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।

8. सिद्धांत: समिति विश्वास करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोहरे/विविध मूल्य उलझे हुए हैं और लीकेज की संभावना पैदा करते हैं।

9. समिति की मूल अवधारणा यह है कि अनाज बाजार में व्यापार की बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय रूप से इसे अधिक समन्वित किया जा सके। सार्वजनिक हस्तक्षेप की भूमिका मुख्यत: मूल्यों को स्थिर करने के लिए होनी चाहिए और मूल्य स्थिर रखने की कोई भी प्रणाली राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए। इसके अलावा, विकेन्द्रीकरण राज्यों को तभी स्वीकार्य होगा जब इसे इस ढंग से किया जाए जिसमें केन्द्र उनके ऊपर वह वित्तीय लागत न डाले जो वह फिलहाल वहन करता है। समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट में उपर्युक्त मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात कहेगी।

[अनुवाद]

सेबी एक्ट, 1992

5827. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सेबी एक्ट, 1992 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संभावित संशोधन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कब तक विधेयक लाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सरकार ने निवेशक संरक्षण हेतु तथा पूंजी बाजारों के नियमन एवं विकास के लिए सेबी को एक अधिक कारगर संस्था बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को और सुदृढ़ करने हेतु संभावित विधायी परिवर्तनों की जांच आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

देश में आयातित विदेशी शराब

5828. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान देश में कितनी विदेशी शराब का आयात किया गया और उसमें कितना राजस्व अर्जित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी शराब के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब तक लगाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2001-2002 के दौरान देश में आयात की गई विदेशी शराब की मात्रा (लगभग) 1799003• लिटर थी। उक्त अवधि के दौरान इस मद से वसूल किए गए राजस्व की धनराशि (लगभग) 2461 लाख रुपए थी।••

इसमें वह मात्रा शामिल नहीं है जिसके आधार पर अनुबद्ध स्टोरों से होटलों को की गई आपूर्ति से 1144.4 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया गया था क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसमें शराब की वह मात्रा शामिल नहीं है जिसे असबाब नियमावली 1998 के तहत यात्रियों द्वारा भारत में आयातित किया गया था जिसके लिए उन्हें खुली छूट है।

•• इस आंकड़े में उस राजस्व को शामिल किया गया है जिसे जहाज स्टोरों के रूप में शराब की आपूर्तियों और राजनयिकों इत्यादि को की गई आपूर्तियों के कारण छोड़ दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वाहनों का आयात और निर्यात

5829. **श्री राजो सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी संख्या में और कितने मूल्य की कारें तथा अन्य वाहन निर्यात किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने वाहन आयात किए गए;

(ग) उक्त वाहनों के निर्माण में लगे उद्योगों में अनुमानत: कुल कितने लोग कार्यरत हैं;

(घ) क्या इन उद्योगों ने उक्त अवधि के दौरान विभिन्न वाहनों के कल-पुर्जों का आयात किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयातित कल-पुर्जों का मूल्य क्या था?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक के अनुसार, 2001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर) में वाहनों के निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	श्रेणी	निर्यात (संख्या में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	यात्री कार एवं बहु उपयोगी वाहन (एमयूवी)	12628	297.15
2.	वाणिज्यिक वाहन	5043	243.06
3.	2/3 व्हीलर	84493	266.06
	योग	102164	806.61

(ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक ने सूचित किया है कि वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर) में वाहनों के आयात का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	निर्यात (संख्या में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	यात्री कार एवं बहु उपयोगी वाहन (एमयूवी)	946	56.84
2.	वाणिज्यिक वाहन	84	13.42
3.	2/3 व्हीलर	232	1.19
	योग	1232	71.45

(ग) ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऑटोमोटिव उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 4.5 लाख व्यक्ति तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान विश्व के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए 724.13 करोड़ रुपये के कलपुर्जे तथा सहायक सामग्री (पार्ट तथा एक्सेसरीज) का आयात किया गया है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के लिए कार्यक्रम

5830. श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीएचडीसीसीआई के अध्ययन में लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने तथा आयात को सीमित करने हेतु एक वृहत नीति बनाने पर जोर देने के लिए लघु उद्योगों के लिए एक दस सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दस सूत्री कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, आयात को सीमित करने तथा शुल्क संबंधी व्यवधान लगाकर लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (पीएचडीसीसीआई), नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने "मात्रात्मक प्रतिबंध प्रणाली पश्चात: लघु उद्योगों को डब्ल्यूटीओ के अनुरूप बनाना" विषय पर एक अध्ययन किया है जिसमें लघु उद्योगों के प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक 11 सूत्रीय कार्यसूची प्रस्तुत की गई है। इस कार्यसूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आयात प्रतिबंधों को सन् 1991 से अपनाई जा रही आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुरूप और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति देश की वचनबद्धता के अनुसार हटाया गया है। यद्यपि मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से लघु उद्योगों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है तथापि इस कदम के फसलस्वरूप आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार पाटनरोधी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क लगाने समेत टैरिफ और अन्य तंत्रों के समुचित प्रयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णरूप से कृतसंकल्प है कि आयात प्रतिबंधों की समाप्ति के कारण घरेलू उद्योग को आयातों से कोई गंभीर क्षति अथवा नुकसान न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने उन अनेक मदों पर शुल्क में वृद्धि कर दी है जिनके आयातों में वृद्धि देखी गई थी अथवा वृद्धि होने की आशंका थी।

सरकार ने लघु उद्योगों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं :- प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामूहिक दृष्टिकोण के जरिए बुनयादी सुविधा संबंधी सहायता, समय पर ऋण की उपलब्धता, प्रबंधन के आधुनिक तरीके अपनाना, व्यापार उदारीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए इलैक्ट्रानिक बुनियादी सुविधा और अन्य आईटी अनुप्रयोगों जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान केन्द्रित करना।

30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के विकास हेतु एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की गई है। इस नीतिगत पैकेज से ऋण को आसानी से हासिल करने, 25 लाख रुपए ऋण तक आनुषांगिक मुक्त कम्पोजिट ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उन्नत बुनियादी सुविधाओं के लिए पूंजीगत इमदाद के जरिए लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

विवरण

लघु उद्योग का प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल, नई दिल्ली द्वारा "मात्रात्मक प्रतिबंध प्रणाली पश्चात् : लघु उद्योगों को डब्ल्यूटीओ के अनुरूप बनाना" विषय पर किए गए अध्ययन में यथा उल्लिखित-11 सूत्री कार्यसूची का ब्यौरा। अध्ययन में यह सलाह दी गई है कि लघु उद्योगों का :-

1. अपशिष्ट कम करने वाली तकनीक अपनाकर, डिजाइनों में सुधार करके, बेहतर सामग्रियों का उपयोग करके, उन्नत भण्डार प्रबंधन इत्यादि के जरिए घरेलू उत्पादों की कीमतें विश्व कीमतों के बराबर रखने की कोशिश करनी चाहिए।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता आयातित उत्पादों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं नए उत्पादों की खोज/निर्माण कर उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए।

3. अंतर्राष्ट्रीय/भारतीय उत्पाद मानक अपनाना चाहिए।

4. घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए बेहतर पैकेजिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।

5. पूर्व निर्धारित सुपुर्दगी कार्यक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

6. अपने उत्पादों के लिए पेटेंट प्राप्त करना चाहिए।

7. कोई अन्य छोटी इकाई शुरू करने के बजाय आधुनिक मशीनरी लगाकर औद्योगिक इकाइयों का उर्ध्वगामी विस्तार करना चाहिए।

8. आनुषंगिकता और अन्य उद्यमियों के साथ संबंध विकसित करने के क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए।

9. प्रबंधन एवं विपणन की पद्धतियों में बदलाव लाना चाहिए।

10. उन विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग एवं संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो अपने स्थापित माध्यमों के जरिए निर्यात विपणन का ध्यान रखेंगी और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी।

11. श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार लाना चाहिए।

[हिन्दी]

सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री

5831. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्रों के अभाव में किसानों को अपने खाद्यान्नों को सस्ती दरों पर बेचना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उत्पादन क्षेत्रों के निकट ऐसे केन्द्र तथा मंडियां खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितने क्रय केन्द्र खोले गए?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा 1.5.2002 की स्थिति के अनुसार 139.03 लाख टन गेहूं और 29.4.2002 की स्थिति के अनुसार 142.66 लाख टन उचित औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों वाले धान की वसूली न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है।

(ख) किसानों को अपने उचित औसत गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों वाले उत्पाद को बेचने की सुविधा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके उत्पादन क्षेत्रों तथा बाजार यार्डों/मंडियों में पर्याप्त संख्या में वसूली केन्द्र खोले जाते हैं। यह किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए किया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा खोले गये वसूली केन्द्रों की संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

2000-01 और 2001-02 के रबी तथा खरीफ मौसमों के दौरान भा.खा.नि./राज्य एजेंसियों द्वारा संचालित खरीद केन्द्रों की सूची दर्शाने वाला विवरण

रबी मौसम

(अनंतिम)

राज्य	2000-01			2001-02		
	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	राज्य एजेंसियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	495	1053	1548	439	1145 (1071अ. 74 सं.)	1584

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	77 (43अ. 34सं.)	303	380	85 (55अ. 30सं.)	285	370
उत्तर प्रदेश	44	4601	4645	—	4390	4390
राजस्थान	22	118	140	29	115	144
मध्य प्रदेश	22	1013	1035	22	875	897
दिल्ली	2	—	2	2	—	2
बिहार	26	—	26	37	512	549
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	2	—	2
उत्तरांचल	—	—	—	27	163	190
जोड़	688	7088	7774	643	7485	7616

अ.=अकेले

सं.=संयुक्त

खरीफ मौसम

(अनंतिम)

राज्य	2000-01				2001-02			
	भा.खा.नि.	संयुक्त	रा. एजेंसियां	जोड़	भा.खा.नि.	संयुक्त	रा. एजेंसियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	460	87	1040	1587	427	128	1098	1653
हरियाणा	22	10	192	224	31	35	165	231
उत्तर प्रदेश	—	—	केवल 1400 (6 प्रति ब्लाक)	1400	—	—	1605	1605
दिल्ली	4	—	—	4	2	—	—	2
राजस्थान	12	—	—	12	12 *22	—	— @28	12 @50
आन्ध्र प्रदेश	247	—	188	405	173	—	*282	455
मध्य प्रदेश	—	—	2155	2155	46	—	382 @231	428 @231

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	18	—	13	31	—	—	9	9
पांडिचेरी	2	—	2	4	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
***बिहार	40	—	512	552	38 2 और केन्द्रों के बारे में निर्णय लिया जा रहा है।	—	716	754
हिमाचल प्रदेश	2	—	—	2	4	—	—	4
महाराष्ट्र	—	—	255	255	—	—	823	823
जम्मू और कश्मीर	2	—	—	2	—	—	—	—
छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	1972 @254	2226 @254
*उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	*52	*52
गुजरात	—	—	—	—	—	—	@33	@33
जोड़	779	97	5757	6633	755	163	7641	8568

टिप्पणी : 1. पंजाब और हरियाणा में कच्चे आढ़तियों तथा अरुणाचल प्रदेश में आढ़तिया समितियों के जरिए।

2. आंध्र प्रदेश के आंकड़ों में रबी शामिल है।

3. @केवल मोटे अनाजों की वसूली हेतु।

4. *52 स्वीकृत और 50 प्रचालनात्मक।

[अनुवाद]

बांग्लादेश के साथ व्यापार वार्ता

5832. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार समझौते समीक्षा के लिए हाल ही में कोई अधिकारी स्तर पर वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या भारत बांग्लादेश के बीच वर्तमान व्यापार समझौता अप्रैल, 2002 में समाप्त हो गया;

(घ) यदि हां, तो क्या एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नए समझौते में यदि कोई नए मुद्दे जोड़े गए हैं, तो वे क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारत और बंगलादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर पर व्यापार वार्ताएं 8-10 अप्रैल, 2002 के दौरान ढाका में हुई थीं। यद्यपि व्यापार करार के पाठ पर विचार-विमर्श नहीं हुआ था तथापि द्विपक्षीय व्यापार के समस्त मुद्दों पर विचार-विमर्श किया

गया था और विचार-विमर्शों को जारी रखने तथा वार्ताओं के अगले दौर को यथा संभव शीघ्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। भारत ने बंगलादेश के उत्पादों की 16 श्रेणियों के अनुरूप 6-अंकीय सुमेलित प्रणाली (एचएस) स्तर पर चालीस टैरिफ लाइनों को शुल्कमुक्त पहुंच उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि सीमाशुल्क अधिकारियों का एक संयुक्त दल दोनों देशों के बीच व्यापार के निर्बाध प्रवाह हेतु सीमाशुल्क तथा सम्बद्ध प्रशासनिक क्रियाविधियों को सरल तथा कारगर बनाने पर विचार करने के लिए यथा संभव शीघ्र बैठक करेगा। बांग्लादेश ने बंगलादेश को सूतीयार्न तथा चीनी का निर्यात करने हेतु स्थलमार्ग की अनुमति प्रदान करने के भारतीय अनुरोध को राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के साथ उठाने पर सहमति व्यक्त की।

(ग) मौजूदा भारत-बंगलादेश व्यापार करार 3 अप्रैल, 2002 तक वैध था। इस अवधि को 4 अप्रैल, 2002 से 2 महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

वस्तुओं के मूल्यांकन के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की टिप्पणी

5833. **श्री रामजी मांझी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिपों के माध्यम से बेची गई वस्तुओं के मुल्यांकन के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर मंत्रालय का उत्तर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा असंतोषजनक ठहराया गया है, जैसा कि वर्ष 2002 की रिपोर्ट सं. 11 की पृष्ठ संख्या 55 के पैरा 9.6 में देखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो डिपों के माध्यम से बेची गई वस्तुओं के मूल्यांकन वाले कुल कितने मामले हैं जिनमें राज्य को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है;

(ग) क्या विशेषज्ञों द्वारा इस मामले की जांच की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राज्य को राजस्व का कोई नुकसान न हो और विनिर्माताओं के लाभ के अनुरूप विनियमों की व्याख्या करके राज्य को किए गए वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार देशभर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) महोदय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि. एवं म.ले.प.) ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 11 के पैरा 9.6 में उल्लेख किया है कि एक कर-निर्धारिती द्वारा विभिन्न डिपो के माध्यम से बेचे गए माल का न्यून मूल्यांकन हुआ था। वित्त मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया था। तथापि, मसौदा लेखा परीक्षा पैरा (म.ले.प.पै.) स्तर पर मंत्रालय की टिप्पणियों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अब चूंकि मसौदा लेखा परीक्षा पैरा को एक लेखा परीक्षा पैरा में परिवर्तित कर दिया गया है, मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी (ए.टी.एन.) को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजा जाएगा।

उड़ीसा को विश्व बैंक और डीएफआईडी से अनुदान

5834. **श्री अनन्त नायक** :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उड़ीसा को विश्व बैंक और डीएफआईडी से कितना अनुदान मिला है;

(ख) किस प्रयोजनार्थ उड़ीसा को यह अनुदान दिया गया था और उन वर्षों में अनुदान का किस सीमा तक उपयोग किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान इस राज्य को विश्व बैंक और डीएफआईडी से कोई अनुदान दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) संविधान के उपगंधों के अंतर्गत, उधार लेने की राज्य की कार्यपालिका शक्तियां केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तक सीमित हैं। साथ ही, संविधान की अनुसूची-7 के तहत "विदेशी ऋण" संघ सूची के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए, राज्य सरकारें विदेशों/विदेशी संस्थाओं से सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकतीं। तथापि, केन्द्र सरकार राज्यों के लिए वित्तीय सहायता हेतु द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थाओं से संपर्क करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के संबंध में डीएफआईडी से प्राप्त अनुदानों की राशि तथा जिन उद्देश्यों हेतु इन अनुदानों को उपयोग में लाया गया, उसका विवरण नीचे दिया गया है। इस अवधि के दौरान विश्व बैंक द्वारा राज्य के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया।

राशि जीबीपी में, मिलियन में

क्र० सं०	परियोजना का नाम	करार तिथि	कुल अनुदान राशि	निम्नलिखित वर्षों के दौरान उपयोग		
				1999-2000	2000-01	2001-02
1.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	29.8.96	42.00	3.35	0.00	0.00
2.	उड़ीसा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सुधार	21.8.97	3.82	0.14	0.41	0.29
3.	कटक शहरी सेवा सुधार परियोजना	20.10.97	12.72	0.83	0.00	0.55
4.	पश्चिम उड़ीसा ग्रामीण जीवन निर्वाह	23.7.99	32.75	0.00	0.00	0.00
5.	चक्रवात से क्षतिग्रस्त लिफ्ट सिंचाई स्थल	29.8.2001	5.35	—	—	1.40
6.	उड़ीसा जिला प्राथमिक शिक्षा	10.10.01	45.21	—	—	0.00
7.	उड़ीसा में चक्रवात के बाद प्राथमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण	1.1.2002	33.20	—	—	0.00
8.	उड़ीसा सार्वजनिक क्षेत्र सुधार टीसी परियोजना	17.3.99	19.00	टीसी परियोजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि डीएफआईडी द्वारा सीधे व्यय की जाती है।		

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त भाग "ग" में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आभूषण व्यापारियों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो का सर्वेक्षण

5835. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन शहरों और महानगरों में भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) द्वारा आभूषण और सोना व्यापारियों के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम मिला;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में ग्राहकों को घटिया सोना बेचे जाने के मामले को उजागर करने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो घटिया सोना बेचने से कितने आभूषण व्यापारियों का पता चला?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने बाजार में बेचे जा रहे स्वर्णाभूषणों की वास्तविक शुद्धता का पता लगाने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद, कोलकाता तथा जयपुर में एक सर्वेक्षण किया। परीक्षण किए गए 120 नमूनों में से मात्र 14 नमूने दावाकृत शुद्धता के अनुरूप पाए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पक्ष के संबंध में विशेषज्ञ समिति

5836. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2001 में बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पक्ष के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा उसे सौंपी गई रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में अपने विचार सरकार को भेज दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि इस प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से होने वाली देरी के क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विचारों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब इस तथ्य के कारण हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों के अनुसार बैंक धोखाधड़ियों की जांच पड़ताल हेतु केन्द्रीय समर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय दल द्वारा जांच किए जाने के लिए रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दी गई है।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

5837. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए देश में कार्यरत 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वी०आर०सी०) के लिए आबंटित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी और इन पर कितना व्यय किया गया;

(ग) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को अधिक धनराशि आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में रहने वाले बच्चों के शारीरिक, चिकित्सीय, सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उत्थान के लिए कौन-कौन से नये कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को पर्याप्त निधियां आबंटित की जाती हैं जो 15-50 वर्ष आयु समूह के विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के लिए 24.47 करोड़ रु० के कुल आबंटन में से वर्ष 1999-2000 के दौरान 18.09 करोड़ रु० व्यय किया गया। इस संबंध में नई पहल के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं, ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, ग्रामीण क्षेत्रों में सचल शिविरों, आदि की स्थापना करना शामिल है।

अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात

5838. **श्री वाई०वी० राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों को भारत के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष अर्थात् 2000-2001 के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) उक्त देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों का किए गए भारत के निर्यातों में वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर, 2001-2002) में क्रमश: (-) 13.31% और (-) 6.04% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। विद्यमान वैश्विक मंदी के साथ-साथ 11 सितम्बर, की घटना और इसके बाद के घटनाक्रम से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्यात वृद्धि दर कम रही है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों को भारत का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश/क्षेत्र	2000-2001
संयुक्त राज्य अमरीका	9281.88
यूरोपीय संघ के देश	10362.58

(घ) निर्यात संवर्धन एक प्रमुख थ्रस्ट क्षेत्र बना रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं का प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात का बढ़ाने के अनेक उपाय किए गए हैं। हालही में घटित घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान वैश्विक आर्थिक वातावरण पर विचार करते हुए वर्ष 2002-2007 की अवधि के लिए मध्यावधि निर्यात कार्यनीति घोषित की गई है।

[हिन्दी]

मंत्रालय में भ्रष्टाचार

5839. श्री राम टहल चौधरी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंत्रालय में उपलब्ध तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रालय में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सतर्कता मामलों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण रखने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण करता है।

मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार निरोधी उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अचानक निरीक्षण करना, गंभीर शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने के लिए उड़न दस्ते और विशेष दल तैनात करना, संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों की अदला बदली करना और सतर्कता मामलों की सतत् मानीटरिंग करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

केरल को आबंटन

5840. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत केरल राज्य में वर्षवार और योजनावार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : केरल में व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रमांक	योजना का नाम	निर्मुक्त राशि (रु० लाख में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना	442.04	483.72	539.45
2.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता	28.00	19.00	57.45
3.	मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण	110.42	119.12	125.12
4.	बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	14.00	8.29	20.25
5.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	13.66	9.72	8.77
6.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता समूहों को सहायता	0	22.00	11.20

1	2	3	4	5
7.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	2.46	17.03	9.89
8.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना	0	0	4.09
9.	आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की योजना	15.54	6.86	8.08
10.	किशोर न्याय कार्यक्रम	16.86	21.30	25.28
11.	विकलांगों को रोजगार	7.96	0	64.46

विकास दर

5841. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने 2002-03 के लिए भारत की विकास दर 6-7 प्रतिशत परिकल्पित की है;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक ने लक्षित विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय सुझाये हैं;

(ग) यदि हां, तो एशियाई बैंक द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक द्वारा दिये गये सुझावों के संबंध में और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) हाल ही में प्रकाशित वर्ष 2002 के एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (एडीओ) में जो एशियाई विकास बैंक का एक प्रकाशन है, राजकोषीय वर्ष 2002-03 के लिए भारत आर्थिक विकास दर का अनुमान 6 प्रतिशत तथा राजकोषीय वर्ष 2002-03 के लिए 6.5-7 प्रतिशत लगाया गया। एडीओ का उदेश्य नीति संबंधी सलाह उपलब्ध कराना नहीं है बल्कि अतीत की प्रवृत्तियों और उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर विकासशील सदस्य देशों के संबंध में दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना है। रिपोर्ट में निहित विश्लेषणों तथा मूल्यांकनों से निदेशक मंडल के विचारों का आवश्यक रूप से प्रकटीकरण नहीं होता।

खाद्यान्नों की खरीद

5842. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद में नाटकीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन महीनों के दौरान खाद्यान्न निर्यात में रिकार्ड वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों, चावल और गेंहू के उठान में निम्नानुसार महत्वपूर्ण सुधार हुआ है:-

(आंकड़े लाख टन में)*

माह	चावल	गेहूं	जोड़
जनवरी, 2002	15.61	6.13	21.74
फरवरी, 2002	11.93	6.61	18.54
मार्च, 2002	20.06	8.65	28.71

*(अनंतिम)

(ग) और (घ) पिछले तीन महीनों के दौरान चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा का निर्यात किया गया था:-

(आंकड़े लाख टन में)*

माह	चावल	गेहूं	जोड़
जनवरी, 2002	2.51	2.39	4.90
फरवरी, 2002	2.80	3.37	6.17
मार्च, 2002	3.01	3.37	6.38

*(अनंतिम)

रेशम पर आयात शुल्क में वृद्धि

5843. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेशम उत्पादकों का संरक्षण करने के लिए रेशम पर आयात में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने वित मंत्रालय को आयात शुल्क लेवी की सिफारिश की है;

(ग) क्या रेशम पर आयात शुल्क लगाने का कार्य विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) और (ख) 2002-2003 हेतु घोषित आम बजट में रेशम का आयात शुल्क वर्ष 2001-2002 में 40.40% से घटाकर 35.20% कर दिया गया है। इस मंत्रालय ने 40.40% के स्तर पर रेशम का आयात शुल्क बनाये रखने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) शुल्क की किसी विशेष दर को लगाना, जब तक यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के किसी सदस्य द्वारा किये गये शुल्क बाध्यता से अधिक नहीं होता है, डब्ल्यू टी ओ की परिसीमा में नहीं आता है। चूंकि रेशम पर कोई शुल्क बाध्यता नहीं है, अत: यह कोई मुद्दा नहीं है।

चाइल्ड लाइन सर्विस

5844. डा० एस० वेणुगोपाल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के और नगरों और शहरों में चाइल्ड लाइन सर्विस प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने नगरों में यह सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार के पास इस सुविधा का अधिक प्रचार-प्रसार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि अधिक-से-अधिक लोग इस सुविधा से लाभान्वित हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह सेवा अब 38 नगरों में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की लाभार्थियों के प्रति उन्मुख योजनाओं का प्रचार एक सतत प्रक्रिया है। मीडिया के सभी उपलब्ध स्वरूपों का इस्तेमाल चाइल्डलाइन सेवाओं का अधिक प्रचार करने के लिए किया जा रहा है।

समुद्री क्षेत्र के लिए पुनर्निर्माण और विकास कोष

5845. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पुनर्निर्माण और विकास कोष स्थापित किया है

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान समुद्री क्षेत्र द्वारा कितना निर्यात किया गया;

(घ) वर्ष 2002-2003 के लिए समुद्री क्षेत्र द्वारा निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समुद्री क्षेत्र को कौन-कौन से प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश से समुद्री उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :-

वर्ष	निर्यातों का मूल्य (मिलि. अमरीकी डालर में)
2000-2001	1416
2001-2002	1211 (अनंतिम)

(घ) और (ङ) विद्यमान एवं प्रत्याशित बाजार की स्थिति पर निर्यातो के बारे में अनुमान लगाना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान समुद्री उत्पादों की निर्यात हेतु मौजूदा अनुमान 1250 मिलियन अमरीकी डालर का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल है समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम उठाना, जलकृषि का विस्तार करना, रोगों के प्रकोप से बचने के लिए प्रबंधन की ठोस पद्धतियां अपनाने के प्रयोजनार्थ जलकृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, निर्यात हेतु मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करना, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (उम्पीडा) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण करना इत्यादि।

पार्थो शोम समिति रिपोर्ट

5846. श्री अरुण कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कराधान संबंधी पार्थो शोम समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) पार्थो शोम समिति की सिफारिशों पर वर्ष 2002-2003 के बजट में बजट पूर्व कार्रवाई के हिस्से के रूप में विचार किया गया था और इस संबंध में सरकार का निर्णय, वित्त विधेयक, 2002 के माध्यम से किए गए प्रस्तावों में परिलक्षित होता है।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उच्चतर दर के साथ-साथ 16% की दोहरी दर संरचना, जिसमें 30% व्यक्तिगत आयकर की सीमान्त दर बनाए रखना, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सीमा शुल्क टैरिफ में कमी करना, सीमा शुल्क तथा आयकर के संबंध में छूट की पुनरीक्षा तंथा छूट समाप्ति, विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के यौक्तिकरण और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण शामिल हैं।

ट्रिप्स का प्रवर्तन

5847. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें ट्रिप्स के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(ख) क्या सरकार के पास ट्रिप्स के और सख्ती से प्रवर्तन किये जाने के संबंध में कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) ट्रिप्स करार में पौध किस्म सहित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के सात क्षेत्र शामिल हैं जो भारत में अलग कानून के द्वारा संरक्षित हैं। इन अधिनियमों में इन बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के उल्लंघन के खिलाफ सिविल एवं फौजदारी उपायों की व्यवस्था है। सिविल उपायों के लिए कोई अधिकार-धारक किसी ऐसे न्यायालय में मामला दायर कर सकता है जो जिला न्यायालय के स्तर से कम का नहीं हो और जिसके पास संबंधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट तरीके से उस मामले पर विचार करने का अधिकार हो। जहां ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि जैसे आई पी आर के उल्लंघन के लिए फौजदारी उपायों के प्रावधान हैं, वहां किसी पुलिस थाने का प्रभारी पुलिस अधिकारी उस दशा में खुद ही किसी मामले की जांच कर सकता है जब उसकी जानकारी में कोई संज्ञेय अपराध किए जाने का मामला लाया जाया जाता है। गैर-संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस केवल उस मजिस्ट्रेट के आदेश पद जांच कर सकती है जिसके पास ऐसे मामलों पर विचार करने का अधिकार हो। आपराधिक दण्डों से संबंधित प्रावधानों को पुलिस बल के जरिए लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉपीराईट को लागू करने संबंधी कार्य को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं—कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद की स्थापना, प्रवर्तक कार्मिकों एवं आम जनता के बीच कॉपीराइट कानूनों के बारे में व्यापक जागरूकता बनाने के लिए सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन, समेकित सोसायटियों के गठन को प्रोत्साहित करना, राज्य पुलिस मुख्यालय में पृथक प्रकोष्ठों का सृजन इत्यादि।

[हिन्दी]

अनाथ बच्चे

5848. श्री मोहन रावले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी वितीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) क्या इनमें से कुछ और सरकारी संगठनों ने प्राप्त वितीय सहायता का दुरूपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो इन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कारवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के गैर-सरकारी संगठनों जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए इस मंत्रालय द्वारा वितीय सहायता प्रदान की गई है का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) मंत्रालय के पास दुर्विनियोग के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य के गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, का ब्यौरा

क्र. सं.	नाम और पता	परियोजना	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	सलाम बालक ट्रस्ट पी टी वेलफेयर सेंटर आशा सदन मार्ग उमर खादी मुंबई	बेसहारा बच्चे	4.5	12.38	5.87
2.	सोसाईटी अंडरटेकिंग फॉर पुअर पीपुल्स ओनस फॉर रिहेबिलिटेशन (सपोर्ट) ओल्ड बी एम सी ऑफिस, वकोला मार्केट नेहरू रोड सांताक्रुज (इस्ट) मुंबई	बेसहारा बच्चे	0.28	0.21	1.8
3.	दी वात्सालय फाउंडैशन किंग जार्ज V मेमोरियल डॉ. मोसेस रोड मुंबई	बेसहारा बच्चे	7.02	6.78	5.51
4.	टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोसल सर्विस पी बी नं. 8313, सीएन ट्राम्बे रोड देवनार मुंबई	बेसहारा बच्चे	7.9	1.06	0
5.	चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन नाना चौक फेरेरे ब्रिज नीयर ग्रांट ट्रंक रोड स्टेशन मुंबई	बेसहारा बच्चों की परियोजनाओं का निरीक्षण तथा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान	11.19	14.41	2.64

1	2	3	4	5	6
6.	अपंग व निराधार बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्था जिंगवाड़ी रोड़, नागपुर	बेसहारा बच्चे	0	36.73	8.02
7.	भारतीय इंस्टीच्यूट ऑफ़ सोशल वर्क, 98 ओल्ड सुबेदार लेआऊट एक्सटेंशन नागपुर	बेसहारा बच्चे	6.15	0	0
8.	खातून मॉनिरीटी वीमेन्स सोसल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाईटी, 534 एम एच बी कॉलोनी माले गांव नासिक	बेसहारा बच्चे	0	0	0.74
9.	दीप गृह सोसाइटी फेमिली वेलफेयर सेंटर 13, ताड़ी वाला रोड पुणे	बेसहारा बच्चे	1.23	0	0
10.	समता शिक्षण संस्थान 861/11 सदाशिव पेठ पुणे	बेसहारा बच्चे	0.31	0	0
11.	आमरे, देवकी सिंह किसोल गोलीवर सांताक्रुज मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	2.87	2.12	7.29
12.	आश्रा नियर प्रफुल्ल नाखवा चाल थाणे	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.19	0.43	0.74
13.	हमारा क्लब द्वारा टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोसल सर्विस पो.बा. 8313 ट्रांबे रोड मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.23	0.4	0.39
14.	चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन नाना चौक मुनिसपल स्कूल फरेरे ब्रिज लो लेवल नाना चौक, मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	1.22	17.39	11.03
15.	नेशनल एडिक्शन रिसर्च सेंटर, 5वां तल भारादावादी हॉस्पीटल, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	1.71	0	0
16.	प्रेम सागर, द्वारा कॉमयुनिटी डेवलपमेंट सेंटर, मलाद (वेस्ट), मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.22	0	0
17.	प्रेरणा, द्वारा प्रिति पतकार कामाथिपिना मुनसिपल स्कूल, कामाथपुरा, मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.22	0	0

1	2	3	4	5	6
18.	यूथ फॉर यूनिटि एंड वोलेंट्री एक्सन फील्ड ऑफिस 25/53 नारे पाक, मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	2.85	3.65	5.4
19.	बलप्राफुलता, सेंट डोमिनिक साविये स्कूल महाकाली केवस रोड अंधेरी (इस्ट), मुंबई	चाइल्ड लाइन परियोजना	0	6.16	5.14
20.	अपंग व निराधार बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्थान, डा. राम मनोहर लोहिया चाइल्ड डेवलपमेंट, नागपुर	चाइल्ड लाइन परियोजना	3.33	2.98	4.30
21.	बापूजी बहुजन समाज कल्याण बहुउद्देशीय संस्थान श्रीनिकेतन अपाटमेंट खामला रोड	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.42	0.42	0.29
22.	इंडियन सोशल सर्विस यूनिट ऑफ एजुकेशन, नागपुर	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.41	0.30	0.26
23.	मत्रू सेवा संघ इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल वर्क, बजाज नगर, नागपुर	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.51	0.78	1.84
24.	वरदान, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रोमोशन ऑफ एडोप्शन, लता मंगेशकर हॉस्पीटल, वाइएमसीए कॉम्पलेक्स महाराजबाग रोड़, सीताबोलदी, नागपुर	चाइल्ड लाइन परियोजना	0.41	0.42	0.50
25.	कारवे इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल सर्विस, 18 हिलराइड कामा नगर, पुणे	चाइल्ड लाइन परियोजना	0	0	1.95
26.	ध्यानवृद्धि द्वारा देशविकास बोम्बे रोड़, पुणे	चाइल्ड लाइन परियोजना	0	0	5.30

राज्यों में चीनी उत्पादन

5849. श्री नागमणि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी मिलों में उत्पादित चीनी की तुलना में गैर सरकारी मिलों में उत्पादित चीनी में कम कैलोरी होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी में कैलोरी की मात्रा कम करने के लिए भविष्य में आवश्यक उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) देश में चीनी मिलें भारतीय चीनी मानकों के अनुसार चीनी का उत्पादन करती हैं।

भारतीय चीनी में सुक्रोज की मात्रा 99.5% से कम नहीं होती है। शुद्ध चीनी (जिसमें 100% सुक्रोज होता है।) में कैलोरी की मात्रा 3939 कि. कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इस प्रकार, सभी चीनी फैक्ट्रियां, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों, एक-समान गुणवता वाली चीनी का उत्पादन कर रही हैं।

श्रीलंका को गेहूं का निर्यात

5850. **श्री जी०एस० बसवराज : क्या उपभेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार 15 वर्षीय पैकेज पर श्रीलंका को 3 लाख टन गेहूं का वार्षिक निर्यात करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या सरकार की सामान्य ऋण अवधि तीन वर्ष है और यदि हां, तो इसमें परिवर्तन करने के क्या-क्या कारण हैं;

(ग) क्या एफ०ओ०बी० आधार पर माल भेजने की हमारी प्रथा के विपरीत सी०आई०एफ० आधार पर खेपों का निर्यात किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या जिस कीमत पर समझौता हुआ है उस कीमत में सी०आई०एफ० लागत भी शामिल होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ङ) श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने 22-24 दिसम्बर, 2001 के बीच भारत का दौरा किया था। श्रीलंका की प्रधान मंत्री के अनुरोध पर भारत दोनों पक्षों द्वारा सहमत शर्तों पर श्रीलंका को अगले 12 महीनों के लिए 25000 टन गेहूं प्रतिमाह आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और श्रीलंका सरकार के बीच इस संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

दलहनों की अवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना

5851. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार प्रतिबंध हटाने और दलहनों को देश के भीतर सरलतापूर्वक लाने-ले-जाने की अनुमति प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक शाखाओं का खोला जाना

5852. **श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उन राज्यों में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन देने की कोई योजना है जहां बैंक जनसंख्या अनुपात 1:25000 से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो कम सुविधा वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने हेतु बैंकों को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा किसी नई शाखा द्वारा अपना काम शुरू करने के पहले पांच वर्षो में ब्याज पर कोई राजसहायता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार देश में औसत जनसंख्या प्रति शाखा कार्यालय (एपीपीबीओ) 15000 है। केवल एक राज्य नामत: मणिपुर ऐसा राज्य है जिसमें ए पी पी बी ओ 25000 से अधिक है। 12 राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रति शाखा कार्यालय जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्तमान नीति के अनुसार, बैंक शाखाएं खोलना बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है जो विभिन्न कारकों यथा किसी विशेष केन्द्र पर टोपोग्राफी, अवसंरचना (सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति और परिसर) की उपलब्धता, कारबार की उपलब्धता, आदि पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पर्वतीय/छुटपुट आबादी वाले क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए तरजीह देने की सलाह दी है, बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए कोई प्रोत्साहन अथवा ब्याज सब्सिडी देने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

भेल द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

5853. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का विचार विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विद्युत परियोजनाओं को शुरू किये जाने की संभावना है;

(ग) भेल द्वारा शुरू की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की क्षमता और लागत कितनी है;

(घ) विद्युत परियोजनाओं की निबन्धन और शर्तें क्या हैं; और

(ङ) विद्युत परियोजनाओं की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) इस समय अपने स्तर पर विद्युत जेनरेटिंग प्रोजेक्ट स्थापित करने का भेल का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

दृष्टिहीन छात्रों के लिये आवासीय विद्यालय

5854. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दृष्टिहीन और विकलांग विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु वर्तमान प्रावधान क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई देशव्यापी सर्वेक्षण करा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में दृष्टिहीन विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालयों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) दृष्टि विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पुर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय 5, धारा 26-31 के अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को एक सांविधिक दायित्व सौंपा गया है।

(ख) और (ग) दृष्टि विकलांग छात्रों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना के अंतर्गत दृष्टि विकलांग के लिए कार्यरत लगभग 90 स्वैच्छिक संगठनों को आवासीय स्कूलों सहित दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायतानुदान प्रदान किया गया था। राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकरण तथा निजि संस्थाएं भी दृष्टि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए आवासीय स्कूलों सहित सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस क्षेत्र में सेवाओं के विस्तार के लिए स्वैच्छिक कार्य को लगातार बढ़ावा दे रहा है।

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

5855. डॉ० बलिराम : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में इन जातियों को कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में भगवान, कुर्मी, सैंथवार, सांवत तथा कटुआ जातियों/समुदायों को शामिल करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये अनुरोध आयोग द्वारा जांच और विचार के विभिन्न चरणों में हैं तथा इसके बाद आयोग सरकार को अपनी राय प्रस्तुत करेगा।

[अनुवाद]

संगमरमर उद्योग में संकट

5856. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में संगमरमर उद्योग भारी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संगमरमर के व्यापारियों से उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पुनरुद्धार उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, आदि के कारण संगमरमर उद्योग के समक्ष आयी वित्तीय कठिनाइयों के दृष्टिगत, अखिल भारतीय मार्बल विकास संघ से संगमरमर के स्लैब और टाइलों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को वापस लेने के अनुरोध संबंधी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की सिफारिशों के साथ यह अनुरोध वित्त मंत्रालय को भेजा गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर श्वेत पत्र

5857. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिनांक 6/7 अप्रैल, 2002 'बिजनेस' स्टैण्डर्ड के सप्ताहांत संस्करण में "पेपर ऑन पी०एस०यू० टर्न एराउंड में वी डम्पड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा अपने प्रशासकीय नियंत्रण वाले सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों के पुनरूद्धार संबंधी श्वेत पत्र के ठंडे बस्ते में डाले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) से (घ) श्वेत पत्र को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। अन्तिम दृष्टिकोण अभी तक नहीं लिया गया है।

सांविधिक नोटिस जारी किया जाना

5858. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धारक अधिकारियों को अपनी नियंत्रण पंजिका में लेखा परीक्षक द्वारा सूची-बद्ध किए गए मामलों पर कार्रवाई करने और उन निर्धारितियों को सांविधिक नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का निर्देश दिया है जो अब तक निर्धारण से बचते रहे हैं, जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट संख्या 12ए के पृष्ठ 94 पर उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन निर्धारितियों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में ऐसा अनुदेश दिया गया है;

(ग) निर्धारिती किन कारणों से निर्धारण से बचते रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कर निर्धारितियों के ब्यौरे विवरण के रूप में अलग से संलग्न हैं (दिल्ली के 22 मामले)।

(ग) ऐसे सभी मामलों में, कार्य योजना के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 143(1)(क) के तहत संक्षिप्त तरीके से कार्यवाही आरम्भ की गई थी।

(घ) ऐसे सभी मामलों को अब संवीक्षा के लिए चयनित किया गया है और सुधारात्मक उपाय के रूप में नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली क्षेत्र के 22 मामलों के ब्यौरे

क्रमांक	कर-निर्धारिती का विवरण
1	2
1.	सरोज नर्सिंग होम
2.	महबूब आलम प्रॉप अर्पण हॉस्पिटल
3.	रश्मि मैटर्निटी एण्ड चाइल्ड हॉस्पिटल

1	2
4.	अमृत हॉस्पिटल
5.	स्पर्श हॉस्पिटल
6.	आर०के० मैटर्निटी सेन्टर
7.	एम०आर० नर्सिंग होम
8.	इन्द्रदीप नर्सिंग होम
9.	शुभम हॉस्पिटल
10.	एम०एम०आर०आई० इंस्टिच्यूट
11.	लाला गेला राम मेमोरियल डेण्टल हॉस्पिटल
12.	मै० जयनार हॉस्पिटल
13.	अमर ज्योति हॉस्पिटल
14.	अग्रवाल हॉस्पिटल
15.	एम०बी० हॉस्पिटल
16.	आहुजा हॉस्पिटल
17.	कुकरेजा नर्सिंग होम
18.	जे०एम०एम० बत्रा हॉस्पिटल
19.	गोयल नर्सिंग होम
20.	एम०बी० नवाब हॉस्पिटल
21.	मोंगा मेडिकल सेन्टर
22.	जसरोतिया हॉस्पिटल

आयकर/सम्पत्ति कर निर्धारण के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की टिप्पणी

5859. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा आयकर और संपत्ति निर्धारण की गुणवत्ता की जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ कंपनियों की गहन लेखा जांच हेतु लेखा परीक्षा कराई गई, जैसा कि वर्ष 2002 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 12ए के पैरा 4.1 आदि में उल्लेख किया गया है और लेखा परीक्षा में कर की मात्रा 654.42 करोड़ रुपये तक बढ़ गई;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों की आय का आकलन करते समय और कर देयताओं के निर्धारण में मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा समुचित ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री .(श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 12क (मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) जिसे 15 मार्च, 2002 को संसद में रखा गया था, में चयनित क्षेत्रों नामत: सीमेण्ट, ऑटोमोबाइल्स और टैक्सटाइल की कंपनियों के कर-निर्धारणों की लेखा परीक्षा पर पुनरीक्षा के परिणामों को शामिल किया है। यह पुनरीक्षा इन क्षेत्रों में कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक के लिए 97 ऐसी चयनित कंपनियों (24-सीमेण्ट, 35-ऑटोमोबाइल्स, 38-टैक्सटाइल्स) जिनका लाभपूर्व कर 25 लाख रुपये था के आयकर और धन कर के निर्धारण पर केन्द्रित थी। 326 लेखा परीक्षा प्रेक्षण उठाए गए थे जिनका कर प्रभाव 654.42 करोड़ रुपये था।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को पैरावार उत्तर देने और उक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की शुद्धता अथवा अन्यथा निर्धारित करने के उद्देश्य से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जांच की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले ही कर-निर्धारण अधिकारियों/क्षेत्रीय कार्यालयों को कर-निर्धारणों में यथोचित सावधानी बरतने और अशुद्धियां न करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं। एक मानीटरिंग प्रणाली भी है जिसमें की गई अशुद्धियों को दर्ज करने के लिए खाता कार्ड बनाए जाते हैं और जब संबंधित अधिकारियों को ऐसी अशुद्धियां करते हुए पाया जाता है तो उनका स्पष्टीकरण मांगा जाता है। निदेशक, आयकर (लेखा परीक्षा) लेखा परीक्षा कार्य का निरीक्षण करता है और कर-निर्धारण अधिकारियों के मार्ग-दर्शन के लिए जांच सूची विनिर्धारित करता है।

[हिन्दी]

एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात सरकार को ऋण

5860. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने गुजरात को पेयजल समस्या को हल करने लिये 362 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत ऋण में से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा बाकी धनराशि किस तिथि तक मिल जायेगी और इस धनराशि को किस तरीके से व्यय किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) एशियाई विकास बैंक द्वारा मार्च, 2001 में गुजरात भूकम्प पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए ऋण में लगभग 362 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि क्षतिग्रस्त पाइपों, पम्प स्टेशनों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने, तथा शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए जल की व्यवस्था बनाए रखने हेतु टयूब वैल तथा क्षेत्रीय व्यवस्थाओं दोनों के जरिए जलापूर्ति करने के लिए शामिल थी। इसके अलावा, इस परियोजना के अंतर्गत भुज, रापर, अंजार तथा बचाउ के चार कस्बों में जल वितरण व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा अहमदाबाद, जामनगर, वड़ोदरा तथा राजकोट के नगर निगमों और अन्यों के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गयी है।

(ख) लगभग 150 करोड़ रुपए मूल्य के निर्माण कार्यों को स्वीकृत कर प्रारम्भ किया जा चुका है। इस राशि में से लगभग 20 करोड़ रुपए का संवितरण किया जा चुका है। एशियाई विकास बैंक से प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता प्राप्त होती है जो परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दावा प्रार्थना पत्रों पर आधारित होती है। परियोजना हेतु इस ऋण की अन्तिम तारीख 30 जून, 2004 है।

[अनुवाद]

निर्माताओं को डीम्ड क्रेडिट

5861. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसंस्कृत फैब्रिक के विनिर्माण में लगे 67 कर निर्धारितियों के रिकार्डों के केन्द्रीय उत्पाद के अहमदाबाद-I, बंगलौर-II और सूरत-I आयुक्तालयों में परीक्षण से पता चला है कि वे बाहर से घटिया फैब्रिक खरीदकर प्रयोग करते थे और उन्हें इस तथ्य के बावजूद कि घटिया फैब्रिक आदान के पात्र नहीं हैं और शुल्क मुक्त नहीं हैं उन्हें सितम्बर, 1996 और दिसम्बर, 1998 के बीच 73.40 करोड़ रुपए की "डीम्ड क्रेडिट" अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में "डीम्ड क्रेडिट" की अनुमति दिया जाना सही नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो "डीम्ड क्रेडिट" की अनुमति देने के लिए दोषी व्यक्तियों और राज्य को वित्तीय घाटा न हो, यह सुनिश्चित करने में कनिष्ठ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण की अनदेखी के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। लेखा परीक्षा द्वारा 67 कर-निर्धारितियों के अभिलेखों का परीक्षण किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) द्वारा उठायी गयी आपत्ति को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। समझे गए क्रेडिट की अनुमति प्रदान करना उचित था, क्योंकि समझा गया क्रेडिट यार्न/फाइबर के सम्बन्ध में अनुमत्य होता है जो भले ही स्वतन्त्र प्रसंस्करण करने वालों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इस संबंध में प्रयोग नहीं किया जाता है फिर भी यह भूरे वस्त्रों में विहित होता है जिसका उपयोग संसाधित वस्त्रों (तैयार माल) के निर्माण में किया जाता है।

कृषि के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से धनराशि

5862. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में इस तरह के वित्तीय संस्थानों से प्राप्त धनराशि से कृषि विकास के लिये कौन-सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) क्या ऐसी संस्थाओं द्वारा उड़ीसा में ऐसी किसी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त निधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित परियोजनाएं चलायी गयीं :-

दि. 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार
राशि एसडीआर मिलियन में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दाता	प्रभावी तिथि	ऋण राशि	संचित संवितरण
1.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी-II) (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तरांचल)	आईडीए आईबीआरडी	15.9.1999	36.90 85.00 अमरीकी डालर	35.87 0.00
2.	केरल जलसंभर विकास	आईडीए	10.9.2001	79.00	2.36

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी नामक एक बहु-राज्यीय परियोजना दि. 22.6.98 को प्रारम्भ की गयी थी जिसके लिए ऋण 96.8 मिलियन अमरीकी डालर तथा क्रेडिट 73.8 मिलियन एसडीआर था। इसमें सात भागीदार राज्यों में से उड़ीसा एक था।

फिल्म उद्योग को ऋण

5863. श्री अम्बरीश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फिल्म उद्योग और फिल्मी हस्तियों से सरकार ने कुल कितना आयकर एकत्र किया है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि फिल्म उद्योग आयकर और अन्य करों के रूप में काफी अधिक धनराशि का भुगतान करता है, तथापि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान फिल्म उद्योग को कोई ऋण या अग्रिम धनराशि देने के प्रति उदासीन है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लाइसेंसधारी बीमा सर्वेक्षक

5864. श्री अनंत गुढे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में लाइसेंसधारी बीमा सर्वेक्षकों का वर्गीकरण किया है और सर्वेक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को सर्वेक्षकों को वर्गीकृत करने के लिए मापदंड के तौर पर अपनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन आंकड़ों को सत्यापित करने का कोई प्रयास किया गया है जिसके आधार पर सर्वेक्षकों का वर्गीकरण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एक प्रयुक्त मापदंड अधिकतम मात्रा में नुकसान का आकलन करना है जिस कारण मुख्यालय के पैनल में दर्ज सर्वेक्षकों को कम आकलित नुकसान के कारण "ख" श्रेणी में अवनत कर दिया जाता है अर्थात् अधिक नुकसान की स्वीकृति देने वालों को पुरस्कृत किया जाता है जबकि कम नुकसान की स्वीकृति देने वालों को दंड मिलता है; और

(ङ) अपनाए जाने वाले मापदंडों में संशोधन करने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य और पात्र सर्वेक्षकों के साथ कोई अन्याय न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा किया गया सर्वेक्षणकर्ताओं का वर्गीकरण सर्वेक्षणकर्ता सूचना फार्म (एसआईएफ) में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। एसआईएफ में दी गई सूचना को प्राधिकरण द्वारा जांचा नहीं गया है। तथापि, जहां भी सर्वेक्षणकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वहां आईआरडीए ने एसआईएफ में दिए गए आंकड़ों के समर्थन में प्रमाण की मांग की है।

(घ) और (ङ) सर्वेक्षणकर्ताओं का वर्गीकरण अन्य बातों के अलावा, सर्वेक्षणकर्ताओं की शैक्षिक/बीमा अर्हताओं, प्रशिक्षण, अनुभव, गत तीन वर्षों में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण-कार्यों की संख्या के साथ-साथ हानि की मात्रा पर आधारित है। आईआरडीए को निचला वर्ग प्रदान किए जाने के संबंध में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के मुख्य कार्यालय के पैनल में आने वाले कुछ सर्वेक्षणकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सभी पीड़ित सर्वेक्षणकर्ताओं को आईआरडीए द्वारा यह सलाह दी गई है कि वे मुख्य कार्यालय के पैनल में होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र की किसी एक बीमा कम्पनी के महाप्रबंधक (तकनीकी) से सिफारिशें

भी प्रस्तुत करें ताकि वर्गीकरण की समीक्षा हेतु उनके मामले पर विचार किया जा सके।

इसके अलावा, सर्वेक्षणकर्ता प्राप्त प्रशिक्षण, योग्यता और वर्गीकरण-व्यवस्था के कार्यान्वयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान सर्वेक्षण-कार्यों के संदर्भ में अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर अपने वर्गीकरण का उन्नयन किए जाने हेतु पात्र हैं।

गुजरात से वस्त्रों का निर्यात

5865. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में हाल में हुई साम्प्रदायिक झड़पों और उथल-पुथल से वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र निर्माण में हुये घाटे के आकलन हेतु गुजरात में एक केन्द्रीय दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके गुजरात में वस्त्र निर्माण को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) से (ग) गुजरात में हाल के कानून और व्यवस्था की स्थिति का वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात पर पड़े प्रभाव का इस मंत्रालय द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार गुजरात सहित देश भर में वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इन कदमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, बुनाई क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु कार्यक्रम, कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजना, अपैरल पार्कों की स्थापना, वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजना और उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के लिए राज्यों, अभिकरणों, व्यक्तियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनेक अन्य योजनाएं तथा निर्यात को नियंत्रित करने वाले अनेक नियमों तथा विनियमनों के उदारीकरण जैसे विभिन्न अन्य उपाय शामिल हैं।

विशेष आर्थिक जोनों के लिए विधान

5866. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक जोन में अंतर्राष्ट्रीय सेवा केन्द्र का ढांचा तैयार करने हेतु विशेष आर्थिक जोनों के लिये एक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष आर्थिक जोनों के मुख्य कार्यकारी या विकास आयुक्त को उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त जैसे सरकारी अधिकारियों की शक्ति प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या प्रस्तावित विधान में केन्द्रीय और समवर्ती सूची के विषय भी शामिल होंगे;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस विधान को कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) जी, हां। विधान का मसौदा तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ङ) विधान की समय-सीमा को इंगित करना कठिन है क्योंकि इसमें अनेक विभागों को शामिल करना होगा।

[हिन्दी]

निर्यात हेतु परिधान पार्क

5867. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री आर०एस० पाटिल :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में देश के विभिन्न भागों में सामान के निर्यात हेतु परिधान पार्कों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्रों को स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक परिधान पार्क पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के विस्तृत दिशानिर्देश का विवरण संलग्न है।

(ग) यह योजना राज्य-विशेष के लिए नहीं है। दिशानिर्देशों के पैरा 2 के अंतर्गत गठित परियोजना अनुमोदन समिति ने अब तक ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) तथा सूरत (गुजरात) में दो अपैरल पार्क परियोजनाओं पर विचार करके उनका अनुमोदन किया।

(घ) योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, अपैरल पार्क के अभ्यसंरचनात्मक सुविधाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के 75 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत सहायता राज्य सरकार द्वारा नामित की गई कोई एजेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यह अनुदान राशि अधिकतम 10 करोड़ रु० तक सीमित होगी। केन्द्र सरकार बहि:स्राव शोधन संयंत्र, शिशुसदन, विपणन/प्रदर्शन आदि के लिए किसी बहुउद्देशीय केन्द्र/हाल जिसकी अधिकतम, सीमा 5 करोड़ रु० होगी, की स्थापना के लिए भी अनुदान प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार पार्क में किसी प्रशिक्षण सुविधाओं के सृजन के लिए अधिकतम 2 करोड़ रु० तक की लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करेगी।

विवरण

निर्यात हेतु अपैरल पार्कों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देश

अपैरल क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकारों को शामिल करने के मद्देनजर निर्यात के लिए अपैरल पार्क नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना तैयार की गयी है। संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना को थ्रस्ट देने पर संकेन्द्रण करना तथा इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जिससे राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 के अनुसार वर्ष 2010 तक 25 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

I. योजना का ब्यौरा

1. उपयुक्त आकार के पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित उपक्रम (नियुक्त अभिकरण) द्वारा निशुल्क भुमि प्रदान की जाएगी। एक अपैरल पार्क का अनुमानित आकार/औसत आकार 150 से 250 एकड़ हो सकता है। परंतु उसे प्रत्येक मामले में प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

2. अपैरल पार्क की स्थिति ऐसी है कि यह स्थापित अत्याधुनिक एकड़ों के अत्यधिक निकट हो अर्थात् इसकी पहुंच पत्तनों, हवाई अड्डों, रेल स्थलों आदि उपलब्ध अध्यसंरचनात्मक सुविधाओं के सामान्य स्तर और कच्चे माल की उपलब्धता तक हो।

3. नियुक्त अभिकरण, इन पार्कों को अध्यसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जैसे विद्युत, जल, सड़कें (पार्क की संपर्क सड़क को शामिल करते हुए), मल निकासी तथा जल व्ययन, दूर संचार व अन्य सुविधाएं। इस प्रकार की सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानकों की होंगी कि इन पार्कों में स्थापित एकक कुशलता से कार्य करने में सक्षम हैं।

4. इन पार्कों में परिधान विनिर्माण एकक होंगे जिनमें प्रत्येक में कम से कम 200 सिलाई मशीनें हों। इन पार्कों का लक्ष्य मुख्यत: एकीकृत होना होगा। जब ये पूर्ण रूप से परिचालित होंगे तब ये कम से कम 2000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे। इन पार्कों में सहायक एकक भी हो सकते हैं जैसे– बटन निर्माण एकक आदि। परिधान निर्माण में अधिक मूल्यवर्द्धन लाने के लिए इन पार्कों में विशिष्ट एकक जैसे प्रसंस्करण अथवा धुलाई एकक का लक्ष्य भी होगा।

5. राज्य सरकार भी इन समूहों में श्रम-कानूनों को ढील देने में पहल करेगी।

6. अपैरल पार्क की अध्यसंरचनात्मक सुविधाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में प्रदान करेगी जबकि बाकी 25 प्रतिशत एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक सीमित होगा।

7. बहिस्राव संसाधन संयंत्र, बाल ग्रह, विपणन/प्रदर्शन आदि के लिए किसी प्रकार का बहु-प्रयोजन केन्द्र/हाल की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार 5 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान करेगी। यह प्रस्ताव किया गया है कि उभर रहे यह प्रस्ताव किया गया है कि श्रम/सामाजिक/पर्यावरणीय मानकों को

पूरा करने के लिए इन एककों को सक्षम बनाने के लिए ये सुविधाएं आवश्यक हैं।

8. जहां तक संभव होगा केन्द्र सरकार अपनी वर्तमान योजनाओं के तहत एककों में कार्यरत कामगारों को कौशल उन्नयन प्रदान करने का काम भी करेगी।

9. केन्द्र सरकार पार्क से प्रारंभ की गयी किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण सुविधा की लागत के 50 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में प्रदान करेगी जो अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की राशि होगी। यह प्रस्ताव इसलिए किया गया, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए परिधान क्षेत्र में कौशल उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।

10. इस पार्क में भूमि की बिक्री/हस्तांतरण पर राज्य सरकार किसी प्रकार का स्टाम्प शुल्क नहीं ले सकती (यह सुविधा महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिलेनियम पार्क में स्थापित हो रहे एककों के लिए प्रदान की गयी है।)

II. परियोजना अनुमोदन समिति

1. इन पार्कों की स्थापना के लिए एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन तथा मंजूरी के लिए उनके क्रियान्वयन को मानीटर कराने तथा इस योजना के तहत हो रही प्रगति तथा उपलब्धियों का आकलन करने के लिए, एक परियोजना अनुमोदन समिति (पी ए सी) द्वारा परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता सचिव (वस्त्र) सलाहकार (वस्त्र) योजना आयोग, अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त, सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय सहित व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

2. इस योजना के तहत सहायता हेतु अभिकरणों को व्यवहार्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया। केवल यही प्रस्ताव, जो अनुमोदित हैं वे ही इस योजना के तहत सहायता के पात्र होंगे। जब प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाएगा तब इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पार्क की स्थिति उपयुक्त है इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा।

3. जब प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तब निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, निर्यात में बढ़ोत्तरी तथा श्रम-उत्पादक पर्यावरण के सृजन के लिए पार्क की संभावनाओं को यथासंभव महत्व दिया जाएगा।

III. परियोजना तैयार करना

जब अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा होगा तब निम्नलिखित बिन्दुओं (जो सर्वांगीण नहीं बल्कि निदेशात्मक होंगे) को ध्यान में रखा जा सकेगा। क्योंकि अपैरल पार्कों का विकास प्रत्येक पार्क से संबंधित विशिष्ट लक्षण को ध्यान में रखेगा, इसलिए निम्नलिखित विभिन्न सूचीबद्ध मदों पर दिया जाने वाला बल अलग-प्रकार का हो सकता है। तथापि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पार्क में प्रदान की जाने वाली अध्यसंरचनात्मक सुविधाओं में उच्च मानकों की एकरूपता है।

1. परियोजना की अवस्थिति

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों/समुद्रीपत्तन की उपस्थिति, रेलवे तक पहुंच आदि, औद्योगिक व्यावसायिक तथा सामाजिक अध्यसंरचना की उपस्थिति, निवेश के लिए भीतरी भूमि से संपर्क, संचार सुविधाओं की उपस्थिति, जल तथा विद्युत की उपलब्धि के संबंध में स्थल की अवस्थिति उपयुक्तता दिशानिर्दिष्ट घटक होना चाहिए।

राज्य सरकार/नियुक्त की गयी एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपैरल पार्क की स्थिति इस घटक द्वारा प्राथमिक रूप से दिशानिर्दिष्ट होनी चाहिए कि यह स्थान राज्य का प्रमुख विनिर्माण संबंधी व्यापारिक अथवा निर्यात केन्द्र हो।

प्रस्तावित स्थल का विवरण उपलब्ध होना चाहिए, विशेष तौर पर औद्योगिक विकास के लिए इसका क्षेत्र तथा उपयुक्तता। सामान्यत: यह भूमि राज्य सरकार/नियुक्ति अभिकरण के अधिपत्य में इसके स्पष्ट स्वामित्व सहित होना चाहिए।

2. क्रियान्वयन अभिकरण

यह अपेक्षित है कि परियोजना प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व, क्रियान्वयन से पूर्व क्रियान्वयन अभिकरण के संबंध में निर्णय लेना होगा। क्रियान्वयन अभिकरण की स्थिति तथा इस प्रकार की योजनाओं में इसके अनुभव को भी दर्शाया जा सकता है।

3. परियोजना का विवरण

इस वास्तविक तथा व्यावसायिक योजना दोनों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए :-

(क) इन पार्कों में स्थापित किए जाने वाले एककों द्वारा आयात-निर्यात विकल्पों में निवेश, उत्पादन, रोजगार, अतिरिक्तता को सृजित किया जा सकता है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए अपैरल पार्कों में उद्योग की स्थापना के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर किसी प्रकार को विपरीत प्रभाव नहीं होगा, एक उपयुक्त पर्यावरण प्रबंध योजना।

(ग) अध्यसंरचनात्मक सुविधाओं की किस्में जो उपलब्ध हैं और/प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

(घ) चरणबद्ध तरीके से व्यापारिक विकास योजना को भी दर्शाया जा सकता है।

4. **परियोजना की चरणबद्धता**

परियोजना रिपोर्ट को एक वास्तविक समयबद्ध रूपरेखा दर्शानी चाहिए जिसमें विभिन्न गतिविधियां पूरी की जानी होगी। यह सुझाव देने योग्य है कि इस परियोजना को चरणों में पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि प्लाट तथा अन्य सुविधाओं के लिए मार्ग समयावधि में ही बनता है।

5. **वित्त योजना**

(क) **परियोजना लागत**

निधि की आवश्यकता को परियोजना के सभी तत्वों पर मदवार दर्शाया जाना चाहिए, जो एकक कीमतों, वास्तविक व कीमत आकस्मिकताओं, बढ़ोत्तरी तथा वार्षिक लागत के लिए आधारभूत अनुमान बनाने तक पहुंचे।

(ख) **परियोजना वित्त-पोषण**

रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से वित्तीय व्यवस्था विशेष तौर पर एन आई आर/विदेशी निवेश, बैंक ऋण तथा प्रस्तावित प्रावधान भी दर्शाना चाहिए।

6. **आर्थिक व्यवहार्यता**

यह अपेक्षित है कि ये पार्क दीर्घ काल तक वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होगा तथा इस बिन्दु पर पी ए सी द्वारा यथायोग्य महत्व दिया जाएगा।

7. परियोजना की शुरुआत से पूर्व पर्यावरणीय आकलन सहित सामाजिक आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की जानी चाहिए।

8. रिपोर्ट में बहिस्रसाव संसाधन संयंत्र की आर्थिक व्यवहार्यता को शामिल किया जाएगा जिसे अंशधारकों को शामिल करते हुए क्रियान्वयन/नियुक्त अभिकरण द्वारा अभिग्रहीत, व्यवस्थित, रखरखाव तथा चलाया जाएगा।

IV. आबंटन पूर्व प्रक्रिया

1. पड़ताल तथा मूल्यांकन प्रपत्रों को राज्य सरकार द्वारा किसी भी उपयुक्त अभिकरण के माध्यम से एमआईएस प्रणाली से जुड़ा हुआ और उसकी रूपरेखा इसके अनुरूप तैयार की होनी चाहिए।

2. परियोजना आरंभ करने अथवा स्थल का आबंटन करने से पूर्व जटिल अध्यसंरचना जैसे विद्युत, जल तथा दूरसंचार उचित स्थान पर हैं, यह सुनिश्चित करने में सावधानी रखनी चाहिए।

3. परियोजना की कम उपयोगिता से परिहार्यता हेतु व्यापार विकास योजना तथा अपैरल पार्क का संवर्धन को साथ-साथ ही तैयार किया जाना चाहिए।

4. कार्गो परिसर, आईसीडी, कस्टम निपटान ग्रहों, कोरियर तथा बैंक सेवाएं जो विदेशी विनिमय से संलग्न हो जैसी अतिरिक्त अध्यसंरचनात्मक सुविधा के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

V. प्रगति को मानीटर करना तथा निधियां जारी करना :-

चूंकि निधियां केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, जो पार्क द्वारा की गयी वास्तविक वित्त वास्तविक प्रगति पर आधारित होगी, तब क्रियान्वयन की प्रगति को मानीटरी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना अत्यावश्यक है। निम्नलिखित के अनुसार मानीटर हेतु प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जा सकेगा :-

1. अपैरल पार्क के क्रियान्वयन को मानीटर करने के कार्य राज्य स्तर की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो देखेगी, समीक्षा करेगी, केन्द्र सरकार को अपैरल पार्क की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर वास्तविक निधियां जारी की जाएंगी। इस समिति में केन्द्र से भी प्रतिनिधि होंगे। राज्य स्तरीय समिति के सुझाए गये समूह अनुबंध-I में दिया गया है।

2. प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगी और केन्द्र सरकार को अनुबंध II, III और IV के अनुसार रिपोर्ट देगी। वस्त्र मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्ति के बाद के माह के 7वें दिन तक भेज दी जाएगी।

3. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक अवस्था पर अपैरल पार्क की प्रगति का आकलन करने के पश्चात् प्रत्येक अपैरल पार्क के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के दौरान किश्तवार जारी की जाएगी; और

4. सभी केन्द्रीय सहायताओं के दावे सदस्य-सचिव, राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से किए जाएंगे जो अनुबंध-III पर दिए कार्यक्रम में केन्द्रीय सहायता के दावे से पूर्व पहले किए गए मदवार व्यय को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार, राज्य योजना में दिए प्रावधाओं को शामिल करते हुए निधियों के अन्य स्रोतों को भी दर्शाएगी। व्यय विसरण के साथ अनुबंध-V में दिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

VI. निर्यात के लिए अपैरल पार्क में एककों का अनुमोदन

यह योजना, यद्यपि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना हो, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की तथा चलाई जा रही है और इसलिए योजना को क्रियान्वित करने व अपैरल पार्क में निवेश को आकर्षित करने के लिए, विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का अनुसरण किया जा रहा है। इस कारण से, निर्यात के लिए अपैरल पार्क में परियोजना स्थापित करने के लिए अनुमोदित एकक से प्रवाहित हो रहे सामाजिक-आर्थिक लाभों को मानीटर करने के लिए एक मानक पद्धति का वर्णन किया जाना कठिन है। तथापि, पार्कों में स्थापित एककों की निर्यातोन्मुखता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित दिशानिर्देशों के सुझाव दिए गए हैं।

1. परियोजना के बनाने की अवस्था पर ही उसकी पूरी तरह से पड़ताल कर ली जाए ताकि स्थल/स्थान की संभावनाएं व निवेश रोजगार व निर्यात संभावनाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

2. निर्यात अपैरल पार्क के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए स्थापित राज्य स्तरीय समिति (एस एल सी) इस मामले को बयान कर सकती है और मानीटर प्रपत्र जो अपैरल पार्क से अर्द्धवार्षिक आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं तैयार करने के लिए क्रियान्वयन प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकती है।

अनुबंध-I

राज्य स्तरीय समिति के लिए सुझाया गया संगठन

क्रमांक	पदनाम/विभाग	अवस्थिति
1.	सचिव (वस्त्र क्षेत्र से संबंधित)	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त	सदस्य
3.	सचिव, योजना	सदस्य
4.	वस्त्र मंत्रालय से एक प्रतिनिधि, भारत सरकार	सदस्य
5.	प्रमुख बैंक तथा अन्य किसी वित्त संस्थान का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	उद्योग निदेशक अथवा उद्योग आयुक्त/ अभिकरण से निदेशक	सदस्य
7.	टी सी आई डी एस योजना से नोडिए अधिकारी	सदस्य
8.	प्रबंध निदेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम/कार्यान्वयन अभिकरण के कार्यकारी प्रमुख	सदस्य सचिव

अनुबंध-II

व्यय की मदें तथा हुई प्रगति दर्शानेवाली तिमाही रिपोर्ट

1. निर्यात के लिए अपैरल पार्क का नाम राज्य तथा स्थान का नाम.....

2. कार्यान्वयन अभिकरण का नाम

परियोजना रिपोर्ट में दिए गए व्यय की मदें/एकक	अनुमोदित लागत	पिछली तिमाही के अंत तक किया गया वास्तविक व्यय	वर्तमान तिमाही (अवधि) के अंत तक किया गया वास्तविक व्यय (दर्शाया जाना है)	संचित व्यय (4+5)
1. विकास का स्थल (मदवार)				
2. औद्योगिक अध्यसंरचना				
(1) विद्युत (2) जल आपूर्ति (3) बहिस्राव संसाधन (4) दूरसंचार				
(5) प्रशिक्षण केन्द्र (6) अन्य				
3. सामाजिक अध्यसरंचना (मदवार)				
4. अन्य (मदवार)				
कुल				

हस्ताक्षर.....

पदनाम सदस्य सचिव

राज्य स्तर समिति..... दिनांक.....

अनुबंध-III

ख - निधियों के स्रोत तथा प्रवाह

स्रोत	पिछली तिमाही के अंत तक जारी राशि (तिथि दर्शायी जाए)	वर्तमान तिमाही की आवश्यकता (अवधि दर्शायी जाए)
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. वित्त संस्थान		
4. अन्य (स्रोत का विवरण दें)		
कुल		

हस्ताक्षर.....

पदनाम : सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति

अनुबंध-IV

निर्यात हेतु अपैरल पार्क के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत तिमाही प्रगति रिपोर्ट

1. अपैरल पार्क के लिए उपलब्ध अध्यसंरचना/उपयोगिताओं का विवरण :

(1) जल आपूर्ति (2) विद्युत आपूर्ति (3) दूरसंचार सुविधाएं (4) वर्षा के जल का भंडारण (5) औद्योगिक बहिस्राव को संसाधित करने की सुविधाएं (6) शुष्क कचरा/अपशिष्ट निपटान प्रणाली (7) मानक डिजाइन फैक्ट्रियां (8) सड़कें (9) बाहरी दीवारें (10) सामान्य सुविधाएं (11) अन्य विशेष लक्षण (12) प्रशिक्षण सुविधाएं (13) बहिस्राव संसाधन संयंत्र।

2. विकास प्रक्रिया के तहत अध्यसंरचना के ब्यौरे :

कार्य मदें	अनुमोदित लागत	वास्तविक व्यय	पूरे हुए कार्य की प्रतिशतता	काम समाप्त होने की संभावित तिथि

3. संगठन तथा प्रबंधन

(क) अपैरल पार्क के प्रशासनिक प्राधिकरण की रूपरेखा क्या है;

(ख) अपैरल पार्क में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे राज्यों से अपेक्षित विभिन्न अनुमोदनों जैसे विद्युत, जल, प्रदूषण नियंत्रण, भवन योजना आदि।

(ग) अपैरल पार्कों के विकास/प्रबंधन से निजी क्षेत्र कैसे जुड़े हुए हैं :-

4. वित्त उपयोगिता की स्थिति :

वर्ष	केन्द्रीय अनुदान		राज्य आबंटन		क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा दिया गया योगदान	
	प्राप्त	उपयोग में लाए गए	प्राप्त	उपयोग में लाए गए	प्राप्त	उपयोग में लाए गए
2001-02						
2002-03						
2003-04						

5. कृपया निम्नलिखित भी संलग्न करें :-

(क) व्यय के मदवार ब्यौरे दर्शाती पिछली तिमाही की अवधि के लिए तिमाही रिपोर्ट (संलग्नक 2)

(ख) उपयोगिता प्रमाण पत्र

6. कुल अनुमोदित परियोजना लागत

7. संशोधित अनुमोदित परियोजना लागत

8. परियोजना की समाप्ति की अनुमानित तिथि

9. (क) औद्योगिक एककों की संख्या जिन्होंने पार्क में स्थापित एककों के लिए आवेदन किया है।

(ख) विनिर्माण की मदों के उत्पादवार विवरण सहित अनुमोदित एककों की संख्या।

10. (क) उन एककों की संख्या जिन्हें पार्क में प्लाट/शैड आबंटित किया गया है।

(ख) प्रचालित एककों की संख्या।

(ग) क्रियान्वयन की एककों की संख्या।

11. अपैरल पार्क में उद्योगों के लिए अनुमोदित/प्रस्तावित लाभ क्या हैं।

किराये में छूट

कर में छूट

उचित दर पर आपूर्तियां (विद्युत)

ऋण सुविधाएं

श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण/नियुक्ति संबंधी सुविधाएं/मानव संसाधन विकास

अनुबंध-V

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि निर्यात अपैरल पार्क को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इस संबंध में दी गयी शर्तें पूरी की गयी हैं।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप इस परियोजना के क्रियान्यवन तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए दिए गए दिशा-निर्देश तथा पुष्टिकरण हेतु जारी की गयी केन्द्रीय सहायता का पूर्णत: प्रयोग किया गया है। प्रगति रिपोर्ट में दी गयी

सूचना का संबद्ध रिकार्ड से जांच लिया गया है तथा इसे सही पाया गया है। यदि बाद में, सरकार के नोटिस में किसी प्रकार के अति भुगतान संबंधी विसंगति दृष्टिगत होती है तो इसे सदस्य सचिव के नामे डाल दिया जाएगा। इस कारण केन्द्र सरकार को हुए घाटे को पूरा करने के लिए.....सरकार की राज्य स्तरीय समिति उपर्युक्त भुगतान की पुन: अदायगी के लिए उत्तरदायी होगी।

3. रिकार्ड में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना पर किए गए व्यय, इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

हस्ताक्षर.....

पदनाम : सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय समिति

.....सरकार

तिथि.....

[अनुवाद]

एफ.डी. और जी.पी.एफ. पर ब्याज दर

5868. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में एफ.डी., जी.पी.एफ. और अन्य जमाओं पर ब्याज दरों में कमी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसको ध्यान में रखते हुए बैंकों ने आवास उद्देश्यों हेतु उनके द्वारा दिये गए ऋण पर आधे प्रतिशत की कटौती की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए एच.बी.ए. ऋण पर ब्याज दर में भी कटौती करने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) केन्द्र सरकार ने 1 मार्च, 2002/1 अप्रैल, 2002 से अधिकांश प्रशासित ब्याज दरों, जैसे सामान्य भविष्य निधि, लोक भविष्य निधि आदि पर, को आधा प्रतिशत कम कर दिया है। जहां तक नियत जमाराशियों पर ब्याज दरों का संबंध है, वाणिज्यिक बैंकों को, अपने निदेशक मंडल/परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति के पूर्व अनुमोदन से विभिन्न परिपक्वता वाली घरेलू सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें नियत करने की स्वतंत्रता है।

(ख) भविष्य निधि और अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की वास्तविक दरें अत्यधिक मानी गई थीं, जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की अन्य दरों की अधोगामी घट-बढ़ को रोक रही थीं।

(ग) बैंकों को उनके द्वारा दिए गए विभिन्न ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज के उद्ग्रहण के मामले में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) सभी प्रशासित ब्याज दरों को 50 आधार बिन्दुओं तक कम करने के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) पर प्रभार्थ ब्याज 1 अप्रैल, 2002 से 0.5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बचत बैंक खाते पर ब्याज दर

5869. श्री ए० नरेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों को बाजार के रुझानों के अनुरूप बचत बैंक खातों पर ब्याज दर तय करने की अनुमति देने का है जिससे इस निम्न लागत निधि के मुख्य स्रोत का लाभ उठाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह कितना सहायक सिद्ध होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। बचत बैंक जमा दर जिसका निर्धारण समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जा रही सभी जमाराशियों की ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है। 01 अप्रैल, 2000 से बचत बैंक जमादर को 4.0 प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया गया है।

जमाकर्ताओं के समग्र हित को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि फिलहाल बचत बैंक जमा दर को अविनियमित करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम

5870. **श्री राजो सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम से अनुसूचित जातियों की अब तक कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों की महिलाओं का उनमें शिक्षा के अभाव के कारण शोषण हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ''महिला समख्य'' नामक योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अलाभान्वित तथा दरकिनार समूहों की महिलाओं के लिए अपनी ही गति से सीखने, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के लिए एक वातावरण का निर्णय करती है।

[अनुवाद]

आयकर की ''वन-बाई-सिक्स स्कीम''

5871. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे नगरों/शहरों की संख्या कितनी है जहां ''वन-बाई-सिक्स'' स्कीम का इस समय परिचालन करके कर का दायरा बढ़ाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार की सम्पूर्ण देश में इस योजना का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो सभी नगरों/शहरों में योजना का कब तक विस्तार किया जाएगा;

(घ) योजना द्वारा कर के दायरे में कुल कितने व्यक्तियों को लाया गया है; और

(ङ) 31 मार्च, 2002 तक योजना के अन्तर्गत कुल कितने राजस्व का संग्रहण किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) छः में से एक स्कीम इस समय देश के 4989 शहरों/कस्बों में प्रचालित है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि छः में से एक स्कीम में पहले से ही देश के वे सभी शहरी क्षेत्र शामिल हैं जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) दिनांक 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार छः में से एक स्कीम के अन्तर्गत व्यक्तियों की कुल संख्या 31.02 लाख है जिन्होंने अपनी आयकर विवरणियां दायर की हैं।

(ङ) छः में से एक स्कीम में अनिवार्य रूप से सभी कर निर्धारिती शामिल हैं जिनकी आय कराधेय सीमा से कम होती है और जिन्हें अन्यथा अपनी आयकर विवरणी दायर करनी नहीं होती है। अतः इस समय स्कीम के अन्तर्गत कोई कर राजस्व संग्रहित नहीं किया जाता है।

चंपत हो गई कंपनियां

5872. **श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कंपनियां निवेशकों की गाढ़ी कमाई के धन को गबन करने के बाद बाजार से चंपत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन कंपनियों के विरूद्ध काई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन कंपनियों के विरूद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई हैं;

(ङ) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इनमें से किसी संदेहास्पद कंपनियों के विरूद्ध अभियोजन शुरू किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(छ) 'सेबी' द्वारा निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनुसंधान और विकास गतिविधियां

5873. **श्री वाई०वी० राव :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपकमों के पुनरूद्धार हेतु किये गए प्रयासों की असफलता पर चिन्ता जाहिर की है और इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने का निर्णय किया है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरूद्धार हुआ है और कितने उपक्रमों में सुधार दिखाई दिया है तथा रूग्ण उद्योगों के पुनरूद्धार के कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या रूग्ण उनक्रमों को उनके पुनरूद्धार के पहले बेहतर कार्य निष्पादन हेतु सुझाव दिये गए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में मौजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु अनुसंधान और विकास के क्या क्रिया-कलाप शुरू किये गए; और

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुसंधान एवं विकास के क्रिया-कलाप से किस सीमा तक अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) सरकार की नीति सम्भावित रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करना है। जिन औद्योगिक उपक्रमों की निवल परिसम्पत्तियों का ह्रास हो चुका है, उन्हें उपयुक्त पुनर्स्थापन पैकेज तैयार करने के लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा जाता है।

रूग्णता के कारण उद्यम सापेक्ष हैं। तथापि, रूग्णता के कुछ सामान्य कारणों में निजी क्षेत्र से अधिग्रहीत एककों के मामले में विरासत में प्राप्त रूग्णता, अप्रचलित संयंत्र व मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, निम्न क्षमता उपयोग अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या, संसाधन संकट, ऋण पात्रता का अभाव, उच्च ब्याज भार, कमजोर विपणन रणनीतियां तथा साथ ही प्रबंधकीय समस्याएं इत्यादि शामिल हैं।

(ख) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 66 रूग्ण उपक्रम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत थे, जिनमें से सरकारी क्षेत्र के 3 उपक्रम अर्थात् बीको लारी लिमिटेड, एन० ई० आर० एम० ए०सी० तथा स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में यह घोषित किया जा चुका है कि वे अब रूग्ण नहीं रहे हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 10 रूग्ण उपक्रमों के लिए पुनर्स्थापन योजनाएं भी स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ग) से (च) कम्पनी के निदेशक मण्डल कम्पनी के कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायित्व निर्धारित करने के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें समझौता ज्ञापन, प्रशासनिक व अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के माध्यम से निष्पादन मूल्यांकन तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों/नियंत्रक व महालेखा परीक्षण द्वारा लेखा परीक्षण इत्यादि शामिल है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निदेशक

5874. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० एस० गांगुली की अध्यक्षता में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शदात्री दल ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परामर्शदात्री दल ने बोर्डों की पर्यवेक्षण भूमिका को मजबूत करने हेतु उपाय सुझाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दल की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिए गए हैं अथवा लिए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

(i) बड़े आकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में एक और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति;

(ii) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के लिए समुचित सचेतना प्रक्रिया की स्थापना;

(iii) स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए बैंकों के बोर्डों की नामांकन समितियों का गठन;

(iv) बैंकों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए व्यावसायिक एवं प्रतिभाशील व्यक्तियों के एक पूल का निर्माण एवं सृजन और साथ ही इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा आंकड़ों का अनुरक्षण; और

(v) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सिफारिशें स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, उनके प्रशिक्षण एवं पारिश्रमिक, बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशकों में समानताओं, बोर्ड द्वारा सूचना के आदान प्रदान, बोर्डों की वित्तीय समितियों के संघटन आदि पर फोकस करती हैं।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक दल की सिफारिशों की जांच कर रहा है।

वाई.वी. रेड्डी समिति रिपोर्ट

5875. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु बचतों पर वाई.वी. रेड्डी समिति की रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार संविदात्मक बचतों पर वाई. वी. रेड्डी समिति की रिपोर्ट को पूर्णत: लागू करने पर भी सहमत हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो अब तक स्वीकार की गई इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसे लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) प्रशासित ब्याज दरों और अन्य सम्बद्ध मुद्दों यथा; द्वितीयक बाजार में समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों पर आय की तुलना में लघु बचत स्कीमों पर ब्याज दरों का तलचिन्हन, लघु बचत की सम्पूर्ण निवल प्राप्तियों के राज्यों को अंतरण आदि पर डा० वाई.वी. रेड्डी समिति की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर क्रमश: दिनांक 1 मार्च, 2002 और 1 अप्रैल, 2002 से कार्रवाई की गई है।

विभिन्न मुद्दों पर समिति की अन्य सिफारिशें इस विषय पर सरकार के दृष्टिकोण के लिए जानकारी प्रदान करेंगी।

कर योग्य आय

5876. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी.एच.डी. चैम्बर आफ कामर्स और इंडस्ट्री ने सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि समान कम्पनी समूह द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित कम्पनी समूह का कर निर्धारण एक समूह के तौर पर किया जाए और किसी कम्पनी समूह द्वारा उठाए गए घाटे को उस समूह की किसी अन्य कम्पनी की कर योग्य आय से कम किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित व्यवस्था में भारी निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी व्यवस्था अन्य अनेक देशों में मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) पी.एच.डी. चैम्बर आफ कामर्स और इंडस्ट्री द्वारा इस मंत्रालय को अग्रेषित किए गए बजट-पूर्व ज्ञापन और बजट-पश्चात् ज्ञापन में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

5877. श्री अरुण कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फालतू कर्मचारियों के लिए नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उनके मंत्रालय द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बाल गृह और महिला निकेतन

5878. श्री मोहन रावले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने बाल सुधार गृह और महिला निकेतन कार्यरत हैं;

(ख) इसमें कितने लड़के, लड़कियों और महिलाओं ने शरण ली हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन गृहों/महिला निकेतनों में और सुधार करने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में 152 किशोर गृह (किशोर सुधार गृह नहीं) हैं जिनकी क्षमता 7470 लड़कों तथा 6925 लड़कियों की है। अन्य बातों के साथ-साथ इन गृहों में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000 नामक एक नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किशोर गृहों का स्थान देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल गृहों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए विशेष गृहों ने ले लिया है। तैयार किए गए नए अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत एक मूल्यांकन समिति द्वारा इन गृहों की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए बाल गृहों की आवधिक मोनीटरिंग तथा मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र में महिला निकेतनों के संबंध में सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी हेतु 'नाबार्ड' द्वारा वित्त-पोषण

5879. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड के पास वर्ष 2002-2003 के दौरान फसल काटने के उपरांत साख और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हार्वेस्टिंग प्रौद्योगिकी हेतु ऐसे ऋणों की प्रतिपूर्ति हेतु सरकारी बैंकों के लिए व्यावसायिक बैंकों के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे समझौतों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वित्तपोषक बैंकों को कम्बाईन हार्वेस्टरों, पूर्व शीतलन (प्री-कूलिंग) इकाइयों के निर्माण शीतागरों, ग्रेडिंग और पैकिंग हाल, भण्डारण गोदामों और बाजार केन्द्रों आदि जैसी फसल कटाई के बाद की आधारभूत सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। शीतागार और ग्रामीण गोदाम पर सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन द्वारा वर्ष 2002-03 में इस गतिविधि में और तेजी आने की संभावना है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक जिन्होंने सामान्य पुनर्वित्त करार निष्पादित किया है, उससे पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जहां कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वित्तीय परिव्यय 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, वहां करार में 20 लाख रुपए तक की स्वत: पुनर्वित्त सुविधा का प्रावधान होता है। उपर्युक्त सीमा से अधिक की इकाइयों के लिए, बैंकों को पूर्व-मंजूरी आधार पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है, जहां बैंकों को योजना पर लागू सामान्य और विशिष्ट शर्तों के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करनी होती है।

[हिन्दी]

कमजोर तबकों के लिए पुनर्वास

5880. डा० बलिराम : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के कमजोर तबकों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न जिलों में कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितने और कौन-कौन से जिलों का चयन किया गया है और गत दो वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अतर्गत उक्त राज्यों के शेष जिलों को कब तक शामिल किये जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठा।

आईएफसीआई बांड

5881. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईएफसीआई ने कुछ बांड्स जो मार्च में परिपक्व हुए थे के पुनर्भुगतान में देरी की है और बांड धारकों से नए निर्गम में पुन: धन का निवेश करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा परिपक्व बांड्स का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) ने पुनर्निवेश के लिए सभी बड़े निवेशकों से सम्पर्क किया है।

(ख) मार्च 2002 के दौरान आईएफसीआई के एसएलआर/गैर एसएलआर बांडों की विभिन्न शृंखलाओं में किए गए निवेशों के संबंध में 311.50 करोड़ रुपये की कुल देयताएं देय हो गईं। इसके बदले में आईएफसीआई ने कुल 155.27 करोड़ रुपए का भुगतान किया तथा शेष राशि बकाया है। आईएफसीआई ने चलनिधि संबंधी दबावों के कारण बांडों के चालू निर्गम में देयराशियों के पुनर्निधारण/पुनर्निवेश के लिए बड़े/संस्थागत निवेशकों से संपर्क किया है।

(ग) भारत सरकार ने आईएफसीआई को परिपक्व बांडों के समय पर भुगतान सहित अपनी कानूनी एवं अन्य बाध्यताएं पूरी करने के उद्देश्य से कम्पनी के मुख्य शेयरधारियों से परामर्श करके एक आमूल परिवर्तन नीति एवं योजना तैयार करने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

5882. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत 200 और मार्केट यार्डस के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत मार्के यार्ड्स के आधुनिकीकरण हेतु किन राज्यों का चयन किया गया है?

मंत्रालय में वस्त्र राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (ग) सरकार का उद्देश्य दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) के लघु मिशन 3 के अंतर्गत 200 बाजार मार्किट यार्डों का विकास करना है। इन बाजार यार्डों का चयन संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है जिसके लिए बाजार यार्ड में कपास (बिनौलों) की आवक को ध्यान में रखा जाता है। भारत सरकार परियोजना लागत के 60% की दर से सहायता प्रदान करती है और शेष राशि का वहन, कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी)/संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

आय को छिपाना

5883. **श्री रामजी मांझी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किए गए 22 मामलों की परीक्षण जांच के दौरान आय को छिपाने के सुस्पष्ट मामले सामने आए हैं जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट 12ए में पृष्ठ 994-996 पर पैरा 3.23 में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) आय को छिपाने के और मामलों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध सभी 22 मामलों के संबंध में सांविधिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ऐसे मामलों की संवीक्षा का कार्य प्रगति पर है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात आयकर आयुक्तों (सी.आई.बी.) को विभिन्न स्रोतों जैसे दूरभाष निर्देशिका, वर्गीकृत दूरभाष निर्देशिका, व्यापार संबंधी पत्रिकाओं इत्यादि से सी.आई.बी. कोड 023 के तहत ऐसे आंकड़ों को संग्रहित करने और उन्हें क्षेत्राधिकारिक आयकर आयुक्तों को अग्रेषित करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कम से कम 18 ऐसे मामलों का पता लगाया है जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 12क में सूचित किया गया है। तथापि, आय को छिपाने संबंधी मामलों की ऐसी कोई भी केन्द्रीयकृत सूची इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

यू.टी.आई., एम.आई.पी. योजना

5884. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अप्रैल, 2002 को परिपक्व होने वाली यू.टी.आई., एम.आई.पी. 1997, पूर्णतया बीमा योजना में 585 करोड़ रुपए की कमी हो रही है;

(ख) क्या इस योजना में लगभग 21 प्रतिशत निवेशक सेवानिवृत्त और वरिष्ट नागरिक हैं;

(ग) क्या 1996 के सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशकों को पूरी राशि वापस मिलनी चाहिए;

(घ) क्या यूटीआई के संस्थापकों—आईडीबीआई, एलआईसी, एसबीआई ने कानूनी राय प्राप्त कर ली है कि वे कानूनी प्रायोजक नहीं हैं और वे घाटे में योगदान नहीं करेंगे;

(ङ) क्या सेबी, यूटीआई, आईडीबीआई और अन्य ने पहले ही इस संबंध में वित्त मंत्रालय को लिखा है; और

(च) यदि हां, तो इन्होंने क्या मुद्दे उठाए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च) यह स्कीम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक सीमाक्षेत्र में है। 'सेबी' ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि से कमी को पूरा करने का सुझाव दिया है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

5885. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 2002 के 'दैनिक जागरण' में 'साधनहीन सरकारी एजेंसियां तस्करों को कैसे पकड़ें' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या स्वापक विभाग में दिल्ली में नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़ने के लिए स्टाफ तथा बुनियादी सुविधाओं में कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली के स्वापक विभाग में पर्याप्त स्टाफ तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में यह बताया गया है कि स्वापक, औषधि-व्यापार में काफी अधिक संख्या में नाईजीरिया के नागरिकों का संबंध होने के कारण राजधानी में स्थानीय स्वापक औषधि बाजार में नए गिरोह उभरे हैं, स्वापक औषधियों के तस्करों के पकड़े न जाने के पीछे मुख्य कारण स्वापक विभाग में संसाधनों की कमी और स्थानीय पुलिस में दृढ़ संकल्प-शक्ति की कमी है, यह कि राजधानी में अवैध औषधियों के व्यापार में जो 100 गिरोह सक्रिय हैं, वे तस्करी के नए ढंग खोजते रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस उन्हें पकड़ने में असमर्थ रहती है, दिल्ली जोनल स्वापक विभाग और दिल्ली पुलिस की स्वापक शाखा के पास जन-शक्ति और संसाधनों की कमी, राजधानी में जब्त की गई स्वापक औषधियों की शुद्धता के परीक्षण की सुविधाओं की कमी जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्यायालयों में निर्णयाधीन मामलों पर पड़ता है, मुखबिरों और अभिग्रहण दलों के लिए कोई उचित पुरस्कार नहीं है आदि।

(ग) बहुत सी एजेंसियों जैसे कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, दिल्ली पुलिस, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय आदि को, जिनके अपने कार्यालय दिल्ली में हैं, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों को लागू करने की शक्तियां दी गई हैं। ये संगठन अपने मौजूदा कर्मचारियों और संसाधनों के साथ स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से रोकने का कार्य कर रहे हैं।

(घ) इन संगठनों के लिए जन-शक्ति और अन्य संसाधनों की आवश्यकताओं की निर्धारित मानदंडों के अनुरूप लगातार समीक्षा की जाती है।

बैंक ऋणों के चूककर्ता

5886. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की बैंक चूककर्ताओं के नामों के प्रकाशन से संबंधित सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऐसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि को 'गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' घोषित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा बैंकों की 'गैर-निष्पादनकारी आस्तियों' को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 25 लाख रुपए और इससे अधिक की जानबूझकर चूकों से संबंधित सूचना एकत्र और प्रसारित करने की योजना तैयार की है।

(ग) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 54,773 करोड़ रुपए थीं।

(घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनकी देयराशियों की वसूली के लिए उपाय करने का परामर्श दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान अनुसूची पुन: बनाने, अवधि के पुनर्निर्धारण और समझौता निपटान के लिए बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार और क्रियान्वित करना, ऋण वसूली अधिकरणों और न्यायालयों में मुकदमें दायर करना, प्रबंधन द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की सशक्त निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

नई निर्यात-आयात नीति में परिवर्तन

5887. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निर्यात-आयातोन्मुखी संघों ने हाल ही में घोषित नई निर्यात-आयात नीति के कई खंडों की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन लाइसेंस धारकों को, जिनके निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त नहीं हुई है, राहत पहुंचाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त तथ्यों पर विचार किया है और हाल ही में घोषित निर्यात-आयात नीति 2002-2007 में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) परिवर्तनों को कब तक प्रभावी बनाया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, नहीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों ने कुल मिलाकर 31.3.2002 का घोषित नई एग्जिम नीति का स्वागत किया है।

(ग) से (च) सरकार को ऐसे ईपीसीजी लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त नहीं हुई है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के ईपीसीजी लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्यात दायित्व की अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी है। दिनांक 1.4.97 को अथवा उसके बाद जारी 100 करोड़ रुपए से कम के ईपीसीसी लाइसेंसों के संबंध में 2 वर्ष की समय वृद्धि की अनुमति दी गई है।

आटोमोबाइल उत्पादन

5888. **श्री विनय कुमार सोराके :**
श्री राममूर्ति सिंह वर्मा :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में वाहन निर्माताओं द्वारा 100 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि की जानकारी है;

(ख) क्या यह निर्माताओं द्वारा वर्ष के अंत तक बिलों में वृद्धि और उच्च लाभ दर्शाने के लिए डीलरों के पास वाहनों का ढेर लगाने के लिए अपनाई गई रणनीति का हिस्सा है;

(ग) क्या सरकार सड़कों पर भीड़भाड़ तथा प्रदूषण कम करने हेतु शहरी क्षेत्रों में वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) और ऑटोमोटिव कम्पोनेंटस मैन्युफैक्चरर्स (एसीएमए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, ऑटोमोबाइल उत्पादन में क्रमश: 1%, 5% और 14% की वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2000-01 के दौरान 3% की गिरावट रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़क परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र संबंधी वस्तुओं का निर्यात

5889. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वस्त्र उद्योग से संबंधित निर्यातकों तथा अन्य एजेंसियों से देश के निर्यातों में सुधार लाने के लिए उपायों के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुझावों में वित्तीय नीति के कई परिवर्तन करना शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (घ) सरकार देश के निर्यात में सुधार लाने के लिए नए नीति परक उपाय करने की दृष्टि से वस्त्र और क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों के साथ निकट संपर्क रखती रही है। वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधि, निर्यातकों सहित विभिन्न वस्त्र उद्योग संघों ने कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेट कर में कटौती करना, वित्तीय शुल्क में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करना, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को कम करना आदि शामिल हैं। ऐसे सुझावों पर समुचित ध्यान दिया जाता है और प्रत्येक सुझाव के गुणावगुण के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

वस्त्र क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय बजट 2002-03 में की गई कुछेक महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्नानुसार हैं :-

(1) लघु उद्योग क्षेत्र से निटवियर के अनारक्षण की घोषणा।

(2) कृत्रिम स्टेप्ल फाईबर के साथ-साथ सीधे/क्रास रील सूती हैंक यार्न पर केन्द्रीय मूल्यवर्द्धित कर (सेनवाट) की छूट को वापिस लेना और कण्डेसर कार्ड मशीनों पर अपशिष्ट कपास से विनिर्मित 2 काउंट तक के सादे (सीधे) रील हैंक में सूती यार्न को छोड़कर शेष पर 8% का सेनवाट प्रभार लगाना।

(3) ग्र फैब्रिक्स पर 12% (बेड पर 8% + एईडी 4%) की दर से वैकल्पिक सेनवाट लगाना शुरू करना।

(4) वूवन और मानव निर्मित निटिड संसाधित फ्रैबिक्स पर सेनवाट को 16% (मूल 8% + एईडी 8%) से घटाकर 12% (मूल 8% + एईडी 4%) कर दिया गया है।

(5) स्वतंत्र विद्युत प्रसंस्करण के लिए चक्रवृद्धि प्रभार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

(6) सूती प्रसंस्कारित निटिड फैब्रिक्स के लिए 16% के वैकल्पिक सेनवाट (सेनवाट 8% + एईडी 4%) निर्धारित किया गया है।

(7) बजट में निटवियर क्षेत्र के लिए 12% के सममूल्य वैकल्पिक प्रभार को शुरू किया गया है।

(8) वूवन परिधानों और मेडअप्स पर सेनवाट को 16% से 12% तक घटा दिया गया है। हथकरघा फैब्रिक्स से निर्मित वूवन परिधानों को सेनवाट की छूट दी गई है।

(9) रेशम मशीनों (बुनाई, संसाधन और टिव्स्टिंग) की विशिष्ट 16 मदों पर आयात शुल्क को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(10) ऐसर मशीनों के आयात पर भी सीवीडी की छूट दी गई है। रेशम बुनाई, संसाधन और टिव्स्टिंग की विशिष्ट पूंजीगत मदों पर भी सेनवाट की छूट दी गई है।

(11) स्वचालित शटल करघों को सेनवाट से मुक्त रखा गया है।

(12) पटसन उद्योग के कुछ विशिष्ट पूंजीगत सामान को सेनवाट से मुक्त रखा गया है।

(13) वस्त्र मशीनों की 28 विशिष्ट मदों के साथ ही ऐसी मदों के आयात को सेनवाट से मुक्त रखा गया है।

(14) 1 अप्रैल, 2002 के बाद से प्राप्त किए गए नए संयंत्र और मशीनों पर 15% के अतिरिक्त मूल्य ह्रास की ग्राह्यता दर लागू होगी।

किसानों को ऋण

5890. **श्री ए. नरेन्द्र :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री एच.डी. देवगौडा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंकों को उनके द्वारा स्वीकृत कुल ऋण में से कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन बैंकों के नाम क्या हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को अनुपालन करने में असफल रहे;

(ङ) सरकार द्वारा उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(च) क्या उक्त निर्देशों के आधार पर ऋणों की उपलब्धता के बावजूद कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक पूंजी नहीं जुटाई जा सकी है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के ऋण में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कृषि ऋण देने के लिए लक्ष्य बैंक-वार निर्धारित किए जाते हैं न कि राज्यवार। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए अलग से कोई लक्ष्य भी नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को ऋण देने के लिए निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत का लक्ष्य नियत किया हुआ है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिन बैंकों ने मार्च, 2001 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था, उनके नाम भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक तथा विजया बैंक हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों ने मार्च, 2001 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कृषि को ऋण देने के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था, उन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अधीन ग्रामीण आधारिक विकास निधि-VII (आर आई डी एफ-VII) में जमा करने के लिए निदेश दिया गया है। दण्ड के रूप में. आर आई डी एफ-VII में जमाओं पर ब्याज दर को निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत के कृषि ऋण लक्ष्य को पूरा करने में हुई बैंकों की कमी से विलोमत: जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकता प्राप्त ऋण लक्ष्यों/उप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा नियत की गई है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्च, 2003 तक कृषि ऋण लक्ष्य को प्राप्त करना अपेक्षित है।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार करने तथा इसके साथ-साथ पूंजी विनिर्माण के लिए गत वर्षों में विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना का निरुपण, विशिष्ट कृषि वित्त शाखाएं खोलना, किसान ऋण पत्र शुरू करना, ऋण प्रणाली के संबंध में प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आरआईडीएफ की स्थापना, कृषि क्लीनिकों एवं कृषि कारबार केन्द्रों को वित्तपोषित करने के लिए योजना प्रारंभ करना, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद हेतु किसानों को वित्तपोषित करने के लिए योजना का प्रारंभ आदि शामिल हैं।

'गैरी-निष्पादनकारी आस्तियों' के लिए शीघ्र चेतावनी

5891. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बनाने से पूर्व ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए शीघ्र-चेतावनी प्रणाली की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नवनिर्मित शीघ्र-चेतावनी प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की शीघ्र पहचान, वर्गीकरण और उपचारात्मक कार्रवाई करने के बारे में लगातार प्रयास करने की सलाह दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो बैंक इस नई आचार-संहिता का किस सीमा तक अनुसरण कर रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खातें की आरंभिक रुग्णता का पता लगाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिए किसी पूर्व चेतावनी प्रणाली की विशेष रूप से कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है। तथापि, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों से ऋण खातों को तब अनुपयोज्य आस्ति खाता मानने के लिए कहा है जब 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष से 180 दिन के स्थान पर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त अतिदेय रहती है। अपने वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के इन मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए तंत्र

5892. **श्री वाई.वी. राव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई तंत्र पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) योजना के तहत, मौजूदा पर्यवेक्षी ढांचे को बढ़ाने के लिए पूर्व निर्धारित नियम पर आधारित ढांचे के अंतर्गत तत्काल हस्तक्षेप किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत तीन पैरामीटरों अर्थात् जोखिम आस्ति अनुपात पूंजी, निवल अनुपयोज्य आस्तियों और आस्तियों पर आय के आधार पर कतिपय ट्रिगर प्वाइंट्स निर्धारित किए गए हैं। ये ट्रिगर प्वाइंट्स इन तीन संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों के कार्यनिष्पादन से जुड़े हैं, जो कि परिमाणात्मक हैं और पर्यवेक्षी निरीक्षण के अभिन्न अंग हैं। पीसीए योजना को शीघ्र ही लागू किए जाने की आशा है।

कोर क्षेत्रों के लिए निधियां

5893. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित विभागों द्वारा विद्युत, सड़कों, विमानपत्तनों और बन्दरगाहों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के कोर क्षेत्र कोष की स्थापना करने के सरकारी प्रस्ताव का स्वागत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इसमें सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, फर्मों, वित्तीय संस्थाओं और कुछ बैंकों द्वारा भी अंशदान किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो विद्युत विकास, सड़कों, बन्दरगाहों और राष्ट्रीय राजमार्गों को कुल कितनी राशि दी जानी है;

(ङ) क्या इस कोष के उपयोग के लिए इन विभागों द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (च) वित्त विधेयक, 2002 में आधारभूत परियोजना हेतु इक्विटी निवेश प्रदान करने के लिए आईडीएफसी द्वारा 1000 करोड़ रु. के आधारभूत इक्विटी निधि की व्यवस्था किए जाने की परिकल्पना है। आधारभूत इक्विटी निधि को सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा अंशदान किया जाएगा। निधियों के सृजन एवं उसके तौर-तरीके को अंतिम रूप देने हेतु प्रक्रियाधीन है।

भट्टाचार्य समिति की सिफारिश

5894. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.के. भट्टाचार्य समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि पेंशन राशि का 10 प्रतिशत रेटेड नियमित ऋण और/अथवा इक्विटी/इंडेक्स फंड में निवेश किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इन निवेशों के कहां तक सुरक्षित होने की संभावना है;

(ग) क्या अन्य निवेशों की तुलना में इस निवेश से होने वाले लाभ के कहीं कम होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि श्री बी.के. भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के साथ-साथ एक निवेश प्रणाली की अनुशंसा की है। उक्त निवेश-प्रणाली, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्दिष्ट करती है कि पेंशन आस्तियों के 20 प्रतिशत से अनधिक, जिसका इक्विटी में निवेश 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के बांड/ऋण प्रतिभूतियों में हो सकती हैं तथा यह पिछले तीन वर्षों में अल्पतम निवेश ग्रेड तथा इक्विटियों/इंडेक्स फंडों के, एक सेबी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ होंगी। शेष आस्तियों को मुख्यत: नियत आय प्रतिभूतियों, जिनमें सरकारी प्रतिभूतियां तथा वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियां शामिल हैं, में निवेशित किया जाना है। सरकार ने नई स्कीम के प्रारंभण, इसके मूल लक्षणों तथा प्रस्तावित निवेश प्रणाली संबंधी उक्त विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विचार करना शुरू कर दिया है।

जीवन बीमा निगम

5895. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि वे यू.के., मॉरीशस और फिजी में अपने शाखा कार्यालयों के जरिए पहले ही कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा, एलआईसी की बहरीन में एलआईसी (इन्टरनेशनल) ई.सी. नामक एक समुद्रपारीय अनुषंगी कम्पनी भी है और इसने अभी हाल ही में काठमांडू में एक अन्य समुद्रपारीय उद्यम एलआईसी (नेपाल) स्थापित किया है। बहरीन और नेपाल स्थित अनुषंगी कंपनियां संयुक्त उद्यम हैं।

एलआईसी ने विदेशों में ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों की पहचान की है जहा भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में बसे हैं। उन्हें अभी हाल ही में ओमान की सल्तनत में कारोबार शुरू करने के लिए ओमान सरकार से अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने अफ्रीकी उपमहाद्वीप में जीवन बीमा बाजार से लाभ उठाने के लिए एलआईसी (मॉरीशस) ऑफशोर लिमिटेड को भी पंजीकृत किया है। एलआईसी की संयुक्त राज्य अमरीका और श्रीलंका में बीमा बाजार में दाखिल होने की भी योजनाएं हैं।

नाबार्ड द्वारा सीधे ऋण देना

5896. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड सीधे ऋण देने के व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाबार्ड का विचार कृषि क्षेत्र में निर्यातकों को धन देने के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का है;

(ग) क्या सरकार ने नाबार्ड को इस नए कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या नाबार्ड के क्रियाकलापों पर कोई शर्त एवं प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नाबार्ड द्वारा चुने हुए ऋण लेने वाले लोगों को सीधे धन देने के क्षेत्र में कब तक प्रवेश किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 को हाल ही में संशोधित किया गया है जिसमें इसे विशेष परिस्थितियों में प्रत्यक्ष ऋण मंजूर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसे इसके निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप से दर्ज किय जाएगा। तथापि, कृषि क्षेत्र में निर्यातकों को उधार देने में विशेषज्ञत हासिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सामाजिक सुरक्षा दायित्व

5897. श्री अरुण कुमार :
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 2002 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में 'इ पी एफ वारिड, ओवर आई एफ सी आई

डीफाल्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई एफ सी आई द्वारा कार्यों को वरीयता के क्रम में सामाजिक सुरक्षा संबंधी दायित्वों संबंधी भुगतान बाध्यता सबसे निचले स्तर पर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा समाचार में उल्लिखित मुद्दों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रचन) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्रों में बताया गया है कि आई एफ सी आई ने दिनांक 31.3.2004 तक केन्द्रीय न्यासी कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड को मिलने वाली सभी प्राप्त राशियों को पुनर्निर्धारित करने की मांग की है, क्योंकि वह विदेशी ऋणों के लिए भुगतान दायित्वों को पूरा कर रहा है।

(ग) से (ङ) आई एफ सी आई ने सूचित किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा दायित्व सहित अपनी सभी देयराशियों को निपटाने के लिए वचनबद्ध है। विदेशी मुद्रा एवं रुपया ऋणों की वापसी अदायगी की बड़ी मात्रा के कारण आस्ति देयता के असमान हो जाने से आई एफ सी आई ने बड़े ऋणकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे आकर्षक दरों पर राशि का पुनर्निवेश करें।

बिजली के सामानों के सुरक्षा मानदंड

5898. **श्री अशोक ना. मोहोल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवश्यक बिजली के सामानों की सुरक्षा से संबंधित 1955 के आदेश का विस्थापन करने वाले नये गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करने में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए विलंब से उपभोक्ताओं के हितों को खतरे में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) नये आदेशों को जारी करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) बिजली के सामानों से संबंधित नये गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 'आवश्यक' घोषित वस्तुओं की सूची में से 15 फरवरी, 2002 से इलैक्ट्रिकल सामानों को हटाए जाने के साथ सरकार का इन मदों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाने का प्रस्ताव है। आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश विधि मंत्रालय के परामर्श से शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

5899. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी फर्मों को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजनाओं को शुरू करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन निजी फर्मों पर निगरानी रखने हेतु कोई क्रियादिधि तैयार की जाएगी ताकि कामगारों के गाढ़े पसीने की कमाई को धोखे से लूटा न जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) बजट 2001-2002 में की गई सरकार की घोषणा के अनुसरण में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें असंठित क्षेत्र में पेंशन सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। आई.आर.डी.ए. की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लाभ प्राप्त करने के लिए परिभाषित अंशदान आधार पर अंशदान देने हेतु व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए पेंशन निधियों की स्थापना करने के लिए एक विनियामक रूपरेखा बनाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह व्यवस्था की गई है कि न्यासी संगठन प्रस्तावित पेंशन प्रणाली में भागीदारी करने के उद्देश्य से विनियामक से अनुरोध करेगा। उक्त पेंशन प्रबंधक पेंशन विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिसका महत्वपूर्ण कार्य पेंशन प्रणाली के कार्यकरण का निरीक्षण करना, समस्याओं का समाधान करना और चालू तथा नियमित आधार पर वर्धनात्मक सुधार करना होगा। सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

5900. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुकदेव पासवान :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में वर्ष 2001-2002 के दौरान गैर-निवासी भारतीयों द्वारा किया जाने वाला निवेश अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा गैर-निवासी भारतीयों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं/कराए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 (फरवरी, 2002 तक) के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश का वास्तविक अंतर्वाह 263.34 करोड़ रुपये की राशि का हुआ था जबकि वर्ष 1991 से फरवरी, 2002 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल 8906.17 करोड़ रुपये की राशि का निवेश हुआ था। अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने की प्रणाली बाजार की परिस्थितियों के बारे में निवेशकों की अवधारणा निवेश के वैकल्पिक अवसर, निवेश का अधिमत साधन, अन्तरराष्ट्रीय ब्याज की दरें, इत्यादि सहित अनेक परिवर्तनों से निर्देशित होती है। यद्यपि सरकार ऐसे निवेशों के लिए शीघ्र अनुमोदन देती है, फिर भी भूमि का अधिग्रहण अनेक सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने, निधियों की व्यवस्था करने, इत्यादि जैसे अनेक कारकों की वजह से अंतर्वाह में अक्सर अधिक समय लगता है।

(ग) विदेशी निवेशकों/कंपनियों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की यथा उपलब्ध सामान्य नीति और सुविधा अनिवासी भारतीयों पर भी पूर्णरूपेण लागू है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए और अनिवासी भारतीयों के 60 प्रतिशत से अधिक की साझेदारी वाले विदेशी निगमित निकायों (ओ सी बी) के लिए विशेष रूप से रियायतें दी हैं, इनमें, अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं (i) स्थावर संपदा और आवासीय क्षेत्रों तथा घरेलू एयरलाइंस क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय/ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति है, (ii) अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित निकायों को बैंकिंग क्षेत्र में 40 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई थी, और (iii) प्रत्येक अनिवासी भारतीय लघु उद्योगों में प्रथमत: 24 प्रतिशत से अधिक निवेश कर सकते हैं बशर्ते कि उनकी किसी भी अन्य औद्योगिक उपक्रम में साझेदारी न हो।

[अनुवाद]

स्पेशल इकॉनामिक जोनों के लिए नियमन संहिता

5901. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोस्टल रेगूलेशन जोन के अंतर्गत आने वाली उडुपी जिले में स्पेशल इकॉनामिक जोन स्थापित करने हेतु कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक विचार करने एवं मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मार्किट एक्सेस फंड

5902. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समूह ने निर्यातकों के लिए बाजारों में प्रवेश हेतु सहायता देने के प्रयासों के संबंध में धन जुटाने हेतु 100 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किन्हीं उत्पादों की पहचान की है जिन्हें इस मार्किट एक्सेस फंड से लाभ मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) श्री पी.पी. प्रभु, पूर्व वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट से 10वीं योजना अवधि के दौरान बाजार पहुंच के उपाय संबंधी योजना हेतु वार्षिक आबंटन को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है ताकि निर्यातकों का अनुसंधान आधारित बाजार

सूचना उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें मौजूदा बाजारों में नए उत्पाद उतारने तथा बाजार अनुसंधान, विदेशों में भांडागार एवं शो-रूम, जनसंपर्क माध्यमों, मेलों एवं प्रदर्शनियों के जरिए विदेशों में उत्पाद विकास तथा प्रचार के जरिए मौजूदा उत्पादों के लिए नए बाजारों की तलाश करने में समर्थ बनाया जा सके। समिति ने इन कार्यों के निष्पादन हेतु निर्यात संवर्धन परिषदों के अलावा क्षेत्र विशिष्ट उद्योग एसोसिएशनों की भागीदारी की सिफारिश भी की थी।

विश्व बाजारों में देशवार उत्पाद फोकस पद्धति के आधार पर हमारे उत्पादों के विपणन में हमारे प्रयासों पर और अधिक जोर देने की दृष्टि से 14.50 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन के साथ बाजार पहुंच के उपाय संबंधी योजना वर्ष 2001-2002 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोरों में शो रूमों, भांडागार सुविधा तथा प्रदर्शन काउंटरों की स्थापना करके फोकस देशों के अभिज्ञात केन्द्रों में चुनिंदा उत्पादों का प्रदर्शन करने, ब्रांडयुक्त उत्पादों का संवर्धन करने, गुणवत्ता उन्नयन तथा उत्पाद विकास इत्यादि का प्रावधान है। अभिज्ञात लक्षित देशों में अपने फोकस उत्पादों के लिए अभिज्ञात निर्यात संवर्धन कार्यकलाप करने में निर्यात संवर्धन परिषदों एवं निर्यात संवर्धन संगठनों को सहायता की जा सकती है। दसवीं योजना अवधि (अप्रैल, 2002-मार्च, 2007) के लिए बजट प्रस्तावों में 452 करोड़ रुपए के आबंटन तथा वर्ष 2002-2003 में 42 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

सीमेंट की खपत

5903. **श्री वाई.वी. राव :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-02 की अंतिम तिमाही में सीमेंट उत्पादन 8% तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर कितनी है और इसके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आवासीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने एवं स्वर्णीम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजनाओं में हुई प्रगति के बावजूद सीमेंट उद्योग मांग में कमी का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सीमेंट की खपत बढ़ाने हेतु क्या रणनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) वर्ष 2001-02 की अंतिम तथा चौथी तिमाही में सीमेंट का उत्पादन बढ़कर 29.13 मिलियन टन हो गया था, जबकि तीसरी तिमाही में यह 26.03 मिलियन टन था और इस प्रकार इसमें 8% से काफी अधिक (11.91%) की विकास दर दर्ज हुई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए निर्धारित किया गया सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य 105 मिलियन टन था। तथापि, वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा है और यह 106.90 मिलियन टन था तथा वर्ष 2000-01 के 97.61 मिलियन टन के उत्पादन आंकड़े से तुलना करने पर इसमें 9.52% की विकास दर दर्ज हुई है।

(ग) से (ङ) सीमेंट की मांग में वृद्धि के लिए सड़कों के निर्माण, आवास कार्यकलापों को प्रोत्साहन, नयी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, आदि जैसे उपायों के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप सीमेंट की मांग वर्ष 2000-01 के 94.29 मिलियन टन की तुलना में 2001-02 में बढ़कर 103.55 मिलियन टन हो गई है और इस प्रकार 9.82% की विकास दर दर्ज हुई है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन

5904. **श्री मोहन रावले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कारोबार शुरू करने के लिए वहां के प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की मुख्य बिन्दुएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रायचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं के लिए नए दिशा-निर्देश

5905. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विलंबित परियोजनाओं के मामलों में ऋणों के लेन-देन के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को नवीन दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार परियोजनाओं में विलंबन और लागत में वृद्धि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का सृजन करते हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले ऋणों को लंबी परिपक्वता अवधि प्रदान की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त परियोजनाएं प्रारंभिक चरणों में वित्त की कमी से बाधित न हो, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यान्वयाधीन परियोजनाओं (पीयूआई) से संबंधित ऋण आस्तियों का उपयुक्त रूप से वर्गीकरण किया जाए और आस्ति की गुणवत्ता ठीक तरह से परिलक्षित की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सावधि ऋणदात्री और पुनर्वित्तपोषण दोनों संस्थाओं अर्थात् आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, टीएफसीआई, आईआईबीआई, एक्जिम बैंक, आईडीएफसी, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को दिनांक 1.2.2002 को संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

(ख) से (ङ) नए मार्गनिर्देशों के अधीन परियोजनाओं के पूर्ण किए जाने की तारीख का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए कार्यान्वयाधीन परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

श्रेणी-I— वे परियोजनाएं, जिनके लिए वित्त की व्यवस्था कर ली गई हो और दस्तावेज औपचारिक रूप से तैयार हो गए हों।

श्रेणी-II— 100 करोड़ रु. या इससे अधिक की मूल परियोजना लगात वाली परियोजनाएं।

श्रेणी-III— 100 करोड़ रु. से कम की मूल परियोजना लागत वाली परियोजनाएं।

श्रेणी-I के मामले में (जो सामान्यतया 1997 के बाद वित्तपोषित आधारभूत परियोजनाएं या अधिक मूल्य वाली परियोजनाएं होंगी), आस्तियों को परियोजना के पूर्ण होने की तारीख के बाद केवल दो वर्ष की अवधि के लिए मानक के रूप में माना जा सकता है, जैसाकि परियोजना की प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था के समय मूल रूप से परिकल्पना की गई है। उन परियोजनाओं के मामले में, जहां वित्त की व्यवस्था के दस्तावेज औपचारिक रूप से तैयार न हुए हों, वहां श्रेणी-III के मानदंड लागू होंगे।

1997 के पहले मंजूर की गई श्रेणी-II परियोजनाओं के मामले में और जहां वित्तीय व्यवस्था की तारीख से संबंधित दस्तावेज औपचारिक रूप से तैयार न किए गए हों, वहां ऋणदात्री संस्थाओं के विशेषज्ञों तथा इस क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह गठित करना होता है। समूह अलग-अलग परियोजना के आधार पर, परियोजना के पूर्ण होने की मान्य तारीख का निर्धारण करेगा। ऐसे मामलों में, आस्तियों को समूह द्वारा यथा निर्धारित, परियोजना के पूर्ण होने की तारीख के बाद केवल दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए मानक के रूप में माना जा सकता है।

1997 से पहले मंजूर की गई श्रेणी-III की परियोजनाओं के मामले में, जहां वित्त की व्यवस्था संबंधी दस्तावेज औपचारिक रूप से तैयार नहीं किए गए थे, वहां वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख को मंजूरी के समय मूल रूप में यथापरिकल्पित, परियोजना के पूर्ण होने की तारीख के बाद ठीक दो वर्ष की तारीख माना जाएगा। नए मार्गनिर्देशों में वह विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाएगी, जिस समय तक कार्यान्वयाधीन परियोजना की ऋण आस्ति को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वस्तुपरक दृष्टि से निश्चित मानदंड के आधार पर कार्यान्वयाधीन परियोजना की स्थिति का पता लगाने में सहायक होगा।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की मांग

5906. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विदेश में भारतीय प्याज की मांग में कमी आने के रूझानों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कमी के रूझानों को बदलने की विशिष्ट योजना क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की मांग में कोई गिरावट नहीं आई है जैसा कि निम्नलिखित निर्यात आंकड़ों से पता चलता है :-

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1998-99	2,15,694.0	176.05
1999-2000	2,60,475.0	202.70
2000-2001	3,43,254.0	276.22
2001-2002 (अप्रैल-नवम्बर, 01)	2,76,981.0	220.41

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस कोलकाता (अनंतिम)

(ग) से (ङ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

संसाधनों का कम उपयोग

5907. श्री अरुण कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 में आबंटित धनराशि का बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं किया जा सका है और वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में इस स्थिति की ओर इंगित करने के बावजूद आर्थिक कार्य विभाग में संसाधनों का कम उपयोग करने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) अव्ययित प्रावधानों तथा उनके कारणों के ब्यौरे वर्ष 2002 की महालेखा नियंत्रक की रिपोर्ट सं. 1 जिसे 15 मार्च, 2002 को संसद के सभा-पटल पर रखा गया था, में पेश किए गए थे। आर्थिक कार्य विभाग में हुई बचतें व्यय संबंधी अनुमानित स्थापना, कम बाजार उधारों के साथ अल्पतर ब्याज दरें/धारक द्वारा सरकारी बांडों के प्रत्याशित नकदीकरण से कम राजकोषीय हुंडियों के निर्गम, विनिमय दर परिवर्तन तथा ऐसी निर्मुक्ति हेतु शर्तों की अनुपूर्ति की वजह से राज्यों को निधियों की अनुमानित निर्मुक्ति से कम बची रहने के कारण हुई। सरकार का बजट अनुमानों को यथासम्भव सही बनाने का सतत प्रयास रहा है।

कर मुक्त क्षेत्र

5908. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अगले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर को 'कर मुक्त क्षेत्र' में परिवर्तित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्यान्वयन के लिए 24 अप्रैल, 2002 को एक नयी औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों को अनुमोदन प्रदान किया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और आय कर से छूट प्रदान करना, जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम की स्थापना करना, आदि शामिल हैं।

मृत्यु संबंधी बीमा दावे

5909. श्री बी. वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम स्टाफ यूनियन ने मांग की है कि निगम को दो पारियों में बारह घंटे की कार्य प्रणाली आरंभ करनी चाहिए और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान हेतु घर-घर जाकर सेवा के लिए विशेष प्रकोष्ठ आरंभ करने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि एक कर्मचारी संघ ने दो पारियों में 12 घंटे का कारोबार शुरू करने तथा मृत्यु दावों के निपटान के लिए घर-घर जाकर सेवा प्रदान करने हेतु विशेष कक्ष स्थापित करने का सुझाव दिया है।

(ख) यह कार्य निगम का है कि वह विस्तार से इस मामले पर विचार करे और प्रस्ताव की प्रशासनिक और वित्तीय संभावना को ध्यान में रखते हुए किसी निर्णय पर पहुंचे।

कंपनियों की लेखा परीक्षा

5910. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में विलंब के कारण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अनुचित रूप से लंबा समय लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लेखा परीक्षकों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के पूर्व-लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समय पर लेखापरीक्षा कराने के लिए कौन सा तंत्र उपलब्ध है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी ए) की फर्मों का एक पेनल पहले से बना हुआ है, जिन्हें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के उपक्रमों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने हेतु विचार किया जाना है। पुन: इस वर्ष आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में कार्रवाई की जा रही है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

बैंकों की स्टॉक निवेश योजना

5911. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों ने गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्टॉक निवेश योजना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग के विकास पर खर्च की गई राशि

5912. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वस्त्र उद्योगों के विकास पर प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा क्षेत्रवार कितनी धन राशि खर्च की गई; और

(ख) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर गुजरात में, वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) क्षेत्रवार सूचना संलग्न विवरण-I से V में दी गई है।

(ख) संघ सरकार गुजरात सहित समस्त देश में वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और ऊन जैसे क्षेत्रों जो कि मुख्यत: ग्रामीण और लघु क्षेत्र हैं, के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों, एजेंसियों और लाभभोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि कारीगरों, बुनकरों, किसानों अथवा उत्पादकों की आय बढ़ाने अथवा मूल्य संवर्द्धन के लिए अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के लिए तथा गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वे महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इनके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजना, अपैरल पार्कों की स्थापना, वस्त्र अध्यसंरचना विकास केन्द्र योजना जैसी नई योजनाएं शुरू की गई हैं और विभिन्न अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें निर्यात को संचालित करने वाले नियमों और विनियमों को उदार बनाना शामिल है, जिनका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ाना है।

विवरण-I

कपास क्षेत्र

कपास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत मंजूर की गई राज्यवार परियोजनाएं

मार्च 2002 तक

लाख रुपए में

क्र. सं.	राज्य	लघु मिशन न. 3				लघु मिशन-4			लघु मिशन-3 और 4 का योग		
		#मंजूर किए गए बाजारों की संख्या	भारत सरकार की भागीदारी	राज्य की भागीदारी	कुल लागत (4) + (5)	जि. व प्रै. (मंजूर) फैक्ट्रियों की संख्या	परियोजना लागत	भारत सरकार की भागीदारी	मंजूर किए गए बाजार व जिन्निंग व प्रैसिंग फैक्ट्रियां (3)+(7)	परियोजना लागत (6)+(8)	भारत सरकार की भागीदारी (4)+(9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	हरियाणा	5	385	360.84	745.84	0	0	0	5	745.84	385
3.	राजस्थान	7	560.81	460.85	1021.66	0	0	0	7	1021.66	560.81
4.	गुजरात	15	1013.78	892.08	1905.86	42	3876.44	823.51	57	5782.3	1837.29
5.	मध्य प्रदेश	6	535	579.02	1114.02	24	2809.03	470.54	30	3923.05	1005.54
6.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	75	9444.43	1489.68	75	9444.43	1489.68
7.	आंध्र प्रदेश	8	580	706.27	1286.27	3	521.82	60	11	1808.09	640
8.	कर्नाटक	5	385	336.02	721.02	4	461	80	9	1182.02	465
9.	तमिलनाडु	2	238.49	174.45	412.94	0	0	0	2	412.94	238.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	उड़ीसा	3	170.07	117.54	287.61	2	248.2	40	5	535.81	210.07
	कुल	51	3868.15	3627.07	7495.22	150	17360.92	2963.73	201	24856.14	6831.88

#

हरियाणा (05) : मौजूदा यार्ड-04 में सुधार लाना, निष्क्रिय बाजार यार्ड-01 को सक्रिय बनाना

राजस्थान (07) : मौजूदा यार्ड-06 में सुधार लाना, निष्क्रिय बाजार यार्ड-01 को सक्रिय बनाना

गुजरात (01) : नये यार्ड-01 की स्थापना करना, मौजूदा यार्ड-04 में सुधार लाना, निष्क्रिय बाजार यार्ड-06 को सक्रिय बनाना

मध्य प्रदेश (06) : नये यार्ड-01 की स्थापना करना, मौजूदा यार्ड-04 में सुधार लाना, निष्क्रिय बाजार यार्ड-01 को सक्रिय बनाना

आंध्र प्रदेश (08) : नये यार्ड-02 की स्थापना करना, मौजूदा यार्ड-02 में सुधार लाना, निष्क्रिय बाजार यार्ड-04 को सक्रिय बनाना

कर्नाटक (05) : मौजूदा यार्ड-04 में सुधार लाना, निष्क्रिय बाजार यार्ड-01 को सक्रिय बनाना

तमिलनाडु (02) : नये यार्ड-01 की स्थापना करना, मौजूदा यार्ड-01 में सुधार लाना

उड़ीसा (03) : नये यार्ड-01 की स्थापना करना, मौजूदा यार्ड-01 में सुधार लाना, निष्क्रिय बाजार यार्ड-01 को सक्रिय बनाना

विवरण-II

ऊन क्षेत्र

वर्ष 1997-98 से 2001-01 (नौवीं पंचवर्षीय योजना) की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को आबंटित निधियां

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के नाम	रिलीज की गई निधि				कुल
			1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	50.25	80.05	—	—	130.30
		(2) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	1.80	—	—	1.80
		(3) एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	3.90	—	—	—	3.90
		(4) औद्योगिक सेवा केन्द्र	70.59	—	—	—	70.59
		(5) लघु ऊन मंझाई संयंत्र	5.00	—	—	5.50	10.50
		कुल	129.74	81.85	—	5.50	217.09
2.	राजस्थान	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	16.99	162.17	230.70	44.15	454.01
		(2) कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	2.11	—	—	—	2.11
		(3) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	—	4.68	—	4.68
		(4) औद्योगिक सेवा केन्द्र	—	46.82	—	—	46.82
		कुल	19.10	208.99	235.38	44.15	507.62
3.	हिमाचल प्रदेश	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	16.35	10.80	16.35	20.53	64.03
		(2) कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	3.40	—	—	—	3.40

1	2	3	4	5	6	7	8
		(3) ऊनी उत्पादों के विनिर्माण की प्रशिक्षण योजना	0.98	—	—	—	0.98
		(4) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	3.60	—	1.80	5.40
		(5) एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	7.80	6.88	—	3.90	18.58
		(6) लघु ऊन मंझाई संयंत्र	5.00	—	—	5.50	10.50
		कुल	33.53	21.28	16.35	31.73	102.89
4.	उत्तर प्रदेश	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	26.81	10.80	—	16.74	54.35
		(2) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	3.24	—	—	3.24
		कुल	26.81	14.04	—	16.74	57.59
5.	महाराष्ट्र	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	10.80	—	4.97	3.45	19.22
		(2) ऊन व ऊनी वस्त्रों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित परियोजना	14.48	—	—	—	14.48
		(3) लघु ऊन मंझाई संयंत्र	5.00	—	—	5.50	10.50
		कुल	30.28	—	4.97	8.95	44.20
6.	हरियाणा	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	—	—	—	—	—
		(2) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	—	0.72	—	0.72
		कुल	—	—	0.72	—	0.72
7.	कर्नाटक	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	18.40	5.00*	5.80	30.75	59.95
		(2) ऊन परीक्षण केन्द्र	7.38	—	—	—	7.38
		(3) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	3.37	0.36	2.32	6.05

1	2	3	4	5	6	7	8
		(4) लघु ऊन मंझाई संयंत्र	5.00	—	—	5.50	10.50
		कुल	30.78	8.37	6.16	38.57	83.88
8.	आंध्र प्रदेश	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	46.48	—	47.62	86.55	180.65
		(2) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	1.41	0.72	2.16	4.29
		कुल	46.48	1.41	48.34	88.17	184.94
9.	सिक्किम	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	—	—	3.90	—	3.90
		कुल	—	—	3.90	—	3.90
10.	पंजाब	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	13.20	—	—	—	13.20
		(2) एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	—	3.90	—	—	3.90
		कुल	13.20	3.90	—	—	17.10
11.	जम्मू व कश्मीर	(1) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	21.60	—	10.80	10.30	42.70
		(2) ऊन परीक्षण केन्द्र	—	—	7.10	—	7.10
		(3) मशीन कटाई सह प्रशिक्षण परियोजना	—	1.80	0.72	1.80	4.32
		(4) ऊन व ऊनी वस्त्रों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित परियोजना	—	—	14.48	—	14.48
		(5) एकीकृत अंगोरा खरगोश विकास परियोजना	7.80	—	—	—	7.80
		(6) औद्योगिक सेवा केन्द्र	70.59	—	—	—	70.59
		(7) लघु ऊन मंझाई संयंत्र	5.00	—	—	5.50	10.50
		कुल	104.99	1.80	33.10	17.60	157.49

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जारी की गई आर्थिक सहायता के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	आंध्र प्रदेश				झारखंड				उड़ीसा				पश्चिम बंगाल			
		98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	—	2.87	25.50	28.37	—	15.70	46.82	62.52	—	13.25	52.90	66.15	—	1.07	43.79	44.86
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	22.50	—	22.50	45.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	6.05	—	31.97	38.02	—	—	—	—	4.00	4.00	—	5.00	5.00	1.25	22.36	28.61
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	17.50	—	73.32	90.82	—	—	—	—	17.50	9.83	0.58	27.91	4.01	9.05	13.57	26.63
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	—	—	5.10	5.10	—	0.45	0.30	0.75	—	—	—	—	—	5.10	—	5.10
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.02	—	1.52	1.54	—	—	—	—	4.13	0.12	0.08	4.33	1.21	0.02	1.37	2.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	—	—	1.50	—	—	—	—
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	—	0.26	—	0.26
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता-																
	(क) द्विफसलीय रेशम को रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	—	—	—	—	—	—	—	—	0.41	0.42	0.17	1.00	—	—	—	—
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	—	—	6.00	6.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.58	1.58
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/ कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/ निगमों) को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36	0.36
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	5.19	1.65	20.53	27.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	9.50	29.20	2.30	41.00	—	—	—	—	4.90	10.00	1.10	16.00	—	—	—	—
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	—	0.60	0	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	2.20	—	5.60	7.84
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पदार्थ में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.42	3.10	4.53

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	असम				नागालैंड				मेघालय				छत्तीसगढ़			
		98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	—	33.29	122.04	155.33	—	3.38	6.67	10.05	—	—	21.48	21.48	—	—	11.52	11.52
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	—	—	2.74	2.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.40	4.80	10.20
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता-																
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन																
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**																
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	—	0.48	9.30	9.78	—	0.13	2.63	2.76	—	0.30	0.85	1.15	—	—	—	—
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	—	—	2.80	2.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/ कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	2.32	0.21	7.33	9.86	0.27	—	—	2.27	0.47	0.31	0.24	1.02	—	—	—	—
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	—	—	0.94	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	3.70	—	0.30	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.00	13.00
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पदार्थ में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	0.01	3.19	8.18	11.38	1.46	0.16	1.08	2.70	—	0.3	2.32	2.65	--	—	—	—
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.78	0.83	13.21	14.82	0.20	—	—	0.20	0.10	0.14	0.29	0.53	—	—	—	—
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	10.86	15.25	52.15	78.26	1.63	3.05	5.31	9.99	3.17	5.93	9.67	18.77	--	—	—	—

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	महाराष्ट्र				हिमाचल प्रदेश				कर्नाटक				तमिलनाडु			
		98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	—	0.26	—	0.26	—	—	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	—	11.25	11.25	22.50	—	—	—	—	25.31	25.31	67.50	118.12	30.51	34.34	26.73	91.58
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	—	5.12	—	5.12	—	—	5.00	5.00	—	22.48	16.10	38.58	—	17.14	12.29	29.43
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	22.47	20.83	45.82	89.12	—	—	7.14	7.14	—	—	35.00	35.00	8.40	14.00	14.00	36.40
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	—	1.50	4.95	6.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.24	—	1.31	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.50	0.69	2.19	—	—	—	—
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता-																
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	2.88	2.92	—	—	—	—
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**									12.00	18.58	27.40	57.98	—	4.75	4.40	9.15
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/ कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	—	—	—	—	—	—	—	—	12.03	10.84	63.86	86.73	12.03	1.88	4.96	18.87
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	—	—	—	—	—	—	—	—	2.90	7.20	5.70	15.80	13.40	26.20	1.90	43.50
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	—	—	—	—	—	—	—	—	3.25	—	—	3.25	—	0.16	0.16	0.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पदार्थ में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	केरल				जम्मू व कश्मीर				मध्य प्रदेश				बिहार			
		98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	1.58	1.58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	2.45	2.45	4.00	5.00	4.00	13.00	–	15.19	4.88	20.07	3.20	0.59	–	3.79
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	7.11	8.15	2.78	18.04	15.00	15.00	–	30.00	–	1.68	–	1.68	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	5.99	—	8.40	14.39	2.05	—	—	2.05
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता-																
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	—	—	—	—	8.34	—	10.17	18.51	—	1.33	—	1.33	—	—	—	—
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	—	—	—	—	8.35	4.90	—	13.25	—	—	3.00	3.00	—	—	—	—
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/ कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	–	–	–	–	5.19	–	6.13	11.32	0.94	–	–	0.94	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	7.50	5.40	12.90	–	–	–	–	4.90	3.80	0.30	9.00	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	0.02	0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पदार्थ में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	उत्तर प्रदेश				सिक्किम				अरुणाचल प्रदेश				मिजोरम			
		98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	9.00	—	—	9.00	1.00	0.06	2.19	3.25	—	—	6.75	6.75	5.00	—	—	5.00
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	—	—	—	—	1.40	—	1.96	3.36	—	—	—	—	11.15	—	—	11.15
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	—	—	2.25	2.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	0.41	0.46	0.30	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता–																
	(क) द्विफसलीय रेशम को रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	5.08	0.18	5.35	10.61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**	–	–	1.00	1.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.02	2.02	–	–	1.05	1.05
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/ कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–	–	–	–	–	0.11	–	–	0.11	–	–	–	–
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	3.79	–	–	3.79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	–	2.80	18.20	21.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पदार्थ में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	–	–	–	–	–	–	–	–	0.38	–	–	0.38	1.29	0.51	2.15	5.95
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	–	–	–	–	–	–	–	–	0.07	–	–	0.07	–	–	–	–
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	–	–	–	–	–	–	–	–	1.63	1.14	2.48	5.25	1.20	0.73	2.70	4.63

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	त्रिपुरा				मणिपुर				उत्तरांचल				पंजाब			
		98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल	98-99	99-00	00-01	कुल
1.	गैर-शहतूती रेशम के विकास संबंधी यूएनडीपी सहायित उप-कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	ड्रिप सिंचाई से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रदर्शन किस्म के रीलिंग पूर्व उत्पादकता के उन्नत उपायों को सहायता देना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	नए शहतूती रेशम कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण देना तथा प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति करना	2.79	6.80	–	9.59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	बीज बहुगुणन इन्फ्रास्ट्रक्चर (तसर) के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	उष्ण कटिबंधीय तसर के उन्नत रीलिंग/उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	उप-उत्पाद प्रयोग विकास परियोजनाएं	4.60	—	—	4.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सहायता	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	रीलिंग एककों के लिए सहायता-																
	(क) द्विफसलीय रेशम की रीलिंग के लिए प्रोत्साहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(ख) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की आर्थिक सहायता**																
10.	मूंगा कृषि अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तथा प्रारंभिक औजार प्रदान करना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	कोटि के मूंगा बीज के उत्पादन के लिए निजी अनाज भंडारों को सहायता की प्रायोगिक योजनाएं	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	मूंगा के लिए उन्नत रीलिंग/ कताई उपकरणों का लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	—	—	—	—	0.21	—	0.05	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मल्टी एंड रीलिंग मशीनों के प्रयोग को बढ़ाकर कोटि के अपरिष्कृत रेशम उत्पादन बढ़ाने की योजना***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.71	0.71	—	—	0.94	0.94
14.	हथकरघा रेशम संसाधन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना	—	—	9.40	9.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	किफायती चूल्हों से स्रोत संरक्षण प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	प्रशिक्षण और प्रारंभिक औजारों की आपूर्ति के साथ एरी खाद्य पदार्थ में सुव्यवस्थित रोपण का प्रदर्शन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	एरी के लिए उन्नत कताई उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए एजेंसियों (गैर-सरकारी संगठनों/निगमों) को सहायता	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मूंगा खाद्य पादपों को बढ़ाना	—	—	—	—	—	1.20	—	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—

**बैंकों के पास सावधि जमा में राशि रखी गयी है। सावधि जमा से अर्जित ब्याज पर ही रीलरों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

***यह मात्र केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा भी समान राशि दी गयी है।

विवरण-IV

हथकरघा क्षेत्र

वर्ष 2000-01 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत जारी की गई सहायता का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं	राज्य	2000-01					2001-02					वर्ष 2000-01 से अब तक कुल राशि (मंजूर) मूल निवेश	वर्ष 2000-01 से अब तक कुल (जारी) राशि (एम आई + वी आई)
		परियोजना	मूल निवेश (मंजूर)	मूल निवेश	विपणन प्रोत्साहन	कुल	परियोजना	मूल निवेश (मंजूर)	मूल निवेश	विपणन प्रोत्साहन	कुल (जारी)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश					0.00000	96	2173.33000	744.18000	432.64050	1176.82050	1176.82050	1176.82050
2.	बिहार			–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
3.	छत्तीसगढ़	–		–	–	0.00000	10	16.16000	8.0300	24.54564	32.57564	32.57564	32.57564
4.	दिल्ली	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
5.	गुजरात	1	425.00000	212.50000	–	212.50000	2		2122.50000		212.50000	425.00000	425.00000
6.	हरियाणा	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
7.	हिमाचल प्रदेश	7	13.87000	6.89000	–	6.89000	21	48.64000	24.23000		24.23000	31.12000	31.12000
8.	जम्मू व कश्मीर	6	26.18000	13.08000	31.460	44.54000					0.00000	13.08000	44.54000
9.	झारखंड	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
10.	कर्नाटक	–		–	–	0.00000	1	5.00000	2.50000	296.00072	298.50072	298.50072	298.50072
11.	केरल	–		–	–	0.00000				225.00000	225.00000	225.00000	225.00000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	मध्य प्रदेश	4	10.21000	5.04000	27.670	32.71000	6	12.18000	6.06000	3.28186	9.34186	14.38186	42.05186
13.	महाराष्ट्र	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
14.	उड़ीसा	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
15.	पंजाब	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
16.	राजस्थान	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
17.	तमिलनाडु	–		–	677.050	677.05000	144	183.42000	91.03000	1571.34075	1662.37075	1662.37075	2339.42075
18.	उत्तर प्रदेश	21	111.35000	54.15000	–	54.15000	178	875.46000	416.29000	226.95993	643.24993	697.39993	697.39993
19.	उत्तरांचल	–		–	–	0.00000	14	80.66000	40.25000		40.25000	40.25000	40.25000
20.	प. बंगाल	12	56.42000	28.15113	–	28.15113	15	56.05000	27.69000		27.69000	55.84113	55.84113
	कुल (क)	51	643.03000	319.81113	736.180	1055.99113	487	3450.90000	1572.76000	2779.76940	4352.52940	4093.93000	5408.52053
	पूर्वोत्तर राज्य												
21.	अरुणाचल प्रदेश		0.00000	–	–	0.00000	27	312.30000	156.04000		156.04000	312.30000	156.04000
22.	असम	45	467.13000	233.14000	190.960	424.10000	156	1736.97000	866.07300		866.07300	2204.10000	1290.17300
23.	मणिपुर	74	286.17000	142.52000	0.990	143.51000					0.00000	286.17000	143.51000
24.	मेघालय	1	12.04000	6.00000	–	6.00000					0.00000	12.04000	6.00000
25.	मिजोरम	–	–	–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
26.	नागालैंड	10	66.35000	33.10000	–	33.10000	150	693.38000	346.50000		346.50000	759.73000	379.60000
27.	त्रिपुरा	16	58.77000	29.22000	3.920	33.14000				3.91650	3.91650	58.77000	37.05650
28.	सिक्किम	–		–	–	0.00000					0.00000	0.00000	0.00000
	कुल (ख)	146	890.46000	443.98000	195.870	639.85000	333	2742.65000	1368.61300	3.91650	1372.52950	3633.11000	2012.37950
	कुल योग (क+ख)	197	1533.49000	763.79113	932.050	1695.84113	820	6193.55000	2941.37300	27283.686	5725.06890	7727.04000	7420.90003

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के आरंभ से योजना के लिए वर्ष 00-01 व 01-02 तथा अब तक जारी कुल राशि।

वर्ष 1999-00, 2000-01 तथा 2001-02 के लिए परियोजना पैकेज योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	1999-2000		2000-2001		2001-02	
		परियोजना	जारी की गई राशि	परियोजना	जारी की गई राशि	परियोजना	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	420.0850	35	307.0100	6	31.8800
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	39.9000	11	55.5500	3	12.1200
3.	असम	23	546.7200	74	513.4300		—
4.	बिहार	5	8.8500		3.2500	—	—
5.	छत्तीसगढ़					23	19.8200
6.	दिल्ली	—	—			—	—
7.	गुजरात	6	18.6500		7.3500	1	4.2900
8.	हरियाणा	—	4.0000			2	6.5600
9.	हिमाचल प्रदेश	8	34.1600	3	10.4700	7	19.1700
10.	जम्मू व कश्मीर	—	28.5535	5	47.8300	—	—
11.	कर्नाटक	—	20.9450	8	18.1600	7	20.2700
12.	केरल	28	68.8000	36	283.4475	83	486.2925
13.	मध्य प्रदेश	32	29.5000	14	16.0200	1	1.2500
14.	महाराष्ट्र	4	5.0300	26	89.8720	1	2.0000
15.	मणिपुर	30	180.8000	42	236.2400	3	19.0400
16.	मेघालय	—	—			—	—
17.	मिजोरम	—	7.5000			—	—
18.	नागालैंड	46	189.1400	13	127.0800	—	—
19.	उड़ीसा	1	154.5337		1.3750	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	पांडिचेरी	–	–			–	–
21.	पंजाब	4	8.9000		3.4000	–	–
22.	राजस्थान	–	92.9900			–	–
23.	सिक्किम	–	–			–	–
24.	तमिलनाडु	43	121.3800	125	141.7600	7	11.9600
25.	त्रिपुरा	–	24.0000		4.5400	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	93	644.5123	51	314.8400	–	–
27.	प. बंगाल	36	144.5214	8	73.8525	–	–
28.	एनईएचएचडीसी	–	–			–	–
	कुल	366	2793.4709	451	2255.4770	144	634.6525

हथकरघा विकास केन्द्र/गुणवत्ता रंजक एकक स्कीम
(वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक जारी की गई निधियों की स्थिति)

क्र. सं.	राज्य का नाम	99-2000 केवल शेष राशि	2000-01 केवल शेष राशि	2001-02 केवल शेष राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13.68624	27.89300	
2.	अरुणाचल प्रदेश			
3.	असम			
4.	बिहार			
5.	गुजरात			
6.	गोआ			
7.	हरियाणा			
8.	हिमाचल प्रदेश	2.84.000	5.10000	
9.	जम्मू व कश्मीर			
10.	कर्नाटक			
11.	केरल	15.99192		
12.	मध्य प्रदेश			
13.	महाराष्ट्र			
14.	मणिपुर			
15.	मेघालय			
16.	मिजोरम			
17.	नागालैंड	61.39000	78.84000	
18.	उड़ीसा			

1	2	3	4	5
19.	पंजाब			
20.	राजस्थान			1.77500
21.	तमिलनाडु	290.08887		
22.	त्रिपुरा			
23.	उत्तर प्रदेश	12.18960		
24.	प. बंगाल			
25.	पांडिचेरी			
26.	सिक्किम			
27.	दिल्ली			
	कुल	396.18663	111.83300	1.77500

वर्ष 1999-2000, 2002-01 तथा 2001-02 के लिए एकीकृत हथकरघा ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी राशि 1999-2000	जारी राशि 2000-01	जारी राशि 2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	33.0000	129.0000	
2.	अरुणाचल प्रदेश	–		
3.	असम	44.7500		
4.	बिहार	–		
5.	दिल्ली	–		
6.	गुजरात	–		
7.	हरियाणा	–		
8.	हिमाचल प्रदेश	–		
9.	जम्मू व कश्मीर	–		
10.	कर्नाटक	–		
11.	केरल	–		71.0700
12.	मध्य प्रदेश	48.9000	10.0000	
13.	महाराष्ट्र	–		
14.	मणिपुर	57.1500		2.0000
15.	मेघालय	–		
16.	मिजोरम	–		
17.	नागालैंड	–		
18.	उड़ीसा	44.0000		
19.	पांडिचेरी	–		
20.	पंजाब	–		
21.	राजस्थान	–		
22.	सिक्किम	–		
23.	तमिलनाडु	–	63.000	
24.	त्रिपुरा	42.7500		10.5000
25.	उत्तर प्रदेश	–		6.0000
26.	प. बंगाल	6.0000		
	कुल	276.55	202.0000	89.5700

विविध हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशियों का ब्यौरा

31.3.02 के अनुसार स्थिति

आंकड़े लाख रु. में

क्र. सं	राज्य का नाम	डीडी एच पीवाई	पीपीएस		एचडी सी/क्यू डीयू	आई एच वीडी	गणना	एमएम डी डब्ल्यू	प्रदर्शनी व प्रचार	वर्कशेड सह-आवास	समूह बीमा योजना	स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	थ्रफ्ट निधि स्कीम	नयी बीमा स्कीम	डीई पीएम	एमडी ए/ विशेष छूट	प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना	जनता कपड़ा स्कीम	अनुसंधान व विकास	कुल
			अनुदान	ऋण																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	आंध्र प्रदेश	1176.82	24.60	7.28	–	–	–	–	52.47	253.96	22.73	–	–	–	6.00	70.07	–	–	6.50	1620.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	156.04	8.03	4.09	–	–	–	–	15.51	320.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	498.67
3.	असम	866.07	–	–	–	–	54.48	–	64.96	–	–	–	–	–	9.56	10.26	–	–	11.57	1016.90
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.50	–	–	–	–	6.50
5.	छत्तीसगढ़	32.58	19.07	0.75	–	–	–	–	9.00	–	0.50	–	–	–	–	–	–	–	–	61.90
6.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	9.00	–	–	–	2.39	0.21	8.75	3.33	–	–	5.70	29.38
7.	गोआ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
8.	गुजरात	212.50	3.23	1.06	–	–	–	–	19.00	–	2.15	–	–	2.99	–	0.87	–	–	–	241.80
9.	हरियाणा	–	6.56	–	–	–	–	–	12.00	–	–	–	–	–	8.50	16.98	5.52	–	–	49.56
10.	हिमाचल प्रदेश	24.23	15.37	3.80	–	–	–	–	10.17	2.21	–	–	–	–	44.00	–	–	–	–	99.78
11.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	65.78	–	–	–	–	0.33	–	–	–	–	6.00	72.11
12.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
13.	कर्नाटक	298.50	18.01	2.26	–	–	–	–	6.70	113.10	14.12	–	20.00	–	7.95	–	–	–	–	480.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.	केरल	225.00	356.55	129.75	–	71.07	1.22	–	–	90.00	–	–	10.43	–	–	43.44	17.28	–	–	944.74
15.	मध्य प्रदेश	9.34	1.10	0.15	–	–	–	–	64.98	–	0.05	–	3.72	1.13	16.25	–	9.30	–	–	106.02
16.	महाराष्ट्र	–	2.00	–	–	–	–	–	40.00	50.00	–	–	2.26	–	–	–	–	–	–	94.26
17.	मणिपुर	–	16.20	2.84	–	2.00	5.59	–	6.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.63
18.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	1.93	10.53	–	–	–	–	–	0.28	–	–	1.00	13.74
19.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	9.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.00
20.	नागालैंड	346.50	–	–	–	–	–	–	12.70	–	–	–	–	–	18.00	–	–	–	–	377.20
21.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	45.34	–	–	–	–	–	–	12.45	–	–	–	57.79
22.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.23	–	–	–	–	–	1.23
23.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	0.36	–	–	–	–	–	28.50	0.52	–	–	–	29.38
24.	राजस्थान	–	–	–	1.78	–	–	–	16.00	26.61	–	–	–	3.60	–	18.02	–	–	–	66.01
25.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	3.99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.99
26.	तमिलनाडु	1662.37	9.26	2.70	–	–	0.66	–	–	114.13	–	35.31	281.22	–	–	–	67.90	–	–	2173.55
27.	त्रिपुरा	3.92	–	–	–	10.50	–	–	5.76	–	–	–	0.13	0.51	–	5.15	–	–	–	25.97
28.	उत्तर प्रदेश	643.25	–	–	–	6.00	–	1.00	43.64	–	–	–	–	–	44.75	31.22	–	–	9.01	778.87
29.	उत्तरांचल	40.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.25
30.	प. बंगाल	27.69	–	–	–	–	–	–	34.52	–	2.77	2.35	–	–	4.20	–	–	–	–	71.53
	कुल	5725.06	479.98	154.68	1.78	89.57	61.95	1.00	543.81	980.54	42.32	37.66	320.15	10.00	202.96	212.59	100.00	0.00	39.78	9003.83

विवरण-V

हस्तशिल्प क्षेत्र वर्ष 1998-99 के दौरान जारी की निधियां

प्लान योजनाओं का नाम

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	निर्यात	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजायन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन वि. सहा.	सवै.भ.	सीडीसी	वर्कशेड आवास	बीमा	मृतप्राय का पुनरुद्धार	यूएन डीपी	सभी स्कीम का कुल	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश		15.56	3.00	2.44	7.72	48.09	24.84	4.58	3.03	1.75			0.68	111.69	5.48
2.	अ. नि. द्वीप समूह														0.00	
3.	अरुणाचल प्रदेश														0.00	
4.	असम		24.09	22.02		10.69	12.26	22.50	5.70	3.89	12.07	0.06		1.75	115.03	5.65
5.	बिहार		4.80	0.41	1.54	2.66					2.13		0.63	0.70	12.87	0.63
6.	दिल्ली	14.00	26.21	39.11	138.24	12.40	15.20	20.00	25.82				4.70	2.51	298.19	14.65
7.	गोआ		1.54	0.78	0.70			10.25		3.00					16.22	0.79
8.	गुजरात		18.34	4.05	14.27	1.93	33.16	30.00		2.00					103.75	5.99
9.	हरियाणा		1.15			1.84	43.15	7.50		3.19				0.35	57.18	2.81
10.	हिमाचल प्रदेश		29.47	4.88	0.77			25.00		5.77					65.89	3.23
11.	जम्मू व कश्मीर		12.68	2.18		4.65	4.00	43.94		3.94	4.50				75.89	3.73
12.	कर्नाटक		6.21	4.83	0.79	0.49	5.00	18.75	4.00	3.00					43.07	2.11
13.	केरल		3.21	1.83		1.06	2.00	8.00	2.00	0.54		0.08		5.82	24.54	1.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	मध्य प्रदेश		6.00	5.90	4.90	13.84	25.84	17.48	3.68	7.46				7.02	92.12	4.52
15.	महाराष्ट्र		8.07		5.18	3.64	33.96	5.00	6.00				0.30	1.08	63.23	3.10
16.	मणिपुर		1.15	3.30		13.99	24.95	27.73		6.50	1.75				79.37	3.90
17.	मेघालय			2.04			1.00	8.60							11.64	0.57
18.	मिजोरम		4.30	3.53			2.00	9.31		5.56		0.06			24.76	1.21
19.	नागालैंड		8.00	2.93	0.50		1.00	25.00		4.56	18.25				60.54	2.97
20.	उड़ीसा		30.29	5.11	2.40	19.01	40.54	33.50	7.00	3.68	17.71	0.36	0.30	3.80	63.70	8.04
21.	पंजाब		0.85	2.03		2.50	2.00	3.50		5.56					16.44	0.80
22.	पांडिचेरी		3.53	0.16											3.69	0.18
23.	राजस्थान		4.76	2.00	2.00	1.72	6.08	5.00	1.00	9.01	4.25	9.00			44.82	2.20
24.	सिक्किम		2.40	3.18		7.60	2.46		3.40				1.78		20.82	1.02
25.	तमिलनाडु		15.40	4.25	2.24	1.83	9.25	25.00	3.47	9.43	5.65		0.30	0.87	77.69	3.81
26.	त्रिपुरा		9.13	0.80	2.00		4.00	26.00						0.13	42.06	2.06
27.	उत्तर प्रदेश	15.00	39.31	6.16	11.90	80.28	68.31	46.24	8.89	10.98	20.00			38.60	345.67	16.99
28.	प. बंगाल		17.91	3	1.12	4.24	6.63	21.09	2.26	2.91	0.88			3.50	63.56	3.12
	कुल	29.00	294.36	127.43	191.29	192.09	390.88	464.23	77.82	94.01	88.94	9.56	8.01	66.81	2034.43	
	प्रतिशतता	1.42	14.46	6.26	9.40	9.44	19.21	22.81	3.82	4.62	4.37	0.46	0.39	3.28		

हस्तशिल्प क्षेत्र

वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी की गई निधियां

योजना स्कीमों के नाम

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	निर्यात	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजायन	प्रशिक्षण	विपणन वि. सहायता	विपणन	सर्वेक्षण अध्ययन	सीडीसी	कल्याण	यूएन डीपी	सभी स्कीमों का कुल	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश		9.70			18.62	53.41		5.49		2.03		89.25	4%
2.	अ.नि. द्वीप समूह						5.75						5.75	0.25
3.	अरुणाचल प्रदेश					0.06	6.64						6.7	0.29
4.	असम		13.70	6.87	14.91	4.59	38.24	10.97		8.81	18.61		116.7	5.14
5.	बिहार		6.57		0.50	4.40	53.20			1.88			66.55	2.93
6.	दिल्ली	47.00	22.29	28.09	138.99	15.30	57.09		22.62		1.90	66.90	400.18	17.65
7.	गोआ					1.30	6.00	7.50					14.8	0.65
8.	गुजरात		16.05	1.71	4.50	28.91	10.38	10.50		1.98			74.03	3.26
9.	हरियाणा		4.47			7.34	60.03	5.00			2.25		79.09	3.48
10.	हिमाचल प्रदेश		14.26			0.04	8.59	2.50		1.69			27.08	1.19
11.	जम्मू व कश्मीर		10.56	1.97	1.90	5.49	56.22	20.45		1.88			98.47	4.34
12.	कर्नाटक		1.09		3.36	2.71	23.31	6.73	3.55	0.31	24.35	43.00	108.41	4.78
13.	केरल		3.24			8.13	9.74	2.53		0.05	2.11	25.98	51.78	2.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	मध्य प्रदेश		11.73	10.98	7.58	16.87	32.18	10.50	0.24	6.92			97	4.27
15.	महाराष्ट्र		7.36		10.00	6.79	42.79	0.85				23.37	91.16	4.02
16.	मणिपुर			1.58	0.50	16.79	21.85	9.73		4.12	3.78		58.35	2.57
17.	मेघालय						9.58						9.58	0.42
18.	मिजोरम						1.30	10.01					11.31	0.49
19.	नागालैंड		8.40	0.93	0.50	5.01	8.09	12.50			5.25		40.68	1.79
20.	उड़ीसा		22.95		4.68	32.09	20.99	10.32	1.60	3.61	24.20		120.44	5.31
21.	पंजाब				0.34	3.54	18.34			2.99			25.21	1.11
22.	पांडिचेरी		4.69			4.07	8.57						17.33	0.76
23.	राजस्थान		8.75	8.95		2.66	17.56		8.92			10.76	57.6	2.54
24.	सिक्किम					16.16	5.59		1.75	0.66			24.16	1.06
25.	तमिलनाडु		15.08		1.20	7.54	26.07	10.38	1.44	1.03	0.65		63.39	2.79
26.	त्रिपुरा		5.16	2.55	1.57	2.64	10.80	7.00					29.72	1.31
27.	उत्तर प्रदेश	75.00	21.63		4.18	131.48	73.10	20.60	2.06	2.48	15.23	45.02	390.78	17.23
28.	प. बंगाल		14.80	0.80	6.41	4.65	49.87	10.86	1.11		3.10		91.6	4.04
	कुल	122.00	222.48	64.43	201.12	347.18	735.28	168.93	48.78	38.41	103.46	215.03	2267.10	
	प्रतिशतता	5.38	9.81	2.84	8.87	15.31	32.43	7.45	2.15	1.69	4.56	9.48		

हस्तशिल्प क्षेत्र

वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी की गई निधियां

योजना स्कीमों के नाम

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	निर्यात	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजायन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन वि. सहायता	सर्वेक्षण अध्ययन	कल्याण	यूएन डीपी	सीडीसी/ सीएच	सभी स्कीमों का कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	13.65	6.89		7.92	32.26		0.06	30.13			100.91
2.	अ.नि. द्वीप समूह					2.02							2.02
3.	अरुणाचल प्रदेश		1.45			6.00				17.00			24.45
4.	असम		16.45	3.12	29.40	5.53	11.14	21.25	22.94	12.27		7.85	129.95
5.	बिहार		1.12	0.21		13.40				1.00			15.73
6.	दिल्ली	651.66	29.33	72.75	125.19	12.89	47.12		26.73	1.22	315.85		1282.74
7.	गोआ					0.85							0.85
8.	गुजरात		15.17		2.40	13.25	43.54		8.00		4.00	11.25	97.61
9.	हरियाणा		5.47			1.71		2.50	2.12				11.80
10.	हिमाचल प्रदेश		210.8	3.41		10.68		12.73					47.90
11.	जम्मू व कश्मीर	3.00	7.87	0.58	0.50	14.19						3.75	29.89
12.	कर्नाटक		6.34		7.08	3.39	16.23	7.20		9.63	24.00		73.87
13.	केरल		4.75	0.14		3.51		5.02		1.08	51.15		65.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	2.52	19.52	6.41	3.40	10.79	19.24	27.25				1.31	90.44
15.	महाराष्ट्र		7.58		3.88	7.80	33.14				15.00		67.40
16.	मणिपुर		3.20		15.00	10.61	14.41			29.33		1.07	73.62
17.	मेघालय	6.75		2.41	5.00	3.33	4.44	6.25		0.04	16.70		44.92
18.	मिजोरम		5.71	1.99				7.95		0.03		3.94	19.62
19.	नागालैंड		4.05	0.58	25.00	5.02	9.91	13.70		27.63		13.22	99.11
20.	उड़ीसा		5.26	1.38	0.50	26.46				31.73		2.76	68.09
21.	पंजाब					10.38						1.16	11.54
22.	पांडिचेरी					0.45						0.45	
23.	राजस्थान		7.00		2.40	6.34				1.50	16.38		33.62
24.	सिक्किम				15.00	0.45							15.45
25.	तमिलनाडु	0.37	8.53	1.54		4.30	22.75	6.33		4.40			48.22
26.	त्रिपुरा		11.37		5.50	8.07		5.72		1.35		9.02	41.03
27.	उत्तर प्रदेश	48.80	22.93	5.25	0.74	67.25	45.05	29.22	12.00	24.50	25.75	46.42	327.91
28.	प. बंगाल		2.06	6.58	9.16	7.86	14.63	2.73	0.17	7.20		14.45	64.84
29.	उत्तरांचल					15.25				3.60			18.85
30.	झारखंड					6.73							6.73
	कुल	723.10	219.89	113.24	250.15	286.43	313.86	147.85	72.02	203.64	468.83	116.20	2915.21
	प्रतिशतता												

नेपाल से वनस्पति का आयात

5913. श्री वैको : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नेपाल से कितना और कितने मूल्य का वनस्पति आयात किया गया;

(ख) नेपाल से वनस्पति का आयात करने पर कितनी लागत आई और देश में इसका उत्पादन करने पर प्रति क्विंटल कितनी लागत आती है; और

(ग) वनस्पति के घरेलू उत्पादन की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल से आयात की गई वनस्पति की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:–

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1998-99	47050	184.19
1999-2000	54102	157.17
2000-2001	100545	213.77

स्रोत : वाणिज्यिक विभाग

(ख) देश में वनस्पति के उत्पादन की लागत के बारे में सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी, 2002 से, नेपाल से आयात किए गए वनस्पति के थोक मूल्य और देश में उत्पादित वनस्पति के थोक मूल्य निम्नानुसार हैं:–

(मूल्य रुपये में प्रति 15 लीटर पैक में)

माह	नेपाल से आयात किए गए वनस्पति के मूल्य	देश में निर्मित वनस्पति के मूल्य
जनवरी	435	514
फरवरी	440	515
मार्च	498	540
अप्रैल	505	580

स्रोत : इकॉनामिक टाइम्स

(ग) 6 मार्च, 2002 से पांच वर्षों की अवधि के लिए 2 मार्च, 2002 को हस्ताक्षरित संशोधित भारत-नेपाल व्यापार संधि में स्वदेशी वनस्पति उत्पादकों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) मूल्य वर्धन की धारणा शुरू की गई है।

(ii) प्रथम वर्ष (5 मार्च, 2003 तक) के दौरान तीसरे देश के अधिकतम आदान निकासी मूल्य के 75% से अधिक नहीं हो सकते और इसके बाद 70% से अधिक नहीं हो सकते।

(iii) 4 अंकीय एच.एस. संहिता पर पर्याप्त रूपान्तरण खंड शुरू किया गया है।

(iv) साधारण संसाधन, जो संधि में सूचीबद्ध है, को नेपाल में उत्पादन गतिविधि के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(v) उपर्युक्त प्रावधानों को शामिल करते हुए उत्पत्ति का एक व्यापक प्रमाण-पत्र निर्धारित किया गया है। संदेह की दशा में भारत ऐसे प्रमाण-पत्रों की समीक्षा कर सकता है।

(vi) नेपाली आयात के भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचाने अथवा क्षति पहुंचाने की आशंका के लिए सुरक्षा खंड शुरू किया गया है। इस खंड के अधीन, यदि समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता है तो भारत नेपाल से तरजीह सुविधा वापस ले सकता है।

(viii) भारत में नेपाली वनस्पति के आयात के लिए 6 मार्च, 2002 से प्रति वर्ष एक लाख टन की मात्रा निर्धारित की गई है।

खाद्यान्न भंडारों में खाद्यान्न की क्षति

5914. श्री पी. कुमारासामी :
श्री पी.डी. एलानगोवन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फसल कटाई से पहले और बाद में अपनाए जाने वाले खराब तरीकों तथा तकनीकों और हमारे देश में खराब भंडारण सुविधाओं के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो फसल कटाई से पहले और बाद, खाद्यान्नों को लाने-ले-जाने और खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न भंडारण गोदामों, केन्द्रीय भंडागार निगम, आदि के कार्यकरण पर निगरानी रख रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के भंडारण के लिए व्यय किए गए धन का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा एक टन खाद्यान्न के भंडारण पर कितना धन व्यय किया गया और देश में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम के सभी गोदामों की संगठनवार कुल कितनी क्षमता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का परिरक्षण और रखरखाव वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और कीटजन्तु बाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपचार किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, नमी हानि, बहु हैंडलिंग, बिखरने आदि के कारण भंडारण और ढुलाई के दौरान सामान्यत: कुछ हानियां हो जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई मार्गस्थ और भंडारण हानियां निम्नानुसार हैं–

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	मार्गस्थ हानि		भंडारण हानि	
	मात्रा	प्रतिशतता	मात्रा	प्रतिशतता
1998-99	2.66	1.17	1.51	0.43
1999-00	2.89	1.13	1.60	0.32
2000-01	1.84	0.86	2.24	0.57

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदामों में भंडारण स्थितियों और खाद्यान्नों की गुणवत्ता की भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और सरकार के गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा नियमित और अचानक जांच की जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के भंडारण पर वहन किया गया वर्षवार खर्च नीचे दिया गया है:–

वर्ष	कुल राशि रुपये में (करोड़)	दर प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	
		क्षमता पर	स्टाक पर
1999-00 (अनंतिम)	794.61	326.40	432.00
2000-01 (अनंतिम)	950.00	336.00	385.20
2001-02 (सं.अ.)	1410.00	421.20	446.40

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम (अपनी और किराये की) के पास कुल ढकी हुई भंडारण क्षमता क्रमश: 27.90 और 7.44 मिलियन टन है।

राज्य व्यापार निगम

5915. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राज्य व्यापार निगम का कुल वार्षिक कारोबार कितना है;

(ख) अधिकांश आयातित वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटा लिए जाने के बाद इस समय भारतीय व्यापार निगम लि. के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम में से अपने हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या संभावित बोलीदाताओं की रुचि जानने के लिए कोई आमंत्रण जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोलीदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या राज्य व्यापार निगम की केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा आस्ट्रेलिया से गेहूं के आयात के संबंध में लगाए गए उन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है जिसमें तत्कालीन कैबिनेट सचिव एवं राज्य व्यापार निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पर गलत इरादों संबंधी आरोप लगाए गए थे; और

(ज) यदि हां, तो जांच की क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान निगम का कुल कारोबार 1524 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2000-2001 में यह 1040 करोड़ रुपए का रहा था।

(ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 से अपनाए गए उदारीकृत व्यापार नीतिगत उपायों, जिनके तहत सभी निर्यात/आयात की मदों को एसटीसी के माध्यम से पहले सरणीकृत किया गया था, उन्हें असरणीकृत कर दिया गया है, के फलस्वरूप निगम निर्यात तथा आयात दोनों के गैर-सरणीकृत व्यापार को बढ़ाने पर अधिक बल दे रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) संभावित बोलीदाताओं से उनकी रुचि जानने संबंधी विज्ञापन 20.2.2002 को जारी किया गया था। 14 बोलीदाताओं से उनकी रुचि प्राप्त हुई है जिनमें से 13 को बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य पाया गया है। योग्य पाई गई इन 13 इच्छुक पार्टियों द्वारा कर्त्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

(छ) और (ज) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अभी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री

5916. श्री नागमणि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में बिक्री की योजना के तहत विभिन्न राज्यों को राज्यवार कुल कितना गेहूं आबंटित किया गया;

(ख) क्या जिन व्यापारियों को गेहूं आबंटित किया गया था, उन्होंने उसे अन्य राज्यों के व्यापारियों को बेच दिया;

(ग) यदि हां, तो खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के लिए बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है और इस गेहूं को विभिन्न राज्यों के व्यापारियों को राज्यवार किस दर पर बेचा गया; और

(घ) जिन व्यापारियों ने इस गेहूं को अपने राज्य में नहीं बेचा उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की बिक्री के लिए राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सहकारी समितियों, चक्कियों और रोलर फ्लोर मिलों सहित सभी उपभोक्ता 10 टन की न्यूनतम मात्रा की शर्त के अध्यधीन भारतीय खाद्य निगम से सीधे गेहूं की अपेक्षित मात्रा खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन राज्यवार/वर्षवार गेहूं की बिक्री बताने वाले ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से नवंबर, 1998 में पुन: लागू की गई थी। अन्य शर्तों के अलावा राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित था कि खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन उन्हें रिलीज किया गया गेहूं और इस गेहूं से बनाए गए उत्पाद उनके राज्य में ही बेचे जाएं। उन्हें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी कि गेहूं और उसके उत्पादों के अंतिम मूल्य उचित स्तर पर रहें और वे जिन मूल्यों पर उन्हें गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा था उसके अनुरूप रहें। बाद में रबी 1999 मौसम के दौरान गेहूं की रिकार्ड वसूली होने के कारण ये शर्तें हटा दी गई थीं।

अधिशेष स्टाक का निपटान करने, आगामी फसल के लिए स्थान उपलब्ध करवाने और खाद्यान्नों की रखरखाव लागत में कमी करने की दृष्टि से 9.8.1999 से गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) को उदार बनाया गया था और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सहकारी समितियों, चक्कियों और रोलर फ्लोर मिलों सहित सभी उपभोक्ताओं को 10 टन की न्यूनतम मात्रा की शर्त के अध्यधीन भारतीय खाद्य निगम से सीधे गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन तहत गेहूं की अपेक्षित मात्रा खरीदने के लिए पात्र बना दिया गया था। नवम्बर, 1998 से जनवरी, 2002 और फरवरी, 2002 से अप्रैल, 2002 तक गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित जोनवार निर्गम मूल्य राज्यवार विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1999-2000 से खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की बिक्री

अनंतिम

आंकड़े हजार टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्षवार उठान		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
बिहार	281.89	0.00	136.17
झारखंड	0.00	0.00	85.33

1	2	3	4
उड़ीसा	125.62	7.96	160.51
पश्चिम बंगाल	283.45	2.22	232.54
सिक्किम	0.00	0.00	0.27
असम	161.47	46.37	172.23
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	6.74	6.00	10.64
मणिपुर	4.50	6.81	13.16
नागालैंड	6.85	0.59	3.29
मिजोरम	0.20	1.60	0.30
मेघालय	0.73	1.72	2.99
दिल्ली	699.02	15.59	53.85
हरियाणा	264.89	24.16	1636.32
हिमाचल प्रदेश	23.83	6.23	89.79
जम्मू और कश्मीर	148.77	81.51	150.16
पंजाब	28.99	7.58	508.13
चंडीगढ़	4.40	2.5	38.99
राजस्थान	85.23	6.15	154.73
उत्तर प्रदेश	693.65	17.71	289.76
उत्तरांचल	0.00	0.00	11.63
आंध्र प्रदेश	133.81	40.74	52.79
केरल	153.00	110.29	66.17
कर्नाटक	218.90	166.73	185.12
तमिलनाडु	319.96	158.81	277.28
पांडिचेरी	10.47	5.53	12.98
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
गुजरात	238.17	7.13	108.27
महाराष्ट्र	226.27	72.17	397.01
गोवा	2.15	8.18	21.65
मध्य प्रदेश	274.07	64.05	274.58
छत्तीसगढ़	0.00	18.36	48.54
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
जोड़	4397.03	886.69	5195.16

विवरण-II

1998-1999 से खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं की बिक्री

प्रति क्विंटल

से प्रभावी	18.11.98	3.2.99	15.4.99	3.12.99	1.04.2000	11.7.2000	9/11.8.2000	मार्च, 2001
उत्तर जोन	रु. 645/-	रु. 653/-	रु. 690/-	रु. 688/-	रु. 700/-	रु. 700/- (पंजाब से)	रु. 650/-	रु. 650/- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित)
दक्षिण जोन	रु. 716/-	रु. 724/-	रु. 747/-	रु. 705/-	रु. 900/-	रु. 900/-	रु. 743/-	रु. 700/-
पश्चिम जोन	रु. 689/-	रु. 697/-	रु. 725/-	रु. 697/-	रु. 900/-	रु. 900/-	रु. 724/-	रु. 700/-
पूर्वी जोन	रु. 708/-	रु. 716/-	रु. 748/-	रु. 699/-	रु. 900/-	रु. 900/-	रु. 736/-	रु. 700/-

से प्रभावी	अप्रैल, 2001	मई, 2001	जून 2001*	जुलाई, 2001**	अगस्त, 2001	सितम्बर, 2001	अक्टूबर, 2001	नवम्बर, 2001	दिसम्बर, 2001	जनवरी, 2002
उत्तर जोन	रु. 650/- (केवल जम्मू और कश्मीर राज्यों में)	रु. 650/- (जम्मू और कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में)	रु. 700/-	रु. 650/-	रु. 650/-	रु. 650/-	रु. 650/- मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भी लागू	रु. 650/-	रु. 650/- 5.12.2001 से बिहार तथा झारखंड में भी लागू	रु. 650/- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड में भी लागू
दक्षिण जोन	रु. 700/-	रु. 700/-	रु. 700/-	रु. 720/-	रु. 720/-	रु. 720/-	रु. 720/-	रु. 720/-	रु. 720/-	रु. 720/-
	रु. 700/- (केवल महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में)	रु. 700/- (केवल महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में)	रु. 700/-	रु. 695/-	रु. 695/-	रु. 695/-	रु. 695/-	रु. 695/-	रु. 695/-	रु. 695/-
पूर्व/उत्तर पूर्व जोन	रु. 700/-	रु. 700/-	रु. 700/-	रु. 705/-	रु. 705/-	रु. 705/-	रु. 705/-	रु. 705/-	रु. 705/-	रु. 705/-

फरवरी तथा मार्च, 2002 के महीनों के लिए गेहूं की राज्यवार बिक्री दरें

प्रति क्विंटल दर (रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चमकहीन गेहूं 2001-02	ठोस गेहूं
1	2	3	4
	उत्तर जोन		
1.	दिल्ली	615	655
2.	चंडीगढ़	615	655
3.	पंजाब	615	655
4.	हरियाणा	615	655
5.	उत्तर प्रदेश	625	655
6.	उत्तरांचल	625	665
7.	राजस्थान	625	665
8.	हिमाचल प्रदेश	620	660
9.	जम्मू और कश्मीर	630	670
	दक्षिणी ज़ोन		
10.	तमिलनाडु	685	725
11.	पांडिचेरी	685	725
12.	केरल	685	725
13.	आंध्र प्रदेश	680	720
14.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	690	730
15.	लक्षद्वीप	690	730
16.	कर्नाटक	680	720
	पूर्वी जोन		
17.	बिहार	640	680
18.	पश्चिम बंगाल	660	700
19.	सिक्किम	665	705
20.	उड़ीसा	665	705
21.	झारखंड	650	690
	उत्तर पूर्वी जोन		
22.	असम और उत्तर पूर्वी राज्य	675	715
	पश्चिमी जोन		
23.	महाराष्ट्र	655	695
24.	गोवा	660	700
25.	मध्य प्रदेश	630	670
26.	छत्तीसगढ़	650	690
27.	गुजरात	650	690
28.	दमन और दीव	650	690
29.	दादर और नगर हवेली	650	690

माह अप्रैल, 2002 के लिए राज्यवार गेहूं की खुली बिक्री दरें

प्रति क्विंटल दर (रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चमकहीन गेहूं 2001-02	ठोस गेहूं
1	2	3	4
	उत्तरी जोन		
1.	दिल्ली	615	655
2.	चंडीगढ़	615	655
3.	पंजाब	615	655
4.	हरियाणा	615	655
5.	उत्तर प्रदेश	625	665

1	2	3	4
6.	उत्तरांचल	625	665
7.	राजस्थान	625	665
8.	हिमाचल प्रदेश	620	660
9.	जम्मू और कश्मीर	630	670
	दक्षिणी जोन		
10.	तमिलनाडु	685	725
11.	पांडिचेरी	685	725
12.	केरल	685	725
13.	आंध्र प्रदेश	680	720
14.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	690	730
15.	लक्षद्वीप	690	730
16.	कर्नाटक	680	720
	पूर्वी जोन		
17.	बिहार	640	680
18.	पश्चिम बंगाल	660	700
19.	सिक्किम	665	705
20.	उड़ीसा	665	705
21.	झारखंड	650	690
	उत्तर पूर्वी जोन		
22.	असम और उत्तर पूर्वी राज्य	675	715
	पश्चिमी जोन		
23.	महाराष्ट्र	655	695
24.	गोवा	660	700
25.	मध्य प्रदेश	630	670
26.	छत्तीसगढ़	650	690
27.	गुजरात	650	690
28.	दमन और दीव	650	690
29.	दादर और नगर हवेली	650	690

[अनुवाद]

स्वापकों का व्यापार

5917. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने स्वापक व्यापार को नियंत्रित करने संबंधी यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूरोपीय संघ स्वापक व्यापार में बढ़ती रियायतों के संबंध में पूर्व स्थिति को लागू कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) स्वापक व्यापार के नियंत्रण से संबंधित मामलों में भारत और यूरोपीय संघ में द्विपक्षी सहयोग है। तथापि, इस संबंध में यूरोपीय संघ से कोई विशेष प्रस्ताव अथवा पूर्व शर्तें नहीं रखी गई हैं।

सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए अनुपूरक अनुदान

5918. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण विभाग (अनुदान संख्या 39) को 300 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राजसहायता को पूरा करने के लिए 313.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुआ है जैसा कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 के लिए अपनी रिपोर्ट संख्या 1 में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले बजट प्रावधानों और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुपूरक मांगों से प्राप्त धनराशि और अब तक न व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में 2000-2001 के दौरान लिए गए 65 करोड़ रुपय के अनुपूरक अनुदान का वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्रों सहित राजसहायता दावा बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण उपयोग नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में प्राप्त किए गए 248 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान का पूर्ण उपयोग कर लिया गया था।

(घ) पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध में 1999-2000 से अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय न की गयी राशि
1999-2000	200.00	55.40 (अनुपूरक) 87.89 (पुनर्विनियोजन)	0.0057
2000-2001	300.00	313.00	65.00
2001-2002	883.00	—	113.00*

*संशोधित अनुमान बनाते समय इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

[हिन्दी]

बिहार को ऋण

5919. **श्री राजो सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एवं भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता की तुलना में उक्त सहायता बहुत ही कम है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रियों के विदेशी दौरे

5920. **डा. बलिराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ख) उक्त दौरे के देश-वार क्या उद्देश्य थे; और

(ग) उक्त दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई और इन दौरों के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) विवरण-I में दी गई सूचना के अनुसार।

(ख) विवरण-II में दी गई सूचना के अनुसार।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

विवरण-I

क्र.सं.	देश जहां दौरे किए गए	दिनांक
1	2	3
1.	जर्मनी और अमेरिका	9-18 अप्रैल, 2000
2.	थाईलैंड	6-8 मई, 2000
3.	अमरीका	29.5.2000 से 6.6.2000
4.	इटली एवं पुर्तगाल	25-30 जून, 2000

1	2	3
5.	अमरीका	1-17 सितंबर, 2000
6.	चेकोस्लोवाकिया	21-29 सितंबर, 2000
7.	कनाडा एवं अमरीका	23-29 अक्टूबर, 2000
8.	डावोस (स्विट्जरलैंड)	9-11 मार्च, 2001
9.	जर्मनी	9-11 मार्च, 2001
10.	रूस	12-15 जनवरी, 2001
11.	अमरीका	27.4.2001 से 1.5.2001
12.	सिंगापुर एवं हांगकांग	13-17 मई, 2001
13.	ओटावा, कनाडा	14.11.2001 से 20.11.2001
14.	जर्मनी एवं न्यूयार्क	28.1.2002 से 2.2.2002
15.	वाशिंगटन	18.4.2002 से 21.4.2002

विवरण-II

क्र. सं.	देश जहां दौरा किया गया	उद्देश्य/दौरे का प्रयोजन
1	2	3
1.	जर्मनी और अमरीका	भारत-जर्मन, संयुक्त आयोग की औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग के 14वें सत्र और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बसंत-बैठक 2000 में भाग लेने के लिए
2.	थाईलैंड	एशियाई विकास बैंक की 33वीं वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए
3.	अमरीका	भारतीय आर्थिक परिदृश्य : नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने के सम्मेलन में भाग लेने के लिए
4.	इटली एवं पुर्तगाल	प्रधानमंत्री के साथ
5.	अमरीका	चिकित्सकीय उपचार के पश्चात भारत-अमरीका वित्तीय एवं आर्थिक मंच की बैठक के लिए सरकारी शिष्टमंडल की यात्रा हेतु
6.	चेकोस्लोवाकिया	जी-24 मंत्रियों की बैठक, एम.आई.एफ.सी. विकास समिति और आई.एम.एफ./विश्व बैंक एवं अन्य सेमिनारों/कार्यशालाओं की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए
7.	कनाडा एवं अमरीका	जी-20 के वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की मांट्रियाल में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए। अमरीका में रोचस्टर तकनीकी संस्थान में वैश्वीकरण एवं विकास वार्ता में अभिभाषण हेतु
8.	डावोस (स्विट्जरलैंड)	विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए
9.	जर्मनी	हैम्बर्ग में एशिया पैसिफिक व्यापार संगठन को संबोधित करने के लिए
10.	रूस	व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक दल के भारत-रूस अन्त: सरकारी आयोग के सातवें सत्र के लिए रूसी फेडरेशन में भाग लेने के लिए
11.	अमरीका	विश्व बैंक और ब्रेटनवुड्स की आर्थिक सामाजिक संस्था की बैठकों की बसंत ऋतु की बैठक में भाग लेने के लिए
12.	सिंगापुर एवं हांगकांग	सी.एल.एस.ए. फोरम में कीनोट अभिभाषण देने और भारत में विनिवेश अवसरों पर सेमीनार में हिस्सा लेने के लिए
13.	ओटावा, कनाडा	जी-20 की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्त समिति और विकास समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए
14.	जर्मनी और न्यूयार्क	भारत-जर्मन द्विपक्षीय बैठक में भाग लेने और न्यूयार्क में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2002 में भाग लेने के लिए
15.	वाशिंगटन, अमरीका	विश्व बैंक की बसंत बैठक 2002 में भाग लेने के लिए

[अनुवाद]

विनायक लोकल एरिया बैंक

5921. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री राममूर्ति सिंह वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विनायक लोकल एरिया बैंक लि., सीकर (राजस्थान) को कंपनी अधिनियम, 1956 के अनिवार्य प्रावधानों के विरोध में 5 दिनों के भीतर अतिरिक्त पूंजी लाने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक में कई अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के सुचारु कार्यकरण को सुनिश्चित बनाने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि किसी स्थानीय क्षेत्र बैंक के लिए न्यूनतम चूकता पूंजी 5.00 करोड़ रुपए होगी। प्रावधान के अनुसार, प्रवर्तकों द्वारा समस्त आरंभिक पूंजी अग्रिम के रूप में लाए जाने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकर स्थित विनायक स्थानीय क्षेत्र बैंक लि. को न्यूनतम निर्धारित आरंभिक पूंजी की धारिता के संबंध में प्रवर्तकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजी/प्रलेखी साक्ष्य के आधार पर लाइसेंस दिया था।

(ग) से (ङ) इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विनायक स्थानीय क्षेत्र बैंक लि. जिसने अक्टूबर, 2000 में कार्य करना प्रारंभ किया था, अपने कार्य पद्धति में काफी गंभीर अनियमितताएं की जिसमें आरंभिक पूंजी के एक बड़े भाग का अन्यत्र उपयोग शामिल है। बैंक ने कतिपय अन्य अनियमित एवं आपत्तिजनक लेन-देन भी किए जिसके परिणामस्वरूप बैंक की कुल पूंजी का 291.41 लाख रुपए अवरुद्ध हो गए। सुधार के लिए इसे फरवरी 2001 में बैंक की जानकारी में लाया गया था। इस प्रकार, बैंक को इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। बैंक ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया और अनियमितताएं जारी रहीं। बैंक को जुलाई 2001 में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा था कि विभिन्न अनियमितताओं को देखते हुए बैंक को जारी लाइसेंस को क्यों न रद्द कर दिया जाए। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपना उत्तर भेज दिया था जिसे संतोषजनक नहीं पाया गया था।

चूंकि बैंक के कार्य जमाकर्ताओं के हितों के लिए अहितकर था, इसलिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के उपबंधों के अंतर्गत 15 जनवरी, 2002 को जनहित में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

मध्याह्न 12.00 बजे

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5590/2002]

(3) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5591/2002]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5592/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री धनंजय कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभ पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5593/2002]

(ख) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5594/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 329(अ) जो 22 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 330(अ) जो 22 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 5595/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5596/2002]

(दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5597/2002]

(तीन) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्राय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5598/2002]

(2) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 33 की उपधारा (5) के अंतर्गत तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) संशोधन विनियम, 2000 जो 8 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/45/99-ईपी(एग्री. vi) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5599/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 6 मई, 2002 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :-

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना–

(i) बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी विधेयक, 2000

(ii) परिसीमन विधेयक, 2002

(iii) वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक, 2002

(iv) उप-राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002

(v) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2002

(vi) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

(vii) बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2002

(viii) संसद अधिकारी और संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2002

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

(1) सागर मध्य प्रदेश के बीना में भारत ओमान सरकार के सहयोग से प्रस्तावित भारत-ओमान रिफाइनरी का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

(2) सागर एवं विदिशा जिले के किसानों के लाभ की दृष्टि से सिंचाई हेतु बनाई गई बीना नदी परियोजना को जल संसाधन विभाग द्वारा शीघ्र आरंभ कराया जाए।

डा. संजय पासवान (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :

(1) वित्त मंत्रालय द्वारा गठित शर्मा समिति द्वारा चिन्हित देश के सर्वाधिक 100 पिछड़े जिलों के चहुंमुखी विकास हेतु कालबद्ध कार्य योजना तैयार करने के संबंध में।

(2) वित्त मंत्री द्वारा इस बजट में घोषित ''जयप्रकाश रोजगार योजना'' बिहार के सभी जिलों में लागू करने के संबंध में एवं मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया नया संकटग्रस्त जिले की सूची में बिहार, उड़ीसा, उत्तर बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को शामिल करने के संबंध में।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

(1) भारतीय उर्वरक निगम लि. गोरखपुर स्थिति इकाई के बंद होने के फलस्वरूप वहां कार्यरत कर्मियों को वी.आर.एस. प्रदान करने तथा जिनकी सेवा 10 वर्ष से अधिक है उन्हें अन्यत्र समायोजित करने की व्यवस्था की जाए और बंद इकाई की जगह कृभको द्वारा नया संयंत्र लगवाने की अनुमति प्रदान की जाए।

(2) पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार की बहुत बड़ी आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका की चपेट में आती है, परन्तु अभी तक बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। बरसात से पूर्व ही बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए आवश्यक है, जो मिट्टी के बन्धे बनाए गए हैं, उनकी मरम्मत की जाए एवं मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगमी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

(1) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एच.ई.सी धुर्वा रांची भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान की हालत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। कारण कि भारत सरकार का अन्य प्रतिष्ठानों से कार्यादेश नहीं मिलता है। कार्यादेश निजी क्षेत्रों को दिया जाता है और अब इसे निजी क्षेत्र को देने का कार्य किया जा रहा है जो उचित नहीं है। अत: एच.ई.सी. को बचाने के लिए रक्षा मंत्रालय कोयला एवं रेल विभाग से कार्यादेश दिलाया जाए।

(2) रांची गुमला सड़क जो राष्ट्रीय उच्च पथ है और यह सड़क मध्य प्रदेश मुम्बई को जोड़ती है—इसकी हालत जर्जर है। अत: इस सड़क का निर्माण (मलती) आबंटन देकर अविलंब कराने की कृपा की जाए।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

(1) केरल में 'मथाईकेट्टन माला' में भूमि अतिक्रमण देखा गया है। यह भूमि वन विभाग की आरक्षित भूमि है। केन्द्र सरकार को सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

(2) केरल के कन्नौर और कोजीकोडी में सैंकड़ों आदिवासियों को जेलों में बंद किया गया है। इनमें बच्चे, महिलाएं और वृद्ध शामिल हैं। उन्हें न्यूनतम अपेक्षित सुविधाएं जैसे खाना, पानी और दवाएं आदि भी प्रदान नहीं की गई हैं। इस बात को गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

(1) राजस्थान की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में गर्मी के इस मौसम में उत्तर-पश्चिम राजस्थान के किसानों की फसलों को बचाने के लिए सिंचाई हेतु तथा पेयजल संकट के निवारणार्थ पंजाब स्थित भाखड़ा एवं ब्यास बोर्ड से अधिक पानी छोड़े जाने की आवश्यकता।

(2) जयपुर, अजमेर तथा राजस्थान के अन्य शहरों में अवैध रूप से बसने वाले बांग्लादेशियों की अविलंब जांच कर तथा उनके द्वारा किए गए सरकारी भूमि के अतिक्रमणों को तुरंत हटाकर उन्हें अविलंब बांग्लादेश वापस भेजे जाने की आवश्यकता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

(1) जयपुर जिले में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करे।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समान मान्यता देकर आर्थिक सहयोग दे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल शुरू करने से पहले श्री अरुण जेटली एक विधेयक पुर:स्थापित करेंगे। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है क्योंकि उन्हें दूसरे सदन में जाना है।

अपराह्न 12.09 बजे

[अनुवाद]

परिसीमन विधेयक*—पुर:स्थापित

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा में राज्यों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन:समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा में राज्यों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचनों

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 3.5.2002 में प्रकाशित।

के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन:समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। बिहार में आर.जे.डी. पार्टी है, उसके शासन में आज भी चार दलित मारे गए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे, नियम 184 के अधीन आपकी भी सूचना प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : आज हाईकोर्ट की तरफ से पूरे बिहार की कैबिनेट को कंडेमनेशन का नोटिस मिला है।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप कब तक कंसीडर करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कब तक का मतलब जब मुझे मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। मुझे आपकी सूचना मिली है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट ठहरिए। श्री कीर्ति आजाद, प्रथा यह है कि नियम 184 अथवा नियम 193 के अधीन राज्य मामले से संबंधित किसी सूचना को स्वीकार करने हेतु उस पर विचार करने से पहले गृह मंत्रालय से तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त की जाती है। मैंने इन दोनों के लिए लिखा है। जैसे ही ये मुझे प्राप्त होगी, मैं इस पर विचार करूंगा।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : बिहार में पिछले 11 सालों में 30 हजार दलितों की हत्याएं हो गई हैं। यह मैं नहीं कहता हूं, यह अखबारों में आया है कि वहां यौन शोषण हो रहा है, वहां हजारों लोग मारे गए हैं। वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बिहार में तथाकथित सेक्युलर पार्टी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, सामान्यत: जब हम उन्हें पत्र लिखते हैं तो वे उत्तर देते हैं। इतना समय तो लगता ही है और तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया जाए...*(व्यवधान)* दिल्ली में सी.एन.जी. के दाम बढ़ गए हैं, अब यात्री किराए बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं... *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : अखबार कहता है कि पिछले 11 वर्षों में वहां 30 हजार दलितों की हत्याएं हो गई हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मना नहीं किया, लेकिन आपको प्रोसीजर फॉलों करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो हमारा प्रोसीजर है उसे फॉलो करना पड़ेगा।

श्री कीर्ति झा आजाद : गुजरात में पिछले दो महीनों में जो हुआ, लेकिन बिहार में इतने दिनों से चल रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार की तुलना गुजरात से मत कीजिए। गुजरात के मामले में मतभेद यह था कि क्या इसकी चर्चा नियम 184 अथवा 193 के अधीन की जानी चाहिए। चर्चा के संबंध में बिल्कुल भी मतभेद नहीं था। लेकिन आप इसमें गुजरात को मत घसीटिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : लेकिन बिहार में दलितों के साथ और उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। पिछले 11 सालों में वहां 30 हजार दलित मारे गए हैं। आप यह अखबार देखिए, बिहार में किस तरह से ये सब हो रहा है। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका कुछ तो करना पड़ेगा। वहां हजारों दलित मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति आजाद। कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिए। अब, मैं श्री रामजीलाल को बोलने का अवसर देता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : बिहार में आर.जे.डी. पार्टी है जो अपने आपको राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कहती है। जबकि वह रोज जलाओ दलित पार्टी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा कि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन मुझे रिपोर्ट मिल जाने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : ये कौन लोग हैं जो इन्हें मार रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए कुछ होना चाहिए। आज भी वहां मूसहर जाति के चार दलित मारे गए हैं। उन बेचारों को खाना नहीं मिलता है, वे चूहे खाते हैं। वह वहां रोज हो रहा है। मैंने आपको नोटिस दिया था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे रिपोर्ट मिल जाए। अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : गुजरात में होता है उसे कम्युनल किलिंग्स कहते हैं। लेकिन जो बिहार में हो रहा है क्या उसे सेक्युलर किलिंग्स कहते हैं। गुजरात में माइनोरिटीज के लोग मारे जाएं तो कम्युनल किलिंग्स, बिहार में माइनोरिटीज के लोग मरें तो सेक्युलर किलिंग? वहां असामाजिक तत्व दलितों को मार रहे हैं। महिलाओं के साथ लूट-खसोट, मार-पीट, बलात्कार और तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आप हमारे प्रोटैक्टर हैं, आप इस पर जल्दी डिस्कशन कराइए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आजाद, मैंने आपको कहा है कि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। यह सभा चर्चा करने के लिए ही है। यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं है। यदि ऐसा कोई अविलंबीय लोक महत्व का मामला होगा तो सभा में इसकी चर्चा होगी। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनका अनुपालन होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) **:** महोदय, गुजरात पर चर्चा की अनुमति देने की बात हम समझते हैं लेकिन हम अन्य राज्यों पर भी चर्चा करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, मैंने इसके लिए इनकार नहीं किया है। मैंने केवल वास्तविक स्थिति प्राप्त करने के लिए उसे भेजा है।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस मामले को अविलंबीय लोक महत्व के मामले के रूप में स्वीकार किया है और मुझे विश्वास है कि आप यथाशीघ्र चर्चा की अनुमति देंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहां उन लोगों को मारा जा रहा है। यह वहां रोज हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सी.एन.जी. बसों के किराये बढ़ने वाले हैं। पिछले सोमवार से मैं यह रेज कर रहा हूं। दिल्ली में त्राहि-त्राहि मची हुई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा, आपका नाम है।

श्री मदन लाल खुराना : पिछले पांच दिनों से मैं नोटिस दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको हमेशा पहला नंबर मिलता है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सीएनजी का उत्तरदायित्व दिल्ली सरकार की नहीं है। यह तो भारत सरकार का उत्तरदायित्व है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 1 मई को गुजरात राज्य के 43वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सूबे की सरकार ने अखबारों में इश्तहार छपवाया और विज्ञापन दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : फिर गुजरात का इश्यू उठाने लग गए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है।...*(व्यवधान)* महात्मा गांधी को गलत तरीके से क्वोट किया गया। ...*(व्यवधान)* आप हमें बोलने नहीं देंगे?...*(व्यवधान)* फिर क्या आप लोग बोल लेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : बिहार के दलितों की बात करो।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : बड़े भारी हितैषी हैं आप दलितों के, हमें मालूम है।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, यह गुजरात विधान सभा नहीं है। यह संसद है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, विषयवस्तु महात्मा गांधी के नाम का दुरुपयोग के बारे में है। वे विषय के बारे में नहीं जानते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने किसी अन्य मामले पर सूचना दी है।

[हिन्दी]

एडवर्टाइजमेंट को क्वोट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं 'शून्य काल' को रद्द कर देता हूं। ऐसी स्थिति में, मैं सभा का संचालन किस प्रकार कर पाऊंगा?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उनके मतानुसार 'गुजरात' शब्द भी असंसदीय है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली में किराए बढ़ रहे हैं, लोग हाहाकार कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कल ले सकते थे। कल क्यों नहीं लिया?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, प्रतिदिन 'शून्य काल' के लिए सूचना दी जाती है। आपने अपनी सूचना दी है। वह मेरे पास है। उन्होंने भी यह सूचना दी है।

[हिन्दी]

आप शांति से रहें तो सबको मौका मिलेगा। आप लोग इधर से उठेंगे, कुछ लोग उधर से उठेंगे तो जीरो ऑवर इस तरह से चलने वाला नहीं है। क्या मैं इसे रोक सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : एक हफ्ते तक संसद नहीं चली। रोज ही गुजरात का मामला उठ रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : दूसरी सभा में गृह मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत गुजरात के मामले में हस्तक्षेप करना स्वीकार किया है। वे यह नहीं जानते कि उनकी सरकार ने गुजरात के बारे में अनुच्छेद 355 के अंतर्गत हस्तक्षेप करना स्वीकार किया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अगर आप सच्चे मायने में गुजरात में शांति चाहते हैं तो मैं आपको बुलाता हूं। आप मेरे साथ चलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी जीरो ऑवर का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने नोटिस दिए हैं, उसी के अनुसार उन्हें बोलने के लिए समय दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले सोमवार से दिल्ली के बारे में बोलने के लिए बराबर नोटिस दे रहा हूं।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप समय पर नोटिस नहीं देंगे, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। आज भी आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि आपने समय के भीतर नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर खुराना जी आप भी ऐसा करेंगे, तो मैं हाउस को कैसे कंडक्ट कर पाऊंगा। हर माननीय सदस्य को जो भी समय के अंदर नोटिस देगा, उसे बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) **:** उपाध्यक्ष जी, मैंने भी नोटिस दिया है, लेकिन मुझे भी बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में अनेक समस्याएं हैं। पानी की दिक्कत है, बिजली की किल्लत है, बसों के किराए बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : तो आपको मौका कैसे मिलेगा? मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि ऐसे 26 सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। उन सभी सदस्यों को मौका मिलेगा। यह सूची मैंने स्वयं नहीं बनाई है। उन्होंने सुबह आकर सूचना दी हैं। तदनुसार यह सूची तैयार की गई है और मैं उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यह नहीं कि यह सूची मैंने बनाई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) **:** उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश की भी समस्याएं हैं। हम अपने यहां के बारे में बोलना चाहते हैं। हमने नोटिस भी दिया है। हम पिछले पांच दिन से बराबर नोटिस देते चले आ रहे हैं। लेकिन हमें अपनी बात सदन में कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जहां भी लोग मरे, वे गलत मरे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। बिहार में चार दलितों की हत्या कर दी गई। वहां नौजवान लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वहां स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप हमें बिहार की बात उठाने का अवसर ही नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आजाद, क्या आप चाहते हैं कि यह 'शून्य काल' जारी रहे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, मैं पिछले मंडे से नोटिस दे रहा हूं कि दिल्ली के बारे में मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली में बस के किराए बढ़ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : महोदय, केवल गुजरात ही एक ऐसी अकेली समस्या नहीं है और भी प्रदेशों की समस्याएं हैं। देश की अन्य समस्याएं भी हैं जिनके बारे में हम बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें अवसर ही नहीं दिया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, इसी सदन में गुजरात के ऊपर 16 घंटे बहस हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) **:** क्या हम तभी बोल सकेंगे जब वे अनुमति देंगे?...*(व्यवधान)* यदि वे हमें बोलने देंगे तो क्या सभा की कार्यवाही चलेगी?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में शांति हो, यदि ऐसी बात ये कहें, तो हम गुजरात के बारे में सुनने को तैयार हैं अन्यथा नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ये जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं और मुझे बोलने से रोक रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी : उपाध्यक्ष जी, क्या सोनिया गांधी जी को केवल गुजरात ही नजर आता है, क्या भारत के और हिस्से नजर नहीं आते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो ज्यादती है। यह तो हद हो गई। आप शून्य काल की कार्यवाही को इस प्रकार से नहीं चला सकते। अब 'शून्य काल' की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। यदि इतनी अधिक संख्या में सदस्य बोलने लगेंगे तो मैं शून्य काल की कार्यवाही का संचालन नहीं कर पाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : राज्य सभा में यह बहस चल रही है फिर ये लोग यहां क्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* इस विषय पर इसी सदन में 16 घंटे चर्चा हो चुकी है। उस दिन सुबह पांच बजे तक हम सब लोग सदन में बैठे रहे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, खुराना जी तो बहुत शांतिप्रिय आदमी हैं। आज बहुत तेज बोल रहे हैं। आप उन्हें मंत्री बनवा दें। हाउस में शांति हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, वहां महिलाओं पर इतनी बड़ी बात हो गई।...*(व्यवधान)* उनके साथ बलात्कार हुए हैं। जो नौजवान नाबालिग हैं, व नाबालिग लड़कियों को उठाकर ले गए हैं।...*(व्यवधान)* इस प्रकार से बिहार में हाहाकार मचा है। क्या उस पर कोई चर्चा नहीं होगी?...*(व्यवधान)* गुजरात पर चर्चा हो चुकी है जबकि हमारे सामने मदन लाल खुराना जी का केस है। बंगाल का केस है, बिहार का केस है। इन सब केसों पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्टेट के बीच कैसे डिफरेंशियेट कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* माइनौरिटी माइनौरिटी है। दलित दलित है। माइनर माइनर है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है? यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* महात्मा गांधी के नाम की व्याख्या करने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस हाउस के अंदर आपकी तरफ से या चेयर की तरफ से आता था कि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसा ही करते रहेंगे तो हम अपनी बात यहां रख ही नहीं पाएंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी को मालूम है कि शून्य काल में दस बजे से पहले जिस-जिस का नोटिस आता है, उसी के मुताबिक लिस्ट ड्रा की जाती है। उस लिस्ट पर बाकायदा नंबर डाला जाता है।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, क्वश्चन इश्यू का है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चेयर को चैलेंज कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट) : यह फैसला आप करने वाले नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे निर्णय नहीं कर सकते। अध्यक्षपीठ द्वारा निर्णय किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ : उन्हें निर्णय करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्षपीठ को निर्णय करना होगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ये आसन के निर्देश को चुनौती दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि कोई भी सदस्य सदन में अपनी मर्जी के कोई भी इश्यू नहीं रख सकता। वह खुराना जी से पूछकर रखेगा।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि इस हाउस के अंदर जब भी हम कोई इश्यू उठाते थे तो कहा जाता था कि इसी हफ्ते या इसी सैशन में इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिए अब आप उस पर नहीं बोल सकते।...*(व्यवधान)* इस सैशन में और भी बहुत महत्वपूर्ण इश्यू हैं। गुजरात के इश्यू पर अभी परसों ही बहस खत्म हुई है।...*(व्यवधान)* उस पर 16 घंटे तक बहस हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : पहले हमारी बात को सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* आप परेशान मत होइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : उन्हें इस मामले का उठाने का पूरा अधिकार है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो मैटर उठा रहे हैं, उसके बारे में आपने पहले से ही जजमैंट कर ली है कि वह कौन सा मैटर है।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : पहले आप यह देख तो लीजिए कि वे गुजरात का कौन सा इश्यू उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने पहले से ही जज कर लिया है? ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपका फैसला है। यह बात ठीक है कि आप जिसको भी बोलने के लिए कहेंगे, वही बोलेगा। हम केवल इतनी बात कह रहे हैं कि जीरो ऑवर में बंगाल, बिहार के ऊपर बोलने के लिए पिछले सात दिनों से नोटिस दिए गए हैं। इनके ऊपर बोलने के लिए लगातार आपसे इजाजत मांगी जा रही है। आप यह फैसला कर दीजिए कि गुजरात के इश्यू के अलावा यहां किसी और इश्यू पर कोई चर्चा नहीं होगी। अगर यह फैसला है तो ठीक है।...*(व्यवधान)* जिसको आप बोलने के लिए कहेंगे, वही बोलेगा लेकिन हमको भी बंगाल, बिहार, दिल्ली आदि के इश्यू को यहां उठाना है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनके बारे में मैंने सुन लिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. मल्होत्रा आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मुझे उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तथ्यों की जांच के लिए मुझे प्रक्रिया का पालन करना होगा। तदनुसार इसे भेज दिया गया है। इसका संदर्भ न दें। कल यहां क्या हुआ था? यह आप जानते हैं और मैंने इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उठाया था। यह मेरी गलती नहीं है। यह किसकी गलती है? यह पूरी सभा जानती है। इस तरह कितने दिन बीत गए हैं? क्या यह अध्यक्षपीठ की गलती है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, नियम 184 के अधीन उठाए जाने वाला मामला अलग ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सूची में चाहे जो भी विषय दिया गया हो, मैं सदस्यों को सूची के अनुसार आमंत्रित कर रहा हूं। इसमें एक मामला राज्य से संबंधित है और मुझे इस मामले को न उठाए जाने की सलाह दी गई है। अन्यथा, सचिवालय इसकी जांच कर रहा है और वह इसे सूची में रखेगा। मुझे उनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, आपको सूची में क्रम परिवर्तन का विशेषाधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। शून्य काल के दौरान आप अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले उठा सकते हैं। यदि सरकार उत्तर देना चाहती है तो वह उत्तर देगी। अन्यथा मंत्री महोदय इसे नोट करेंगे और संबंधित सदस्य को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। इसी प्रकार कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक सुझाव है कि सदन में जो हो रहा है, इससे किसी का सम्मान नहीं बढ़ रहा है। आप इस हाउस को ऐडजर्न कर दीजिए और सरकारी पक्ष के नेताओं को बुलाकर यह पूछ लीजिए कि इस हाउस को नियंत्रित करने का काम उपाध्यक्ष का है या चंद सदस्यों का है। अगर इस बात का फैसला हो जाए तो दूसरे लोग नहीं आएं जिनके नाम हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने सात दिनों तक हाउस नहीं चलने दिया।...*(व्यवधान)* उनको तो किसी ने नहीं बोला।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : मुझे न भाषण करने की तमन्ना है, न कुछ लेना-देना है। हमको ये तेवर मत दिखाइए।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप इसी तरफ क्यों कह रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : मैं उस तरफ भी कह रहा हूं, दोनों तरफ कह रहा हूं कि अगर आप चेयरमैन को नहीं मानते हैं तो पार्लियामेंट को ऐडजर्न करें और सब पार्टी के नेताओं को बुलाकर, विरोधी पक्ष के और सरकारी पक्ष के, पूछ लें कि कौन-कौन से सदस्य हैं जिनके जरिए यह सदन चलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस नंगे नाच से अच्छा है कि आप इस हाउस को ऐडजर्न कर दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक—पारित

(एक) चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 9, चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक पर विचार आरंभ करेगी। इस मद हेतु आधे घंटे का समय आबंटित किया गया है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : महोदय, श्री शरद यादव की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता में प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन संबंधी आयोग ने चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम 1970 के निरसन की भी सिफारिश की थी।

चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 ने चाय जिला उत्प्रवासी श्रम अधिनियम, 1932 का निरसन किया है। तथापि, चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 में चाय जिला उत्प्रवासी श्रम अधिनियम, 1932 की धारा 12 के अधीन उपबंधित स्वदेश वापसी के अधिकार को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, बनाए रखा गया है, अर्थात्:—

(i) यदि चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 के प्रारंभ पर किसी उत्प्रवासी श्रमिक की, जिसने 3 अगस्त, 1960 के पश्चात् असम में प्रवेश किया था, रुकने की तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई थी तो उसे स्वदेश वापसी के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिनियम के प्रारंभ से छह मास की अवधि दी गई थी; या

(ii) यदि किसी उत्प्रवासी श्रमिक की, जिसने 1970 के अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व असम में प्रवेश किया था, रुकने की तीन वर्ष की अवधि उक्त अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् समाप्त हो गई थी तो वह तीन वर्ष की ऐसी अवधि की समाप्ति के छह मास के भीतर स्वदेश वापसी के अधिकार का प्रयोग कर सकता था।

चूंकि उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित अवधि समाप्त हो गई है अत: चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

तदनुसार इस विधेयक का आशय चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 का निरसन करना है। यह विधेयक 3.12.2001 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। मैं इस सम्मानित सभा से इस विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक अर्थात् चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम 1970 का निरस्त करेगा जिसने 1932 के चाय जिला उत्प्रवासी श्रम अधिनियम का निरसन किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया था।

मुझे इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस विधेयक के निरसन का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक के निरसन का समर्थन करने से पहले मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक बपौती है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विभिन्न बागानों जैसे गन्ना अथवा चाय बगानों में कार्य करने के लिए भारत के तत्कालीन मध्य प्रांत से लोगों को भर्ती किया गया था उनमें से कुछ लोगों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए लगाया

गया था। उन दिनों ऐसा कोई श्रम कानून नहीं था और श्रमिकों को अपने मालिकों की इच्छा के अनुसार सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। उस समय भी ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रमिकों का शोषण करने और उन पर अत्याचार करने का विरोध किया गया था। इसी कारण 1932 में यह अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे उन श्रमिकों को वापस भेज सकते हैं जो उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहे हों। 70 के दशक में इस अधिनियम का निरसन कर दिया गया और समय सीमा निर्धारित की गई। पिछले 200 वर्षों से ये लोग असम के बागानों में काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद 1951 में उन्हें सामाजिक दर्जा और आवास, चिकित्सा और शिक्षा जैसी अन्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से बागान श्रम अधिनियम बनाया गया।

मैं माननीय श्रम मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह अधिनियम बहुत पुराना है। इसे 1951 में बनाया गया था। इस प्रकार यह 50 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, असम सहित पूरे देश से बागान श्रम अधिनियम को अद्यतन बनाए जाने की मांग की गई थी क्योंकि यह अधिनियम 50 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान बागानों में काम कर रहे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी हैं। पांच से छह वर्ष पहले भारत सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति गठित की थी। लेकिन वह समिति मामले पर केवल विचार ही कर रही है और इस संबंध में कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं।

इस अधिनियम का पहले ही निरसन किया जाना अपेक्षित था क्योंकि वे व्यक्ति जिन्होंने 150-200 वर्ष पहले प्रवास किया था, असम या अन्य स्थानों के समाज के अभिन्न अंग बन चुके थे। बागान श्रम अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। उन्हें विद्यालय स्थापित करने या शिक्षक उपलब्ध कराने में कोई रुचि नहीं थी और इसी कारण से असम में चाय बागान श्रमिकों की संख्या जो 40-50 लाख से भी अधिक है, का 70 प्रतिशत निरक्षर है। असम में कई अन्य घटनाएं भी हो रही हैं। इस पुराने अधिनियम के विरोध में वहां कई आंदोलन भी हुए हैं। उन्हें दी गई विभिन्न सुविधाएं जैसे आवास, पेयजल और ऐसी अन्य सुविधाएं काफी पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि यह अधिनियम स्वतंत्रता के प्रारंभ में पारित किया गया था। माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जहां तक संभव हो सके यथाशीघ्र चाय श्रमिकों के प्रतिनिधियों और प्रबंधन की एक बैठक बुलाई जाए ताकि यह देखा जा सके कि चाय बागानों में काम कर रहे लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में बागान श्रम अधिनियम को कैसे संशोधित किया जा सकता है। मेरे विचार में इस अधिनियम के निरसन की सभी सिफारिश करेंगे क्योंकि आजकल कोई भी प्रबंधन अपने श्रमिकों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में जबरदस्ती नहीं भेज सकता। अत: इसे निश्चित रूप से सबका समर्थन मिलेगा।

चाय उद्योग अभी कठिन दौर से गुजर रहा है। वित्त विधेयक का उत्तर देते समय वित्त मंत्री ने भी चाय उद्योग में व्याप्त परिस्थितियों के बारे में संकेत दिया था। इस पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि ये देखें कि वे श्रमिकों की कैसे सहायता कर सकते हैं। पहले वे बंधुवा मजदूर की तरह थे। और उन दिनों बागानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इस श्रमिक वर्ग की एक मनोवैज्ञानिक परेशानी और अन्य कठिनाइयां भी हैं। आप बागान श्रमिकों की तुलना अभियांत्रिकी या खनन श्रमिकों से नहीं कर सकते क्योंकि ये श्रमिक सदियों से बंधुवा मजूदर रहे हैं।

केन्द्र सरकार को इस संबंध में कानून बनाना होगा। अत: मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि ऐसा शीघ्र किया जाए। श्री मुनि लाल और डा. सत्यनारायण जटिया इस बारे में पहले ही जानते हैं। मेरी आशा है कि सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। मैं इस अधिनियम के निरसन का समर्थन करता हूं।

श्री मुनि लाल : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उन्होंने निर्धन श्रमिकों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है। हम पहले ही उन बातों की जांच कर रहे हैं जिनका उन्होंने सुझाव दिया है। अन्य बातों के लिए हम पहले ही अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक विकास रोजगार और सेवा शर्तें अधिनियम 1979 पारित कर चुके हैं। इनकी चिंता के अधिकांश विषयों को इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। मैं एक बार पुन: उनका आभारी हूं कि उन्होंने सकारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। सरकार उनकी आभारी है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम 1970 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4–

"2001" के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(2)

(श्री मुनि लाल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1–

"बावनवें" के *स्थान* पर "तिरेपनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(1)

(श्री मुनि लाल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मुनि लाल : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.20 बजे

[अनुवाद]

(दो) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक का संबंध उत्तराधिकार से संबंधित विविध कानूनों से है जिन्हें 1925 में बनाया गया था। ईसाई समुदाय विशेषकर ईसाई संसद सदस्यों ने इस कानून की दो विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था। उसके बाद सरकार ने उक्त धर्म से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ भी परामर्श किया। इसमें दो छोटे संशोधनों का सुझाव दिया गया है, पहला, अधिनियम ही धारा 32 के स्पष्टीकरण का लोप करना है। स्पष्टीकरण में ही यह कहा गया है कि ऐसी स्थिति आ सकती है जहां किसी ईसाई विधवा को, विवाह के समय किए गए करार के कारण उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में एक विधवा को उत्तराधिकार से वंचित रखना अनुचित प्रतीत होता है। सामान्यतया ऐसा महसूस किया गया और समुदाय ने भी यह अभ्यावेदन किया कि इस प्रावधान को हटाया जाए।

दूसरा, अधिनियम की धारा 213, के प्रावधानों में संशोधन है जिनमें उत्तराधिकारी के लिए यह निर्धारित किया गया है कि वह वसीयत के वास्तव में प्रभावी होने से पहले इच्छा पत्र प्रमाण अथवा प्रशासन पत्र के अनुसार सक्षम न्यायालय से समुचित आदेश प्राप्त करे।

हालांकि इस आशय का एक अपवाद भी है कि यह प्रावधान मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं होता। ईसाई समुदाय ने भी इस संबंध में समानता की मांग की है क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि जब भी किसी ईसाई की वसीयत लिखने के बाद मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार के संबंध में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस सदन और दूसरे सदन के सभी ईसाई सांसदों और समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा यह अभ्यावेदन दिया जाता रहा है कि इस अपवाद में मुसलमानों के साथ-साथ ईसाइयों को भी शामिल किया जाए। सरकार ने इस पर विचार करके इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सभा पहले ही इन दोनों संशोधनों को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर चुकी है।

चूंकि ये संशोधन इस समुदाय के हित में हैं तथा प्रगतिशील हैं, मैं इस सम्माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इन संशोधनों पर विचार करे तथा इन्हें स्वीकृति दे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक को लाना सरकार की ओर से एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। वस्तुत: यह विधेयक ईसाइयों से विशेषकर उन विधवाओं से संबंधित है जो पति की संपत्ति का उत्तराधिकारिणी होने से पूर्णतया वंचित थी। यह यह चिंतन की आम सभ्य परंपरा के विरुद्ध है। विवाह से पहले वे अपने अधिकार को कैसे छोड़ सकती हैं? वे इस बात की गारंटी कैसे दे सकती हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात् वे उसकी संपत्ति में अपने किसी अधिकार का दावा नहीं करेंगी। हो सकता है यह विधेयक अंग्रेजी कानून अथवा उनके रहन-सहन के तरीके पर आधारित रहा हो। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात्, हमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, विशेषकर इस अधिनियम के परिभाषा खंड की समीक्षा करनी चाहिए थी। यहां तक कि इसे अभी भी संशोधित नहीं किया गया है। यह दर्शाता है कि परिस्थिति कितनी दयनीय है। अधिनियम की धारा 2(घ) में यह उल्लेख है कि :

"भारतीय ईसाई का अभिप्राय उस भारतवासी से है जो शुद्ध एशियाई वंशानुक्रम का हो अथवा सच्चाई से ऐसा होने का दावा करता हो तथा ईसाई धर्म के किसी भी रूप को मानता हो।"

हम इस अवस्था से पहले ही गुजर चुके हैं। हमारे देश के अपने ईसाई हैं। भारतीय ईसाई और किसी अन्य ईसाई में कोई अंतर नहीं है। भारत में रहने वाले ईसाई अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन कर रहे हैं। अतएव इस खास परिभाषा में संशोधन हेतु विचार किया जाना चाहिए। यह इस प्रकार से होनी चाहिए :-

"भारतीय ईसाई का अभिप्राय उन भारतीय नागरिकों से है जो भारत में ईसाई धर्म को मानते हैं।"

ईसाई विधवाओं के जीवन से संबंधित यह संशोधन बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यह महिला सशक्तीकरण के बहुत ही रोचक विषयों में से एक है। इसलिए, सरकार के पास इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। महिलाओं के सशक्तीकरण, खासकर विभिन्न संप्रदायों में उनके सशक्तीकरण के लिए अपेक्षित अधिनियमनों की समीक्षा की जानी चाहिए। यहां तक कि विधि आयोग ने भी अपने 110वें प्रतिवेदन में इस धारा में संशोधन की सिफारिश नहीं की है क्योंकि इस आयोग में ईसाइयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। किन्तु सरकार ने संसद के ईसाई सदस्यों व अन्य लोगों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर कदम उठाया है। इसलिए, हम इस दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। इसका गरीब जनता तथा विभिन्न स्थानों पर रह रहे मध्यवर्ग के लोगों के लिए दूरगामी परिणाम निकलेंगे।

इसी प्रकार, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण पहलू पर आकर्षित करना चाहता हूं। निस्संदेह, हमारे विधि मंत्री बहुत सक्रिय हैं। वे हर मंच से बोलते हैं कि न्यायालयों में बहुसंख्य मुकदमे लंबित पड़े हैं। निचली अदालतों तथा अपील के दूसरे चरण में उच्च न्यायालय स्तर पर भी मुकदमों के लंबित रहने के कारणों में से एक कारण यह है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इसलिए, काफी स्पष्टता की आवश्यकता है। अतएव, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की संपूर्ण समीक्षा करने का यह सही समय है। इसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम तथा अन्य उत्तराधिकार अधिनियमों की तरह सरल बनाया जाना चाहिए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ऐसा होना चाहिए जिससे लोग स्वतंत्रता के पश्चात् के जीवन जीने के तरीके को अपना सकें। इस मुद्दे पर गौर किया जाना चाहिए।

हम अभी भी वर्ष 1925 की ओर ही जा रहे हैं जब विभिन्न श्रेणी के लोगों के जीवनयापन के अनेक क्षेत्रों में अनेक अंतर हुआ करते थे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में कुछ पहल करें। विधि आयोग के बहुत से प्रतिवेदन भी आए हैं। इस संबंध में व्यापक कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि निर्वसीयती उत्तराधिकार अथवा वसीयती उत्तराधिकार की स्थिति में सीधे-सीधे उत्तराधिकार प्राप्त हो सके। सभी वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सरल कानून होना चाहिए। उसे समाज के विभिन्न समुदायों के हितों की सुरक्षा भी करनी चाहिए।

ठीक इसी प्रकार, मैं धारा 213 में संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं। यह भी विधि आयोग की एक सिफारिश है जिसे उन्होंने अपने 111वें प्रतिवेदन में किया था, किंतु उसमें एक ऐसी सावधानी दी गई है। प्रतिवेदन के पृष्ठ 187, पैरा 34.18क में यह बताया गया है कि :

"हम सिफारिश करते हैं कि (क) धारा 213 को उपर्युक्त सिफारिश के अनुसार संशोधित किया जाए; (ख) अधिनियम की अन्य धाराओं में, जहां आवश्यक हो, पारिणामिक परिवर्तन किए जाएं।"

इस अधिनियमन के फलस्वरूप यदि कोई नियम व अन्य धाराएं अहितकर साबित होती हैं तो इस स्थिति में सिफारिश के दूसरे भाग पर भी गौर किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कुछ संशोधन

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

भी किए जाने चाहिए ताकि इस संशोधन का अधिनियमन खास लोगों अर्थात् ईसाइयों के लिए उपयोगी हो सके।

जहां तक वसीयत प्रमाण-पत्र (प्रोवेट) और परवर्ती मुकदमों का संबंध है, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस अधिनियम से केवल मुकदमा दायर करने से पहले ही लाभ होगा अथवा उसके पश्चात् भी लाभ मिलेगा। इस मुद्दे पर भी गौर किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, हम महसूस करते हैं कि यह संशोधन सराहनीय है। यह एक संप्रदाय की जनता के लिए उपयोगी है। मेरी भावना यह है कि एक व्यापक विधेयक लाकर पूरे राष्ट्र को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए ताकि भारतीय कानूनों को काफी हद तक सरल बनाया जा सके। तत्पश्चात्, यहां बिना किसी मुकदमेबाजी के रहना आसान हो जाएगा तथा किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकार स्वत: प्राप्त हो जाएगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय अरुण जेटली जी जो भारतीय उत्तराधिकार, अधिनियम, 1925 में संशोधन लाए हैं यह देखने में तो बहुत छोटा है परन्तु सैक्शन 32 के एप्लीकेशन और सैक्शन 213 में जो भेदभावपूर्ण व्यवहार क्रिश्चियन महिलाओं के साथ किया गया है, उसको खत्म करने के लिए माननीय कानून मंत्री जी इस बिल को लाए हैं। यह इतिहास में एक प्रकार का सुंदर अमेंडमेंट है। सन् 1925 में हिंदुस्तान पर ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी। ब्रिटिश सरकार ने जो भेदभावपूर्ण कानून बनाया था, उसे समाप्त करने के लिए माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाए हैं। मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके अलावा अंग्रेजों ने हिन्दू और मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। ईसाई महिलाएं जब विधवा हो जाती थीं, जब शादी उन्हें करके ले जाया जाता था तो उन्हें 5 साल इंतजार करने के बाद कोर्ट जाना पड़ता था तभी उन्हें कैवीएट मिलता था। इस प्रक्रिया में बहुत पैसा खर्च होता था। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ईसाई महिलाओं के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार को दूर कर उनका हक उन्हें दिलाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाए हैं। इस संबंध में केरल महिला आयोग ने कई प्रकार की बातें की हैं। कई अन्य संस्थाओं ने भी कहा है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत इन महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, संविधान की धारा 213 में यह मुस्लिम, जैन, बौद्ध महिलाओं पर लागू नहीं है। केवल मैट्रोपौलिटन सिटीज—मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में सारे नियम लागू हैं। मैं एक बार माननीय मंत्री जी का फिर से अभिनन्दन करना चाहूंगा कि ईसाई महिलाओं के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए यह बिल लाए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का शीर्षक भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2001 है, परंतु यह व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित है।

महोदय, विधेयक में उन भारतीय महिलाओं की दशा का उल्लेख किया गया है जिनकी स्थिति अत्यंत खराब है और जिन्हें सामाजिक भेदभाव, महिला-विरोधी पक्षपात तथा सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ने का शिकार होना पड़ता है। इस अधिनियम की धारा 32 की व्याख्या का लोप करने से ईसाई विधवाओं को उत्तराधिकार का लाभ प्राप्त होगा तथा उनके द्वारा वसीयत का लाभ प्राप्त करने से पूर्व तय की जाने वाली लंबी कठिन यात्रा अब इस संशोधन के माध्यम से समाप्त हो गई है। तथापि, अनुच्छेद 300(क) के तहत, विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति से वंचित नहीं होगा। परंतु जहां तक ईसाई विधवा का संबंध है हम अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता की वजह से भेदभाव कर रहे हैं। अब, उसे अपने मृत पति की संपत्ति को हासिल करने से पहले अनिवार्य वसीयत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अधिनियम की धारा 213 में संशोधन करने से ईसाई विधवा, मुस्लिम विधवाओं के समकक्ष हो गई हैं।

तथापि, जहां तक हिन्दू, जैनियों और पारसियों का संबंध है, तो उन्हें कई क्षेत्रों में, विशेषकर कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में अभी भी वसीयत प्रमाण-पत्र (प्रोवेट) की आवश्यकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस विधेयक में अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं, जिन्हें यथासंभव शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि उनके इस विधेयक में हिस्सेदारी का बंटवारा सुनिश्चित किया गया है। लेकिन आप इस हिस्सेदारी को ईसाई विधवा के संबंध में कैसे वर्णित करेंगे? ईसाई विधवा की संतानों की हिस्सेदारी क्या होगी? इन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए। ईसाई समाज में, पुत्र के मरने पर उसका पिता उसकी संपत्ति का हकदार बन जाता है। इसलिए, मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक व्यापक विधेयक लाएं ताकि संपूर्ण विसंगतियों को दूर किया जा सके।

महोदय, भारत में विद्यमान 8.1 प्रतिशत विधवाओं की तुलना में विधुर 2.5 प्रतिशत है तथा विधवाओं की अपेक्षा विधुरों को दूसरी

शादी करने की हमेशा ही अधिक स्वतंत्रता होती है। मैं इस मुद्दे पर और अधिक नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि राज्य सभा द्वारा यह विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है। जहां तक इस विधेयक का सवाल है किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। तथापि, मैं माननीय विधि मंत्री से उम्मीद करता हूं कि वे मेरे द्वारा उठाए गए इन दोनों मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। मैं यह पुन: कहता हूं कि 1925 के अधिनियम के वर्तमान प्रावधान पूर्णत: रूढ़िवादी और अनुचित हैं। इसलिए, माननीय विधि मंत्री द्वारा उठाया गया कदम वस्तुत: एक स्वागत योग्य कदम है तथा इसके लिए वे बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं।

श्री अरुण जेटली : सभापति महोदय, इस विधेयक पर सभा में बोलने वाले तीन माननीय सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस विधेयक के पीछे दो उद्देश्य थे। विगत अधिनियम की धारा 32 में की गई व्याख्या अत्यंत ही भेदभावपूर्ण थी। वस्तुत:, मैं इस बात का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा था कि स्वयं प्रथम दृष्टांत में ही इस प्रकार का प्रावधान कैसे लाया जा सकता है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई महिला विधवा हो जाए और उसकी दीन-हीन अवस्था हो जाए तो इससे भी आगे उसे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां वह अपने शादी के दौरान किए गए करार के अनुसार, अपने उत्तराधिकार के अधिकार को खो देती है।

अब, सामान्यत: इस प्रकार का करार अनुचित होना चाहिए था। परन्तु चूंकि यह उपबंध लागू रहा है, मेरे अध्ययन के अनुसार इसकी एक संभावित व्याख्या यह है। मैंने इसे लागू करने के पीछे यह कारण पाया जैसा कि एक माननीय सदस्य श्री भार्गव इंगित कर रहे थे कि वे लोग इस देश पर शासन किया करते थे। इस कानून को बनाए जाने के वक्त अनेक अंग्रेज अधिकारी भारत आया करते थे। यदि वे भारत में किसी से शादी करते थे तो चाहते थे कि इंग्लैंड स्थित अपनी संपत्ति के उत्तराधिकार से पत्नी को वंचित कर दे। इसलिए, इस प्रकार के करार की परिकल्पना की जाती थी जिसके तहत वे शादी कर सकते थे परंतु साथ ही साथ विधवा होने की स्थिति में पत्नी को उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ता था। चूंकि अब आधुनिक विचारों से वह उपबंध मेल नहीं खाता है, इसलिए हम इसका लोप करना ही उचित समझते हैं।

दूसरा, हमने ईसाई समुदाय की इस मांग को भी मान लिया है कि प्रशासनिक पत्र अथवा प्रोवेट प्राप्त करने में मृतक के कानूनी वारिस को होने वाली संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति हेतु उन्हें इन्हें प्राप्त करने से छूट दी जाए। अनेक सुझाव दिए गए हैं लेकिन फिर भी ये दो सुझाव स्वागत योग्य हैं, हमारे देश के पर्सनल लॉ में वास्तव में काफी कुछ ऐसा है जिसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य, श्री चौधरी ईसाई समुदाय द्वारा अनुपालन किए जाने वाले उत्तराधिकार नियमों के संबंध में जानना चाहते हैं। यदि वे मुख्य भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 33 और 33-क देखें तो उसमें मामले की प्रत्येक श्रेणी को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि भारतीय ईसाई की मृत्यु पर उसकी विरासत किस तरह उसके परिवार वालों को मिलेगी।

मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि अनेक ऐसे कानून हैं जो अभी भी भेदभावपूर्ण हैं। पिछले दो वर्षों में अनेक कानूनों को बदलने तथा बेहतर बनाने तथा उन्हें आधुनिक विचारधारा के अनुरूप बनाने हेतु हम सबने मिलकर प्रयास किए हैं। हमारा मत है कि सभी पर्सनल लॉ वास्तव में मानव गरिमा, समानता के अनुरूप होने चाहिए उनमें गरिमा की ऐसी भावना निहित होनी चाहिए जिस गरिमा से एक व्यक्ति अथवा पति-पत्नी रहते हैं। लेकिन जब हम संवदेनशील मामले, पर्सनल लॉ पर विचार करते हें तो हम सामान्यत: तब तक उनमें कोई संशोधन नहीं करते जब तक कि उस समुदाय का एक बड़ा भाग तथा समुदाय स्वयं इस बात पर सहमत न हो कि उनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष इस सम्माननीय सदन तथा दूसरे सदन ने भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की थी।

पिछले 50 वर्षों में समुदाय द्वारा अनेक बार इन संशोधनों को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन पिछले वर्ष जब यह संशोधन पुन: प्रस्तुत किए गए तो समुदाय ने इन संशोधनों का सक्रिय रूप से समर्थन करके इसमें स्वयं सक्रिय रूप से भाग लिया।

इसी प्रकार, इस सम्माननीय सभा ने पिछले दो वर्षों में अन्य भरण-पोषण कानूनों आदि जो कि पर्सनल लॉ पैकेज का ही एक भाग है, में भी संशोधन किए हैं। अत: जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि इनमें से कुछ पुराने कानूनों की व्यापक पुन: जांच करना अधिक तर्कसंगत अथवा आदर्शवादी कदम होगा। सरल उपाय यह है कि आप इन कानूनों को देखें और जहां कहीं आप समानता के अधिकारों, गरिमा के सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में विपथन पाते हैं तो कम से कम उन पहलुओं को बदल दीजिए। हमारा अनुभव रहा है कि उन समुदायों के सक्रिय नेता हमारे द्वारा किए गए ऐसे परिवर्तनों के प्रति अधिक सहमत रहे हैं। इन पर्सनल लॉ को अद्यतन बनाने संबंधी परामर्श प्रक्रिया तथा इनका उन्नयन करना, एक सतत प्रक्रिया है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में जब इन कानूनों में संशोधन करने की परिकल्पना की जाएगी तो इन तीन माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

मैं, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विशेष विधेयक की चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। मैं इस सम्माननीय सभा से प्रस्ताव करता हूं कि वे इस विधेयक को स्वीकृत करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3

"2001" के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1

"बावनवें" के *स्थान* पर "तिरपनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया। विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब, मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 2.46 बजे

[अनुवाद]

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह एक छोटा विधेयक है। जब अखिल भारतीय संस्थान अधिनियम बनाया गया था तब उसमें कुछ चूक हुई थी। चूक यह हुई थी कि अधिनियम के उद्देश्य में यह परिकल्पना की गई थी कि इसके अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा, दंत शिक्षा तथा परिचर्या शिक्षा दी जाएगी। लेकिन उपाधि देते समय दंत शिक्षा और परिचर्या शिक्षा को नजरअंदाज किया गया। इसलिए यह विधेयक उस चूक का सुधार है। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2001 आवश्यकता है और इसके आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 तथा भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए गए डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट अथवा डिग्री को कुछ समान दर्जा दिया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक अग्रणी संस्थान है और इसमें विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक कार्य करते हैं। यह दिल्ली तथा अन्य पड़ोसी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसी तरह पांडिचेरी में स्थित जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मैडीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च भी दक्षिण भारत के लिए काफी उपयोगी है। इस वाद-विवाद का लाभ उठाते हुए मैं सुझाव देता हूं कि इस तरह के संस्थान को ग्रामीण जनता की भी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। निकटवर्ती जिलों तथा राज्यों में भी कुछ अनुषंगी संस्थान बनाए जा सकते हैं क्योंकि उदारीकरण के इस दौर में आम आदमी के लिए चिकित्सा खर्चे बहुत अधिक हैं।

औषधीय उद्योग भी अनुसंधान और उस पर होने वाले व्यय तथा बौद्धिक संपदा अधिनियम संबंधी अद्यतन कानूनों का लाभ उठा रहा है। वे दवाइयों पर खर्च बढ़ाना चाहते हैं। शल्यचिकित्सक शल्यचिकित्सा के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये अथवा 1,00,000 या 2,00,000 रुपये ले रहे हैं। कुछ लोग केवल प्रधानमंत्री राहत कोष, स्वास्थ्य मंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा अपने खर्चों को 30 प्रतिशत तक पूरा कर पाते हैं।

वे 70 प्रतिशत मरीजों को केवल कर्जदार बना रहे हैं। यदि मरीज मर जाता है तो वह भी उनके लिए बहुत कष्टप्रद होता है। अत: स्वास्थ्य बीमा को सहायता के लिए आगे आना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा में सभी नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च सामान्य बीमा कंपनी द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। यदि इस तरह करने की सोचें तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और सरकार को भी व्यक्तियों के प्रीमियम के भाग के रूप में कुछ धनराशि निवेश करनी होगी। यह उचित समय है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोक सभा में प्रतिनिधि के रूप में निम्नतम स्तर के लोगों के साथ भी संपर्क में रहते हैं। हम जनता के साथ हैं। जनता को रोज कष्ट झेलना पड़ता है। उन्हें उचित चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।

आजकल, शरीर के प्रत्येक अंग का चिकित्सीय उपचार होता है। गुर्दा विशेषज्ञों के अलग अस्पताल हैं। वे प्रवेश के लिए 2000/- अथवा 3000/- रुपये लेते हैं। प्रत्यारोपण, दान तथा सब कुछ मिलकार लगभग 2 लाख रुपये का खर्चा आता है। इसी तरह हृदय के मामले में होता है। शरीर के प्रत्येक अंग के लिए पृथक विशेष अध्ययन चल रहा है। लेकिन आम व्यक्तियों का क्या होगा? वे किस तरह इन खर्चों को पूरा करेंगे।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य पर काफी धनराशि खर्च कर रही है। वह राज्य सरकार चिकित्सा विभागों के माध्यम से राज्यों को धनराशि दे रही है। लेकिन सब कुछ जनता की बजाय प्रशासन के पास जा रहा है। मैं बहुत आसानी से यह बात कह सकता हूं कि यहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जो स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूर्णत: सुसज्जित हो। यहां काफी लोग हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अस्पताल में लगभग 1000 लोग जमीन पर पड़े हैं लेकिन वहां 50 से 100 बिस्तरों का ही प्रावधान है। लोग किस तरह रह रहे हैं? वे निजी अस्पतालों का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।

हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में लोगों की काफी सहायता कर रहा है लेकिन यह अस्पताल मेरे क्षेत्र अथवा भारत के किसी दूरस्थ इलाके में नहीं है। हम इस अंतर को किस तरह पाट सकते हैं? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसी कारण नकली डाक्टर आ रहे हैं, यहां लोग कहीं से एम.एस.सी. और एम.एस. का प्रमाणपत्र प्राप्त करके रोशनी तथा सजावट वाले बड़े बोर्ड लगाकर बड़े डाक्टर होने का दावा करते हैं। कोई भी वहां जाकर उन पर मुकदमा नहीं चलाता है। कोई भी यह जांच नहीं करता कि उनके पास किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी और संस्थान से कानूनी रूप से वैध प्रमाणपत्र है या नहीं। अब, यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अध्ययन कर रहे चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा नहीं कर रहे हैं। मास्टर डिग्री लेने के पश्चात् वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। यहां प्रतिभा पलायन हो रहा है। सभी लोग ब्रिटेन तथा यूरोपीय देशों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आस्ट्रेलिया सभी भारतीय चिकित्सकीय लोगों का स्वागत कर रहा है। अमरीका उनका स्वागत कर रहा है। हम इन लोगों को विशेषज्ञ बनाने के लिए अपने राजस्व से करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं। परन्तु, ये लोग क्या करते हैं? क्या वे हमारी मदद करने जा रहे हैं? नहीं वे हमारी सहायता नहीं करने जा रहे हैं। वे अमरीका अथवा पश्चिमी देशों में बस जाएंगे और वे अपना खुशहाल जीवन वहीं बिताएंगे। परन्तु उन खर्चों का क्या होगा जो हमने उन्हें विशेषज्ञ बनाने के लिए किया है?

इसी प्रकार मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अब साधारण लोगों को पता लगाने का सही समय आ गया है। अब तथाकथित साधारण चिकित्सकों की आवश्यकता है। गांवों में हमें ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता है जिनकी अपनी मौलिकता

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

हो। वे चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के कतिपय क्षेत्र में ज्ञान विकसित करें। उनका परीक्षण किया जाए। वे लघु अवधि के कार्यक्रम में भाग लें। और उस कार्यक्रम में इस आशय से उनका परीक्षण किया जाए कि क्या वे प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त करने हेतु योग्य हैं अथवा नहीं। इस प्रकार की बातें विदेशों में होती हैं। पश्चिमी देशों में किसी भी उम्र का ऐसी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है। चाहे वह इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधिधारक हो और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की लालसा रखता हो। वह अपनी दक्षता दिखाने के लिए निश्चित अवधि के लिए तत्काल अध्ययन कर सकता है। यदि वे उत्कृष्ट हैं तो उनकी विशिष्ट संघ द्वारा जांच की जाती है। वे यह पता लगाते हैं कि वह इस विशिष्ट कार्य के लिए योग्य है। तत्पश्चात् उन्हें चिकित्सा की उपाधि दी जाती है।

क्या हमारी भारतीय प्रणाली में इस प्रकार का लचीलापन है? यदि अधिनियम द्वारा इस प्रकार का लचीलापन लाया जाएगा तो साधारण लोग जिन्हें 'झोलाछाप चिकित्सक' कहा जाता है, आसानी से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त कर निर्धन लोगों की सहायता कर पाएंगे और इससे हमारा कार्य आसान हो जाएगा।

भारत में पिता द्वारा अपने ज्ञान को पुत्र को प्रदान करने और इसके बदले पुत्र द्वारा अपने पुत्र को प्रदान करने की परम्परागत प्रणाली है। इस प्रकार के ज्ञान को भी मान्यता प्रदान की जाए। कई लोग जो चिकित्सकों के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा के खेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती हैं। कुछ नर्सें शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेती हैं। परन्तु, ये लोग स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी प्रणाली बहुत संकीर्ण है। उन्हें केवल अपने चुने हुए क्षेत्र में ही विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। इसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए ताकि कभी भी ऐसे किसी भी क्षेत्र में जा सके जिसमें वे अपने आपको योग्य समझते हों और उनमें वास्तव में बुद्धिमत्ता हो और उसे प्रदर्शित करने की उत्सुकता हो। अतः, मैं यह सुझाव देता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सहायक प्रकोष्ठ हो जो निचले स्तर के विशेषज्ञता वाले लोगों को प्रमाणपत्र प्रदान करे ताकि वे विशिष्ट क्षेत्र में अपना कार्य जारी रख सकें। इन टिप्पणियों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं।

इसके अलावा, संघों (एसोशिएशनों) को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं और इसमें सरकारी हस्तक्षेप कम हो। हम भारतीय चिकित्सा परिषद, दंत चिकित्सक परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद पर काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं। इन परिषदों को केन्द्रीय बजट से भारी राशि मिल रही है। उनके पास अपने संघों के रखरखाव की अपनी स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें व्यवसायिक संगठन के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें अपने लिए धन एकत्रित करना चाहिए। उन्हें स्ववित्त पोषित होना चाहिए। उन्हें भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों से धनराशि की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी एक छोटा सा बिल लाए हैं और उसमें संशोधन करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिनको दांतों और नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें

[अनुवाद]

"संस्थान का उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाने हेतु सुविज्ञ लोगों को विकसित करना होगा।"

[हिन्दी]

आखिरकार उनकी क्वालीफिकेशन क्या होगी—नान-मैट्रिक होगी, मैट्रिक होगी या क्या होगी। यदि आप इसे जोड़ दें तो मुनासिब होगा वर्ना स्वास्थ्य मंत्री जी को फिर से बिल लाना पड़ेगा जिससे दिक्कत होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्वालीफिकेशन जोड़ दें।

1956 में जब इस संस्था की स्थापना हुई थी तो इसका बड़ा पवित्र उद्देश्य था। यह राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है और सब लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि जयपुर शहर में भी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है जो मेरे ख्याल से हिन्दुस्तानभर में एक ही है। मुझे इस पर गर्व है। लेकिन वहां बड़ी दुर्दशा है, ठीक प्रकार की दशा नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपका बजट बहुत जोरदार और शक्तिशाली हो।

दवाइयां तीन प्रकार की हैं—एक अंग्रेजी, एक होम्योपैथी, जो दस पैसे की गोली मिल जाती है और लोगों को उसमें विश्वास है। डाक्टर सिमटम्स पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं कि परसों क्या खाया था, कल क्या खाया था, यह विचार करके वे इलाज करते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इसी प्रकार से एक यूनानी चिकित्सा पद्धति है। यूनानी पद्धति में आप बादाम खाइए, रसगुल्ले खाइए, यह बताते हैं। मैं मीसा में जेल

में बन्दी था तब लोग यूनानी दवा को पसंद करते थे कि यूनानी दवा लिखो। मैंने पूछा कि यूनानी दवा क्यों लिखो तो बोले कि इसमें बादाम खाने को मिलेंगे, रसगुल्ले खाने को मिलेंगे।...*(व्यवधान)* हां, मैंने भी दवा खाई है।

सबसे बड़ी यदि कोई चिकित्सा पद्धति है तो वह आपका विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग है, जो दंड-बैठक का काम करता है। यदि किसी गरीब आदमी के इंजेक्शन लग गया तो वह आधे घंटे बाद दो घंटे बाद ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी की गोली मिल गई तो पता नहीं कितने समय बाद ठीक होगा, उसमें समय लग जाएगा, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि पीने के बाद, काढ़ा पीने के बाद वह व्यक्ति जल्दी ठीक होगा और स्थाई रूप से ठीक होगा। वरना सब में टैम्परेरी मामला है, इंजेक्शन भी बिल्कुल टैम्परेरी मामला है।...*(व्यवधान)* मैं तो नौजवान हूं, अभी 19 साल का ही हूं। मैं तो अपने आपको 19 साल का मानता हूं। रेल मंत्री जी मुझे कहते हैं कि बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, पता नहीं, क्यों रोजाना मेरा अपमान करते हैं। लेकिन मैं दौड़ सकता हूं, मैं व्यायाम करता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भार्गव साहब, आपस में बातें मत करिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं बात नहीं करता, में उनकी ओर नहीं देख रहा।

सभापति महोदय : आदमी तबियत से जवान होता है, उम्र से जवान नहीं होता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ये मेरी तरफ आंखें फाड़-फाड़कर देख रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं।

सभापति महोदय : आप तबियत से 19 साल के हैं, उम्र का इससे कोई वास्ता नहीं है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : ये दिल्ली से राजधानी भी जयपुर ले जाना चाहते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर ऑलरेडी राजधानी है। दिल्ली की राजधानी को मैं जयपुर नहीं ले जाना चाहता। राजस्थान की राजधानी वही पर्याप्त है और इस समय राजस्थन हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। जयपुर तो बहुत बड़े प्रदेश की राजधानी है। आप निश्चित रूप से आयुर्वेद पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। हम तो कहा करते थे कि यदि आपको केवल इसी विभाग का मंत्री, आयुर्वेद मंत्री बना दिया जाए और आपको अलग से बजट दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा होता और आपको बजट भी अच्छा मिलता। आपको ध्यान होगा, आप तो स्वयं लोक सभा के मैम्बर हैं, राज्य सभा के मैम्बर नहीं हैं। आप गांव में जब जाते होंगे तो गांव में वैद्य जी बैठे होते हैं, उनके पास दवाई नहीं होती और वे परिचालिका, जो महिला होती है, वह बैठी होती है, वे सामने दिन भर बैठी रही और शाम को पांच बजे परिचालिका अपने घर चली गई, वैद्य जी महाराज अपने घर चले गए। मुझे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं जानता भी नहीं हूं, मैं पुरानी बसती का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वह दिन भर वैद्य जी बैठे रहते हैं, परिचालिका बैठी रहती है। जब हम वहां जाते हैं तो हमसे कहती है कि मुझे जीप में बिठाकर ले चलो, मैं जयपुर पहुंचूंगी। मैंने कहा कि बहन जी, आपको क्या वेतन मिलता है तो बोली कि 9000-10000 रुपये मिलता है। मैंने पूछा कि आपने दिन भर क्या काम किया तो बोली कि वैद्य जी महाराज के सामने बैठी रही। इसी प्रकार से कुछ महिलाएं गांवों में घूमती हैं जो ए.पी.सी की गोली बांटती हैं। ए.पी.सी. की गोली भी उनके पास नहीं होती और उनका उपयोग नहीं हो पाता। उनका वेतन भी 9000-10000 रुपये है। यह भी सरकार का अपव्यय हो तो अच्छी बात नहीं होगी। उस संबंध में भी आप निश्चित रूप से ध्यान दें। मुझे यह बताया गया है कि ऐसी जो गांवों में घूमने वाली परिचालिकाएं हैं, उनके पदों को अब आपने समाप्त कर दिया है, यह भी एक नई बात मुझे कल ही अखबारों में पढ़ने को मिली। इस संबंध में भी आप निश्चित रूप से विचार करें।

गांवों में जो औषधालय हैं, उनमें दवाइयों का भी आप इन्तजाम करें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, वह भारत का पहला संस्थान है।...*(व्यवधान)* वहां लोगों को बिस्तर नहीं मिलते हैं, पंखे के नीचे उनको जगह नहीं मिलती है, उसके लिए भी उनको पैसा देना पड़ेगा। लोगों का वहां एडमीशन नहीं हो पाता, लोग बहुत दिन तक वहां पड़े रहते हैं। बहुत दिन बाद उनका नंबर आता है। मेरे ख्याल से वहां गवर्निंग बॉडी भी अभी तक नहीं बनी है और गवर्निंग बॉडी बन भी गई है तो उसकी मीटिंग समय पर नहीं हो पातीं, क्योंकि कोरम का अभाव रहता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भार्गव साहब, आपको तो अन्य बिलों पर भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं आपको बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूं। मैं सदन में कल्याण की बात बता रहा हूं। अगर वह भी आप न सुनना चाहें तो आपकी मर्जी। मैं राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां सारी दवाएं नहीं मिलती हैं। राज्य सरकार की ओर से औषधियां पैदा करने के लिए जो जमीन देनी थी, वह भी अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा जयपुर के इस संस्थान में उपकरण नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है। वैद्य जी भी यदि इंजेक्शन पर आधारित हो जाएंगे तो यह सही नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेदिक औषधियां उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। वहां निजी प्रैक्टिस

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

करने वाले हजारों डाक्टर हैं। वे भी आपसे मान्यता चाहते हैं। आप उनको मान्यता देंगे या नहीं, अपने उत्तर में बताने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में आपरेशन थियेटर नहीं है। इसलिए उसको इसकी भी सुविधा देनी चाहिए और अंग्रेजी अस्पताल के समकक्ष लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब कभी आप जयपुर आएंगे तो मैं स्वयं आपकी खातिर में खड़ा मिलूंगा और आपको माला पहनाऊंगा। मेरी विनती है कि आप इन सारी चीजों पर ध्यान दें। दंत चिकित्सा के बारे में आप जो बिल लाए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। मरीजों को देखने के लिए नर्सों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

अंत में मैं पुन: इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फरूखाबाद) : सभापति महोदय, मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 1956 के एक्ट में जो परिवर्तन करने के लिए मंत्री जी ने बिल पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब भी किसी कानून में संशोधन होता है तो वह निश्चित ही अच्छे के लिए होता है और अच्छे भविष्य की कामना करते हुए होता है। आपने भी सोचा होगा कि हिन्दुस्तान के मरीजों को अच्छी सुविधा मिले इसलिए यह बिल लाए हैं। आपने जो यह प्रयास मरीजों की सुविधा के लिए किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

1956 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना इसलिए हुई थी कि यहां अच्छी शिक्षा मिले और अचछे डाक्टर्स निकलें, जिससे लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले और एक ही जगह पर उन्नत टेक्नोलॉजी मिले। ऐसा हो भी रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब से यह संस्थान बना है, तब से यह देखने में आया है कि यहां से अच्छे डाक्टर्स निकले हैं, इसमें कोई राय नहीं हैं। यहां 315 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक ही दुर्भाग्य इसमें जुड़ा हुआ है। जहां तक मरीजों की बात पिछले साल 192090 मरीज ओ.पी.डी. में आए। उनमें से 95627 मरीज भर्ती किए गए। 110000 मरीजों का आपरेशन किया गया, लेकिन यहां केवल 1626 बैड ही हैं। आप भी यह कमी महसूस करते होंगे। देखने में आया है, मेरे क्षेत्र से भी काफी मरीज यहां आते हैं, उन्होंने भी बताया कि वहां अटेंड तो किया जाता है, लेकिन बैड उपलब्ध न होने की वजह से उनको काफी दिक्कतें आईं। आपरेशन से पहले जिन टैस्ट्स की आवश्यकता होती है, उसमें ही तीन-चार महीने डाक्टर्स लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास बैड नहीं होते। उत्तर भारत में यह एक ऐसा संस्थान है, जहां हर गंभीर मरीज बिहार और उत्तर प्रदेश तक से आता है। मैं इसके लिए निवेदन करता हूं कि जो मरीज दूर से आते हैं, उनके लिए बैड की और अन्य चीजों की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा उनके तीमारदारों को सिर छिपाने के लिए जगह मिलनी चाहिए। 'एम्स' की मौलिक रूप से ये सब आवश्यकताएं हैं। तीन संस्थाएं—आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज एंड सर्जरी, सफदरजंग और तीसरा विलिंगडन है। आपने एक कंट्रोल रूम बनाया था और इनिशियल स्टेज पर उसने अच्छा काम किया था। उसका एक ही काम था कि अगर कोई मरीज सफदरजंग हॉस्पिटल में आया और उसको जो बीमारी है, उसके विशेषज्ञ यदि विलिंगडन में हैं तो उनसे सीधा कांटैक्ट करके जो भी आवश्यक इलाज किया जाना है, वह किया जा सकता हैं। लेकिन वह कंट्रोल रूम तीन-चार महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर चला लेकिन आज वह कंट्रोल रूम बंद है और उसकी वजह से मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर्स की खोज में दर-दर भटकता है और उसके हजारों रुपये बर्बाद होते हैं। मेरा निवेदन है कि उस कंट्रोल रूप को ठीक तरह से चलाने के लिए व्यवस्था की जाए। मैं अपने प्रदेश के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है जिसमें भी लगभग यही व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी बहुत सी मशीनें आयातित पड़ी हुई हैं जो खुली नहीं हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि आपके पास टैक्नीकल आदमी उपलब्ध नहीं है। विगत वर्षों में जो मेरी जानकारी है, उसके अनुसार वर्ल्ड बैंक से बहुत पैसा उस इंस्टीट्यूट के विकास के लिए मिला लेकिन आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सके। इस बात की भी जानकारी आपको निश्चित ही होगी। मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश की मात्र एक संस्था है जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूर-दराज तक के मरीज आते हैं और मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके पास 'ऐम्स' से बेहतर बिल्डिंग, जगह और डाक्टर हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि मशीनों को चलाने के लिए टैक्नीकल एक्सपर्ट्स मुहैया कराके पैसे का सही उपयोग किया जाना चाहिए और पैसे का पूरा इस्तेमाल किया जाए ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति जी, माननीय मंत्री जी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 में संशोधन लाने के लिए जो बिल लाए हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001 ।

[हिन्दी]

जो भी इसी तरह के कोर्सेज हैं, इंडियन मैडिकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से मान्यता होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कई कम्पाउंडर ठीक दवा देते हैं और बहुत सारे कंपाउंडर्स अपनी-अपनी डिस्पेंसरीज खोलकर प्रैक्टिस चलाते हैं। इसलिए इस इंस्टीट्यूट का रिकॉगनिशन होने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

संस्थान द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा, दन्त्य और नर्सिंग योग्यताओं को मान्यता।

[हिन्दी]

इसलिए ठीक बात है चाहे एमबीबीएस हो या बीएएमएस हो या डेंटल का भी कोर्स हो। उसके लिए भी उस इंस्टीट्यूट द्वारा रिकॉगनिशन मिलना चाहिए। 'एम्स' काफी अच्छा संस्थान हे और वहां मरीजों का अच्छा इलाज होता है। इलाज कराने के लिए जो गरीब मरीज हैं, उनके लिए भी आपरेशन और दवाइयों इत्यादि में कुछ रियायतें दी जानी चाहिए। इस मैडिकल इंस्टीट्यूट का नाम पूरे भारत में है। इसलिए जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी अलग से प्रावधान होने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि जब मरीज डाक्टर के पास जाता है तो एक ही इंजेक्शन में जो मरीज ठीक हो सकता है तो उसके 8-10 इंजेक्शन न लगाए जाएं। उसके बावजूद भी एडमिट करने के लिए आग्रह करते हैं। मंत्री जी आप स्वयं डाक्टर हैं, आपको मालूम है कि मरीज को कितने इंजेक्शन की आवश्यकता है और कितनी टैब्लेट्स की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रावधान की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा आल इंडिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट विधेयक सदन में जो प्रस्तुत किया गया है, उसकी बहुत ही लिमिटेड परपज है कि डैंटिस्ट और नर्सिंग होम डिग्री वाले को भी मान्यता मिले, क्योंकि पुराना एक्ट 1947 में बना था।

आल इंडिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट में बिहार से भी मरीज आते हैं। पटना में कहा जाता है कि 'एम्स' में जाइए। लोग हार्ट, किडनी के इलाज के लिए आते हैं। गरीब आदमी है, इलाज नहीं होगा, तो उसको मरना ही है। सभी तरह के रोगी आते हैं। आल इंडिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट की ख्याति है कि वहां बढ़िया इलाज होता है, लेकिन वहां सब मशीन का भट्टा कर देते हैं। उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। चाहे कोई भी टैस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो या एमआईआर, इनमें गरीब का बड़ा भारी शोषण होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां मशीन का भट्टा न हो। कम कीमत में जांच-पड़ताल हो। इसके अलावा भर्ती में भी बड़ा संकट है। रोगी इलाज के लिए मर रहा है। कहा जाता है कि जगह नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसका भी इन्तजाम होना चाहिए। वर्तमान में जो मैडिकल कॉलेज खोले जाते हैं, उनको एम्स की तरह बनाना चाहिए। बार-बार हमारा सुझाव होता है कि पटना में भी एम्स की तरह मेडिकल कॉलेज खोला जाए। यहां आने पर बड़ा भारी खर्चा होता है, क्योंकि रोगी पर खर्चे के साथ-साथ एटेंडेंट पर भी खर्च होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी को एम्स के जैसा अस्पताल पटना में भी खोलना चाहिए। एम्स 1956 में बना था। ...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा निवेदन है, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ढिलाई, जनता की पिटाई और मरीज की मढ़ाई—यह नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मरीज की यह हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पटना में विशेष चिकित्सा की जरूरत है। आप खुद पटना मैडिकल कॉलेज में पढ़े हैं, उसकी हालत में सुधार होना चाहिए। इसी प्रकार दरभंगा और मुजफ्फरपुर अस्पतालों की हालत में सुधार होना चाहिए, ताकि मरीजों को यहां न आना पड़े और इलाज वहीं पर हो जाए। ऐसा इन्तजाम सरकार की तरफ से होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : महोदय, मैं बहुत लंबा भाषण देना नहीं चाहता हूं। इस विधेयक का बहुत सीमित प्रयोजन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक रेफरल केन्द्र है। देश में ऐसे तीन संस्थान हैं जो कि चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में स्थित हैं।

मुझे इस सभा के पिछले वाद-विवाद का स्मरण आता है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर देश के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का सुझाव था ताकि देश भर के नागरिकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और उन्हें दिल्ली अथवा निजी क्षेत्र के अन्य अस्पतालों की शरण न लेनी पड़े। निजी क्षेत्र में भी ऐसे कई संस्थान नहीं है जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हों। सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ वहां उपलब्ध नहीं हैं। मेरे विचार से अब सरकार द्वारा क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का सही समय आ गया है।

मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान एक अन्य बात की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं यह देख रहा हूं कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षा के अपने प्राथमिक दायित्वों को छोड़ रही हैं। यह कार्य अब निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। यह एक ऐसी बात है जिसकी जांच किए

[श्री सी.के. जाफर शरीफ]

जाने की आवश्यकता है क्योंकि सभ्य समाज में यह केन्द्र और राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। अब यदि यह कार्य निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा तो देश की गरीब जनता का क्या होगा?

अपराह्न 3.22 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

डा. सी.पी. ठाकुर : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, और मैंने इन्हें नोट कर लिया है। श्री सुदर्शन ने उपग्रह केन्द्रों के बारे में कहा है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह कहा है कि ऐसा एक केन्द्र बिहार में हो, मैं इसी बात पर बिहार सरकार के साथ पत्राचार कर रहा हूं। श्री चन्द्रभूषण सिंह ने उपग्रह केन्द्रों के बारे में कहा है। श्री भार्गव ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात कही है। हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह सब कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956, राज्य सभा द्वारा यथापास्ति, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक में अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड एक संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,–

"2001" के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (2)

(डा. सी.पी. ठाकुर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"बावनवें" के *स्थान* पर "तिरपनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

(डा. सी.पी. ठाकुर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.25 बजे

[अनुवाद]

(चार) सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण (निरसन) विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह निरसन करने वाला छोटा विधेयक है। इसे एम्बुलेंस अधिनियम में पाकिस्तान के हिस्से के बंटवारे के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अब निरर्थक है। अत:, अब इस विधेयक का निरसन किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, पाकिस्तान की एम्बुलेंस भारत में और भारत की एम्बुलेंस पाकिस्तान में जानी चाहिए। जो बिल आप लाए हैं उसका हम समर्थन करते हैं लेकिन यह बिल बहुत देर से 55 साल बाद लाया गया है लेकिन यह एक अच्छा बिल है, देश की इंटैग्रिटी को बढ़ाने वाला है और हम इसकी सराहना और समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,–

"2001 के *स्थान* पर "2002" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(2)

(डा. सी.पी. ठाकुर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"बावनवें" के *स्थान* पर "तिरपनवें" *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(1)

(डा. सी. पी. ठाकुर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री डेम्मिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य आरंभ करेंगे। पुर:स्थापित किए जाने के लिए विधेयक।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) कृषक और कृषि कर्मकार प्रतिकर निधि विधेयक*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों और कृषि कर्मकारों को कृषि संक्रियाओं के दौरान अथवा उससे उत्पन्न उनकी नि:शक्तता के लिए प्रतिकर के संदाय हेतु एक निधि की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषकों और कृषि कर्मकारों को कृषि संक्रियाओं के दौरान अथवा उससे उत्पन्न उनकी नि:शक्तता के लिए प्रतिकर के संदाय हेतु एक निधि की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, में विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।**

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 का संशोधन)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(तीन) कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक*

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा उनके नियोजन और उनके कार्य की दशा

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 3.5.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

को विनियमित करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा उनके नियोजन और उनके कार्य की दशा को विनियमित करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.33½ बजे

[अनुवाद]

(चार) असंगठित कर्मकार (भविष्य निधि) विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में असंगठित कर्मकारों के हितों के संरक्षण के लिए भविष्य निधि की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि देश में असंगठित कर्मकारों के हितों के संरक्षण के लिए भविष्य निधि की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 3.5.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(पांच) नि:शुल्क शिक्षा (गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे माता-पिता के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा और अन्य प्रोत्साहनों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे माता-पिता के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा और अन्य प्रोत्साहनों तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक वापस लिया गया

(सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय सभापति महोदय, संविधान संशोधन बिल, 2000 पिछले 22 मार्च से चला आ रहा है। इस प्राइवेट मैम्बर विधेयक को माननीय वैको साहब ने सदन में प्रस्तुत किया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वैको साहब सही समय पर इस प्राइवेट संविधान संशोधन बिल को सदन में लाए हैं। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय देश की स्थिति और परिस्थिति कुछ और थीं। आज हम सब महसूस करते हैं और इस बात को मानेंगे कि परिस्थिति बहुत बदल गई है। उस समय जो

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 3.5.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

बुनियादी सवाल और समस्याएं थीं, उसके मुकाबले आज की बुनियादी समस्याओं में फर्क आ गया है। आज संविधान में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। मैं ऐसा महसूस करता हूं और इसलिए वैको साहब द्वारा लाए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारतीय संविधान में व्यापक संशोधन और इसकी समीक्षा आज के समय की मांग और आवश्यकता है। आज देश में जिस तरह की मानसिकता विकसित हो रही है, उससे संविधान के मूल ढांचे पर आघात होने की पूरी संभावना है। यह एक गंभीर विषय है, यह डिबेट का विषय है। संपूर्ण देश में इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और जनमत संग्रह होना चाहिए। क्योंकि माननीय सदस्य ने जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है वह इसी मंशा के साथ प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो प्रीएम्बल है, संविधान निर्माताओं ने बहुत परिश्रम से इसके निर्माण का काम किया था। जिस समय संविधान बना था, यह ठीक है कि उस समय इंग्लैंड और अमरीका के संविधान से जो-जो अच्छी चीजें थीं, उन सबको लेकर संविधान निर्माताओं ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। संविधान बनने का जो समय था, जिस मंशा को लेकर संविधान बना था, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया है, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, क्योंकि आज देश में कुछ इस तरह की मानसिकता विकसित हो रही है कि कुछ लोग अपने को इतिहास को मिटाने का अधिकारी समझने लगे हैं। कुछ लोग देश के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। देश का इतिहास किसी कौम का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है। भारत का इतिहास भारत की धरोहर है। यह हमारे हिन्दुस्तान का गौरव है। इसलिए इसे मिटाने का किसी को हक नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे लाल किला हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी सरकार ने सी.आई.एस.एफ. को सौंपी है, चाहे अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे गोल्डन टैम्पिल हो, चाहे गिरजाघर हो—ये सभी इमारतें हमारे देश का गौरव हैं। ये किसी कौम की धरोहर नहीं हैं, ये किसी भी कम्युनिटी की नहीं हैं। ये भारत की धरोहर हैं। इन्हें कोई न छुए, क्योंकि यह एक घटनाक्रम है। यदि इस घटनाक्रम को मिटाया जाएगा तो हिन्दुस्तान के मूल घटनाक्रम पर भी आघात होगा। वह इतिहास को मिटाने का काम होगा। इसलिए इतिहास को मिटाने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। आखिर ये सब किस मानसिकता का परिचायक है। संसद पर विदेशी आतंकवादियों ने हमला किया। लाल किला पर विदेशी आतंकवादियों ने हमला किया। मेरा कहना है कि चाहे आक्रमणकारी देशी हो या विदेशी हो या देश के अंदर के विघटनकारी तत्व हों, इस तरह के विध्वंसकारी कार्यों को भी आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहिए। यह ठीक है कि अभी संविधान संशोधन हुआ। अभी पोटो कानून आया। उस समय पता नहीं इन सब चीजों पर विचार किया गया या नहीं। मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इस तरह संविधान संशोधन का प्रावधान करने की आज जरूरत है ताकि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह सके और जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान निर्माताओं की मंशा है, उस पर किसी तरह का आघात न हो। इस तरह की मानसिकता को अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह देश के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जब इतिहास मिटाने का हक किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा, किसी कौम को, किसी वर्ग को, तो वह बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में इस देश के लिए हो सकती है। इसीलिए, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वधर्म समभाव की नीति का कठोरता से, अक्षरश: पालन करने का प्रयास होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। केवल किसी खास समुदाय को बढ़ावा देकर उसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर, देश के समस्त नागरिकों को जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, इस पर या जिस तरह से अभी धार्मिक उन्माद—चाहे हिन्दू का हो या इस्लाम का हो, ये दोनों धार्मिक उन्माद देश के लिए घातक हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर काबू पाने का इसमें प्रावधान होना चाहिए। मैंने इसीलिए इसका जिक्र किया, क्योंकि आज जिस स्थिति में संविधान है, इसमें ऐसे कई खोट हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं और यह मेरी अपनी राय है। मैं सही हूं या गलत यह मैं नहीं कह सकता हूं पर हम अपनी राय रखना चाहते हैं और यह मेरी व्यक्तिगत राय है। संपत्ति के अधिकार को 1978 तक मूल अधिकार में रखा गया था। पता नहीं, संविधान निर्माण के समय इस पर ध्यान दिया गया या नहीं। यदि संपत्ति का अधिकार मूंल अधिकार में होता तो आप जानते हैं कि दरभंगा युनिवर्सिटी का पूरा का पूरा कैम्पस, जिसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, वह नहीं हो सकता था। 1977-78 में जब मोरारजी भाई की सरकार थी, उस समय संविधान संशोधन लाया गया और 1979 से लागू हो गया कि देश के अंदर किसी भी संपत्ति का सरकार जनहित में अधिग्रहण कर सकती है। जब से भारत का संविधान लागू हुआ 1949-50 से, जब ड्राफ्ट संविधान बना, तब से 1978 तक इसमें कई बदलाव हुए। इसी तरह से कई अनुच्छेद हैं जिनकी यदि मैं चर्चा करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि इसमें बहुत व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता है। संपत्ति के अधिकार का 1978-79 में संशोधन किया गया कि जनहित में सरकार किसी भी संपत्ति को राष्ट्र के हित में अधिग्रहण कर सकती है।

भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध

है। लेकिन क्या विभेद नहीं है? आज आजादी के 53 वर्ष के बाद भी इस तरह का कितना डिसक्रिमिनेशन है, कितनी विसंगतियां हैं—धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर। संविधान तो समता की बात कर रहा है मगर क्या वह जमीन पर लागू हो सका है? इतना ही नहीं, एक्जीक्यूटिव स्थिति को भी देखा जाए, कलम और कुदाल वाले को देखा जाए। हम कलम वाले लोग तो अपनी तनख्वाह खुद तय कर लेते हैं, हम कलम वाले लोग ही माने जाएंगे—चाहे सांसद हों, विधायक हों या ब्यूरोक्रेसी में जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, हम सब कानून तय कर लेते हैं। जितने कानून सदन से बनते हैं, तंत्र उसका पूरा उपयोग कर लेता है लेकिन जो आम जनता है, करोड़ों लोग हैं, कानून कितना उसके हक में जाता है इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कलम वाले अपने अधिकार का जरूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो कुदाल वाले हैं, गांवों में जो मेहनत करके संपूर्ण देश को अनाज खिलाते हैं, जिनके बेटे सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, क्या वे अपने अनाज का दाम खुद तय कर सकते हैं? आप कहेंगे कि एक्जीक्यूटिव पावर है, कांस्टीट्यूशन की। लेकिन जब समता का अधिकार विधि के सामने, न्यायालय के सामने है तो हर आस्पैक्ट पर विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस पर काम्प्रीहेंसिव रूप में विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन हैं उन्हें मिटाने का प्रावधान हो। कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे ये विसंगतियां आगे नहीं चल सकें, जितने दिन चल गईं, उतने दिन चल गईं।

महोदय, उद्योगपति कारखाने में माल पैदा करता है, उसका दाम भी वही फिक्स करता है, लेकिन किसान जो भी अपने खेत में उगाता है, उसका दाम वह तय नहीं करता। उसका दाम तय करने के लिए भारत सरकार का एक एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है, वह तय करता है। कितनी अजीब बात है कि किसान ने फसल को उगाने में कितनी मेहनत की, कितनी लागत लगी, इसको देखने के लिए कमीशन है। वह उसे देखेगा और फिर लाभकारी मूल्य तय करेगा। यह विसंगति है। महोदय जो एक्जीक्यूटिव पद्धति है और जो व्यवहार है उसमें बहुत भारी विसंगति है।

महोदय, इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक देख लीजिए, समूचे राज्य के कल्याण के लिए राज्य सरकार को शक्तियां दे दी गई हैं। अनुच्छेद 39 में समान अवसर की बात कही गई है। अभी 45वें अनुच्छेद का संशोधन करना पड़ा। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा का प्रावधान अभी हुआ, जबकि संविधान में प्रारंभ में लिखा हुआ है, लेकिन उसका संशोधन अभी पिछले सत्र में हुआ। इसी प्रकार से शराब बन्दी का अनुच्छेद है, ग्राम पंचायतों को शक्तियां देने का मामला है। इसी प्रकार से डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट दिए गए हैं, लेकिन इनका क्या हो रहा है, व्यवहार में वह वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। दुनियाभर के कल्याण का काम हमने राज्यों के सुपुर्द कर दिया है। मगर जब शिकायत आने लगती है, कोई काम नहीं होता है, तो फिर से उसे वहां से हटाकर मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया जाता है।

महोदय, इसको एक ही बार क्यों नहीं किया जाता है। बार-बार संशोधन लाया जाता है, कभी इस अनुच्छेद के बारे में और कभी किसी और किसी अनुच्छेद के बारे में। एक बार जनहित के सभी अनुच्छेदों के बारे में विचार कर उनके बारे में एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाकर उनको एक ही बार क्यों शामिल नहीं किया जाता है। यह सब जितने भी संशोधन हम कर रहे हैं, ये राज्यों को शक्ति देने के लिए कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए।

महोदय, आज अधिकार का मतलब सरकार हो गया है और सरकार का मतलब अधिकार हो गया है। केन्द्र और राज्यों के संबंधों के बारे में एक अलग कौंसिल जरूर है जिसमें यदि कोई विवाद हो, तो विचार किया जाता है, लेकिन आज जनता कहां है, जिनको अधिकार देने के लिए हम सारा अभ्यास कर रहे हैं उनको कितने अधिकार दे पाए हैं, यह देखने का विषय है। हम लोग पांच वर्ष के बाद चुनाव में जाएंगे। राज्य सभा के सदस्यों की अवधि छः वर्ष है। विधान सभा सदस्यों को पांच वर्ष के बाद चुनाव में जाना होता है। हमारे अधिकारी 30-35 वर्ष तक नौकरी करके 58 या 60 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। यदि उनकी नौकरी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, तो वे तुरन्त न्याय का दरवाजा खटखटाते हैं और उन्हें न्याय मिल जाता है, लेकिन आम जनता आज भी दुखी है, त्रस्त है, उसे कोई भी अधिकार नहीं हैं। उसके साथ सदैव अन्याय होता है। उनकी असिस्टेंस का कोई तरीका नहीं है।

महोदय, मैं 1935 की एक बात बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको भी बहुत तकलीफ होगी। अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए एक रूल 1935 में बनाया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल बोला गया। उस रूल को कौमा और फुलस्टॉप बदले बिना, ज्यों का त्यों, हूबहू संविधान में शामिल कर लिया गया। समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा पढ़कर सुनाता। मेरा कहना है कि संविधान को देख लिया जाए। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के आर्टिकल्स में फुलस्टॉप और कौमा तक भी नहीं बदले गए हैं। भारतीय संविधान में उसी तरह रखे हुए हैं। पता नहीं क्या परिस्थिति थी। इसमें नकल जरूर की गई है लेकिन जब तक उसमें अकल नहीं लगेगी तब तक भारत की शक्ल कैसे ठीक होगी। हमारा मानना है कि हमें अकल लगाकर नकल करनी चाहिए ताकि शक्ल ठीक हो सके। हमारा कहना है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल की नकल तो की गई, लेकिन अकल ठीक

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

से नहीं लगाई गई। इसकी भी समीक्षा करने की जरूरत है। इसलिए आज की परिस्थिति में हमारी शक्ल ठीक नहीं हो पा रही है।

बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमें व्यस्क मताधिकार देकर गए हैं, वह सबसे बड़ी चीज है। हिन्दुस्तान के लोकतांत्रिक अधिकार को समय-समय पर प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनने का यह हथियार है चाहे जिस भी स्तर पर हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं संविधान के जरिए राजनीतिक आजादी देकर जा रहा हूं लेकिन देश की सामाजिक और आर्थिक आजादी में आज भी कितनी विषमता है, कितनी इकनोमिक डिस्पेरिटी ऑफ दी सोसायटी है—यह तो कल्पना करने की बात है। आज भी हम आजादी के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भी कितने प्रतिशत गांवों में आजादी को रोशनी पहुंच पाई है? यदि आज गांव का स्वरूप देखा जाए तो ब्रिटिश काल से लेकर आज तक सड़क, रेल, स्कूल और पीने के पानी की समस्या वहां पर है। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में भोजन की भी समस्या है। हिन्दुस्तान के मूल वासी का कितना डेवलपमेंट हुआ है, लॉस्ट मैन ऑफ दी सोसायटी के जीवन स्तर में कितना बदाव आया है, यही हिन्दुस्तान की आजादी का इंडीकेटर है।

महात्मा गांधी जी ने आजादी की जो कल्पना की थी, उसके हिसाब से भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव का जो अंतिम आदमी है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा वंचित वर्ग है, उसको कितनी उन्नति हुई है, प्रगति हुई है और वह राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा है या नहीं, यह भी देखना शासक की जिम्मेदारी है। यदि वह उससे नहीं जुड़ा है तो हमारे में कमजोरी है। कहीं न कहीं कमी है, त्रुटि है। इसलिए उस मायने में आज संविधान को देखने की जरूरत है। मैं व्यापक संशोधन का जिक्र इसी को सोचकर कर रहा था।

1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना था और वही एजुकेशन पद्धति आज भी चल रही है। वही पैटर्न चल रहा है। यह लार्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति है। हमारा शरीर रहेगा हिन्दुस्तानी और दिमाग रहेगा अंग्रेजियत का यानी अंग्रेज का। मानसिकता रहेगी अंग्रेज की और शरीर रहेगा हिन्दुस्तानी का—इस एजुकेशन का फलाफल यही है। पांच क्वैश्चन पास करो और मैरिट टेस्ट में पास हो गए। आज कुछ-कुछ क्वैश्चन्स में चेंज आ रहा है, लेकिन जो पैटर्न है, जो सलेबस है, लार्ड मैकाले द्वारा दी हुई शिक्षा पद्धति है, वह हिन्दुस्तान से हटी नहीं है और मैं इसीलिए कह रहा था कि व्यापक संशोधन की जरूरत है। आरंभ में संविधान बहुत सोच-समझकर बनाया गया था लेकिन उस समय की परिस्थिति बहुत अलग थी। मैं समझता हूं कि उस समय की राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा और सामाजिक दशा कुछ भिन्न थी और आज की स्थिति उससे कुछ भिन्न है। आज की स्थिति में उस पर विचार करने की जरूरत है।

मैंने 1958 की शिक्षा पद्धति के बारे में बताया। उसी तरह से अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण की समस्या है। हमने बार-बार वायदा किया है कि हम उनको प्रमोशन से लेकर सारी चीजों में रिजर्वेशन देंगे। हमने प्रोविजन तो कर लिया है लेकिन उसका फलाफल कितना हो रहा है, कितना हम एचीव कर रहे हैं यह देखना है। जिनके हम उठाना चाहते हैं, उनको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, यह सवाल है। आज सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उदारीकरण हो रहा है। अब तो ग्लोबलाइजेशन चल गया है। आर्थिक उदारीकरण का युग है, आर्थिक सुधारीकरण का युग है। जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक दौर चला है, इसमें आरक्षण का क्या मतलब होगा। आल इंडिया लैवल पर जो भी एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. का आरक्षण हो, यह कितना प्रतिशत इम्प्लीमेंट हो पाएगा, हम चाहे जो कसरत कर लें, जो अभ्यास कर लें। इस पर भी नए सिरे से विचार करना होगा।

श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमीशन बना था। संविधान की समीक्षा की रिपोर्ट कानून मंत्री को प्रस्तुत की गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब जवाब दें तो इसका जिक्र जरूर करें कि आपकी मंशा क्या है। रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट क्या कभी इम्प्लीमेंट होगी? उसका प्रोसेस, प्रक्रिया जो भी है, उसे आप ऐडॉप्ट कीजिए। लेकिन रिव्यू में जो भी अनुशंसाएं हैं, हम नहीं समझते कि वे सफिशिएंट अनुशंसाएं हैं, चाहे एक हजार पृष्ठ की कमीशन की रिपोर्ट हो। हम नहीं मानते कि यह पूरी तरह कम्प्रीहैन्सिव है, पूरी तरह सब बातों पर विचार किया गया है। लेकिन जो भी विचार किया गया है, मेहनत की गई है, क्या सरकार उसे इम्पलीमेंट करने जा रही है क्योंकि देश आज इस पर टकटकी लगाए हुए है, देश आज इस तरफ देख रहा है कि यह बन रहा है या नहीं, क्या हो रहा है। इस पर हमको भी चिन्ता है कि क्या हो रहा है क्योंकि संविधान की मूल मंशा यह है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में भारतीय संविधान सफल हो, इसलिए संविधान संशोधन और कम्प्रीहैनसिव समीक्षा की जरूरत महसूस की गई।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। अभी स्थिति क्या हो रही है। यदि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, संसद अपने उत्तरदायित्व में लापरवाही बरतेगी या ज्वलंत समस्या का हल हम नहीं निकालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला अहम है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। ठीक है, उसमें कुछ और बातें जोड़ी जा सकती थीं। यह फैसला हुआ कि चुनाव लड़ने वालों

को अपनी सम्पत्ति और आपराधिक चरित्र का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उन पर कितने फौजदारी मुकदमे हैं। जनता के सामने पारदर्शिता झलकनी चाहिए कि वे जिस व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं, वह कैसा प्रतिनिधि होगा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी चारित्रिक पृष्ठभूमि क्या है, सम्पत्ति के मामले में क्या ब्यौरा है। सुप्रीम कोर्ट का कल का वर्डिक्ट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जब राजनीति में हम अपने आचरण को खुद ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं से तो उस पर अंकुश लगेगा। संसदीय लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी हमारी खुद की थी। हम इलैक्शन कमीन को सुधर करके दे सकते थे, समय-समय पर इलैक्शन कमीशन में हर दल के लोगों के सुझाव जाते हैं, लेकिन जो चुनाव सुधार कानून हमको कम्प्रीहैनसिव बनाकर देना चाहिए, उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शन्स हो रही हैं। जब हम अपना काम करने में उदासीनता बरतेंगे तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ करेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी यह महसूस किया गया। इसलिए मैं इसका वैलकम करता हूं। ठीक है, शिक्षा का सर्टीफिकेट उन्होंने मांगा है। मैंने पहले ही बताया कि यहां मेकाले वाली शिक्षा है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनके बच्चे महंगी शिक्षा ले लेते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वे शिक्षा में वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई ऐसे मोर्चे हैं जहां अभी तक कमजोर वर्ग के लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। लेकिन आपराधिक चरित्र का ब्यौरा, चुनाव लड़ने वालों की सम्पत्ति का ब्यौरा देना, यह बहुत अच्छा फैसला आया है। मैं समझता हूं कि इससे सुधार की दिशा या राजनीति में भी एक नई दिशा आएगी। न्यायालय को संविधान की इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके दो कारण हैं। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी में हमारे विद्वान लोग थे, वकील थे, बड़े-बड़े विधिवेत्ता थे, उन्हें नामजद करके जो ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन बना था, वे नामजद थे, नोमिनेटिड थे। यह ठीक है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके, कई देशों के संविधान का काफी अध्ययन करके 289 शब्दों में बहुत अच्छा प्रिएम्बल बनाया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे निर्वाचित नहीं थे। मैं यह कहना चाहता हूं, पता नहीं, मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उसको लोकतांत्रिक भी मानता हूं, क्योंकि उस पर अभी तक जनमत संग्रह नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बिल्कुल तानाशाह शासन है, मिलट्री शासन है, वहां मुशर्रफ का तानाशाह शासन है, लेकिन उसने भी जनता के बीच में जाने की जरूरत महसूस की। अभी-अभी उसने जनमत संग्रह कराया है। इसलिए इस संविधान पर एक जनमत संग्रह भी होना चाहिए, चाहे जो भी समय लगे। जब हम देश में पूरी तरह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमें संविधान में आस्था है और इसीलिए 1949-50 में संविधान का निर्माण हुआ था। उस समय देश की जो परिस्थिति थी, उसका मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया था। यह ठीक है कि संविधान के मूल ढांचे में, उद्देश्य में बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो संविधान समीक्षा आयोग समय-समय पर बनाए जा रहे हैं, इसमें एक व्यापक संशोधन या समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक संविधान होना चाहिए, वह नहीं है। संविधान पूरी तरह लोकतांत्रिक हो, जिससे हमारा देश बढ़िया बने और हमारा देश जो गुलामी की ओर जा रहा है, जिस तरह से आर्थिक रूप से या विदेशी ताकतों के प्रभाव में जा रहा है, उसको भी रोकने का उसमें प्रावधान होना चाहिए। मैं देश के लार्जर हित में यह बात कह रहा हूं, क्योंकि दल से भी ऊपर देश है, हमारा राष्ट्र है, तब हम हैं। इसीलिए हमारा राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण हो और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित रहे, इन सारी चीजों पर ध्यान देकर एक संविधान ड्राफ्ट सभा भी बनाने की जरूरत पड़े तो बनानी चाहिए। उसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल करके सम्यक विचार करना चाहिए। मूल रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिर क्या कारण है कि आज देश की हालत खराब है, क्योंकि देश में सर्वशक्तिमान आ जाते हैं। मैं अन्तिम बात कह रहा हूं। मुझे सर्वशक्तिमानों की याद आती है तो एक बात याद आ जाती है। ...*(व्यवधान)* सर्वशक्तिमान वे हैं, जो शासन में नम्बर एक पर बैठे हैं।...*(व्यवधान)* भार्गव साहब, मुझे एक कहानी याद आती है, मैं उसकी प्रामाणिकता पर अभी जोर नहीं दूंगा। मैंने एक किताब में राजा विक्रमादित्य की एक कहानी पढ़ी थी। वे बड़े ईमानदार, विद्वान और न्यायप्रिय शासक थे। विक्रमादित्य बहुत बड़े शासक और ईमानदार राजा थे। उनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न मतलब दरबारी लोग, जो हर शासक के दरबार में होते हैं, जो भी शासक होते हैं। कालीदास उन नवरत्नों में से एक थे। जैसा आज भी होता है कि बाकी सारे दरबारियों ने मिलकर कालीदास के विषय में राजा के कान भरने शुरू कर दिए। नौ रत्नों में से आठ उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि कालीदास विद्वान थे, पढ़े-लिखे थे, सूझ-बूझ वाले थे, राजा को अच्छा शासन चलाने के लिए अच्छे सुझाव देते थे। कालीदास को सभी दरबारियों ने मिलकर हटा दिया, भगा दिया। राजा विक्रमादित्य समस्याओं से घिर चुके थे, राजा के सामने शासन करने में समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था, वे बड़े बेचैन रहने लगे थे। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी तो उन्होंने सब दरबारियों से पूछा कि जब अन्दर की आत्मा मर जाती है तो क्या होता है। आठों दरबारी उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जवाब देने वाले को तो भगा दिया गया था, राज्य के बाहर कर दिया गया था। जब सभी दरबारी निरुत्तर हो गए, सभी दरबारियों की घिग्घी बंध गई, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तो सभी ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब सिर्फ कालीदास

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

ही दे सकते हैं, इसलिए कालीदास की खोज शुरू हुई। सब दरबारी कालीदास को खोजने लगे। कालिदास राज्य के बाहर मिले। सब दरबारी उनके पास गए और उनसे आग्रह किया कि राजा बड़े बेचैन हैं। उन्होंने हमसे जो प्रश्न किया, हमें उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है। आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। कालिदास राजा की दिनचर्या से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि मैं राजा से बात कर लूंगा, अब आप लोग जाओ। कालिदास एक चौराहे पर चले गए। वहां से राजा विक्रमादित्य गुजरते थे। वहां कालिदास ने पंडित का भेष धारण कर लिया और मांस बेचने लगे। जब उधर से राजा गुजरे तो उन्होंने एक पंडित को मांस बेचते हुए देखा तो वे हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि तुम एक पंडित होकर मांस क्यों बेच रहे हो। इस पर कालिदास ने कहा कि जीविका के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और यही नहीं कि मैं मांस बेच रहा हूं, मैं मांस खाता भी हूं। राजा यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम पंडित होकर मांस खाते भी हो, तो इस पर कालिदास ने कहा कि राजा साहब मैं मदिरा भी पीता हूं। इस पर राजा के गुस्से का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा कि तुम मांस बेचते हो, मांस खाते भी हो और मदिरापान भी करते हो, यह बहुत गलत काम करते हो। इस पर कालिदास ने राजा को और भी बताया कि मैं और क्या-क्या करता हूं, लेकिन सभापति जी उसको मैं सदन में बताना उचित नहीं समझता। इस पर राजा ने अपनी तलवार निकाली और सोचा कि इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले राजा ने उससे पूछा कि तुम यह सब क्यों करते हो। इस पर कालिदास ने कहा कि मेरी अंतरात्मा मर चुकी है। इतना सुनते ही राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और राजा को यह भी पता लग गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं, बल्कि कालिदास ही हैं। कालिदास ने राजा को कहा कि यदि शासक की अंदर की आत्मा मर जाए, तो वह कहां से अच्छा शासन दे सकता है और कैस देश को सुदृढ़ कर सकता है।

सभापति जी, कभी-कभी इस सदन के कई माननीय सदस्य मेरे विचारों से आहत हो जाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि चूंकि मेरी अंदर की आत्मा नहीं मरी है इसलिए मुझे कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। न चाहते हुए भी मेरे द्वारा ऐसी बात कह दी जाती है कि हो सकता है किसी को सही न लगे, कड़वी लगे। इसलिए मैंने यह कहानी सदन में सुनाई कि इन्सान को साहस के साथ सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सच कहने में किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब इन्सान सच बोलेगा तो उसमें साहस आएगा। जब देश में ऐसे लोग होंगे तो देश भी सुदृढ़ होगा। जब लोगों में साहस नहीं होगा तो कैसे देश अच्छा बने सकेगा, यह हम सब जानते हैं।

मैं वाइको जी द्वारा रखे गए इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। उन्होंने स्टेट लिस्ट कंक्रेंट लिस्ट की बात का जिक्र किया था। मेरा भी मानना है कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें भी चुनी हुई होती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाइको जी द्वारा पेश किए संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन और भी माननीय सदस्यों का नाम सूची में है। इसलिए सभा की अनुमति हो तो इस विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, यह मेरे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं अत: मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी इंट्रोडक्शन बाकी है।

अपराह्न 4.11 बजे

[अनुवाद]

(छह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची का संशोधन)

श्री पी. मोहन (मुदरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. मोहन : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 3.5.2002 में प्रकाशित।

अपराह्न 7.11½ बजे

[अनुवाद]

(सात) केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.12 बजे

[अनुवाद]

(आठ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण (प्राइवेट सेक्टर में) विधेयक*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 3.5.2002 में प्रकाशित।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.12½ बजे

[अनुवाद]

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 216 का संशोधन)

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.12½ बजे

[अनुवाद]

(दस) काजू बोर्ड विधेयक*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि काजू उद्योग के विकास हेतु काजू बोर्ड की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काजू उद्योग के विकास हेतु काजू बोर्ड की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 3.5.2002 में प्रकाशित।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 4.13 बजे

[हिन्दी]

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)—जारी

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे वाइको साहब जो प्राइवेट मैम्बर बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कहा गया है कि संविधान के निर्माताओं ने तीन प्रकार की सूची बनाई। एक केन्द्रीय सूची, दूसरी राज्यों की सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। केन्द्र की सूची में केन्द्र काम करेगा, राज्यों की सूची में राज्य काम करेगा और समवर्ती सूची वह है जिसमें दोनों के बीच में यदि कोई विवाद हुआ तो वहां पर समवर्ती सूची काम करेगी। राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए सशक्त केन्द्र की स्थापना की गई लेकिन आप लोक सभा में ही देखते हैं कि राज्यों के मामले यहां आते हैं। राज्यों के मामले, चाहे बिहार हो या गुजरात का मामला हो, राज्यों की विधान सभा में विचार-विमर्श होना चाहिए। केन्द्र को उस संबंध में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। कोई मुख्यमंत्री हो या नहीं हो, उस संबंध में केन्द्र सरकार विचार करे। राज्यों की सुरक्षा करने और राज्यों को मजबूत करने का काम केन्द्र सरकार करे। लेकिन हर राज्य को केन्द्र सरकार की ओर बार-बार देखना पड़ता है। आर्थिक सहायता लेनी है तो केन्द्र का मुंह देखना पड़ता है और केन्द्र बाल की खाल निकालता है कि वहां पर पहाड़ होंगे, टीले होंगे, पानी नहीं होगा और होगा तो एक प्रतिशत पानी मिलता होगा। तो हर दृष्टि से राज्य को केन्द्र की ओर देखना पड़ता है। पैसे लेने हों या जल संकट हुआ या सड़क निर्माण की मंजूरी लेनी है तो वह मंजूरी केन्द्र देगा, पर्यटन स्थल का विकास करना हो तो राज्यों को केन्द्र की ओर देखना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र के पास रक्षा, विदेश और बैंकिंग के मामले हों, उस संबंध में केन्द्र सरकार काम करे लेकिन अन्य मामलों में केन्द्र का दखल नहीं होना चाहिए। राज्यों को हमको सुदृढ़ बनाना चाहिए, ताकि राज्य केन्द्र की ओर बार-बार न देखें और वे अपना काम कर सकें।

मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां पर दो राज्यों के बीच सहयोग न होने की वजह से टकराव हो रहा हो। ऐसी स्थिति में समवर्ती सूची के नाते केन्द्र को दखल देने का अधिकार है। कानून और व्यवस्था का ठीक प्रकार से पालन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्यों को अधिकार देने चाहिए, वरना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। दहेज पर अलग नियम हैं। राज्यों में जुर्माना कम होता है और केन्द्र में ज्यादा होता है। शारदा एक्ट पास हो गया, फिर भी थाने के ही सामने पांच साल का दुल्हा और तीन साल की दुल्हन या 18 वर्ष के होंगे, तो बारात निकाल रहे हैं और शादियां हो रही हैं तथा राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच आपसी मतभेद दूर होने चाहिए, राज्य अपना काम करे और केन्द्र अपना काम करे। कहीं पर दिक्कत हो, तो केन्द्र को समवर्ती सूची के तहत दखल देने का अधिकार होना चाहिए।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि राज्य निर्णय लेने में सक्षम हों। मैं समझता हूं कि सभी राज्यों की सरकारों से मिलकर भारत बना है। अगर राज्य मजबूत होते हैं, तो उससे राज्य का भी काम हल्का होगा और केन्द्र का भी काम हल्का होगा। मेरा निवेदन है कि स्वायत्तशासी संस्था मानकर राज्यों को पूरा-पूरा अधिकार देना चाहिए, ताकि वे भारत सरकार की ओर हर चीज के लिए मुंह न ताकें। मैं वैको साहब के इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार वैको जी से प्रस्ताव का समर्थन करेगी। यह प्रार्थना करते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने साथी श्री वैको के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो उपयुक्त समय पर लाया गया है।

महोदय, यह प्रस्ताव राज्यों और केन्द्र के बीच कृत्यों और कर्त्तव्यों के वितरण में परिवर्तन करने और कुछ विषयों को समवर्ती सूची से राज्य सूची में और संघ सूची से राज्य सूची में अंतरित करने के संबंध में है।

1950 में भारत संघ बना था लेकिन जिस तरह से संविधान बनाया गया उसमें अपने देश की विषमताओं, विभिन्न राज्यों तथा जटिलताओं और विविधताओं की सही तस्वीर परिलक्षित नहीं होती। औपनिवेशिक सरकार टिकी रहने के लिए आवश्यक था। औपनिवेशिक सरकार की बहुत सी बातें अभी विद्यमान हैं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

महोदय, हमारा संविधान संघीय संविधान है लेकिन इसमें संघवाद के कुछ पहलू गायब हैं। संविधान के निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया इस बात की हमें जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए अवशिष्ट शक्तियों को ही लीजिए। विश्व के ज्यादातर संघीय देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास रहती हैं। अमेरीकी या आस्ट्रेलिया के संविधान को आप देख सकते हैं, वहां अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। लेकिन यहां कुछ अजीब अस्पष्ट कारणों की वजह से अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास हैं जिससे राज्यों की कथित स्वायत्ता एक मजाक बनकर रह गई है।

महोदय, उपयुक्त समय पर मेरे मित्र श्री देवेन्द्र प्रसाद ने एक मजेदार बात का उल्लेख किया है कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 पर निर्भर हैं जो उस समय की औपनिवेशक सरकार ने बनाया था। प्रशासनिक मामलों तथा अन्य चीजों को विस्तार से देखें तो विश्व के अधिकतर अच्छे संविधानों में उन बातों को नहीं पाते। हमारा संविधान विश्व के अन्य संविधानों के मुकाबले बड़ा है। यह इसलिए है क्योंकि भारत शासन अधिनियम, 1935 का काफी भाग शब्दश: लिया गया है। अब समय आ गया है कि इन बातों पर विचार किया जाए। श्री वैको ने मुख्यत: यह प्रस्ताव किया है कि कुछ विषय संघ सूची भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद-शुल्क जिसके अंतर्गत–

(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर,

(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अनय स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, नहीं है; किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां हैं जिसमें ऐल्कोहल या इस प्रविष्ठि के उप-पैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।

यह सब केन्द्र के पास ही क्यों होने चाहिए, यह बात समझ से बाहर है। अब पहले की औपनिवेशिक सरकार नहीं है। यह स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत राज्यों का संघ है। संविधान में बार-बार अभिव्यक्ति ''राज्यों का संघ'' की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम राज्यों के संघ की उस अवधारणा से फिर से कैसे लागू कर सकते हैं। जो संविधान में मौलिक अवधारणा थी?

महोदय, समय के साथ-साथ केन्द्र सरकार की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। योजनाओं के शुरू होने के फलस्वरूप केन्द्रीय अधिकारियों और मंत्रियों ने योजना प्रणाली का लाभ उठाते हुए राज्यों को अपने वित्तीय और योजनागत नियंत्रण में ले लिया है। योजना के नाम पर उन्होंने अनेक कार्यों का शुभारम्भ किया जो वास्तव में हमारे संविधान में नहीं थी। दुर्भाग्य से संविधान पुनरीक्षा आयोग ने केवल सरसरी तौर से ही इसकी पुनरीक्षा की है। इसने संविधान की कुछ मुख्य विशेषताओं पर गहराई से विचार नहीं किया। केवल सरसरी तौर पर ही आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं।

इसके बाद मैं कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क पर आता हूं। संपदा शुल्क केन्द्र के पास क्यों है? संपदा शुल्क राज्यों को क्यों नहीं दिया जा रुकता? कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क को ही लीजिए। किसी राज्य में संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में नियंत्रण नई दिल्ली ही क्यों करे? उदाहरण के लिए एर्णाकुलम या कोजीकोड को ही लीजिए। ये सब मामले पूर्णतया राज्यों को ही दिए जाने चाहिए। कोई अन्य विषय जो सूची-2 और सूची-3 में प्रगणित नहीं हैं और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से उल्लिखित नहीं है, राज्यों को दिए जाने चाहिए।

मैं अपने पुराने विषय अवशिष्ट शक्तियों, जो राज्यों को दी जानी चाहिए, जिसे मैंने प्रारंभ में उठाया था, पर आता हूं। ऐसा करने से हमारे संविधान का संघीय प्रणाली का सही स्वरूप हमारे समक्ष आएगा। फिर समवर्ती सूची में कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति का अंतरण दस्तावेजों का पंजीकरण शामिल है। इन सभी विषयों को समवर्ती सूची में क्यों शामिल होना चाहिए? ये पूर्ण रूप से राज्यों को दिए जाएं। गलती के लिए कार्यवाही का भी प्रावधान है। उसके बाद मैं सूची एक की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अध्यधीन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा और श्रमिकों की व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण की बात पर आता हूं। दुर्भाग्वश, शिक्षा मूलत: राज्य सूची में था। लेकिन मेरे विचार से श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के आपात्काल के दौरान इस संबंध में काफी परिवर्तन किए गए। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। मेरे विचार से अब वह समय आ गया है जब शिक्षा को वापस राज्य सूची में शामिल कर दिया जाए। नि:संदेह केन्द्र को पर्यवेक्षण, आम नियंत्रण और समन्वय की शक्ति ले लेनी चाहिए। लेकिन मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि केन्द्र शिक्षा के मामले में राज्यों के अधिकारों से उन्हें वंचित करे।

अब मैं पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाओं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाओं के विषयों पर आता हूं। यह सब केन्द्र के पास क्यों होनी चाहिए? हमारे यहां 25 राज्य हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है और वहां उनका नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदार मंत्रिपरिषद भी है। पूर्त कार्य तथा पूर्त संस्थाओं आदि के विषयों के लिए इनको जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए? इसकी बजाय जब आप इन पर केन्द्र से नियंत्रण करते हैं तो इससे असामान्यता उत्पन्न होती है। मैंने उस प्रक्रिया का उल्लेख किया था जिस प्रक्रिया के अंतर्गत केन्द्र ने योजना आरंभ करने के नाम पर अनावश्यक रूप से प्रभुसत्ता-संपन्न शक्तियां प्राप्त की हैं। मुझे एक उदाहरण याद है जो केन्द्रीय-प्रायोजित योजना के बारे में है। यह काफी लंबे समय तक रही। जब मैं वर्ष 1991-92 में योजना आयोग के सदस्य सचिव के रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहा था तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि कुछ

[डा. नीतिश सेनगुप्ता]

राज्यों में झूम की खेती को समाप्त करने की योजना बनाई गई है। यह एक केन्द्रीय योजना थी। अब मुद्दा यह है कि त्रिपुरा या पूर्वोत्तर राज्यों की कुछ पहाड़ियों में झूम खेती होती है जिसमें आदिवासी लोग जमीन के एक टुकड़े पर खेती करते हैं। दो-तीन वर्षों के पश्चात् वह भूमि भी अउपजाऊ हो जाती है। अत: वे उस स्थान को जलाकर, दूसरी जगह जाकर खेती करने लग जाते हैं। तीन या चार साल बाद वे पुन: उसी जगह लौट आते हैं। पहले यह सब ठीक था किंतु मेरे ख्याल से जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो इसका अर्थ होगा दुर्लभ वन संसाधनों की बरबादी, समनवय की कमी और सभी कुछ।

अब वन विभाग भी सम्मिलित है। यह राज्य का विभाग है। फिर, जनजातीय कल्याण विभाग भी सम्मिलित हो गया है। यह राज्य का दिमाग है। पुलिस व स्थानीय प्रशासन शामिल है। मुझे ठीक से याद नहीं है। कृषि भवन में करीब 300 से 500 अधिकारी झूम की खेती से संबंधित प्रणाली का नियंत्रण कर रहे हैं।

हम केवल कह सकते हैं कि झूम खेती कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगी क्योंकि अधिकारी हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड आदि स्थानों पर जाते हैं और लौटकर कहते हैं कि यह बहुत ही महंगा है। इसलिए, झूम खेती कभी भी बंद नहीं हो पाएगी। उस समय, सरकार ने यह निर्णय लिया था कि केन्द्र-प्रायोजित सभी योजनाओं को राज्यों को पूरी तरह हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए किंतु मैं नहीं सोचता कि ऐसा कभी हो भी पाएगा क्योंकि नौकरशाही इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी चीज को व्याख्याओं में उलझाकर, विलंब कर या अन्य कारणों से बेकार कर सकती है। इसलिए यह अभी तक नहीं हो पाया है।

समय आ गया है जब हमें वास्तव में संघ बनना चाहिए। संविधान में कई स्थानों पर संशोधन की आवश्यकता है। कल उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का मैं स्वागत करता हूं जिससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था में नैतिकता को सुधारने में अवश्य ही सहयता मिलेगी। ऐसे अनेक अन्य पहलू हैं। मैं ऐसे दो-तीन विषयों को संक्षेप में लूंगा। उदाहरण के लिए, जब हमने अपना संविधान बनाया था तो हम ब्रिटेन की मंत्रिमंडल सरकार तथा संसदीय प्रजातंत्र व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। हम अन्य यूरोपीय देशों से सबक लेना भूल गए जो विविधता पर आधारित संघवाद को आजमा चुके हैं और उनकी अद्वितीय विशेषताओं को उजागर कर चुके हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी के संविधान में यह उपबंध है कि जर्मनी की संसद के समक्ष रखे जाने वाले किसी भी अविश्वास प्रस्ताव में, प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ताओं द्वारा भावी चांसलर का नाम भी दिया जाना चाहिए। यदि यहां कोई यह कहता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अब प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए और इस आशय से वह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और यदि उसमें अगले प्रधानमंत्री का नाम भी है तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितनी समस्याएं हो जाएंगी। मुझे याद है—1999 में एक मत के अंतर से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर श्री लालू प्रसाद ने कहा था कि वे मात्र पंद्रह मिनट में एक वैकल्पिक सरकार का गठन कर सकते हैं। वे पंद्रह दिनों में भी वैकल्पिक सरकार नहीं बना पाए। अंतत: हमें फिर से चुनाव कराने पड़े। इसलिए, ऐसे उपबंध अपनाए जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे संविधान पुनरीक्षा आयोग ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया।

कई यूरोपीय देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। बहुलवादी व्यवस्था में लोग एक व्यक्ति को मत नहीं देते। वे दलों को मत देते हैं। मैं चाहता हूं कि हमें भी अपने देश में ऐसी ही व्यवस्था लानी चाहिए जिसमें लोग भाजपा या कांग्रेस या किसी अन्य दल को अपना मत दे सकें तथा दल उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर अपने प्रतिनिधियों के नाम निर्दिष्ट करें। इस प्रकार, अस्सी प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला दल अस्सी प्रतिशत लोगों के लिए नाम निर्दिष्ट करेगा लेकिन एक अलग व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था यहां लाई जाए तो आप महसूस करेंगे कि चुनावों के संबंध में होने वाली गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार तथा अनावश्यक व्यय समाप्त हो जाएगा। ऐसी और भी कई चीजें हैं जिन्हें आजमाया जाना चाहिए।

मैं श्री वैको के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि संविधान में संशोधन किया जाए। उदाहरण के लिए बन्दरगाह समवर्ती सूची में आते हैं, जिसमें लिखा है "संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत या उसके द्वारा घोषित अन्य बंदरगाहों के अतिरिक्त।" यह विषय केन्द्र के पास क्यों होना चाहिए। पहले औपनिवेशिक सरकार के अधीन यह ठीक था जब ब्रिटिश प्रशासन ने कलकत्ता पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, मद्रास पोर्ट इत्यादि स्थापित किए थे किंतु स्वतंत्रता के पश्चात्, बंदरगाहों की देखभाल राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए। हवाई अड्डे और बंदरगाहों का प्रभार भी राज्यों को दे दिया जाना चाहिए। राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। राज्यों में जिम्मेदारी का निर्वहन करने की भावना होनी चाहिए। जब तक आप उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे वे स्वयं को उत्तरदायी नहीं समझेंगे। उनकी प्रत्येक छोटे से छोटे अवसर पर केन्द्र से अनुदान आदि मांगने की प्रवृत्ति बन गई है जिससे संपूर्ण ढांचा बिगड़ जाएगा।

दूसरा उदाहरण पुरातत्वीय स्थल तथा स्मारक हैं, जिसके बारे में लिखा है : "संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत या संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्वीय स्कारक के अतिरिक्त।" पुरातत्वीय स्मारक राज्यों में क्यों नहीं जाने चाहिए? वे केन्द्र के ही पास क्यों रहने चाहिए? जब लार्ड कर्जन ने पुरातत्वीय स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 पारित किया था, तब यह ठीक था। लार्ड कर्जन भारतीय इतिहास में कई विवादास्पद चीजों से जुड़े रहे हैं किंतु उन्होंने कई अच्छी चीजें

भी की हैं जिसके लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने ताजमहल का संरक्षण किया व पुरातत्वीय स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू किया ये उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में से हैं। यदि लार्ड कर्जन ने समय पर यह कदम नहीं उठाया होता तो अब तक कई स्मारक नष्ट हो गए होते। किंतु आज समय आ गया है कि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल का रखरखाव क्यों नहीं कर सकती तथा बिहार सरकार नालंदा की देखरेख क्यों नहीं कर सकती? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय से इनकी देखरेख करता है तथा उनके अधिकारियों को इनकी देखरेख करने के लिए लगातार लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। इन सभी बातों के लिए हम राज्य सरकार को ही जिम्मेदार क्यों बनाते हैं?

अब, मैं संपत्तियों के अर्जन और अधिग्रहण पर आता हूं। यह विषय समवर्ती सूची में ही क्यों रहना चाहिए? इसके अतिरिक्त न्यायिक स्टैम्पों के द्वारा एकत्र शुल्क करों के अलावा स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी सूची में शामिल नहीं है।

महोदय, उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहां कुछ विषयों को संघ सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए अथवा समवर्ती सूची के विषयों को राज्य सूची में अंतरित किया जाना चाहिए। इससे संघीय प्रणाली सुदृढ़ होगी और राज्य मजबूत बनेंगे। यदि राज्य सुदृढ़ होंगे तो केन्द्र स्वत: ही सुदृढ़ हो जाएगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं श्री वैको के संविधान संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और सदन से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री वैको द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। हमारे संविधान में इस संशोधन की आवश्यकता की ओर माननीय सदस्य ने बहुत ही उचित समय पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है। कुल मिलाकर, उनका उद्देश्य संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन करना है। हमारे संविधान के अनुसार तीन सूचियां हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संविधान क्रियान्वित करने के 53 वर्षों के अनुभव के बाद मेरे विचार से, इन शक्तियों को इन तीन सूचियों में पुन: व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैं डा. नीतिश सेनगुप्ता से सहमत हूं क्योंकि उन्होंने भी अपने अनुभव के आधार पर ही बोला है। वे हमारे देश के विद्वान नौकरशाहों में से एक रहे हैं। वे वित्त मंत्रालय में थे जहां से सब कुछ नियंत्रित होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा ही सब कुछ दिया जाता है। इससे कई बार विकास में रुकावट पैदा होती है। हमारे देश में अधिक केन्द्रीकरण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हम अपने संविधान में संघीय व्यवस्था चाहते थे जो ऐकिक प्रणाली के प्रति पक्षपातपूर्ण है। यह संघीय से अधिक ऐकिक है। वर्षों से राज्य सूची के विषयों में लगातार कमी होती रही है और केन्द्र सरकार ने राज्य सूची से और कई बार समवर्ती सूची से भी शक्तियां छीन ली हैं।

महोदय, मेरे विचार से यह समयोचित व सही सुझाव है। वैसे हम विविधता में एकता में विश्वास करते हैं तथा वह ही भारत है। हमें इस एकता को विकसित करना होगा किंतु हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में विविधता का सम्मान करना होगा। यदि हम विविधता समाप्त कर देंगे तो भारत की मूल भावना नष्ट हो जाएगी।

महोदय, कई कारणों से हम उस विविधता को नष्ट करने तथा अपने देश पर थोपी गई एकता को बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, इस संबंध में, राज्यों व केन्द्र में शक्तियों को पुन: व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से यह एक उपयुक्त सुझाव है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, राज्यों को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग लंबे समय से ही की जा रही है। प्रारंभ में कुछ राज्यों ने मिलकर बार-बार यह मांग की है। अंतत: सरकारिया आयोग गठित किया गया। वे भी सहमत हुए व उन्होंने कुछ सुझाव दिए। कुछ सुझाव मान भी लिए गए किंतु कुछ सुझावों को स्वीकार किया जाना अभी भी बाकी है। जैसा कि डा. नीतिश सेनगुप्ता ने कहा, शिक्षा, खेल इत्यादि जैसे विषय पूर्णत: राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने चाहिए।

महोदय, जैसा कि डा. नीतिश सेनगुप्ता ने कहा है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के नाम पर राज्यों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जो राज्यों को करना चाहिए वह वास्तव में केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि केन्द्र राज्य की उपेक्षा कर सीधे ही जिला न्यायाधीश तथा पंचायत से कार्य ले रहा है।

यह प्रवृत्ति खतरनाक है और इससे हमारी संघीय व्यवस्था और कमजोर होगी। इसी कारण हमने हमेशा कहा है कि एक सुदृढ़ केन्द्र के लिए सुदृढ़ राज्य का होना जरूरी है। इसलिए, हम अपने राज्यों को कमजोर नहीं कर सकते क्योंकि अंतत: कमजोर राज्य केन्द्र को कमजोर करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि बहुत अधिक केन्द्रीकरण हो रहा है। राज्यों से शक्तियां लेकर केन्द्र को दी जा रही हैं और केन्द्र से भी ये शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जा रही हैं। हमारे पास शक्तियों का नवीन केन्द्र है तथा वह है प्रधानमंत्री कार्यालय। केन्द्रीय मंत्री मुख्य लिपिक बन रहे हैं और एक प्रधान लिपिक, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा है। यह श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी होती गई। एक समय प्रधानमंत्री कार्यालय में चार या पांच अधिकारी हुआ करते थे किंतु अब यहां 400-500 अधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित करते हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री कार्यालय ही इस देश को चला रहा है न कि मंत्रीगण और

[श्री हन्नान मोल्लाह]

न ही संघीय व्यवस्था। अत: प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर शक्ति के एक खतरनाक केन्द्र का गठन किया गया है और मेरे विचार से इन्हीं खतरों को भांपकर, वे इस मौजूदा व्यवस्था, जिसे पिछले पचास सालों में हमने विकसित किया है, को पुन: व्यवस्थित करने के लिए ही यह विधेयक लाए हैं।

इसके बाद, हम राज्यों के कार्यों में केन्द्र का हस्तक्षेप भी देख चुके हैं। सैंकड़ों बार केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भंग कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया है। अंतत: बोम्मई मामले के पश्चात्, कतिपय सुरक्षोपाय किए गए हैं। परन्तु अभी भी इस उपाय को यत्र-तत्र ही अपनाया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा तथा हमें अपने अनुभवों के आलोक में अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन करना पड़ेगा।

दूसरा मुद्दा जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह आर्थिक शक्ति है। अधिकांश उत्तरदायित्व राज्यों के पास हैं परन्तु धन केन्द्र के पास है। वित्तीय शक्ति के बिना राज्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे कर सकते हैं? राज्यों को उत्तम नगरपालिका की संज्ञा दी जा सकती है। एक ओर, केन्द्र मजबूत है और प्रधानमंत्री कार्यालय बेहद शक्तिशाली है तथा दूसरी ओर, राज्य धीरे-धीरे उत्तम नगरपालिकाएं बनते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब इस प्रवृत्ति को बदलने का समय आ गया है तथा यह विधेयक इस परिवर्तन की आवश्यकता की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है। इस प्रकार, आर्थिक शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ बातों को सुझाया है। उन्होंने सुझाया है कि करारोपण के अधिकार और कुछ खास अन्य अधिकारों को केन्द्र सरकार से लेकर राज्यों को दे दिए जाने चाहिए, संघ सूची से कुछ खास अधिकारों को हटाकर समवर्ती सूची में तथा समवर्ती सूची से कुछ अधिकारों को हटाकर राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि इसे यहां स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु यह सरकार का मात्र ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इसे स्वीकार करने के लिए उन्हें राजी करना बहुत कठिन है क्योंकि अधिकार भ्रष्ट करते हैं तथा असीम अधिकार असीमित रूप से भ्रट करते हैं। अधिकार की प्रवृत्ति सब कुछ अपने हाथों में लेने की होती है। हमने इस बात को अपने पड़ोसी देश में देखा है। बिना किसी संवैधानिक मंजूरी के कोई कहता है, मैं अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रपति हूं। हमने अपने पड़ोसी देश में देखा है कि किस प्रकार से संविधान और सारी चीजों की उपेक्षा की गई है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है और वह अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। इसलिए, हमें अनुभव से सीखना चाहिए। यदि हम इसे अनुमति देते हैं तो यह हमारी व्यवस्था के लिए भी एक नयी चुनौती बन जाएगा। अतएव, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जिन्हें हमें पूरा करना है और संसद को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। हमने कतिपय पहल की है। पंचायती राज को विकसित किया जा रहा है। उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। परंतु हमें विकेन्द्रीकरण की इस प्रणाली को मजबूत बनाना पड़ेगा।

यदि हम राज्यों को कमजोर बना देते हैं तो सिर्फ पंचायत राज और जिला परिषदों के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि मध्यवर्ती स्तर पर राज्य को कमजोर कर दिया गया है। यदि राज्य कमजोर होता है तो सीधे पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं, हमारी व्यवस्था के सभी स्कंधों को मजबूत किया जाना चाहिए तथा राज्यों को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। यह इस मामले पर पुनर्विचार करने का समय है और इसे हमें अपने अनुभवों के आलोक में करना है।

जैसा कि आप जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में राज्यों के कुछ अधिकार होने चाहिए। केन्द्र सरकार के पास अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भ.प्र.से., भा.आ.से. आदि के माध्यम से प्रत्येक स्कंध को नियंत्रित करने के अनेक तरीके हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : तब, आपक पास अखिल भारतीय सेवाएं किसलिए हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह : अखिल भारतीय सेवाएं कतिपय क्षेत्रों में हो सकती है जो आवश्यक हैं तथा उन्हें वहां बनाया रखा जाना चाहिए। परन्तु वहां सिर्फ परमावश्यक सेवा हो सकती है। किंतु यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है और प्रत्येक चीज अखिल भारतीय सेवा को ही सौंपी जा रही है। यद्यपि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और रीति-रिवाज हैं, प्रवृत्ति उन अधिकारों को कम करने की है। मैं समझता हूं अखिल भारतीय सेवाओं को कम करने का भी समय आ गया है और राज्य सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि हम सही अर्थों में संघीय ढांचा का निर्माण कर सकें।

एक अन्य मुद्दा है जिस पर मैं इस चर्चा के माध्यम से देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस चर्चा से मुझे एक अवसर मिला है तथा इसके लिए मैं माननीय सदस्य, श्री वैको को धन्यवाद देता हूं। हमारी अनेकता में एकता को नष्ट अथवा कमजोर करने का विचार किया जा रहा है। एक नारा है कि छोटे राज्य बहुत अच्छे होंगे—'छोटा सुन्दर होता है।' इसका अभिप्राय यह है कि आप राज्यों को विभाजित करके उन्हें 50 या 60 अथवा 70 छोटे-छोटे राज्य बना दें और फिर आपके विचार से देश का विकास होगा। इस विचारधारा को हमारी सोच और हमारी व्यवस्था में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह खतरनाक है क्योंकि हमारे देश में भाषाई आंदोलन के आधार पर ऐतिहासिक विकास हुआ है तथा भाषा के आधार पर ही राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। भाषा हमारी राष्ट्रीयता के मजबूत कारकों

में से एक है। हमारे देश की प्रमुख भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है।

अब इन भाषाई राज्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप तमिलनाडु का उदाहरण लें, तमिलभाषी लोग जिनकी संस्कृति, भाषा व इतिहास एक समान है तथा जिनके पास अपने राज्य के विकास के लिए एक तरह की परिकल्पना और दिमागी सोच है। यदि इस राज्य को चार-पांच तमिलभाषी राज्यों में विभाजित कर दिया जाए तो एक भाषाई राज्य की जनता चार-पांच राज्यों में बंट जाएगी और सभी के सभी केन्द्र का मुंहताज हो जाएंगे तथा एक-दूसरे से लड़ेंगे। वर्षोपरान्त विकसित की गई इस एकता व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भाषाई एकता बहुत जरूरी है। वस्तुस्थति यह है।

आंध्र प्रदेश का उदाहरण लें। यदि इस राज्य की तेलगुभाषी जनता को चार-पांच राज्यों में विभाजित कर दिया जाए तो केन्द्र एक समूह के विरुद्ध दूसरे समूह का प्रयोग करेगा और इस प्रकार वे राज्यों को कमजोर करते चले जाएंगे तथा सभी शक्ति केन्द्र के पास केन्द्रित हो जाएगी और केन्द्र सर्वशक्तिमान हो जाएगा। यह एक नयी चुनौती बनती जा रही है। मैं समझता हूं कि यह हमारी संघीय व्यवस्था के लिए एक नयी चुनौती है तथा हमारी सांस्कृतिक एकता और विविधता के लिए खतरा है जो हमारी जीवन-शैली रही है जिसे हजारों वर्षोपरान्त विकसित किया गया था। यह हमारी जीवन-शैली है। परन्तु इसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

हमें अपने भाषाई राज्यों को विभाजित नहीं होने देना चाहिए। भाषाई राज्य हमारे संघ के आधार हैं। यदि भाषाई राज्यों को मजबूत किया जाता है तो उनके पास अधिक से अधिक शक्तियां होंगी और सिर्फ तभी जाकर हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारा राष्ट्र तथा हमारी संघीय व्यवस्था भी मजबूत होगी। अमेरिका में यह एक अलग बात है। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भाषा है तथा एक भाषा होने की वजह से उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्र पर क्षैतिज और लम्बवत समानांतर रेखाएं खींचकर देश को राज्यों में विभाजित किया है तथा यह कहा है कि प्रत्येक टुकड़ा एक राज्य है। इन राज्यों का अपना कुछ खास इतिहास नहीं है। प्रत्येक राज्य के पास अपना इतिहास, संस्कृति व विविधता नहीं है। परंतु भारत इसका अनुकरण नहीं कर सकता। अभी हमारे पास अमेरिका की नकल करने की एक प्रवृत्ति है, हम हमेशा उसके पीछे भागते हैं।

यह प्रवृत्ति हमारे समाज में भी आ रही है। यह हमारे राष्ट्रीय ढांचे के लिए एक नयी चुनौती होगी। इसी वजह से मैं जनता, सदस्यों तथा इस सभा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र से यह अपील करता हूं कि हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हम अमेरिका का अनुकरण नहीं कर सकते। हमारे संघीय राज्य जमीन के समान विभाजित टुकड़े नहीं है। प्रत्येक राज्य का अपना इतिहास, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है तथा इसके आधार पर भाषाई राज्य विकसित हुए हैं। इसलिए, भाषाई राज्यों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यहां एक दूसरी विचारधारा भी है। अंतत: सिर्फ एक सांप्रदायिक विचारधारा होगी। तब क्या आप इन सभी छोटे राज्यों को यह कहकर एकसूत्र में पिरोएंगे कि हम सभी हिन्दू हैं तथा चूंकि हम सभी हिन्दू हैं, हिन्दू सिर्फ छोटे राज्यों में ही एकसूत्र में पिरोए जा सकते हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य होगा। मैं समझता हूं इस पर विचार करने का समय आ गया है। कम से कम, किसी न किसी कड़ी की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक भाषाई कड़ी को नष्ट कर दिया जाता है तब कौन सी कड़ी होगी? तब, सभी कड़ियां हिन्दुत्व होगा तथा इसी विचारधारा को दिमाग में रखकर हमारी विविधता और हमारे भाषाई राज्यों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से अब समय आ गया है कि हम देश की एकता, अपनी संस्कृति की विविधता और समान अधिकारों के साथ सभी भाषाओं की रक्षा करें तथा सभी भाषाओं को विकसित होने और फलने-फूलने का अधिकार हो। इसके आधार पर राज्यों को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार से, हम राज्यों व केन्द्र को सच्चे अर्थों में मजबूत बना सकते हैं तथा हमारा संघ मजबूत होगा और हमारा देश भी आगे विकास करेगा।

मैं समझता हूं कि इस पृष्ठभूमि में इस विधेयक पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण यह समय से लाया गया विधेयक है। मैं इस विधेयक को लाने के लिए श्री वैको को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्हें कभी यत्र-तत्र कुछ समस्याएं रही हैं, परंतु कम से कम इस मामले में उन्होंने सही चीज प्रकाश में लाई है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सरकार तथा पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए। तथा, भाषाई राज्यों को नष्ट करने व उन्हें विभाजित करने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध हमें एक चट्टान की तरह अडिग रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात को भी ध्यान में रखते हुए तथा इस पृष्ठभूमि में मेरे विचार से शक्तियों का पुनर्विभाजन एक महत्वपूर्ण एजेंडा है तथा वे इस एजेंडा को देश के सामने लाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी इस पर समुचित विचार करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : जनाब चेयरमैन साहब, जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त जो हमारे फौर-फादर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई, उन्होंने उस वक्त एक ऐसा स्टैंड लिया कि हिन्दुस्तान का जो बेसिस होगा

[श्री अली मोहम्मद नायक]

वह मजहब या जुबान के ऊपर नहीं होगा। जैसे मुल्क मजहब के नाम पर तकसीम हुआ और पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना, वैसा नहीं होगा। जो हमारे कद्दावर लीडर्स थे, उन्होंने यह फैसला किया कि हिन्दुस्तान एक सैकुलर, सोश्यलिस्टिक और डैमोक्रेटिक कंट्री होगा।

उन्होंने सोचा कि हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ मजहब मानने वाले और मुख्तलिफ रीजन्स में बंटे हुए लोगों को कैसे इकट्ठा रखा जाए। उन्होंने इसका बेसिस बनाया कि हमारा देश सैकुलर, सोश्यलिस्टिक और डैमोक्रेटिक होगा, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं क्या सैकुलर सिस्टम इस देश में चल रहा है और क्या इसमें अड़ंगा डालने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं? अगर आप 50 साल की तारीख देखेंगे तो यह बिलकुल क्लीयर देखें कि हिन्दुस्तान के अंदर जितनी भी मायनारिटीज हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, उनके ऊपर अब हमले हो रहे हैं, उनका कल्चर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उनकी मजहबी जगहें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा एक जरूरी चीज यह हुई कि सेक्युलर सिस्टम की तरह सारे ऐवान को बराए-आजिज पार्टी, बराए-आजिज रियासत देखना चाहिए क्योंकि सेक्युलरिज्म पर अगर कोई आंच आएगी, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इसमें आंच डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे मुल्क को तबाह करने या मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए।

दूसरी बात यह हुई कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा। वाकई दुनिया में यह बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। बाजाफ्ता यहां इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे जो नजदीकी मुल्क हैं जो हमारे साथ आजाद हुए, उनका क्या हाल है—मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हिन्दुस्तान वाकई बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। लेकन इस मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कुछ गलत बातें आ गई हैं। एम.एल.एज. या जो पब्लिक रिप्रेंजेंटेटिव्स हैं, उनका क्रिमिनल रिकार्ड वगैरह की बातें हैं। वे लोग जिनके पास पैसा है, जिनके हाथ में बंदूक है, वे ऐवान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और होते भी हैं। इस बारे में ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि साफ-शफाफ लोगों के जो हमदर्द हैं, वे ऐवानी तक पहुंचें, चाहे असेम्बली में हों चाहें पार्लियामेंट में हों।

तीसरी बात सोशलिस्ट सिस्टम की है। इसके बारे में कोई अच्छे इंतजाम नहीं हुए चाहे लैंड रिफार्म हो या बाकी रिफार्म्स हों। इसको उस हद तक नहीं चलाया गया जिस हद तक आईन के अंदर वायदा किया गया था। आज आजादी के 50-53 साल बाद मुल्क के अंदर जो माहौल है, आज जो लोगों को एलीविएशन लगता है, आटोनोमी स्टेट में एलीविएशन का जो माहौल बना हुआ है, वह दूर हो सकता है। मैं अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं। जब मरकज हिन्दुस्तान के साथ इलाख हुए तो उस वक्त हमारे जो फोर फादर्स थे, जो मरकजी सिस्टम चला रहे थे उन्होंने यह फैसला किया कि रियासत जम्मू-कश्मीर के जितने पावर्स हैं, उसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स मरकजी सरकार के पास रहेंगे और बाकी चीजें रियासी के पास रहेंगी।

[अनुवाद]

इसके परिणामस्वरूप हमारे पास 1953 तक पूर्ण स्वायत्तता रही।

[हिन्दी]

फिर इस मुल्क के अंदर क्या हुआ? कश्मीर की एलीविएशन कहां से शुरू हुई? इस जम्मू-कश्मीर की एक गवर्नमेंट थी, एक असेम्बली थी और उस असेम्बली में एक लीडर था जिसको ऐवान का इत्मीदाद हासिल था। लेकिन रातों-रात उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया।

[अनुवाद]

उसे असेम्बली में अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई। उसे असेम्बली में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई। अन्यथा, उसने असेम्बली में अपना बचाव किया होता।

[हिन्दी]

उसे जेल में डाला गया। इसके बाद हमारी आटोनोमी का ईरोजन शुरू हुआ।

[अनुवाद]

तथा इसके परिणामस्वरूप पृथक्कारी प्रवृत्ति की शुरूआत हुई। यही मूल कारण है कि स्थानीय जनता, व नेताओं, जिन्हें जेलों में बंद कर दिया गया था, से परामर्श किए बगैर स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया तथा पृथक्कारी प्रवृत्ति की शुरूआत हुई। पाकिस्तान ने इस पृथक्कारी प्रवृत्ति का लाभ उठाया।

[हिन्दी]

आज हम पाकिस्तान की तरफ से जो भुगत रहे हैं, इसी की वजह से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि रियासतों को मैक्सिसम आटोनोमी मिलनी चाहिए। मैं अपनी रियासत की बात करता हूं। 1996 में हमारी रियासत में असेम्बली का इलेक्शन हुआ। असेम्बली बनी और उसने एक नोट तैयार किया कि हमारी रियासत को किस किस्म की आटोनोमी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

वह जम्मू व कश्मीर विधान सभा का एकमत निर्णय था। उसे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परन्तु केन्द्र सरकार ने स्वायत्तता के रिपोर्ट को खारिज कर दिया।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि मरकजी सरकार मिलिटेंट्स के साथ बात करने के लिए तैयार है, मरकजी सरकार हुर्रियत वालों के साथ बात करने के लिए तैयार है लेकिन जो लोग हिन्दुस्तानी हैं, जिन लोगों के नुमाइन्दे वहां हैं, जो लोग असेम्बली में बैठे हुए हैं, हुकुमत-ए-हिन्दुस्तान उनसे बात करने के लिए तैयार है। यह ठीक है कि अगर हुकुमत-ए-हिन्दुस्तान को यह लगता था कि इकोनौमी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जो मुल्क की वफा के खिलाफ है।

[अनुवाद]

हम ऐसा कुछ नहीं मांगते जो हमारे देश के हित के विरुद्ध हो। यदि हमने ऐसी कोई चीज मांगी होती जो देशहित के विरुद्ध होती तो उस स्थिति में उस रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया गया होता। लेकिन लोगों के साथ बात तो करें। आप पृथक्कारी प्रवृत्ति को कैसे दूर कर सकते हैं यदि आप जनता व प्रतिनिधियों से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं जम्मू व कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता हूं तथा मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष यह कहता हूं कि सरकार को स्वायत्तता के संबंध में जम्मू व कश्मीर की जनता और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। यह एकमात्र जम्मू व कश्मीर में पृथक्कारी प्रवृत्ति का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की पृथक्कारी प्रवृत्ति की समस्या देश के अन्य भागों में भी है। वे क्या चाहते हैं? वे सभी किसी न किसी प्रकार का स्थानीय स्वशासन चाहते हैं। वे स्वायत्तता चाहते हैं तथा चाहते हैं कि उनके अस्तित्व को पहचान मिले। इसलिए, भारत सरकार को आजादी के 53 वर्षों के बाद संपूर्ण देश की जनता की आकांक्षाओं पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

आपने सरकारिया कमीशन बनाया, दूर कमीशन बनाए। उन्होंने भी यह रिपोर्ट दी कि अब राज्यों को मैक्सिमस पावर्स होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क के लैवल पर इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि श्री वाइको जो बिल लाए हैं, उसका मकसद राज्यों को मैक्सिमम पावर्स देना है। लोगों को सैटिसफाई करने का एक हल है, एक तरीका है। इस पर भारत सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, ऐसपैशली जहां तक रियासत-ए-जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है—

[अनुवाद]

भारत सरकार को जम्मू व कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। उनकी आकांक्षाएं क्या हैं?

[हिन्दी]

हमें एक बहुत बड़ी चोट लगी है। जो पावर हमको पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दी थी, आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको खा गए और ऐसा लगा मानो आप कश्मीरियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपने ऐलीनिएशन खुद यहां से खड़े कर दिए। इसमें कश्मीरियों का क्या कसूर है। आपने स्वयं इसे किया। कश्मीरियों के जिस लीडर ने कश्मीर को हिन्दुस्तान के साथ मिलाया, उसको आपने 22 साल जेल में रखा। लेकिन हिन्दुस्तान के साथ उसका बेटा चाहे लंदन में होता, अमरीका में होता या कोई मुल्क में हो, आकर बाता करता है। मैं सरकार की सदा नहीं कहता, दूसरी सदा पर उसके खिलाफ छोटी-मोटी साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। अगर यह तरीका रहता है तो

[अनुवाद]

आप कश्मीरियों का दिल कैसे जीत पाएंगे? आप उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ पाएंगे?

[हिन्दी]

उनको भी प्राइड है। आपने उनको जो कुछ दिया, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वापिस ले लिया। हालांकि वे आज भी मर रहे हैं।

आज मसला चलता है कि कश्मीर में हिन्दू मर रहे हैं। मैंने कहा कश्मीर में जो मारने वाला है, वह बहुत सैकुलर है। वह हिन्दू को भी मारता है, सिख को भी मारता है, मुसलमान को भी मारता है। उसने मुसलमान को ज्यादा मारा, कश्मीर में मुसलमानों को मारने की हजारों में तादाद है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जहां एक आटोनोमी का ताल्लुक है, हम इसको सपोर्ट करते हैं और अपनी रियासत के लिए मैक्सिमम आटोनोमी चाहते हैं। उसी के मुताबिक

[अनुवाद]

हमें इस पर चर्चा करने दें। केन्द्र सरकार को जम्मू व कश्मीर के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर चर्चा करने दें।

[हिन्दी]

लेकिन जब स्टेट्स को आटोनोमी मिले तो वह नीचे पंचायत लेविल पर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर डिवोल्व होनी चाहिए, तब लोगों को फायदा मिलेगा। उन्हें यह अनुभूति होनी चाहिए कि उनके हाथ में शक्तियां हैं।

इन अल्फाज के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं।

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ): جناب چیرمین صاحب، جس وقت ملک آزاد ہوا، اس وقت جو ہمارے فورث فادر تھے، فریڈم فائیٹر تھے، جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی انہوں نے اس وقت ایک ایسا سٹینڈ لیا کہ ہندوستان کا جو بیسس ہوگا وہ مذہب یا زبان کے اوپر نہیں ہوگا۔ جیسے ملک مذہب کے نام پر تقسیم ہوا، اور پاکستان مذہب کے نام پر بنا ویسا نہیں ہوگا۔ جو ہمارے قدآور لیڈرس تھے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہندوستان ایک سیکولر، سوشلسٹک اور ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔

انہوں نے سوچا ہندوستان میں مختلف زبان بولنے والے، مختلف مذہب ماننے والے اور مختلف ریجنس میں بٹے ہوئے لوگوں کو کیسے اکٹھا رکھا جائے۔ انہوں نے اسکا بیسس بنایا کہ ہمارا ملک سیکولر، سوشلسٹک، اور ڈیموکریٹک ہوگا۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا سیکولر سسٹم اس ملک میں چل رہا ہے۔ اور کیا اس میں اڑنگیں ڈالنے کی کوششیں نہیں کی جارہی ہیں؟ اگر آپ ۱۰ سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بلکل کلیئر دیکھیں گے ہندوستان کے اندر جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، سا ہے مسلمان ہیں، سکھ ہیں یا کرسچین ہیں انکے اوپر اب حملے ہو رہے ہیں۔ انکا کلچر تباہ کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ انکی مذہبی جگہیں اجاڑنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ لہٰذا ایک ضروری چیز یہ ہوئی کہ سیکولر سسٹم کی طرح سارے ایوان کو برائے آجز پارٹی برائے آجز سیاست دیکھنا چاہیے کیونکہ سیکولرزم پر اگر کوئی آنچ آئیگی تو اسکا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس میں آنچ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں، وہ ملک کو تباہ کرنے یا ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ ہمیں اسکے خلاف جانا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارا ملک ڈیموکریٹک ہوگا۔ واقعی دنیا میں یہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہے۔ بازافتا یہاں الیکشن ہو رہے ہیں ہمارے جو نزدیکی ملک ہیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے انکا کیا حال ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ہندوستان واقعی بہت بڑا ڈیموکریٹک ملک ہے۔ لیکن اس ملک کے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کچھ غلط باتیں آگئی ہیں ایم۔ ایل۔ اے۔ یا جو پبلک ریپریزنٹیٹیوس ہیں انکا کریمنل ریکارڈ وغیرہ کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ جنکے پاس پیسہ ہے جنکے ہاتھ میں بندوک ہے، وہ ایوان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ اس کے بارے میں ایسی انتظام کیے جانے چاہیے تاکہ صاف شفاف لوگوں کے جو ہمدرد ہیں وہ ہی ایوان تاک پہنچے، چاہے اسمبلی میں ہو یا پارلیمینٹ میں ہوں۔

تیسری بات سوشلسٹ سسٹم کی ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھے انتظام نہیں ہوئی ہیں، لینڈ ریفارمس ہو یا باقی ریفارمس ہوں۔ اسکو اس حد تک نہیں چلایا گیا جس حد تک آئین کے اندر وعدہ کیا گیا تھا۔ آج آزادی کے ۵۳-۵۰ سال بعد ملک کے اندر جو ماحول ہے، آج جو لوگوں کو ایلیوئیشن لگتا ہے، آٹونومی اسٹیٹ میں ایلیوئیشن کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ دور ہوسکتا ہے۔ میں اپنی ریاست جموں وکشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ جب مرکز ہندوستان کے ساتھ ایلاکھ ہوئے تو اس وقت ہمارے جو فورفادرس تھے، جو مرکزی سسٹم چلا رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست جموں وکشمیر کے جتنے پاورس ہیں، اس میں ڈیفینس، کمیونیکیشن، فائننس اور فارن افیرس، مرکزی سرکار کے پاس رہیں گے اور باقی چیزیں کیسی ریاست کے پاس رہیں گی۔ **With the result that we had the fullest autonomy till 1953.** پھر اس ملک کے اندر کیا ہوا؟ کشمیر کی ایلیوئیشن کہاں سے شروع ہوئی؟ اس جموو کشمیر کی ایک گورنمنٹ تھی، ایک اسمبلی تھی اور اس اسمبلی میں ایک لیڈر تھا جسکو ایوان کا اعتماد حاصل تھا۔ لیکن راتو رات اسے گرفتار کرکے جیل میں بھیج دیا گیا۔ **He was not allowed to defend himself in the Assembly. He was not allowed to be present in the Assembly.** اسے جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد ہماری آٹونومی کا ایروزن شروع ہوا۔ **and as a result, there is alienation. That is the basic cause that autonomy was eroded without**

consulting the local people, the leaders who were put behind the bars, and the alienation started. Pakistan took advantage or benefit of this alienation. آج ہم پاکستان کی طرف سے جو بھگت رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاستوں کو میکسمم آٹونومی ملنی چاہیے۔ میں اپنی ریاست کی بات کر رہا ہوں۔ ۱۹۹۶ میں ہماری ریاست میں اسمبلی کا الیکشن ہوا، اسمبلی بنی اور اس نے ایک نوٹ تیار کیا کہ ہماری ریاست کی کس قسم کی آٹونومی ہونی چاہیں۔ That was a unanimous decision of the Jammu&Kashmir Assembly. That was presented to the Central Government rejected the report of autonomy. میں کہنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار ملیٹینٹس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، مرکزی سرکار حریت والوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو لوگ ہندوستانی ہیں، جن لوگوں کے نمایندے وہاں ہیں، جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت ہندوستان ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر حکومت ہندوستان کو یہ لگتا تھا کہ اکنومی رپورٹ میں کوئی ایسی چیز ہو جو ملک کی وفا کے خلاف ہے۔ We would not go to the extent of asking for something that would be detrimental to the interest of our country. If we had asked any such thing that would have been detrimental to the interest of our country, then that report could have been thrown into sea. لیکن لوگوں کے ساتھ بات تو کریں۔ How do you overcome this alienation if you are not ready to talk to the people and talk to the representatives of the people? I come from the State of Jammu & Kashmir and I would like to say before this august House that the Government would have to talk to the people and also to the people and also to the representatives of the people of Jammu & Kashmir regarding autonomy. It is not the question of alienation in Jammu & Kashmir alone. There are such problems of alienation in other parts of the country. What do they want? All they want is a sort of local-self Government. They want autonomy and they want their existence to be recognised. So, the Government of India, after 53 years of our independence should consider the aspirations of the people throughout the country.

آپ نے سرکاری کمیشن بنایا۔ دوسرے کمیشن بنائے۔ انہوں نے بھی یہ رپورٹ دی کہ اب ریاستوں کو زیادہ سے زیادہ پاورس ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ملک کے لیول پر اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جناب وائیکو جو بل لائے ہیں، اس کا مقصد ریاستوں کو میکسمم پاورس دینا ہے۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کا ایک حل ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس پر بھارت سرکار کو پورا دھیان دینا چاہیے۔ خاص طور پر جہاں تک ریاست جموں و کشمیر کا تعلق ہے۔ The Government of India

should satisfy the aspirations of the people of Jammu & Kashmir. What are their aspirations? ہمیں ایک بہت بڑی چوٹ لگی ہے۔ جو پاورس ہمکو پنڈت جواہر لال نہروں، سردار پٹیل اور مولانا ابوالکلام آزاد نے دی تھی، آہستہ آہستہ ہم اس کو کھا گئے اور ایسا لگا **As if you are not trusting the Kashmiris.** آپ نے ایلینیشین خود یہاں سے کھڑے کر دیئے اس میں کشمیریوں کا کیا قصور ہے۔ **You yourself did it.** کشمیریوں کے جس لیڈر نے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملایا۔ اسکو آپ نے ۲۲ سال جیل میں رکھا۔ لیکن ہندوستان کے ساتھ اس کا بیٹا چاہے لندن میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا یا کوئی ملک میں ہو۔ آکر بات کرتا ہے۔ میں سرکار کی سدا نہیں کرتا۔ دوسری سدا پر اس کے خلاف چھوٹی موٹی سازشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ طریقہ رہتا ہے تو۔ **How can you win over the Kashmiries? How can you bring them with you?** انکو بھی پرائڈ ہے۔ آپ نے ان کو جو کچھ دیا لیکن آہستہ آہستہ واپس لے لیا۔ حالانکہ وہ آج بھی مر رہے ہیں۔

آج مسئلہ چلتا ہے کہ کشمیر میں ہندو مر رہے ہیں۔ میں نے کہا کشمیر میں جو مارنے والا ہے وہ بہت سیکولر ہے۔ وہ ہندو کو بھی مارتا ہے، سکھ کو بھی مارتا ہے، مسلمان کو بھی مارتا ہے۔ اس نے مسلمان کو زیادہ مارا، کشمیر میں مسلمانوں کو مارنے کی ہزاروں میں تعداد ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ جہاں تک آٹونومی کا تعلق ہے ہم اسکو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی ریاست کے لئے میکسیمم آٹونومی چاہتے ہیں۔ اسی کے مطابق۔ **Let us discuss it. Let the Central Government discuss this issue with the representatives of the State of Jammu & Kashmir.** لیکن جب سٹیٹس کو آٹونومی ملے تو وہ نیچے پنچایت لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈیوول ہونی چاہیے، تب لوگوں کو فائدہ ملیگا۔ **They should have the sense of belonging that the power is with them.**

ان الفاظ کے ساتھ میں اس کی تائید کرتا ہوں

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ संशोधनों के साथ श्री वैको के संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इन संशोधनों का उल्लेख मैं बाद में करूंगा।

प्रारंभ में मैं श्री वैको द्वारा, सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु किए गए अथक परिश्रम के लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूं। इस **विधेयक** को प्रस्तुत करते समय उनके दिमाग में यह सही विचार आया है, जिसका उल्लेख, उनके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी किया गया है कि "अपनी नीति निर्धारित करने का कार्य प्रत्येक राज्य पर ही छोड़ दिया जाए।" उन्होंने इसी एक वाक्य का उपयोग किया है जो उचित है।

इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए हमें संविधान के पिछले 52 वर्षों के कार्यान्वयन को देखना होगा और उन संशोधनों का विश्लेषण करना होगा जो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में किए गए हैं।

महोदय, मैं संविधान सभा में तीन सूचियों पर हुई चर्चा का अध्ययन कर रहा था। अलादि रामाकृष्णास्वामी, डा. बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी और ए. आयंगर जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने उस समय तैयार की जा रही सूचियों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने यह लगाने का प्रयत्न किया कि 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे। जहां तक समवर्ती सूची का संबंध है उसमें इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है किंतु उस समय की स्थिति को देखते हुए इन तीनों सूचियों के संबंध में निर्णय लेने का कार्य संविधान के निर्माताओं पर छोड़ ही दिया गया था।

हम विभाजन के पश्चात् प्रिंसली स्टेट्स और अनेक कठिनाइयों के चलते अपने देश का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखते हुए तीन सूचियां रखना जरूरी समझा गया। एक सूची थी—संघ सूची, दूसरी थी—राज्य सूची और तीसरी सूची थी—समवर्ती सूची।

आप यह मानेंगे ही कि वर्षोपरान्त संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या बढ़ी है, राज्य सूची में विषयों की संख्या में कमी आई है तथा समवर्ती सूची में भी विषयों की संख्या बढ़ी है। ऐसा क्यों

किया गया है? आप यह भी मानेंगे कि हमारा एक संघीय ढांचा है किंतु संविधान में किए गए कतिपय उपबंधों, जिन्हें अलग-अलग तरीके से लागू किया गया है, के कारण संविधान एकात्मक स्वरूप का हो गया है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 249 तथा 250 आपातकाल से संबंधित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 353 आपात उपबंधों के रूप में हैं। अब भी अनुच्छेद 355 का उपयोग किया जा सकता है। आपातकाल से संबंधित इन सभी उपबंधों ने केन्द्र में और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संविधान के अन्तर्निहित स्वरूप को ही बदल दिया। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा किंतु वर्षोपरान्त राज्यों को कम महत्वपूर्ण मानते हुए हमारे संविधान का संघीय स्वरूप एकात्मक बन गया है।

श्री वैको यह मानेंगे कि संघ सूची में 97 विषय हैं। यदि मैं सही हूं तो उन्होंने 94 मद रखने का सुझाव दिया है। श्री वैको जैसे सुधारवादी व्यक्ति ने अपने विधेयक को रूढ़िवादी ढंग से प्रस्तुत किया है इसीलिए मैं संशोधन पर आ रहा हूं।

श्री वैको : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वहां एक सूची थी। जब उन्होंने इसे छपने के लिए दिया तो इसमें कुछ छूट गया था। उसमें कुछ गलतियां थीं। वह मेरी गलती नहीं थी। इसलिए उसके पश्चात् मैंने संशोधन दिए हैं।

श्री अनादि साहू : हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद। फिर भी उन्होंने वही बात कही है जो मैं कहना चाहता था। मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

जब हम पिछले 52 सालों से लागू किए जा रहे संविधान के बारे में विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि संशोधनों के माध्यम से संघ सूची में चार अंत:स्थापन किए गए हैं और एक लोप भी किया गया है। ये अंत:स्थापन इस प्रकार किए गए हैं जिससे कि केन्द्र को और अधिक शक्तियां प्राप्त हों।

श्री अली मोहम्मद नायक यहां उपस्थित हैं। वे जम्मू-कश्मीर का उल्लेख कर रहे थे। हमने अनुच्छेद 370 को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है जिसके अंतर्गत संघ सूची व समवर्ती सूची में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा अथवा उस स्थिति को छोड़कर जहां जम्मू-कश्मीर सरकार को स्वीकृति होगी, वह जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा। किंतु यदि इसकी स्वायत्ता की बात होती तो क्या वे जम्मू-कश्मीर को तीन भागों में बांटने पर सहमत होंगे? जब जम्मू व लद्दाख को कश्मीर से अलग करने के लिए शोर मचाया जा रहा है तो क्या वे जम्मू-कश्मीर को तीन भागों में बांटने पर सहमत होंगे? ये बहुत ही पेचीदा मामले हैं जिन पर इस स्थिति में निर्णय नहीं लिया जा सकता, जब हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को नया स्वरूप देने की बात करते हैं।

जैसा कि मैंने कहा, कि यदि पिछले 52 वर्षों पर नजर डालें तो हमने देखा है कि इसका एकात्मक स्वरूप बनता जा रहा है; इसे बदलना होगा। आप यह स्वीकार करेंगे कि पिछले तीन चुनावों में हम देख चुके हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरकर सामने आ रही हैं। और क्षेत्रीय दलों के सदस्यों की संख्या संसद में बढ़ी हैं। उनकी आकांक्षाओं का भली-भांति ध्यान रखना होगा और हम आज इन आकांक्षाओं को दबा नहीं सकते। जब हमारी क्षेत्रीय भावनाएं हैं, तो हमें संपूर्ण ढांचे को ही बदलना होगा और जब हम संपूर्ण ढांचे को ही बदलने की बात करते हैं तो हमें उन सूचियों की भी जांच करनी पड़ेगी जिन्हें संविधान के निर्माण के समय तैयार किया गया था। अब स्थिति काफी बदल गई है और श्री वैको ने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। मैं उनकी सिफारिशों के बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता शिक्षा, संपत्ति के अंतरण आदि के बारे में बात कर रहे थे। यहां तक कि मैं यह महसूस करता हूं कि मूल्य नियंत्रण राज्य सूची में होना चाहिए और मेरे विचार से इसकी समवर्ती सूची में होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस बिल पर निर्धारित समयावधि समाप्त हो गई है। अगर सदन की अनुमति हो तो इस बिल पर आधा घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : तो आधा घंटा और बढ़ा दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : इन्होंने सम्पदा शुल्क जैसी कई चीजों के बारे में बहुत ही अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिन्हें राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए। फिर मद सं. 88 अर्थात् संपत्ति के उत्तराधिकार का लोप किया जाए इत्यादि। वे कई मदों का लोप करना चाहते हैं। उन्होंने कई चीजों को राज्य सूची में शामिल करने का भी सुझाव दिया है। राज्यों को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से वे राज्य सूची में कई मदें लाना चाहते हैं।

राज्यों को शक्तियां दिए जाने तथा उनकी अच्छी भावना को देखते हुए मुझे प्रसिद्ध ग्रेशियन ओड, जिन्हें पिंडार द्वारा पाईथान ओड भी कहा जाता है, की पंक्तियां याद आती हैं। इनमें कहा गया है : ''मेरे मित्र अमर व्यक्ति की तलाश करने का प्रयास न करो बल्कि वह करो जो संभव है।'' मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन कर यह कहूंगा कि ''मेरे मित्र तत्काल समाधान का प्रयास न करो बल्कि उसका उपयोग करो जो अभी संभव है।'' मैंने पिंडार के पाईथान ओड में थोड़ा परिवर्तन

[श्री अनादि साहू]

किया है। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे वर्तमान में जो संभव है, उसी का सदुपयोग करने का प्रयास करें।

अब हम पिछले 52 वर्षों के दौरान किए गए अंत:स्थापनों का विश्लेषण करते हैं। संविधान में किए गए छठे संशोधन से 42वें संशोधन तक कई अंत:स्थापन किए गए हैं। आइए इन चीजों का विश्लेषण करें। सबसे पहले उन अंत:स्थापनों को संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हटाना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार संघ सूची में शामिल किए गए कई उपबंधों का लोप किया जा सकता है और राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं।

इस संबंध में, मैं अमरीका के संविधान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्री वैको कृपया मेरी बात सुनें। हाल ही में, मैं अमरीका गया था। मैंने पहले भी वहां के संविधान का अध्ययन किया था। किंतु मैं यह सोच रहा था कि यह कैसे संभव है कि अमरीका इतने कम अनुच्छेदों वाले छोटे से संविधान का उपयोग कर रहा है। जब मैं वहां गया तो मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई और खुशी भी हुई कि उस संविधान के क़ार्यान्वयन के लिए एक बहुत ही अच्छी कार्यशील व्यवस्था बनाई गई है। मैं इस सभा को सुझाव देना चाहूंगा कि अमरीकी संविधान का विस्तार से अध्ययन किया जाए।

संवैधानिक संशोधनों पर विचार करते समय श्री वैको द्वारा सुझाव दिए गए तीन उपबंधों पर ध्यान दिया जा सकता है। ये अमरीकी संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 8, 9 औा 10 में दिए गए हैं। मैं इन्हें संक्षेप में बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 1 की धारा 8 में कहा गया है :

''कांग्रेस को कर लगाने व एकत्र करने की शक्ति होगी।'' इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं किंतु मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। धार 9 के अनुसार :

''ऐसे व्यक्तियों के उत्प्रवास या आवर्जन जिसे मौजूदा राज्यों में से कोई भी राज्य स्वीकार करना उचित समझता है, को वर्ष से पहले कांग्रेस द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।''

अत: उन्होंने नागरिकता का ध्यान भी रखा है। जहां तक राज्य सूची का संबंध है, धारा 10 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार :

''कोई भी राज्य किसी प्रकार की संधि, गठबंधन या परिसंघ में सम्मिलित नहीं होगा; जहाजों को शस्त्रास्त्रों तथा अन्य आवश्यक सामान से सुसज्जित करने और उससे शत्रु के व्यापारिक जहाजों को पकड़ने का अधिकार पत्र नहीं देगा, सिक्के नहीं बनाएगा, साख पत्रों को जारी नहीं करेगा, सोने व चांदी के सिक्कों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बनाएगा...

किसी भी राज्य की निरीक्षण विधि को लागू करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर कोई भी राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना आयात या निर्यात पर कोई शुल्क या चुंगी नहीं लगाएगा...

कोई भी राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना टन-क्षमता पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाएगा, सेना एवं युद्धपोत नहीं रखेगा...''

यह कुछ चीजें अनुच्छेद 1 की धारा 10 में दी गई हैं। उन्होंने किसी को भी अवशिष्ट शक्तियां प्रदान नहीं की हें। आज जब आप राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो इन तीन मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अब जब आप संविधान को बदलने या उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो मैं केवल दो चीजों का सुझाव दूंगा एक है—एक संघ सूची व दूसरी राज्य सूची बनाई जाए। समवर्ती सूची नहीं होनी चाहिए। अपशिष्ट शक्तियां स्वत: केन्द्रीय सरकार के पास चली जाएंगी। वह भी राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण होगा संसद यह निर्णय करेगी कि क्या उन्होंने राज्य की शक्ति का अतिक्रमण किया है या नहीं। इस पर एक राय होनी चाहिए। यह विचारधारा होनी चाहिए ताकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भी ध्यान रखा जा सके। इसके साथ ही, केन्द्र समुचित नियंत्रण रख सकता है। हमने किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 249 का उपयोग नहीं किया है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य परिषद राज्य के कतिपय कार्यों को छ: माह की अवधि, जिसे अगले छ: माह अथवा एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए अपने हाथ में लेने हेतु संकल्प स्वीकार कर सकती है। हमने किसी भी प्रकार से इसका उपयोग नहीं किया है। किसी भी राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार दो राज्यां में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर, उन राज्यों की सहमति से उस विवाद को केन्द्र सरकार हल कर सकती है।

अत: जैसा कि मैं श्री वैको जी को कह रहा था, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य सूची और संघ सूची, दो ही सूची बनाई जानी चाहिए इस शर्त पर कि बाकी अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र सरकार के पास होनी चाहिए। अमरीका का संविधान इस संबंध में मार्गदर्शक हो सकता है। 200 वर्षों के अपने अस्तित्व के दौरान उन्होंने केवल 27 संशोधन किए हैं जबकि 52 वर्षों में हमने 92 से ज्यादा संशोधन किए हैं और अभी भी और संशोधन करने की सोच रहे हैं। यह सब बंद होना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हमें अमरीका के संविधान में दर्शाए गए उपबंधों को अपनाना चाहिए तथा सरकार को संविधान में उपयुक्त संशोधन करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, आदरणीय वेको साहब ने संविधान संशोधन विधेयक, 2000 जो सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कठिन परिश्रम करके इस विधेयक को तैयार किया है, इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद जब से भारत में अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान लागू हुआ है, तब से संविधान के लागू होने के बाद अनेक समस्याएं इस देश में विकट रूप से विद्यमान होती जा रही हैं। नई-नई समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। संविधान के निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और आम जनता को न्याय मिलेगा तथा देश में अमन-चैन का वातावरण पैदा होगा, देश फिर से समृद्धिशाली होगा। परन्तु अनेक कारणों से, ये सब सपने जो संविधान निर्माताओं ने देखे थे, वे हमको उनकी इच्छा के अनुरूप दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण 50 वर्षों के बाद संविधान में अनेक विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के प्रयास नहीं हुए, अर्थात्, विसंगतियां दूर होनी चाहिए।

वैको साहब ने संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के जो कायदे-कानून हैं, विषय-वस्तु बनाने के अधिकार हैं, उनमें संशोधन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि संविधान की सातवीं अनुसूची में, संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, तीन प्रकार की सूचियां हैं—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मेरे से पूर्ववक्ता, श्री अनादि चरण साहू जी ने कहा है कि समवर्ती सूची की आवश्यकता नहीं है और उसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थक हूं। मैं भी यह चाहता हूं कि समवर्ती सूची समाप्त की जानी चाहिए। हालांकि, वैको साहब की समवर्ती सूची में पहले 47 बिन्दू थे, जिनको कम करके 28 करने का प्रयास किया है, अर्थात् लगभग 19 बिन्दू उन्होंने सूची में से निकाल दिए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और इस संशोधन के माध्यम से 70 हो जाएंगे—अर्थात्, राज्यों को और अधिक अधिकार देने की कोशिश इस संशोधन विधेयक के माध्यम से श्री वैको जी ने की है। इसी प्रकार संघ सूची में 97 विषय थे, उनमें से 94 रह गए हैं। ऐसा विधेयक में दिया गया है। अनेक मामले ऐसे हैं, जो समवर्ती सूची में दर्शाए गए हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि समवर्ती सूची के कारण ही राज्यों और केन्द्र में झगड़े होते आए हैं। उन झगड़ों को हल करने में विलंब हो जाता है। केन्द्र कुछ चाहता है और राज्य कुछ चाहते हैं। हालांकि समवर्ती सूची में केन्द्र सरकार के कानून को सर्वोपरि मानकर उन पर अमल करने का प्रावधान है। लेकिन अनेक राज्यों में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है, जैसा कि समवर्ती सूची में लिखा है, उनको आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कुछ खामियां दर्शा करके मामले लंबित करते रहते हैं।

भार्गव साहब ने एक उदाहरण दिया था, मैं भी देना चाहता हूं। जैसे विवाह विच्छेद कानून, तलाक कानून, इस प्रकार के कानून में दोहरे दंड का प्रावधान है। केन्द्र कहता है कि अगर किसी ने किसी को तलाक दे दिया तो जो पीड़ित महिला है, उसे 500 रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने की व्यवस्था कानून में है। महाराष्ट्र सरकार ने इसी बात के लिए 1500 रुपए भरण-पोषण देने की व्यवस्था कर रखी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 3000 रुपए की व्यवस्था कर रखी है और बाकी प्रांतों में वही 500 रुपए हैं, जो केन्द्र ने कानून बनाया है। आखिर एक प्रकार के अपराध की एक प्रकार की सजा सारे देश में होनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके कारण विसंगतियां हैं, इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करना चाहिए। यह जो भेदभाव किया जा रहा है, इसे दूर करना चाहिए।

महोदय, भारत सरकार द्वारा लाटरी संचालित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा भी की जाती है। भारत सरकार का काम लाटरी चलाना या व्यापार-व्यवसाय करना नहीं है। वैसे तो लाटरी पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, परन्तु अगर चलानी भी है तो वह राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में छोड़ देनी चाहिए, इसे संघ सूची में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे शिक्षा है—अलीगढ़ विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ये कुछ ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के मानकर सरकार के नियंत्रण में हैं और बाकी विश्वविद्यालय राज्यों के कानून में हैं। आखिर शिक्षा में भेदभाव क्यों? एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, एक घटिया क्वालिटी की प्राप्त करेगा। उसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारी हैं, केन्द्र के नियंत्रण में हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा वेतन भत्ता मिलेगा और वही विश्वविद्यालय अगर राज्य सरकार संचालित कर रही है तो वहां के कर्मचारियों को, छात्रों को कम सुविधा मिलेगी। इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, या तो यह विषय पूर्णरूपेण राज्यों को दे दिया जाए अन्यथा पूर्णरूपेण केन्द्र के पास कर लिया जाए, परंतु शिक्षा राज्यों का विषय है इसलिए उन्हीं को दे देना चाहिए।

अब जैसे रेलवे पुलिस है, इसमें दो प्रकार की व्यवस्था है—रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी। जहां-जहां जीआरपी है, वह राज्यों की पुलिस है और आरपीएफ रेलवे की पुलिस है। इस कारण से स्टेशन पर झगड़े होते हैं। अपराधी को संरक्षण मिल जाता है। जब हम पूछते हैं कि जीआरपी का और आरपीएफ का क्या काम है तो वे कहते हैं कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे में चोरी हो जाती है, रेल के डिब्बे में कोई नफा-नुकसान हो जाता है या रेल लाईन को कोई नफा-नुकसान हो जाता है तो उसके खिलाफ आरपीएफ कार्यवाही करेगी और बाकी जो आपराधिक प्रकरण हैं, उसे जीआरपी करेगी। इस प्रकार की दंड प्रक्रिया संहिता में केन्द्र कानून बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। कुछ अधिकार राज्यों को हैं और कुछ केन्द्र को हैं, ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए, अन्यथा इसके कारण जो न्याय शीघ्र

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

एवं सस्ता मिलना चाहिए, उसमें मिलने में कठिनाई होती है। कहीं न कहीं इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए कि वे सीधे न्याय देने में सहायक सिद्ध हो सकें। बहुत सारे विषय ऐसे हैं—जैसे मैंने बताया कि समवर्ती सूची समाप्त ही कर देनी चाहिए। उसमें से कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्यों के कानून में जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो केन्द्र के कानून में जा सकते हैं। इसलिए केन्द्र और राज्यों के विषय के बीच में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अन्यथा केन्द्र और राज्यों के बीच में विवाद बढ़ते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे और उसके कारण जनता को कठिनाई होती रहेगी तथा देश और राज्यों के विकास की गति को तेज करने में बाधा पहुंचती रहेगी। मै। इस अवसर पर मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय वैको जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर विचार करें और सकारात्मक जवाब दें।

महोदय, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। विदेशों से वयापार-व्यवसाय करने का काम या तो पूर्णरूपेण केन्द्र को दें, अन्यथा मैंने देखा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे-सीधे पूंजी निवेश के लिए विदेशों में जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री गए हैं। अब विदेशों से व्यापार-व्यवसाय करना केन्द्र का काम होना चाहिए या राज्यों का होना चाहिए, यह भी निर्धारित होना चाहिए। निश्चित रूप से यह केन्द्र के आधीन होना चाहिए। अगर राज्य किसी देश से कोई निवेश कराना चाहते हैं, अगर वे केन्द्र सरकार के माध्यम से कुछ करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा राज्य बाहर जाकर विदेशों से व्यापार संबंधी समझौता करने का प्रयास करते हैं जिससे केन्द्र और राज्यों में विवाद बढ़ता है और इस प्रक्रिया से तकलीफ बढ़ती है।

इसी प्रकार से उच्च न्यायालय से ऊपर के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो शायद केन्द्र करता है और बाकी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं वे राज्यों के जिम्मे हैं। न्यायालय की व्यवस्था और कानून में अपराध को समान सजा का प्रावधान सारे देश में एक होना चाहिए। इसलिए ज्यूडिशरी व्यवस्था जितनी भी है वह केन्द्र सरकार के अधीन होनी चाहिए।

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समवर्ती सूची समाप्त करके राज्यों और केन्द्र के बीच में इसका बंटवारा कर देना चाहिए। इस प्रकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए राज्यों को और अधिकार दिए जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे देश के संविधान से जो अपेक्षा की गई है, हम उस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकें।

संविधान समीक्षा आयोग गठित हुआ है और उसकी रिपोर्ट आई है। मैं सोचता हूं कि इस विषय पर उसमें बहुत कुछ कहा गया है। उस पर अमल करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे और व्यवस्था ऐसी करेंगे जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच में विषय-वस्तु को लेकर झगड़ा न हो और दोनों मिलकर इस देश की प्रगति में तेजी से साथ-साथ चल सकें।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, संविधान (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक लाने के लिए श्री वैको जी को मुबारकबाद देता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे संविधान पर चर्चा की थी तो अत्यधिक समय लिया था। वे महीनों तक इन विचारों पर वाद-विवाद करते रहे थे। अब पुन: वही प्रश्न हमारे समक्ष है। 52 वर्ष बीत जाने के पश्चात् बहुत सी बातें बदल गई हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में पूर्ण रूप से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। श्री वैको जी ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं।

महोदय, हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत तीन सूचियां हैं। एक है संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, श्री वैको जी ने इस सूची में 94 विषयों को ही रखने का सुझाव दिया है। इसी प्रकार राज्य सूची में 66 विषय हैं। श्री वैको ने इस संशोधन के माध्यम से इसमें 60 विषय रखने का सुझाव दिया है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और उन्होंने 42 विषय ही इसमें रखने का सुझाव दिया है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विषय पर गहनतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री वैको ने जो भी सुझाव दिए, केवल दो ही सूची होनी चाहिए। जो भी शेष शक्तियां हों उन्हें केन्द्र सरकार को दिया जाना चाहिए। पूरे देश की सम्माननीय संस्था होने के नाते संसद तथा केन्द्र के पास शक्ति होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इन विषयों पर पूर्ण रूप से वाद-विवाद होना आवश्यक है। जब कभी भी संसद को समय मिले, तब वह इन सब विषयों पर विचार करे। अगर हम प्रत्येक विषय को देखें तो पाएंगे कि बहुत कुछ बदल गया है। यहां मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। श्री वैको ने वन को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में रखने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इसे समवर्ती सूची में ही होना चाहिए क्योंकि वन विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि राज्य भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ ही इस विषय में विधेयक बनाने और संशोधन करने का अधिकार केन्द्र को होना चाहिए। उदाहरण के लिए समुद्री क्षेत्र को ही लीजिए। समुद्री क्षेत्र में समुद्री जीव अभयारण्य हैं। इन समुद्री जीव अभयारण्य क्षेत्रों

में राज्यों को शक्ति प्राप्त है। ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्यों से इसका प्रबंधन ठीक तरह से नहीं हो रहा। इसलिए अगर केन्द्र के पास शक्ति होगी तो वह उसका उचित ध्यान रख सकेगा। अत: मेरा सुझाव है कि संसद में इस विषय पर पूरी चर्चा होनी आवश्यक है।

एक बार फिर मैं श्री वैको जी को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : सर्वप्रथम मैं महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक को लाने के लिए श्री वैको जी का आभारी हूं।

उन्होंने सभी की चिंताओं को व्यक्त किया है जो वित्तीय प्रशासनिक, राज्यों की विधायी शक्ति, केन्द्र-राज्य संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंधों में वृद्धि आदि से संबंधित है और वह भी राज्यों को और आत्मनिर्भर बनाया जा सके तथा ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता दी जा सके। साथ ही जहां तक संभव हो सके केन्द्र को वर्तमान आवश्यकता के अनुसार यथासंभव मजबूत होना चाहिए।

भाजपा सदस्य सहित ग्यारह सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, संभवत: एक सदस्य ने इस विधेयक का विरोध किया था। इससे इस मामले पर सभी माननीय सदस्यों की चिंता का पता चलता है। एक सममामयिक विषय को लिया गया है। किस विशेष विषय को सूची । में शामिल किया जाए और कौन से विषय को सूची-II से निकाला जाए इस बारे में माननीय श्री वैको जी ने बड़ी मेहनत की है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों से यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केन्द्र की परिकल्पना की थी ताकि राज्यों के हितों का संरक्षण हो सके, सुदृढ़ भारत का निर्माण हो सके लेकिन राज्यों पर हावी होने के लिए ऐसा नहीं किया गया था। इसका उल्लेख किया है। विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकारों को अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए और ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए, शक्तियों का केन्द्रीकरण अच्छी बात नहीं है और राज्यों को अपनी नीतियों के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए साथ ही विधायी शक्तियों की समीक्षा शीघ्र की जानी चाहिए।

मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में योगदान दिया। श्री वैको और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने विशेषकर अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में यह भी उल्लेख किया कि आस्ट्रेलिया, अमरीका और कुछ अन्य देशों के संविधानों में ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं न कि केन्द्र के पास, जबकि भारतीय संविधान में इसके विपरीत व्यवस्था है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाते वक्त टिप्पणी की थी कि उस समय उपलब्ध सभी संविधानों की श्रेष्ठ विशेषताओं पर संविधान-सभा ने विचार किया था। उस वक्त उनको जो विशेषताएं श्रेष्ठ लगीं, और जो भारतीय स्थिति के अनुकूल थीं, उन्हें संविधान में सम्मिलित किया गया। इसलिए संविधान भारी-भरकम बन गया। और अन्य संविधानों की सभी संभव विशेषताओं पर भी ध्यान दिया गया।

नि:संदेह हमारे संविधान का उद्देश्य केन्द्र तथा राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है और केन्द्र राज्यों का सर्वांगीण विकास चाहता है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ संस्थागत व्यवस्था भी की गई है ताकि केन्द्र-राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हों तथा राज्यों का विकास भी हो। राज्यों और केन्द्र के बीच संबंधों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी प्रशासनिक, दूसरी विधायी और तीसरी वित्तीय है। केन्द्र-राज्य संबंधों का मार्गदर्शन करने वाला तंत्र पूर्णरूप से संस्थागत है।

अब हम वित्तीय व्यवस्था को देखते हैं। संस्थागत व्यवस्था राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में विद्यमान है। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य योजना निधियों तथा कर राजस्व बांटने के मानक तय करना है। राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजनागत निधियां बहुत ईमानदार और पारदर्शी, तार्किक फार्मूले के तहत जिसे गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के नाम से जाना जाता है, बिना किसी भेदभाव के दी जाती हैं।

हमारे संविधान के बारे में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोग इसे 'संघीय' संविधान कहते हैं और कुछ लोग इसे 'अर्द्धसंघीय' कहते हैं। इसके साथ तीसरी श्रेणी भी है जिसके अनुसार यह 'संघीय' है लेकिन इसका झुकाव एकांशी है। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों के हितों का ध्यान रखा था और उनका विचार था कि उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उनका मानना था कि राज्यों को मजबूत होना चाहिए, साथ ही केन्द्र को भी कमजोर नहीं होना चाहिए। केन्द्र को भी मजबूत रखना चाहिए ताकि राष्ट्र मजबूत बना रह सके।

केन्द्र-राज्य संबंधों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1982 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट 1989 में प्रस्तुत की। फिर, संविधान के तहत गठित अंतरराज्यीय परिषद एक महत्वपूर्ण निकाय है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इसका गठन मई 1990 में हुआ था।

संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतरराज्यीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। इसके महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री इसकी

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

अध्यक्षता करते हैं, और राज्यों और केन्द्र के बीच वित्त अंतरण संबंधी संविधान के 80वें संशोधन से पहले अंतरराज्यीय परिषद का संकल्प आया। ऐसा महत्वपूर्ण निकाय हमारे देश में पहले से ही मौजूद है।

जहां तक सरकारिया आयोग की रिपोर्ट लागू करने संबंधी प्रगति का प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने कुल मिलाकर 247 सिफारिशें की थीं, जो 19 अध्यायों में हैं। अब तक अंतरराज्यीय परिषद की सात बैठकें हुई हैं, और इसने 230 सिफारिशों पर विचार किया जिसमें से 108 सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं और 87 क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

यह सही है कि सरकारिया आयोग की 17 सिफारिशों, जो संविधान के अनुच्छेद 356, केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती और प्रशासनिक संबंधों के बारे में थी, पर अभी विचार किया जाना है। अंतरराज्यीय परिषद की उप-समिति ने इन सिफारिशों पर पहले ही विचार कर लिया है तथा जल्द ही इसकी रिपोर्ट अंतरराज्यीय परिषद के समक्ष रखी जाने वाली है। अंतरराज्यीय परिषद जब इस पर विचार कर लेगी तो इन 17 सिफारिशों पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जहां तक अवशिष्ट शक्तियों का सवाल है, इस चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश माननीय सदस्यों ने उनका जिक्र किया है तथा श्री वैको ने संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया में प्रचलित उदाहरणों का उद्धरण देते हुए उनका जिक्र किया है। सरकारिया आयोग ने स्वयं सिफारिश की है कि किसी भी प्रकार के कराधान से संबंधित विधान संबंधी अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अन्य सभी विधान संबंधी अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। परंतु इस सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा विचार किया गया तथा इस परिषद ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक कदम और आगे बढ़ा और नवंबर, 2001 में हुई अपनी बैठक में कहा कि 'नहीं, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कराधान से संबंधित अवशिष्ट शक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। हमने इस संबंध में भी प्रगति की है। इसमें कहा गया है कि कराधान संबंधी अवशिष्ट शक्तियों सहित सभी अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। यह सिफारिश भी हमारे पास मौजूद है।

तत्पश्चात्, स्वयं संविधान में प्रावधान है कि हर पांच साल के बाद वित्त आयोग का गठन होगा जो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की तरह एक स्वतंत्र निकाय होगा। यह संवैधानिक निकाय करों के वितरण, भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों तथा पंचायतों के संसाधनों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपायों पर विचार करेगा।

केन्द्र और राज्यों के बीच योजना निधियों और कर राजस्व सहित राजस्व का वितरण काफी तर्कसंगत, पारदर्शी और सहभागी तरीके से किया जाता है क्योंकि एक मजबूत केन्द्र का होना संवैधानिक उद्देश्य है। वित्त आयोग हर पांच साल पर अपनी सिफारिशें देता है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि अब केन्द्रीय कर राजस्व का 29 प्रतिशत भाग राज्यों को मिलेगा। यह 1996 से ही राज्यों को दिया जा रहा है।

समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, मैं चाहता हूं कि इस मामले को निपटा दिया जाए क्योंकि श्री वैको भी इस विषय पर बोलना चाहेंगे।

संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने भी इस समस्या पर विचार किया है। संविधान समीक्षा आयोग पहले ही अपनी सिफारिशें दे चुका है। इस आयोग की सिफारिशों पर भी सरकारिया आयोग और अंतर्राज्यीय आयोग की सिफारिशों के साथ विचार होगा। संविधान में विस्तारपूर्वक वर्णित संस्थागत व्यवस्था पहले से ही है जिसमें मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाता है। यदि कोई विवाद है अथवा कोई संशोधन करना है या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो तो इन पर अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग द्वारा कार्यवाही की जाती है। मैं नहीं समझता हूं कि इस चरण में, जब संविधान समीक्षा आयोग ने भी अपनी सिफारिशें दे दी हैं, किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। हम संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशों तथा इन सभी सिफारिशों पर निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं। जैसा कि हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, इस विषय पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह संवैधानिक संशोधन आसानी से नहीं हो सकता क्योंकि सर्वप्रथम, सभा में उपस्थित 50 प्रतिशत सदस्य इसे पारित करेंगे, उसके बाद संसद के दो-तिहाई सदस्यों को इसे पारित करना होगा तथा तत्पश्चात् 50 प्रतिशत राज्यों को भी इस संशोधन की मंजूरी देनी होगी। तभी जाकर, इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है।

श्री वैको ने भी विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया था कि केन्द्र सरकार राज्यों के प्राधिकारों और क्षेत्रों पर अधिकार करती जा रही है तथा इससे असंतुलन पैदा हुआ है। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

किसी ने यह भी जिक्र किया है कि यहां तक कि अर्द्ध-सैनिक बलों और सशस्त्र बलों को भी भेजा जाता है अथवा भेजा जा सकता है। यह बात सही है, राज्यों द्वारा मांग किए जाने पर सिविल प्रशासन के सहायतार्थ उन्हें सदैव ही सशस्त्र बल अथवा अर्द्ध-सैनिक बल प्रदान किए जाते हैं। अन्यथा, केन्द्र सरकार कभी भी सेना अथवा केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को नहीं भेजती रही है। दूसरी ओर, केन्द्र सरकार जहां कहीं संस्थागत व्यवस्था नहीं है वहां उदारतापूर्वक राज्य सरकारों को सहायता दे रही है।

छद्म युद्ध, सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद, संगठित अपराध के कारण ही पुलिस के आधुनिकीकरण का मुद्दा उठा। तत्पश्चात्, केन्द्र सरकार ने इस पर विचार किया। आधुनिकीकरण के लिए दस करोड़ रुपये के साथ शुरूआत हुई। काफी समय पहले, केन्द्र सरकार ने मात्र 10 करोड़ रुपये देना शुरू किया। किन्तु, देश में आए वर्तमान परिवर्तनों एवं परिदृश्य के मद्देनजर वर्ष 2000-2001 में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस संबंध में फौरन निर्णय लिया गया। जब प्रधानमंत्री के समक्ष वस्तुस्थिति को रखा गया तो उन्होंने उसी समय यह निर्णय लिया कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित राशि को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया जाता है। 1,000 करोड़ रुपये की यह राशि राज्यों को उनके आधुनिकीकरण के लिए दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, वामपंथी उग्रवाद, भूमिगत विद्रोहियों की समस्या व सीमापार से प्रयोजित आतंकवाद की समस्या को राज्य की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया गया। केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद का सामना करने में आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत वहन करेगी तथा वह विद्रोह से प्रभावित राज्यों की पुलिस को मजबूत बनाने के लिए शत-प्रतिशत सहायता दे रही है।

इसे राष्ट्रीय आपदा व राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया गया, और इस इच्छा के साथ कि इसका ध्यान राष्ट्र रखे केन्द्र सरकार ने इसकी जिम्मेवारी स्वयं अपने ऊपर ली। इस प्रकार, केन्द्र सरकार का हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि राज्यों को प्रभावित करने वाले विवादास्पद मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, मुख्य सचिवों के सम्मेलन तथा अन्य अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा के माध्यम से एक सर्वसम्मति कायम की जाए। महोदय, यही कारण है कि इन सभी बातों के मद्देनजर संस्थागत व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार संविधान के तहत और यहां तक कि प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से राज्यों के हित में निर्णय लेती रही है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ रखा जा सके व उनको सहायता की जा सके। जहां कहीं भी समस्याएं उनकी क्षमता के बाहर हैं, उन मामलों में केन्द्र सरकार हमेशा ही बहुत उदार रही है।

मैं समझता हूं कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और संविधान के 80वें संशोधन के मद्देनजर जिसमें राज्यों के लिए केन्द्रीय कर राजस्व का 29 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है, इन सारी चीजों के आलोक में, वर्तमान में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, न ही इसका कोई तात्कालिक औचित्य है। हम समीक्षा आयोग के प्रतिवेदन का भी अध्ययन करें। केन्द्र सरकार से समीक्षा आयोग प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ है उसे इसका अध्ययन करने में कुछ वक्त लगेगा। तब जाकर, हम निश्चित रूप से एक अंतिम दृष्टिकोण अपना सकते हैं। हम इस पर व्यापक बहस कर सकते हैं क्योंकि यह साधारण मामला नहीं है। सभी पक्षों पर विचार किया जाना जरूरी है।

मैं सदन में उपस्थित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र ने राज्य के अधिकारों को हड़पने का कोई प्रयास नहीं किया है। माननीय सदस्य, श्री वैको ने अपने विधेयक उद्देश्यों और कारणों के कथन में 'हड़पना' शब्द का प्रयोग किया है।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : यह आपके द्वारा नहीं किया गया। यह कार्य पिछली सरकार द्वारा किया गया था...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : आपने विधेयक के और कारणों के कथन में 'हड़पना' शब्द का प्रयोग किया है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि चाहे सरकार जिस किसी की भी हो उसके द्वारा राज्यों की शक्तियों को हड़पने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुत:, केन्द्र सरकार को ऐसी शक्तियों को राज्यों को हस्तांतरित करने हेतु व्यापक राय कायम करने का प्रयास करना चाहिए और वह इस प्रयास को जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है क्योंकि ऐसा करने से राज्यों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने, विकास की गति तेज करने तथा सभी राज्यों एवं समाज के सभी वर्ग के लोगों की उत्पादक क्षमता का पूर्ण दोहन करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इससे केन्द्र और राज्यों के बीच मजबूत एवं मधुर संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का यह भी दृढ़ विचार है कि संघीय सिद्धांतों को कार्यान्वित करने और राज्यों को शक्तियां हस्तांतरित करने का कार्य साथ-साथ चलना चाहिए तथा केन्द्र को काफी मजबूत रखना चाहिए ताकि वह देश को साथ-साथ राज्यों के हित का ध्यान रख सके।

हमें इन सभी सिफारिशों और संस्थागत व्यवस्थाओं, विषय के महत्व, समसामयिक विषय और प्रासंगिक विषय को ध्यान में रखना है। निस्संदेह, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस महत्वपूर्ण विषय को एक महत्वपूर्ण समय पर उठाने के लिए श्री वैको को पुन: धन्यवाद देता हूं। आज जब इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, उन्होंने इस विषय पर देश तथा सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित किया है। यही कारण है कि करीब 12 या 13 माननीय सदस्य बोले तथा दलीय

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

भावनाओं के किसी भेदभाव के बिना उन सबने शक्तियों के हस्तांतरण की वकालत की तथा हमें इस पर दुबारा गौर करना चाहिए। हम लोग इस पर दुबारा विचार करेंगे। सरकार समीक्षा आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात् निश्चित रूप से आवश्यक कदम उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्री वैको से अपना विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं। इसके लिए मैं उनका बहुत कृतज्ञ होऊंगा।

श्री वैको (शिवकाशी) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों—श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन, प्रो. रासासिंह रावत, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री गिरधारी लाल भार्गव, डा. नीतिश सेनगुप्ता, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री अली मोहम्मद नायक, श्री अनादि साहू, श्री थावरचन्द गेहलोत, श्री पी.एस. गढ़वी, श्री रामदास आठवले को विधेयक पर समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, यह विधेयक डी.एम.के. दल के संस्थापक स्वर्गीय अरोग्नार अन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1974 में तमिलनाडु विधानमंडल में डा. राजमनार समिति की सिफारिशों पर जब राज्य की स्वायत्तता से संबंधित संकल्प पारित किया गया था उस समय डा. कालाइनगर करुणानिधि राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसके पश्चात् माननीय ज्योति बसु द्वारा पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी तरह डा. फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक निर्वाचक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया। अकाली दल का प्रसिद्ध अनंतपुर साहिब संकल्प अकाली दल द्वारा स्वीकृत किया गया था। हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने स्वायत्तता संबंधी संकल्प पारित किया। डा. फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक निर्वाचक सभा का आयोजन किया, उस सभा में मैंने भी भाग लिया था। एक-दो मुद्दों को छोड़कर मैंने स्वायत्तता संबंधी मांग का पूरा समर्थन किया था।

समय बहुत सीमित है और मैं डा. सरोजा को भी अवसर देना चाहता हूं। जब तक उन्हें अवसर नहीं मिलेगा, वह चर्चा कैसे आरंभ करेंगी, अत: मैं चाहूंगा कि 6 बजने से पहले वह विधेयक पर कार्यवाही आरंभ करें।

इस बार यहां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है। मेरे विद्वान मित्र के संयुक्त राज्य अमरीका का उदाहरण दिया। हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। अमरीका के संविधान में अवशिष्ट अधिकार राज्यों को दे दिए गए हैं। अमरीका के दूसरे चेम्बर उच्च सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वास्तविक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय एजेन्डा में हम लोग संघीय सामंजस्य के प्रति वचनबद्ध हैं जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और जिसमें और अधिक शक्तियों को राज्यों को सौंपा जाता है। नि:संदेह मैं माननीय मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय की प्रशंसा करता हूं कि संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ है। इस विषय पर गहन चर्चा की आवश्यकता है, और चर्चा के बाद यदि आवश्यक हुआ तो जो मांग मैंने यहां की है, उस पर हम विचार कर सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर यहां भी काउंसिल ऑफ स्टेटस (राज्य सभा) में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह देश की आवश्यकता है और यही समय की भी आवश्यकता है।

एक और भी पहलू है। वर्तमान प्रक्रिया को बदलने का भी प्रस्ताव आया है। राज्य सभा, राज्यों की परिषदों के लिए, चुने जाने वाला व्यक्ति मतदाता होना चाहिए तथा वह एक निश्चित अवधि के लिए उस राज्य विशेष में रह रहा हो। इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यह अन्य राज्यों से लोगों को लाकर उस राज्य में रखने का प्रयास है जो अपने राज्यों से चुने नहीं जा सके। यह बहुत ही गलत प्रथा है। राज्यों का प्रतिनिधित्व उसके अपने लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विचार को त्याग दें।

एक और बात है, और मैं उस पर पुन: आता हूं। माननीय मंत्री द्वारा सरकारिया आयोग रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया गया है। वास्तव में वी.पी. सिंह की सरकार के समय, कांग्रेस के लोगों को अंतरराज्यीय परिषद का विचार बिलकुल नहीं आया। अत: अब परिवर्तन आ चुका है। अब अनेक नयी समस्याएं सामने आ रही हैं।

भारत में बहुलवादी समाज है। इसलिए सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैंने मांग की थी कि द्रविड़ भाषाओं में तमिल भाषा जो उत्कृष्ट व प्राचीन भाषा है को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रभाषाएं जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं को राजभाषा का दर्जा दिए जाने में यदि कठिनाई आ रही हो तो तब तक पं जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन के अनुसार अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जा सकता है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम वर्षों से यह मांग कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस में क्या हुआ जब सारी शक्तियां मास्को में केन्द्रित थी तथा एक ही भाषा का आधिपत्य और प्रधानता थी। रूस छोटे-छोटे 15 राज्यों में बंट गया। यूगोस्लाविया में

जो हुआ हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अब समय है जब राज्यों को शक्तियां दी जानी चाहिए।

राज्यों की अवशिष्ट शक्तियां जिन्हें केन्द्र में आपातकाल के दौरान ले लिया था उन्हें वापस राज्यों को दिया जाना चाहिए। यही मांग मैंने यहां रखी है। राज्यों को शक्तियां वापस दी जानी चाहिए जिसकी मांग मैं करता रहा हूं इसके कारणों का विस्तृत ब्यौरा मैंने दे दिया है। अब समय आ गया है जब राज्यों को वे शक्तियां वापस दे देनी चाहिए जो उनसे ले ली गई थीं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी जानी चाहिए। अत: जब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार को इस विषय पर व्यापक चर्चा करानी चाहिए तो इस संदर्भ में उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे राज्यों को और अधिक शक्तियों की मांग करने के विचार अलग रखने की बात न सोचें। यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक व्यापक विधेयक होना चाहिए और पूरे विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर व्यापक चर्चा कराएगी और जो मांगें मैंने इस संविधान संशोधन विधेयक में की हैं उनको स्वीकार करेगी।

एक बार फिर मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया और अपना बहुमूल्य समर्थन दिया। मुझे विश्वास है कि एक दिन वह दिन आएगा जब इस विधेयक की भावना को सभा द्वारा स्वीकार किया जाएगा। मुझे यह विश्वास है क्योंकि विधेयक में इस देश की एकता और अखंडता की भावना निहित है। यदि इस सदन में उस भावना को स्वीकार नहीं किया गया तो भविष्य में हमारी एकता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इसी विश्वास के साथ, अब मैं विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.59 बजे

[अनुवाद]

(बारह) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक—विचाराधीन

सभापति महोदय : अब सभा मद सं. 29 लेगी अर्थात अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक पर विचार एवं उसे पारित करेगी।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच.आई.वी.) संक्रमण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) से पीड़ित व्यक्तियों को विशेषज्ञीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलम्ब और पुनर्वास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत यह गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज हमारे राष्ट्र में समय की मांग भी है। मैं माननीय सदस्य श्री वैको का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपना बोलने का अवसर मुझे प्रदान कर, मुझे इस विधेयक पर चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी है।

यह विधेयक अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण व एच.आई.वी. एड्स से संबंधित है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, यह विधेयक एच.आई.वी. संक्रमण के फैलाव को रोकने, उस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से तथा एड्स से पीड़ित लोगों को विशेष चिकित्सीय उपचार, सामाजिक सहायता और उनके पुनर्वास हेतु व उनसे जुड़े मामलों के निदान के उद्देश्य से लाया गया है।

सभापति महोदय : डा. बी. सरोजा, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकती हैं।

सायं 6.0½

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 6 मई, 2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 मई, 2002/ 15 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।